दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शास्त्री) पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :-

1. श्री ए. दयानन्द चंदीला ए.
2. श्री अनिल भारद्वाज
3. श्री अनिल झा
4. श्री अनिल कुमार
5. श्री अरविन्दर सिंह
6. श्री आसिफ मो. खान
7. श्री बलराम तंवर
8. श्रीमती बरखा सिंह
9. चौ. भरत सिंह
10. डॉ. बिजेन्द्र सिंह
11. श्री देवेन्द्र यादव
12. श्री धर्मदेव सोलंकी
13. श्री हरिशंकर गुप्ता
14. डॉ. हर्ष वर्धन
15. श्री हरशरण सिंह बल्ली
16. श्री हसन अहमद
17. प्रो. जगदीश मुखी
18. श्री जयभगवान अग्रवाल
19. श्री जय किशन
20. श्री जसवंत सिंह राणा
21. श्री करण सिंह तंवर
22. श्री कुलवंत राणा
23. श्री मालाराम गंगवाल
24. श्री मंगत राम

25. श्री मनोज कुमार
26. चौ. मतीन अहमद
27. श्री मोहन सिंह बिष्ट
28. श्री मुकेश शर्मा
29. श्री नंद किशोर
30. डॉ. नरेन्द्र नाथ
31. श्री नरेश गौड़
32. श्री नसीब सिंह
33. श्री नीरज बैसोया
34. श्री ओ.पी. बब्बर
35. श्री प्रद्युम्न राजपूत
36. श्री प्रहलाद सिंह साहनी
37. चौ. प्रेम सिंह
38. श्री राजेश जैन
39. श्री राजेश लिलोठिया
40. श्री राम सिंह नेताजी
41. श्री रमेश बिधूड़ी
42. श्री रविन्द्र नाथ बंसल
43. डॉ. एस.सी.एल. गुप्ता
44. श्री साहब सिंह चौहान
45. श्री सतप्रकाश राणा
46. श्री शोएब इकबाल
47. श्री श्रीकृष्णा
48. श्री श्याम लाल गर्ग
49. श्री सुभाष चौपड़ा
50. श्री सुभाष सचदेवा
51. श्री सुमेश
52. श्री सुनील कुमार
53. श्री सुरेन्द्र कुमार
54. श्री सुरेन्द्र पाल रातावाल
55. चौ. सुरेन्द्र कुमार
56. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
57. श्री वीर सिंह धिंगान

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र-10 बुधवार, 6 जून, 2012/ज्येष्ठ 16 1934 (शक) अंक-80

सदन अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शास्त्री) पीठासीन हुए।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदयः पहला प्रश्न डॉ. जगदीश मुखी। (अनुपस्थित), श्री तरविंदर मारवाह जी (अनुपस्थित), अगला प्रश्न चौ. मतीन अहमद।

चौ. मतीन अहमदः अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 143 प्रस्तुत हैः क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि-

(क) क्या यह सत्य है कि सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में उर्दू माध्यम के स्कूलों की कमी है और,

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे कितने नए स्कूलों की आवश्यकता है और,

(ग) यह कमी कब तक पूरी हो जाएगी?

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 143 का उत्तर प्रस्तुत हैः

(क) जी नही, सीलमपुर विधान सभा क्षेत्र में 2 स्कूलों में उर्दू मीडियम की तथा 16 स्कूलों में उर्दू तृतीय भाषा के रुप में पढ़ाए जाने की सुविधा उपलब्ध है।

(ख) उपरोक्त

(ग) उपरोक्त

अध्यक्ष महोदयः मतीन जी।

चौ. मतीन अहमदः अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि उर्दू मीडियम के स्कूलों में टीचरों की क्या स्थिति है।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष, पहले 167 उर्दू की हमारे पास पोस्ट थी। 2011 में 100 पोस्ट और क्रीएट की अब टोटल 262 हैं और 262 के अंगेस्ट हमने 267 भर्ती की हैं, यानि कि पाँच एक्स्ट्रा लेकिन बहुत सारे स्कूलों में हमारी जो नई पीटीआर है, तो हमारी कोशिश है कि हम उस के अनुसार वन इज टू थर्टी रेशो लेकर के आएं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी और हमारे बाकी सदस्यों ने भी चाहे वो हारुन युसूफ साहब हैं उन्होंने बार-बार इस बात के लिए कि ज्यादा से ज्यादा उर्दू के टीचर उपलब्ध हों और मुझे इस बात की खुशी है सदन को बताते हुए कि इस वर्ष हमने सौ पोस्टे और कर दी हैं यानि कि 362 पोस्टे हो जाएँगी और इनको भी हमने कह दिया है कि तुंरत प्रभाव से हम कांट्रेक्ट पर रख लें और सबोर्डिनेट सर्विस बोर्ड को इनका डोजियर्स भेज दें ताकि वो परमानेंट हों और मुझे उम्मीद समर वैकेशन के बाद दिल्ली में 362 जाएँगी। उर्दू को एज ए लैंग्वेज प्रमोट करना चाहते हैं। मैं सदन के माध्यम से सभी सदस्यों से भी यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर वो अपने विधान सभा क्षेत्र के किसी स्कूल में उर्दू एज ऐ लैंग्वेज रखवाना चाहते हैं हमें जरुर लिखें तो हम वहाँ पर उर्दू के टीचर की व्यवस्था करवाएँगे।

अध्यक्ष महोदयः मतीन जी।

चौ. मतीन अहमदः अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, सरकार की यह पॉलिसी है, एजूकेशन मिनिस्टर साहब की पॉलिसी है कि जिस क्लॉस में दस उर्दू के बच्चे होंगे, वहाँ पर उर्दू के टीचर देंगे। उसका क्या प्रबंध है?

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष जी, खाली उर्दू ही नहीं बाकी और जो बच्चे हैं। ये उर्दू जो हैं, वो इस शहर की न केवल जुबान है बल्कि तहजीब का भी हिस्सा है तो हम चाहते हैं कि बाकी बच्चे भी उर्दू सीखें। मैं यह भी कह रहा हूँ कि जहाँ दस बच्चे होंगे वहाँ तो हम उर्दू का टीचर देंगे। मैं उसकी डिटेल आपको बताता हूँ लेकिन जहाँ पर कम बच्चे होंगे, हमारी कोशिश यह है कि जहाँ पर कम बच्चे हैं और अगर हमारे माननीय विधायक साथी यह समझते हैं कि यहाँ पर उर्दू और पंजाबी की भाषा का प्रोविजन होना चाहिए। हम पहले वो करेंगे। कोई जरुरत नहीं है कि बच्चे पहले हों या न हों। अगर वहाँ का प्रिंसीपल और विधायक अगर यह लिखता है कि यहाँ पर पंजाबी और उर्दू की व्यवस्था की जाये तो हम करेंगे, बच्चे न होने के बावजूद भी। लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा है उसकी डिटेल भी मैं आपको बता दूँ। मुझे बहुत खुशी भी हो रही है, यह बताने में और जैसा कि मैंने बताया भी है कि हमने ऑलरेडी 267 पोस्ट भरी हैं। लेकिन अगर आप उर्दू के बच्चों की संख्या देखेंगे तो पिछले दो तीन सालों में लगातार तेजी के साथ बढ़ी है जैसे उर्दू एज ए लैंग्वेज, 2008 की मैं बात करता हूँ, लगातार तीन सालों में 2008-09 में 30,000 बच्चे उर्दू पढ़ रहे थे और 2011-12 में 48,000 बच्चों ने उर्दू एज ए लैंग्वेज को प्रैफर किया है और जो उर्दू मीडियम स्कूल है, 2008-09 में 21051 बच्चे उर्दू पढ़ रहे थे और 2011-12 में 26083 बच्चे। यानि कि 5000 बच्चे इन पाँच सालों में उर्दू मीडियम के पढ़े है और 18000 बच्चे पूरी दिल्ली के अंदर पढ़े हैं। इसके अलावा हमने एक और आर्डर किये हैं, जिसमें

हमने प्रिंसीपल को इम्पावार्ड कर दिया है। वो अपने बैस पर कांट्रेक्ट टीचर रख सकता है, हमने यह निश्चित करने के लिए कहा कि हर स्कूलों में अभी ज्यादा उर्दू मीडियम स्कूलों में प्रोब्लम, अभी आपने जो प्रश्न पूछा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में कमरों की संख्या बहुत कम है। बच्चों की ज्यादा है। अगर आप बच्चों की संख्या के हिसाब से देखेंगे तो, जैसे हमने चार टीचर उपलब्ध कराएँ है वहाँ ज्यादा होने चाहिए, लेकिन क्लॉस रुम वहाँ पर ज्यादा नहीं है। लेकिन ओवर ऑल यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है क्योंकि दस बच्चों की रिक्वायरमेंट है।

चौ. मतीन अहमदः धन्यवाद मंत्री जी।

अध्यक्ष महोदयः श्री मुकेश शर्मा जी।

श्री मुकेश शर्माः अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ क्या दिल्ली सरकार जिलेवार, जैसे अभी उर्दू मीडियम के स्कूल हैं, वो पुरानी दिल्ली में ज्यादा हैं क्या दिल्ली सरकार का शिक्षा विभाग, जो दिल्ली सरकार में रैवेन्यू के हिसाब से 12 जिले, क्या हर जिले में क्योंकि आज माइनॉरिटी की संख्या पूरी दिल्ली के हर विधान सभा क्षेत्र में है। क्या दिल्ली सरकार का जिलास्तर पर एक एक विद्यालय के उस सेंटर को उर्दू का बनाने पर विचार कर रही है, अगर ऐसा है तो कब तक अमल होगा।

शिक्षा मंत्रीः यह बात सही है कि ज्यादा तर स्कूल पुरानी दिल्ली में है, मतीन भाई के एरिया में है। लेकिन हमारी यह कोशिश है कि हमारे उर्दू स्कूल जो भी चल रहे हैं, वहाँ जो भी सुविधा देनी है हम देंगे लेकिन हमारी कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको एज ए जुबान सीखे। और हमारी कोशिश है कि हर विधान सभा में एक स्कूल जरुर हो इसीलिए मैंने सब सदस्यों से अनुरोध किया है कि ऐसे कौन से एरिया में वो चाहेंगे कि वहाँ पंजाबी और उर्दू आये।

अध्यक्ष महोदयः श्री वीर सिंह धिंगान।

श्री वीर सिंह धिंगानः जवाब आ गया सर।

अध्यक्ष महोदयः अनिल झा।

श्री अनिल झाः सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानकारी चाहता हूँ कि जो प्रावधान किया है कि जो दस बच्चे उर्दू की शिक्षा चाहते हैं वहाँ पर आप शिक्षक अपाइंट कर सकते हैं। क्या दिल्ली में ऐसी व्यवस्था, मैथिली भाषा के लिए हो सकती है। जहाँ पर संख्या को देखेंगे तो 500 के आस पास की है मेरे क्षेत्र में। इसके साथ ही मेरे क्षेत्र में 65 मदरसें हैं जहाँ पर उर्दू शिक्षा और धार्मिक शिक्षा दी जाती है। वहाँ पर भी सरकारी स्तर पर शिक्षक अपाइंट किये जा सकते हैं।

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष जी, उर्दू और पंजाबी हमारे यहाँ की दूसरी भाषा है और सीबीएसई से जो तीसरी भाषा का फार्मूला है। जो बच्चे जो कोई भी भाषा लेना चाहते है तो सरकार की जिम्मेदारी है हम वो टीचर उपलब्ध कराते हैं, जहाँ तक हमारे साथी ने मदरसों की बात की तो उनको अलग अलग सोसायटी मैंनटेन करती है और वह ही अपने टीचर रखती है।

और वो ही जो है अपने टीचर्स वहाँ पर रिक्रूट करते हैं लेकिन सरकार की तरफ से क्योंकि हम लोगों की यह कोशिश है कि अखलियत के हमारे जो लोग हैं उनको जो है हम लोग तालीम अच्छी दे, अच्छी शिक्षा दे, उनको जो है, आगे बढ़े क्योंकि कोई भी सोसायटी तभी बढ़ सकती है जब उस सोसायटी का हर वर्ग उसके साथ आगे बढ़े तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक फैसला लिया था और कल्चरल डिपार्टमेंट इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से करता है कि उन तमाम मदरसों को जो रिकॉग्नाइज मदरसें हैं,

उनको जो है हम लोग सरकार की तरफ से कम्प्यूटर्स मुहैया कराते हैं ताकि वो बच्चे जो हैं वो तमाम मॉडर्न एजुकेशन भी जो है अपनी धार्मिक तालीम के साथ-साथ ले सकें।

अध्यक्ष महोदय: क्वेश्चन नंबर 144, श्री मालाराम गंगवाल।

श्री मालाराम गंगवाल: अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 144 प्रस्तुत है-

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि एन-ब्लॉक, रघुवीर नगर में नया विद्यालय बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि इसका निर्माण कार्य शुरु होने में असाधारण विलंब हो रहा है; और

(ग) यही हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा उक्त विद्यालय की इमारत कब तक बन जाएगी?

शिक्षा मंत्री: अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 144 का उत्तर प्रस्तुत है-

(क) जी हाँ।

(ख और ग) जी नहीं। प्राप्त भू-खंड की चारदीवारी का निर्माण हो चुका है तथा अर्द्ध-पक्का भवन की अनुमानित लागत अपेक्षित है।

श्री मालाराम गंगवाल: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ 'ख' के जवाब में और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उस स्कूल की चारदीवारी जिसको एक रुपये में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसकी कीमत चुका कर के एजुकेशन डिपार्टमेंट में और वहाँ पर चारदीवारी का काम तो हो गया, लेकिन हमारा जो स्लम विभाग है, उन्होंने

इसके नक्शे बनाये और लगभग साढ़े तीन साल से मैं इस संघर्ष में हूँ कि वहाँ पर एक भवन बन जाये क्योंकि 1966 में बसी हुई उस कालोनी के अंदर कोई स्कूल नहीं है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। सर, यह अर्ध पक्का भवन बनाने की, मेरे को समझ में नहीं आया, उसमें मेरी प्रार्थना यह है कि वहाँ पर जो भवन बनाने की योजना है या प्लान बनाया है, वो तीन मंजिल का स्कूल बनाने की बात हुई थी जिसमें कोई दस-ग्यारह करोड़ रुपये खर्च करने की बात थी तो मंत्री जी इस बात का जवाब दें।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं की कद्र करता हूँ, उन्होंने बहुत मेहनत इस स्कूल के लिए की है और मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा इसलिए भी करना चाहूँगा कि वाकई रघुवीर नगर में जो है वहाँ स्कूल की बहुत आवश्यकता है। हमारे जितने भी स्कूल्स वहाँ पर हैं वो सब over-crowded है और इनका बहुत ही बड़ा योगदान जो है, इस स्कूल के खुलने में होगा चाहे वो स्लम से लैंड अलॉट कराने में हो, हमने बहुत मीटिंग करी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ अभी जो है क्योंकि यह लास्ट जो हमारे मिनट्स थे, रिकार्ड थे, लेकिन अनऑफिशियली उसमें डॉ. वालिया साहब की और हम लोगों की भी इसमें मीटिंग हो चुकी है, हमने पक्का भवन का निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए कह दिया है और 11 करोड़ रुपये का जो है आज मेरी सुबह ही चीफ इंजीनियर (स्लम) से बात हुई है उन्होंने 11 करोड़ रुपये का एक ऐस्टिमेट बनाया है जो हमारे पास कल भेजेंगे और हम वहाँ पक्की बिल्डिंग के लिए जो है, उसको मंजूरी देंगे।

श्री मालाराम गंगवालः धन्यवाद मंत्री जी।

अध्यक्ष महोदयः क्वेश्चन नंबर 145, श्री सुनील कुमार वैद्य।

श्री सुनील कुमार वैद्यः अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 145 प्रस्तुत है-

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली सरकार के श्रम विभाग के अंतर्गत कौन-कौन से अनुभाग आते हैं, उनका कार्यक्षेत्र क्या है, अधिकारियों के नाम व सम्पर्क सूत्र के साथ विवरण क्या है;

(ख) क्या उक्त विभाग द्वारा श्रमिकों के लिए कोई कल्याणकारी योजना बनाई गई है, यदि हाँ, तो इसका विवरण क्या है;

(ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का पूरा विवरण, उसकी पात्रता के मापदण्ड व संबंधित अधिकारियों की सूची सहित क्या है; और

(घ) क्या विभाग ने अपना सिटिजन चार्टर तैयार किया है, यदि हाँ, तो उसका अंग्रेजी व हिन्दी में विवरण क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष जी, सुनील जी, आपने तो ऐसा प्रश्न किया है जो शायद ही कभी इतना विस्तृत उत्तर देना पड़े। अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या 145 का उत्तर प्रस्तुत है-

(क) श्रम विभाग, दिल्ली सरकार के पाँच अनुभाग हैं-

1. **औद्योगिक सम्बन्ध व कल्याण अनुभाग**-यह अनुभाग सामान्यतः 20 श्रम कानूनों को लागू करता है जैसे कि-

.....व्यवधान.....

श्री सुनील कुमार वैद्यः अध्यक्ष जी, यह जवाब आ चुका है, बहुत लम्बा है, खाली शोर्ट में बता दे फिर मैं अपनी सप्लीमेंटरी क्वेश्चन में कोई जानकारी चाहूँ।

अध्यक्ष महोदयः बोलने दीजिये, पहले जवाब देने दीजिये।

उद्योग मंत्रीः (क) श्रम विभाग, दिल्ली सरकार के पाँच अनुभाग हैं-

1. **औद्योगिक सम्बन्ध व कल्याण अनुभाग**-यह अनुभाग सामान्यतः 20 श्रम कानूनों को लागू कराता है जैसे कि-

   - औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
   - दिल्ली दुकान व संस्थान अधिनियम, 1954
   - कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
   - न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
   - बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 इत्यादि।

अधिकारियों का कार्यक्षेत्र, राजस्व जिले के अनुसार है। अधिकारियों का नाम सम्पर्क सूत्र का विवरण संलग्न है।

2. इसके अलावा यह अनुभाग, दिल्ली श्रम कल्याण बोर्ड व दिल्ली भवन व संन्निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड के अंतर्गत अनेक कल्याणकारी योजनाएँ चलाता है। यह अनुभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को भी लागू करता है।

3. **कारखाना निरीक्षण अनुभाग**-इस अनुभाग का कार्य कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण संबंधित व्यवस्थाओं को कारखाना में प्रवर्तन करवाना।

4. **विद्युत निरीक्षण अनुभाग**- इस अनुभाग का कार्य विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत श्रमिकों की सम्पत्तियों तथा औजारों की विद्युत से होने वाली हानियों से सुरक्षा प्रदान कराना व संबंधित कानून प्रवर्तन करवाना है।

5. **ब्यालर निरीक्षण अनुभाग**-यह अनुभाग ब्यालर संबंधी अधिनियमों का प्रवर्तन करवाता है व इसके अंतर्गत कार्रवाई करता है।

.....व्यवधान.....

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी, लम्बा है, तो टेबल कर दीजिए।

उद्योग मंत्रीः जी सर।

(क) श्रम विभाग, दिल्ली सरकार के पाँच अनुभाग हैं-

1. **औद्योगिक सम्बन्ध व कल्याण अनुभाग**- यह अनुभाग सामान्यः 20 श्रम कानूनों को लागू कराता है जैसे कि-

- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
- दिल्ली दुकान व संस्थापन अधिनियम, 1954
- कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923
- न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
- बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 इत्यादि।

अधिकारियों का कार्यक्षेत्र, राजस्व जिले के अनुसार है। अधिकारियों का नाम सम्पर्क सूत्र का विवरण संलग्न है।

2. इसके अलावा यह अनुभाग, दिल्ली श्रम कल्याण बोर्ड व दिल्ली भवन व संन्निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड के अंतर्गत अनेक कल्याणकारी योजनाएँ चलाता है। यह अनुभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को भी लागू करता है।

3. **कारखाना निरीक्षण अनुभाग**-इस अनुभाग का कार्य कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण संबंधित व्यवस्थाओं को कारखाना में प्रवर्तन करवाना।

4. **विद्युत निरीक्षण अनुभाग**-इस अनुभाग का कार्य विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत श्रमिकों की सम्पत्तियों तथा औजारों की विद्युत से होने वाली हानियों से सुरक्षा प्रदान कराना व संबंधित कानून प्रवर्तन करवाना है।

5. **ब्यालर निरीक्षण अनुभाग**-यह अनुभाग ब्यालर संबंधी अधिनियमों का प्रवर्तन करवाता है व इसके अंतर्गत कार्रवाई करता है।

(ख) श्रम विभाग मूल रुप से श्रमिकों व उद्योगों के कल्याण के लिए ही कार्य करता है। विभाग द्वारा चलाई जा रही विशेष कल्याण योजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है-

(i) श्रम विभाग, दिल्ली सरकार मुख्या रुप से प्रवर्तन (enforcement) विभाग है। श्रम विभाग मजदूरों के हित में और उनके कल्याण के लिए विभिन्न श्रम कानूनों को प्रवर्तन करता है। जैसे कि-

1. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
2. औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम, 1946
3. कारखाना अधिनियम, 1948

4. दिल्ली दुकान एवं संस्थापन अधिनियम, 1954

5. श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923

6. न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1936

7. वेतन भुगतान अधिनियम, 1936

8. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961

9. समान वेतन अधिनियम, 1976

10. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

11. ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926

12. विद्युत अधिनियम, 2003

13. भारतीय ब्यालर अधिनियम, 1923

14. उपादान संद्याय अधिनियम, 1972

15. सेल्स प्रमोशन श्रमिक अधिनियम, 1976

16. श्रमजीवी पत्रकार व अन्य समाचार-पत्र श्रमिक अधिनियम, 1965

17. बाल श्रम (निषेध व विनियमन) अधिनियम, 1986

18. ठेका श्रम (निषेध व विनियमन) अधिनियम, 1970

19. प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961

20. मुम्बई श्रमकल्याण अधिनियम, 1953

21. अंतर्राज्जीय प्रवासी मजदूर अधिनियम, 1979

22. भवन व अन्य संनिर्माण श्रमिक अधिनियम, 1996

23. भवन व अन्य संनिर्माण श्रमिक उपकर अधिनियम, 1996

(ii) दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन निर्धारण का वर्तमान फार्मूला 01.04.2011 से लागू किया। इस फार्मूले से न्यूनतम वेतन का पुनर्वालोकन करा है जिसके अनुसार अकुशल कर्मचारी का दैनिक वेतन 270 रुपये व मासिक वेतन 7020 रुपये है, अर्धकुशल कर्मचारी का दैनिक वेतन 298 व मासिक वेतन 7748 रुपये और दक्ष कर्मचारी का दैनिक वेतन 328 रुपये व मासिक वेतन 8528 रुपये कर दिया गया है। यह दरें किसी भी अन्य राज्य से ज्यादा है। न्यूनतम वेतन संबंधी शिकायतों को देखते हुए सरकार ने यह भी आदेश पारित किया है कि सभी कर्मचारियों को उनका वेतन चैक द्वारा या सीधे ही बैंक में प्रेषित किया जाएगा। कुछ नियोजक इसका विरोध कर रहे हैं पर उन्हें स्पष्ट कर दिया गया है कि आदेशों को लागू करना होगा। एक नियोजक ने इन आदेशों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है जिसके विरुद्ध विभाग जवाब दे रहा है।

(ii) निर्माण मजदूरों के लिए भवन एवं निर्माण बोर्ड द्वारा संचालित कल्याण योजनाएँ निम्नलिखित हैं-

1. चिकित्सा सहायता

2. बच्चों एवं स्वंय के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना

3. 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन की अदायगी

4. पारिवारिक पेंशन योजना

5. अक्षमता पेंशन योजना

6. अपंगों को अनुग्रह राशि प्रदान करना

7. मातृत्व लाभ योजना केवल दो बच्चों तक

8. श्रमिक की मृत्यु के उपरांत नामांकित सदस्य को मुआवजा राशि प्रदान करना।

9. श्रमिक की मृत्यु पर अंत्येष्टि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

10. औजार खरीदने के लिए ऋण प्रदान करना।

11. शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता

12. मकान खरीदने व निर्माण के लिए ऋण प्रदान करना

13. बीमा योजना के लाभ प्रदान करना

14. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

(iv) दिल्ली श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों के लिए संचालित योजनाएँ निम्न प्रकार से हैं-

1. स्वयं सहायक रोजगार योजना-इस योजना के अंतर्गत दीर्घकालीन व अल्पकालीन कोर्स चलाए जाते हैं।

2. नर्सरी कक्षाएँ

3. होलीडे होम्स-हरिद्वार, मसूरी, इलाहाबाद व शिमला में।

(v) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. परिवार, सामाजिक सुविधा संगम द्वारा चिन्हित संवेदनशील एवं अति संवेदन शील व्यक्ति और सन्निर्माण मजदूर जो कि भवन एवं अन्य संन्निर्माण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत हैं, 30 रुपये देकर स्मार्ट कार्ड बनवाकर अपने सहित परिवार के 5 सदस्यों का 30,000 रुपये तक का इलाज करा सकते हैं। निर्माण मजदूर की और से 30 रुपये का भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाता है।

(vi) अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 1 मई, 2012 के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किये गये। 30 अप्रैल, 2012 को औद्योगिक सुरक्षा व उत्पादकता पुरस्कार वितरित किये गये जिससे कि नियोजकों व श्रमिकों में सुरक्षा एवं उत्पादकता के प्रति जागरुकता पैदा हो सकें।

(vii) एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नारायण औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित किया गया जिसमें हजारों श्रमिकों को व उनके परिवारों ने भाग लिया।

(viii) श्रम विभाग, निर्माण श्रमिकों के लिए एक निर्माण एकेडमी, भी स्थापित करने जा रहा है, जिससे कि इन श्रमिकों का कौशल विकास हो सके।

(ix) दिल्ली सरकार दिल्ली प्लेसमेंट एजेंसी रेगुलेटरी बिल को अंतिम रुप दे रही है जिससे कि इन एजेंसियों को नियंत्रित किया जा सके।

(x) श्रमिकों को श्रम संबंधी जानकारी को सुलभ रुप से उपलब्ध करने के लिए पाँच अंकों वाली टोल फ्री श्रमिक हेल्पलाइन शुरु की गई हैं जिसका नम्बर 12789 है। इस नम्बर पर 1491 काल प्राप्त हुई और काल करने वालों को आवश्यक जानकारी दी गई।

(ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। दिल्ली में इस योजना को श्रम विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है। इस योजना के लाभार्थियों की पात्रता निम्नलिखित है-

1. बी.पी.एल. एवं अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवार,
2. मिशन कन्वर्जेन्स द्वारा चिन्हित संवेदनशील व अति संवेदनशील परिवार,
3. दिल्ली भवन एवं अन्य सन्निर्माण, श्रमिक कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत भवन निर्माण मजदूर।

इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क 30 रुपये प्रतिवर्ष, प्रति परिवार देना होता है। लाभार्थी परिवार बिना किसी भुगतान के 780 बीमारियों का 91 निजी अस्पतालों में 30,000 रुपये तक का इलाज करा सकते हैं। यह योजना दिल्ली स्वास्थ्य कुटुम्ब सोसायटी, श्रम विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही है।

संबंधित अधिकारियों की सूची निम्नलिखित है-

1. प्रधान संचिव (श्रम)
2. श्रमायुक्त
3. अपर श्रमायुक्त
4. सहायक श्रमायुक्त-2

(घ) जी हाँ, बनाया गया है। इसमें श्रम विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यो, श्रम विभाग के विभिन्न जिलों और शाखाओं के पत्ते और सम्पर्क संख्या दिए गए है। विभिन्न श्रम अधिनियमों जैसे ट्रेड यूनियन अधिनियम कारखाना अधिनियम, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी

अधिनियम, ब्यालर अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेंशन और लाइसेंस को प्रदान करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। सिटिजन चार्टर में श्रम विभाग के अंतर्गत होलीडे होम्स में ठहरने की प्रक्रिया और शुल्क का विवरण भी दिया गया है। इसका संशोधित संस्करण तैयार किया जा रहा है।

श्री सुनील कुमार वैद्यः अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और पूरी दिल्ली में जो लाखों लेबर्स काम करती हैं उनके वेल्फेयर्स से जुड़ा हुआ है। Prima facie तो ऐसा लगता है कि हमारा श्रम मंत्रालय इन मजदूरों के कल्याण के लिए बहुत अधिक कार्य कर रहा है। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो प्रश्न करना चाहता हूँ क्या यह सब कल्याणकारी योजनाएँ दिल्ली में लाखों रह रहे मजदूरों को जानकारी है, अगर नहीं है जो उनके प्रचार-प्रसार के लिए मंत्रालय की क्या योजना है जिससे इन सभी योजनाओं का लाभ दिल्ली में लाखों निवास कर रहे मजदूरों को मिले। (2) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के जो लाभ हैं, जब हमारे श्रमिक भाई अस्पताल में जाते हैं इसका लाभ लेने के लिए तो वहाँ हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स या अधिकारी उनको डिस्करेज करते हैं और कहते हैं कि कुछ निश्चित बीमारियाँ ही इसमें कवर्ड है, as a whole बहुत सारी बीमारियों का इलाज नहीं होता तो मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इस बीमा योजना को इतना सरल किया जाये कि इसका सम्पूर्ण लाभ सभी श्रमिक बंधुओं को मिले, मेरे दो क्वेश्चन हैं।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष जी, श्रमिकों की जो कल्याणकारी योजनाएँ हैं, वो श्रमिकों तक पहुँचाने के लिए सरकार हर सम्भव प्रयास करती है, प्रयास ही नहीं करती उसको पूरा भी करती है। सबसे पहले हमने जो न्यूनतम वेतन था, जो सबसे बड़ी श्रमिकों की माँग थी कि

उनका न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाये, दिल्ली सरकार ने इस बात को स्वीकार किया और इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस पर बहुत कदम उठाया, कई वर्षो से यह मामला लटका हुआ था और दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन निर्धारण का वर्तमान फार्मूला 01.04.2011 को लागू किया। इस फार्मूले के अनुसार दिल्ली सरकार ने दिनांक 01.04.2012 से न्यूनतम वेतन का दोबारा रिव्यू किया जिसके अनुसार अकुशल कर्मचारियों का दैनिक वेतन 270 रुपये, मासिक वेतन 7020 रुपये, अर्धकुशल कर्मचारियों का दैनिक वेतन 298 रुपये मासिक वेतन 7748 रुपये और दक्ष कर्मचारियों का दैनिक वेतन 328 रुपये.....(व्यवधान)

श्री सुनील कुमार वैद्यः अध्यक्ष जी, मेरा क्वेश्चन यह है कि जो लेबर वेल्फेयर की बहुत सारी स्कीम्स जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम और दिल्ली दुकान व संस्थापन अधिनियम ऐसे लगभग 15-16 एक्ट इसमें बताये गये हैं क्या इन सब योजनाओं की जानकारी दिल्ली में निवास करने वाले ऐसे अनपढ़ या कम पढ़े-लिखे श्रमिकों को है? अगर नहीं है तो उनको जानकारी देने के लिए क्या कोई पब्लिसिटी या अखबार के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से उनको यह जानकारी दी जा रही है?

अध्यक्ष महोदयः ठीक है मंत्री जी, बतला दीजिए। इतना लम्बा मत करिये। मंत्री जी।

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष जी, जानकारी के लिए हमने तो एक टोल नंबर भी शुरु किया है 12798, यहाँ तक कि किसी भी श्रमिक को किसी प्रकार की कोई सहायता चाहिए या उसको कोई सहायता नहीं मिलती वो उस टेलीफोन पर हमें, हमारे विभाग को सूचित कर सकता है, जिस पर सरकार पूरी तरह कार्रवाई करती है।

श्री सुनील कुमार वैद्यः सर, लेबर क्लास कहाँ से फोन करेगी। एक अनपढ़ मजदूर कहाँ टोल फ्री नंबर फोन करेगा सर।

.....व्यवधान.....

श्री सुभाष सचदेवा: वो एडवरटाइजमेंट की बात कर रहे हैं।

श्री साहब सिंह चौहान: उनके जागरण के लिए आप क्या करते हैं उनको बताने के लिए।

.....व्यवधान.....

उद्योग मंत्री: अध्यक्ष जी, जैसा मैंने पहले कहा.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री रातावाल साहब।

श्री सुनील कुमार वैद्य: अध्यक्ष जी, दूसरे क्वेश्चन का जवाब नहीं आया राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड का .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये, बहुत लम्बा है। उनसे मिलकर के कर लीजिए। आप बैठ जाइये। रातावाल साहब।

श्री एस.पी. रातावाल: माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी वेजेज के बारे में बता रहे थे, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो वेजेज बढ़ती है वो बढ़ाई नहीं जाती वो तो ऑटोमैटिक बढ़ती है, एक तो। दूसरा जो कान्ट्रेक्ट बेसिस पर हमारी दिल्ली सरकार के जितने भी सिक्योरिटी गाड्र्स हैं या सुरक्षा अधिकारी है, हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर कान्ट्रेक्ट बेसिस पर लगाऐ जाते हैं, आपके वेजेज के हिसाब से 7 हजार, 9 हजार, 10 हजार उनका बनता है लेकिन वो जो कान्ट्रेक्टर है लेबर को वो तीन हजार या चार हजार रुपये देते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको कैसे रोका जाएगा श्रम मंत्रालय द्वारा और उस पर कैसे अंकुश

लगाया जाएगा क्योंकि मिनिमम वेजेज भी उनको नहीं मिल रही है, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ उस पर क्या सरकार और मंत्रालय कर रहा है?

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

श्रम विभाग के कार्यालयों की सूची

दक्षिणी जिला	श्री वी एस आर्या 29957550	जिला श्रम कार्यालय, कमरा सं. 122-123 पुष्पा भवन, पुष्प विहार, नयी दिल्ली
दक्षिण-पश्चिम	श्री एस सी यादव 25686232,25492132	जिला श्रम कार्यालय, डी.टी.सी. कॉलोनी, हरी नगर डिप्पो के सामने, दिल्ली
पश्चिम	श्री के आर वर्मा 25100467	श्रम कल्याण केन्द्र, कर्मपुरा, नई दिल्ली-15
उत्तर-पश्चिम	श्री लल्लन सिंह 27308082	श्रम कल्याण केन्द्र, निमडी कॉलोनी, दिल्ली-52
उत्तर	श्री एन एल कनौजिया 27425892	श्रम कल्याण केन्द्र, निमडी कॉलोनी, दिल्ली-52
केन्द्रीय	श्री एस सी यादव 25846245	इम्पलॉमेन्ट एक्चेन्ज बिल्डिंग, पुस्पा रोड, नई दिल्ली-12
नई दिल्ली	श्री के आर वर्मा 23383740	जिला श्रम कार्यालय, 1. केन्नींग लेन, कस्तुरवा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली-1
उत्तर-पूर्व	श्री एम के गौड 22145486	श्रम कल्याण केन्द्र, विश्वकर्मा नगर, शाहदरा, दिल्ली
पूर्व	श्री एम के गौड 22145486	श्रम कल्याण केन्द्र, विश्वकर्मा नगर, शाहदरा, दिल्ली

उद्योग मंत्री: अध्यक्ष जी, माननीय रातावाल जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया और उसका उत्तर देते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। अध्यक्ष जी, मैं यह बात स्वीकार करता हूँ कि कुछ ठेकेदार या अपने जो अस्थाई तौर पर वे अपने श्रमिक रखते हैं उनको पूरा वेतन नहीं दे रहे। यह बात भी मैं स्वीकार करता हूँ कि कई कम्पनियाँ है, या कई इंडस्ट्रियाँ हैं वे भी पूरा वेतन नहीं देती हैं। यह बात भी मैं स्वीकार करता हूँ कि जो हमारे स्थानीय सरकारी निकाय हैं वो भी नहीं देते हैं। लेकिन, सरकार ने इसके बारे में बड़ा कड़ा कदम उठाया। सरकार ने माना है कि इस प्रकार की जो कमियाँ हैं उसको दूर किया जाये चैक द्वारा पेमेंट की जाये। इससे बड़ी बात तो हो नहीं सकती है और उनका जो वेतन है सीधे बैंक में जा करके जमा किया जाये इस कमी को दूर करने के लिए। यह हमने इसी साल किया है और यह सरकार का पहला कदम है, बहुत कड़ा कदम है। मैंने जैसा पहले कहा, शायद चौहान जी उस बात को समझे नहीं। मैंने पहले जैसा कहा कि यदि फिर भी कोई नहीं देता तो हमें टेलीफोन करें, हमारे अधिकारी उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, निश्चित रुप से करेंगे।

श्री सुभाष सचदेवा: XXXX

अध्यक्ष महोदय: सचदेवा जी जो बोल रहे हैं इसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये। प्रो. मुखी साहब।

डा. जगदीश मुखी: अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने चिंता व्यक्त की है मिनीमम वेज से आधी तनख्वाह लेबर को मिलती है, उसके लिए कार्रवाई सुझाई है। उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि बहुत सी कम्पनियाँ मिनीमम वेज नहीं देती हैं। मुझे उससे भी ज्यादा चिंता यह है कि दिल्ली सरकार के कार्यालय, माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में जो सफाई कर्मचारी काम करते हैं उनको मात्र तीन हजार, साढे तीन हजार रुपये तनख्वाह मिलती है

(XXXX चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेश से कार्यवाही से निकाले गए।)

जबकि एमसीडी में काम कर रहे सफाई कर्मचारी को 8 हजार 9 हजार रुपये तनख्वाह मिलती है। यह स्थिति आज बनी हुई है। उदाहरण के लिए मैंने यह दिया है अन्यथा हर डिपार्टमेंट में जहाँ पर भी आपने labour outsourcing किये हैं, सब जगह यही हाल है। आपने बहुत अच्छा किया, आपने जो प्रोवीजन किया है कि उन्हें तनख्वाह चैक से मिलेगी। किन्तु यह भी हमारी जानकारी में है कि दिल्ली में hundreds and hundreds, thousands and thousands of the schools ऐसे हैं पब्लिक स्कूल के नाम पर जो चैक से पेमेंट करते हैं, किन्तु चैक तब देते हैं जब उनसे कैश वापिस ले लेते हैं।

अध्यक्ष महोदयः प्रोफेसर साहब, आप क्यूश्चन पूछ लीजिएगा।

डा. जगदीश मुखीः अध्यक्ष जी, इसलिए मेरा निवेदन है जो आपने सुझाव दिया है कि हमने यह किया है, यह पर्याप्त नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ ऐसे और कौन से आप कारगर कदम उठायेंगे ताकि लेबर को जो उनका ड्यूज है वो मिल सके।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुखी जी जो स्वयं मंत्री रहे हैं और उन्होंने कई नीतियाँ लागू की थीं लेकिन व्यवहारिक रुप से वो शायद लागू नहीं हो पाती जब तक हमारा नैतिक उत्तरदायित्व न बन जाये, जवाबदेही न बन जाये। लेकिन फिर भी सरकार ने 16.12.2011 को जितने हमारे निकाय हैं, जितनी हमारे बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ हैं उन सब को एक पत्र लिखा है कि हर वर्कर का जो वेतन है वो चैक द्वारा दिया जाये या सीधा वेतन बैंक में जमा कराया जाये। नम्बर एक। यदि कोई नहीं करता फिर उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे, हमने की भी है। 4.99 करोड़ रुपया हमने 7907 वर्करों को दिलवाया है जहाँ पर पेमेंट नहीं मिल रहा था। इसके लिए हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने सख्त कदम

उठाते हुए उन वर्करों को दिलवाया और इसी तरह से जो कम्पीटेंट अथारिटी हैं, उस कम्पीटेंट अथारिटी ने 653 वर्करों को 71.55 लाख रुपये हमने उनको दिलाया। मुखी जी ने कहा कि सख्त कार्रवाई क्या की जाए। हमने prosecution भी किया। हमने 535 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रोसीक्यूशन किया ताकि उनको वेतन दिया जा सके।

डा. जगदीश मुखी: सर, मेरे प्रश्न का उत्तर अधूरा रह गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ, जैसे मैंने अपनी चिंता व्यक्त की है, सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर जब से outsourcing हो रहा है। क्या आप इस कदम को उठायेंगे कि जहाँ आपके पास शिकायतें हैं आउट सोर्सिंग जहाँ की है वहाँ पर ये शिकायतें आती हैं, उस डिपार्टमेंट में आउट सोर्सिंग बंद करके सीधा सीधा गवर्नमेंट अपने हाथ में ले।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी।

उद्योग मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जैसा हमने आप से कहा कि हमारे विभाग ने 16-11 को सभी सरकारी जितने हमारे डिपार्टमेंट हैं उनको एक पत्र लिखा है और पत्र में यह कहा कि सख्ती से लागू किया जाये। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है। और जैसा आपने पहले कहा मुझे खुशी है इस बात की कि जैसा आपने दिल्ली सरकार के बारे में कहा, दिल्ली सरकार के मंत्रालय में कहा, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने तत्काल कदम उठाया और हमने उसको लागू करवाया।

डा. जगदीश मुखी: अध्यक्ष जी, आउट सोर्सिंग बंद करके उसे वापिस सरकार चलायेगी क्या, मेरा तो अध्यक्ष जी, यह सवाल था। इन्होंने पहले वाला रिपीट कर दिया।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी।

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मुखी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम उस पर निश्चित रुप से विचार कर रहे हैं। मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदयः श्री सतप्रकाश राणा जी।

श्री सतप्रकाश राणाः अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के श्रम विभाग के पास जो मजदूर का जो पीएफ के रुप में पैसा जमा होता है, 887 करोड़ रुपया 31 मार्च तक सरकार के पास जमा था और सरकार उस पैसे को खर्च नहीं कर पा रही है तो अध्यक्ष जी जबर्दस्ती लोगों से सेज लिया जाता है। कोई आदमी अगर अपने घर का खुद भी निर्माण करता है तो भी विभाग कहता है कि आप मजदूर लगाओगे, सेज दो और सेज जबर्दस्ती चार्ज किया जाता है। और फिर सरकार उसको खर्च नहीं करती। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह कहना है कि पैसा यदि आप ले रहे हो तो खर्च भी करो। जिससे मजदूरों का हित हो। 887 करोड़ रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि बेकार सरकारी खाते में पड़ा हुआ है।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं राणा जी का धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। निश्चित रुप से हमने सेस के रुप में पैसा इक्टठा किया है वो लगभग जितना यह कह रहे हैं लगभग 900 करोड़ रुपया हमारे पास है। सरकार इस पैसे का सदुपयोग करने के लिए जो कल्याणकारी योजना है श्रमिकों की वो हमने बनाई हैं। क्योंकि आज की तारीख में हमने कोई 87 हजार तकरीबन हमारे कंट्रेक्ट वर्कर हैं उनका हमने रजिस्ट्रेशन किया है जिसमें लगभग 47 हजार वर्करों को हम उनके आने जाने का कुछ ऐसा हो जिसमें उनको कुछ लाभ हो। जिससे उनको कुछ मिल सके। इस प्रकार से हमने 20 साइकिलें मुख्य मंत्री जी के हाथ से दिलाई और हम 47 हजार वर्करों को साइकिलें दिलाने के लिए

हम प्रयत्नशील हैं और हमें विश्वास है कि हम शीघ्र ही इस कार्य को पूरा करेंगे। अध्यक्ष जी, इसी तरह मैं आपको एक खुशखबरी और देना चाहता हूँ कि हमारे 14272 निर्माण श्रमिक हैं उनके बच्चों को हमने अपने एज्यूकेशन डिपार्टमेंट को 4 करोड़ रुपया दिया है ताकि उनके बच्चों को पढ़ाया जा सके और उनको हर प्रकार की मदद दी जा सके। हमने एक और जो कार्य किया है कि चिकित्सा सहायता जहाँ 100 रुपया मिलती थी वो चिकित्सा सहायता हमने एक हजार रुपये तक ले गये हैं। बच्चों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता दस हजार रुपये कर दी है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन हमने एक हजार रुपये कर दी है। पारिवारिक पेंशन हमने 500 रुपये कर दी है और जो पेंशन है जिसको कुछ नहीं मिलता उसको भी हमने एक हजार रुपये प्रति माह पेंशन करी है। अपंग हो जाने पर हमने 25 हजार रुपये तक अनुगृह राशि देने का फैसला किया है। इसी प्रकार दो बच्चों तक अगर माँ जन्म देती है तो प्रत्येक बच्चे के जन्म पर हमने दस हजार रुपये देने का फैसला किया है। श्रमिक कार्य के दौरान मृत्यु होने पर उसको हमने एक लाख रुपया की अनुगृह राशि देने का फैसला किया है। श्रमिकों की प्राकृतिक मृत्यु होने पर उसको 50 हजार रुपये मुआवजा देने का फैसला किया है। श्रमिक की मृत्यु की अंत्येष्ठि पर हमने लगभग 5 हजार रुपये देने का फैसला किया है और श्रमिकों को औजार खरीदने के लिए हमने दस हजार रुपया देने का फैसला किया है और इसी तरह से शिक्षा के लिए हमने वित्तीय सहायता बढ़ाई है। पहली क्लास से 8वीं तक 100 रुपया प्रति माह और 1200 रुपया प्रति वर्ष इसी तरह से 9 वीं से ले कर 10 वीं तक 200 रुपया प्रति माह, 24 हजार प्रति वर्ष।

अध्यक्ष महोदयः आपने जो सवाल पूछना है वह पूछिए।

श्री कुलवंत राणाः अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सत्य है कि दिल्ली सचिवालय में तैनात सुरक्षा कर्मी और लिफ्टमैन न्यूनतम वेतन के दायरे में आते हैं, जिन कम्पनियों द्वारा वे वहाँ तैनात किए गए हैं क्या वे कम्पनियाँ

उन्हें न्यूनतम वेतन के बराबर भुगतान कर रही हैं? उन्होंने शिकायत की है कि हमें पूरा वेतन नहीं मिलता।

अध्यक्ष महोदयः हो गया आप बैठिए। मंत्री जी बतला रहे हैं। मंत्री जी।

श्रम मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने सहयोगी राणा जी को बताना चाहता हूँ कि जो भी श्रमिक है या इस प्रकार का जो भी गार्ड का काम करता है वह श्रमिक है उसको पूरा वेतन दिया जाना चाहिए।

श्री कुलवंत राणाः अध्यक्ष जी, मैं पूछ रहा हूँ कि उन्हें दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदयः श्री प्रह्लाद सिंह साहनी जी।

श्री प्रह्लाद सिंह साहनीः अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार के जो अपने विभाग हैं उनके अन्दर जो कांट्रेक्ट लेबर लगी है उनकी जानकारी के लिए उस आफिस के बाहर क्या न्यूनतम वेतन का बोर्ड लग सकता है? तभी यह फैसिलिटी श्रमिक को मिलेगी, इस तरह की जानकारी के लिए जहाँ 200-200 कर्मचारी काम करते है या 100-100 कर्मचारी काम करते हैं, जैसे कोई अस्पताल है या डीसी आफिस है उनमें भी मेरे को शक है कि वहाँ पर पेमैंट पूरी नहीं मिलती, उसके लिए जितनी पब्लिसिटी पब्लिक में करेंगे कि मिनिमम वेजिज इस तरह होने चाहिए, इस पर क्या मंत्री महोदय कोई कार्रवाई करेंगे?

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

श्रम मंत्रीः अध्यक्ष जी, जैसा कि हमारे माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है मैं उनकी चिंता में पूरी तरह उनके साथ हूँ। सरकार ने फैसला किया है और विभाग इस बारे

में प्रयत्नशील है जहाँ भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, जहाँ भी कोई वर्कर काम करता है, जहाँ उसका आफिस है, हम वहाँ पर विज्ञापन लगवा रहे हैं, बोर्ड लगवा रहे है और वहाँ पर लिख कर हम यह लगा रहे हैं कि उसका वेतन इतना है और उसको दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाएगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष जी, यहाँ तक कि हमारे जो 9 जिले हैं वहाँ पर भी हमने इस प्रकार की कार्यवाही शुरु कर दी है ताकि श्रमिकों को उनका पूरा वेतन मिल सके और विज्ञापन के लिए भी हम प्रचार प्रसार जोरो से कर रहे हैं ताकि श्रमिकों को पता लग सके।

अध्यक्ष महोदयः श्री मनोज शौकीन।

श्री मनोज शौकीनः माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि सोशल सिक्योरिटी कार्ड unorganized sector जो असंगठित क्षेत्र, केन्द्र सरकार ने 2006-7 में देना शुरु किया था, वह क्या आज के दिन भी दिया जा रहा है, दूसरा अगर नहीं, तो ऐसे श्रमिकों के लिए unorganized sector के लिए क्या कोई ऐसी योजना बनाई है जिससे उस वर्ग के लोगों को भी कुछ लाभ मिल सके।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

श्रम मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय मनोज जी ने जो बात कही है सरकार इसके बारे में बहुत गभीर है जो असंगठित क्षेत्र के हमारे वर्कर हैं उसके बारे में हमारे श्रम विभाग ने एक योजना बनाई है और उस योजना को भारत सरकार के पास हम भेज भी रहे है। हम यह चाहते हैं कि जो असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं उनको भी उसी प्रकार से लाभ मिले जैसा लाभ दूसरों को मिलता है। हमने उसकी एक सूची बनाई है जिसमें हमने असंगठित क्षेत्र, चूंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पर बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, यूपी और दूसरी स्टेटस से यहाँ बड़ी संख्या में मजदूर आते है। मेरा अनुमान है कि 43 परसेंट

मजदूर यहाँ दिल्ली में काम करने आते हैं और फिर वे यहाँ से चले जाते है। हम एक ऐसी योजना बना रहे हैं जिससे अंसगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जोड़ा जा सके और पूरा-पूरा मिल सकें।

श्री कुलवंत राणा: अध्यक्ष जी, वह योजना क्या है?

अध्यक्ष महोदय: आप बैठे-बैठे ऐसे मत बोलिए।

श्रम मंत्री: अध्यक्ष जी, असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं जैसे बाहर से कोई आता है दो तरह के मजदूर हैं एक संगठित है और एक असंगठित है। असंगठित क्षेत्र के जैसे रिक्शा चालक हैं वह आता है कुछ काम करता है चला जाता है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी बैठिए। सदन की नेता बोलना चाह रही है। मैडम बोलिए।
मुख्यमंत्री: सर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रही हूँ वह यह है कि आप सब प्रचार वगैरहा कर रहे हैं बोर्ड लगा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी सदन के सभी सदस्यों के साथ सहमति है कि ये लगाने चाहिए। इसके अलावा जितनी आपकी आर्गेनाइजेशस हैं, इंटक हो या कम्यूनिस्ट पार्टी की हो या बीजेपी की हो उनको आप यह सूचना जरुर दीजिएगा और यह आपको सबको देनी चाहिए। क्योंकि यह सबको पता चलेगी तो वे अपने श्रमिकों को बता सकेंगे। तो प्लीज आप इस पर विचार कीजिए।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी।

श्रम मंत्री: अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जिनकी प्रेरणा से हम यह सब काम करते हैं जिनके निर्देशन में हम काम करते हैं उन्होंने ही हमें निर्देश दिया था, दिल्ली में लगभग 1000 से ऊपर यूनियन/संगठन हैं, हमने उन सभी को पत्र लिखा है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि मैंने दो चीजे छपवाई थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना और.....व्यवधान

मुख्यमंत्रीः देखिए, जैसा आपने बताया, वो कह देंगे I have received your reply, this that. उसमें नहीं, आप जो कार्य कर रहे हैं आपने बड़ी लम्बी लिस्ट बताई है वह बहुत सराहनीय है इसलिए आपको इस लिस्ट को उनको भेजना चाहिए।

श्रम मंत्रीः ठीक है, जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हम वह कर रहे हैं, हमने हर विधायक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना को पूरी जानकारी देने के लिए एक बुकलेट भेजी है.....व्यवधान। अगर नहीं मिली है जो मैं जिम्मेवार हूँ कल तक आप सबके पास यह पहुँच जाएगी। हमने लेबर डिपार्टमैंट की एक साल की गतिविधियों की भी एक पुस्तक छपवाई है यह भी हमने आपकी सेवा में भेजी है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है हम उस बात को पूरी तरह से लागू करेंगे और स्वीकार करते हैं जहाँ कोई कमी होगी उसको दूर करेंगे।

अध्यक्ष महोदयः श्री रमेश बिधूड़ी जी।

श्री रमेश बिधूड़ीः अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि फैक्टरियों के अन्दर असंगठित मजदूरों को जो मिनियम वेजिज दी जाती है, पहले भी मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हर फैक्ट्री के सामने बोर्ड लगाया जाएगा कि इस फैक्ट्री में न्यूनतम मजदूरी इतनी दी जाती है, न देने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जैसे 18 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए होती है, क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाई है, दूसरा पिछले साल ऐसे कितने मजदूरों की पत्नियों ने बच्चों को जन्म दिया है जिनको आपने आर्थिक सहायता दी है वे कितनी हैं?

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

श्रम मंत्रीः अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि यह जानकारी अभी मेरे पास नहीं है यह जानकारी आपको निश्चित रुप से भिजवा दूँगा।

श्री रमेश बिधूड़ी: अध्यक्ष जी, एक प्रश्न रह गया जो मिनिमम मजदूरी दी जाती है क्या उसको फैक्ट्री के सामने लगाने में कोई दिक्कत है क्योंकि औद्योगिक लोग मजदूरों को कम मजदूरी देते हैं।

अध्यक्ष महोदय: रमेश जी, मंत्री ने कह दिया है कि मैं आपको जानकारी दूँगा। आपको तसल्ली होनी चाहिए। अब समय नहीं है वे आपको पहुँचा देंगे। प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा जी।

श्रम मंत्री: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का सुझाव बहुत अच्छा है। हम यही चाहते है कि कहीं भी कोई फैक्ट्री है इण्डस्ट्री है उसके बाहर हम लिख कर लगवाएँ और हम उनकी एसोसिएशंस को कह रहे हैं कि हर औद्योगिक क्षेत्र में बोर्ड लगाएँ एसोसिएशन की तरफ से लगाएँ और न्यूनतम वेतन लिखें जिससे मजदूर को पता चल सके कि उसका न्यूनतम वेतन क्या है?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी ये सवाल उठा था कि जो कांट्रेक्ट लेबर है और जो हमारे कार्यालयों में काम करती हैं। जो मुख्यमंत्री के कार्यालय के बाहर काम करते हैं, क्या उनको पूरा वेतन मिलता है। आपने कहा मिलना चाहिए। मिलता है कि नहीं मिलता है, वहाँ पर काम करने वाले, लिफ्ट ऑपरेटर हों, सफाई कर्मचारी हों या बाकी जितनी भी लेबर है वहाँ पर, उनको नहीं मिल रहा है। ऐसा कई बार इस बात को कहा गया है, आपने कहा कि मिलना चाहिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और उसके बारे में आपने क्या कार्रवाई की है और अगर मुख्यमंत्री या मंत्रियों के कार्यालय में काम करने वाले लोगों को पूरा नहीं मिलता तो दिल्ली में क्या मिलता होगा?

उद्योग मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हमारे विभाग के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। अगर हमारे विभाग के पास ऐसी कोई शिकायत होगी, तो निश्चित रुप से हम उसके बारे में कदम उठायेंगे। आपके पास यदि कोई ऐसी शिकायत है तो कृपया हमें बताइये।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, कई बार इस बात को दोहराया गया है कि वहाँ पर पूरी तरह से कांट्रेक्ट लेबर पर लोग रखे हुए हैं। उनको पूरा वेतन नहीं मिलता है और ये बात बहुत बार हुई और इतनी बार लगाने के बाद भी आज तक इसके बारे में नहीं कहा गया। आपने कहा कि इसकी हम जाँच करेंगे, जाँच क्या करनी? या तो स्पेसिफिकली कहिए कि नहीं, कांट्रेक्ट लेबर वालों को भी पूरा पैसा मिलता है और या कहिए कि नहीं मिलता है तो हम उसको दिलायेंगे।

उद्योग मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि चाहे कोई कांट्रेक्ट लेबर हो या कोई कैसा लेबर हो, उसे पूरा वेतन दिया जाना चाहिए। यदि आपके पास विशेष रुप से कोई शिकायत है, कृपया आप वह हमें दीजिए, हमारे विभाग को दीजिए, हम उस पर कार्रवाई जरुर करेंगे। ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न सं. 147 श्री वीर सिंह धिंगान।

श्री वीर सिंह धिंगान: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 147 प्रस्तुत है;

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार सभी श्रेणी के पेंशनधारियों की पेंशन पोस्ट ऑफिसों की बजाय बैंको के माध्यम से भेजी जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या करण हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि पोस्ट ऑफिस से बैंको में पेंशन ट्रांसफर करने में अत्यधिक समय लगाया जा रहा है, जिस कारण बहुत से लोगों को कई माह से पेंशन नहीं मिली है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार पेंशनधारियों को समय पर पेंशन देने के लिए क्या कदम उठा रही है?

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

महिला एवं बाल कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 147 का उत्तर प्रस्तुत हैः

(क) लाभार्थियों को डाकखाने से पेंशन मिलने में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों के कारण मंत्री मंडलीय परिषद् द्वारा निर्णय संख्या 1729 दिनाँक 17/1/2011 के अंतर्ग सभी वृद्धावस्था पेंशन डाकखाने से बैंक में स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया।

(ख) जी हाँ, लाभार्थी बैंक एकाउंट खोलने में देरी कर रहे हैं। वर्ष 2011-12 की अन्तिम तिमाही (जनवरी से मार्च 2012 में उन लाभार्थियों की पेंशन जिनके बैंक खाते नहीं खुले हैं, को अस्थायी रुप से रोक दिया गया है;

(घ) मंत्री मंडलीय निर्णय के उपरान्त समाचार पत्रों में बार-बार विज्ञापन जारी करने पर भी जब सभी डाकघर वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों ने एक वर्ष के उपरान्त भी अपने बैंक खाते नहीं खुलवाये तब विभाग ने अप्रैल, 2012 से निम्न उपाय अपनाए-

- संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा सभी क्षेत्रीय विधायकों को पत्र लिखा गया कि वे अपने क्षेत्र के सभी लाभार्थियों की बैंक में खाता खुलवाने में मदद करें।

- इसके साथ ही निदेशक, समाज कल्याण द्वारा बैंकों को भी पत्र लिखा गया कि वे लाभार्थियों का बैंक में खाता खोलने में उनकी मदद करें।

- इसके साथ ही निदेशक, समाज कल्याण द्वारा बैंकों को भी पत्र लिखा गया कि वे लाभार्थियों का बैंक में खाता खोलने में उनकी मदद करें।

- मंत्री, समाज कल्याण ने भी पत्र द्वारा सभी विद्यायकों से कैम्पों के द्वारा बैंक खाते खुलवाने का अनुरोध किया।

- सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय विधायकों को डाकखानों के खातों (एकाउन्टस) की सूची भी दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारियों द्वारा विधायकों को व्यक्तिगत रुप से दूरभाष द्वारा जानकारी दी जा चुकी है कि वे अपने क्षेत्र के लाभार्थियों को इन कैम्पों के स्थान एवं दिन की जानकारी प्रदान करें।

- अब तक माह अप्रैल, 2012 से 30 मई, 2012 तक कुल 13000 डाकखानों के खातों को कैम्पों के द्वारा बैंकों में स्थानान्तरित कर दिया गया है एवं उनकी रोकी गई पेंशन उनके बैंक खातों में प्रेषित कर दी गयी है।

श्री वीर सिंह धिंगान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहता हूँ कि क्या यह सत्य नहीं है कि एक-एक विधान सभा क्षेत्र में पेंशनधारियों की संख्या लगभग 6-6, 7-7, 8-8 हजार के करीब है और यदि हाँ तो 8 विधान सभा हमारे

डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं, क्या वहाँ दो काउन्टर जो लगाये हुए हैं, ठीक करने के लिए, क्या वे पर्याप्त हैं? वहाँ मैं देखता हूँ कि रोजाना धक्का-मुक्की होती है। जब मुझे पता चला और मैंने पूछा तो मुझे बताया गया कि स्टॉफ की भारी कमी है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, वे सुबह सुबह वहाँ आते हैं, कोई 5 बजे आ रहा है कोई 6 बजे आ रहा है। वे वहाँ आकर लाइन लगाते हैं। क्या उनकी सुविधा के लिए स्टॉफ बढ़ाकर और काउन्टर खोलने की व्यवस्था की जायेगी? यदि हाँ तो कब तक? अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि एक जो माइक्रो कोड नम्बर मांगते हैं बैंक से उस माइक्रो कोड नं. के हिसाब से वहाँ लोगों को परेशान किया जाता है। बैंक वाले कहते हैं कि फार्म में ऐसा कोई कॉलम नहीं है कि इसमें माइक्रो कोड का हम नम्बर लिखें। उसकी वजह से उसे कभी वहाँ से बैंक, बैंक से वहाँ, वहाँ से वहाँ घूम रहे हैं। तो क्या इसकी कोई व्यवस्था की जायेगी? मैंने बैंक को पत्र भी लिखा। बैंक ऑफ इंडिया दिलशाद कॉलोनी में है। और उससे पर्सनली फोन पर बात भी की। उसके बाद...

अध्यक्ष महोदय: धिंगान जी, आप सवाल पूछिए, भाषण मत दीजिए। आप भाषण देंगे, फिर मंत्री जी देंगे, क्या फायदा? समय समाप्त होगा।

.....व्यवधान.....

अध्यक्ष महोदय: गौड़ साहब, आप सवाल पूछ लीजिएगा। बीच में मत खड़े होइए।

महिला एवं बाल कल्याण मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि हमारे माननीय धिंगान जी के अपने ही क्षेत्र में 2700 आपके बैंक ऑफिस के जो लाभार्थी थे, वह कुल 900 रह गये हैं ऑन रिकॉर्ड, हमारा विभाग इसमें पूरी तरह से लगा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि अफसरों का

अभाव है। मैं फिर भी अपने अफसरों का भी धन्यवाद करुँगी कि सब मुश्किलों के बावजूद उन्होंने हर कैटेगरी को पेंशन का एक भी केस लंबित नहीं है। उसको ज़ीरो पेन्डेन्सी पर लाये और इसलिए मैं आपकों ये कहूँगी कि 30 कैम्प लग चुके हैं मैंने अपने माननीय साथी को भी फोन किया था तो ये तब बीमार थे, अस्पताल में थे। मैंने कहा था कि आपके बिहाफ पर कोई और भी कैम्प लगाना चाहे तो लगाले और सभी हमारे साथियों ने मिलकर 30 से ऊपर कैम्प लगाये हैं और खासकर मास्टर बिजेन्द्र जी का मैं धन्यवाद करुँगी जो कि हमारे कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं। उन्होंने तो आपपास के पड़ोस के क्षेत्रों में भी ये कैम्प लगाने में मदद की है। तो अध्यक्ष महोदय, ये हमारे सभी एमएलएज की रिक्वेस्ट थी वहाँ पर बिल्कुल ठीक ढंग से कोई कम्प्युटराइज्ड डाकखाने में पेंशन नहीं होती थी। कोई गारन्टी नहीं थी कि क्या गड़बड़ी उसमें हो रही है। टाउटस के बारे में भी सुना जाता था बाहर। और एक-एक महीना हमारे पेंशन रेमिट करने के बाद भी लाभार्थी को नहीं मिलती थी। बैंकों में जिस दिन हम भेजते हैं, उसी दिन रेमिट हो जाती है। तो इन सब वजहों से पोस्ट ऑफिस में बंद करनी पड़ी और जो मैक्सिमम हम प्रोसेस कर सकते हैं, वह हम कर रहे हैं और इसके अलावा जो हमारे हेड क्वार्टर हैं, वहाँ पर जो भीं हमारे बैंक एकाउन्ट खोलकर ला रहा है, उसका हम वहीं पर ट्रांसफर कर रहे हैं एकाउन्ट और जल्द से जल्द मैं ये भी बता दूँ कि जो कैम्प लगे हैं, उसमें से दस हजार के पैसे बैंकों से रेमिट हो चुके हैं।

श्री वीर सिंह धिंगान: अध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी बात है। मैंने ये कहा कि हमारे जो फार्म हैं, उसमें बैंक का माइक्रो कोड का कॉलम आपने नहीं दे रखा है, जिसकी वजह से....सुनिये, सुनिये, मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने बैंक को, बैंक ऑफ इंडिया है सीमापुरी में, मैंने उसको पर्सनली लैटर भी लिखा। दो दिन के बाद फिर बात की। उन्होंने कहा कि हम अपनी स्टैम्प बनवा रहे हैं और वह लगा देंगे क्योंकि ऐसा कोई कॉलम नहीं है आपके फार्म में। यह उसने मुझे जवाब दिया आज।

अध्यक्ष महोदयः श्री सुनील वैद्य।

श्री सुनील वैद्यः अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदया ने एक स्टेटमैन्ट दी है कि 30 मई तक उनके पास ऐसे पोस्ट ऑफिस से बैंक में कन्वर्ट होकर आने वाली एप्लीकेशन्स 13 हजार पहुँची हैं और 13 हजार की सारी पेंशन डाकघर में पहुँच चुकी है। ऐसा बताया मंत्री जी ने। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 6 महीने पहले 700 फार्म जमा किए थे। जो डाकखाने से कन्वर्ट होकर बैंक एकाउंट खोलकर हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जमा किए हैं। अभी तक उनकी पेंशन नहीं आई है और 70-80-90 साल के बुजुर्ग सारा दिन गीता कालोनी और मेरे क्षेत्र में चक्कर लगा लगाकर परेशान हैं। अभी तक उनकों पेंशन नहीं मिली है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या ऐसे सभी आवेदक जिन्होंने डाकखाने के बाद बैंक में एकाउन्ट खुलवाकर अपनी एप्लीकेशन आपके यहाँ जमा की है, उनकी पेंशन कब तक बैंकों में आ जायेगी।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

महिला एवं बाल कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि ये पूरा प्रयत्न हो रहा है और हमारे हेड क्वार्टर में डिस्ट्रिक्ट लेबल पर हर जगह हम साथ के साथ ट्रांसफर कर रहे हैं।....इन्होंने जैसे कहा कि नहीं मिल रहा.....शायद आपके यहाँ कैम्प भी नहीं लगा है।

श्री सुनील वैद्यः अध्यक्ष महोदय, मैं दो कैम्प लगा चुका हूँ। दो कैम्प मैंने खुद ऑर्गनाइज किए हैं।

महिला एवं बाल कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का बहुत धन्यवाद। हम और कैम्प इनके यहाँ लगा देंगे जहाँ हाथ हम ये काम कर रहे हैं।

श्री सुनील वैद्य....पहुँच चुकी है। उनकी पेंशन लगाइये पहले।

महिला एवं बाल कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जिनका हो चुका है। उसमें बहुत बड़ी संख्या में पेंशन रेमिट हो चुकी है। जिसमें हम जल्दी से जल्दी करें। जो प्रोसेस है, उसको तो हमें फॉलो करना पड़ रहा है। उसका जो सिस्टम है, अध्यक्ष महोदय, उसको हम पूरा फालो कर रहे हैं। माननीय वीर सिंह जी ने जो कहा था, ये मेरे पास फार्म की कॉपी है, जिसका एमआईसीआर नम्बर है ये हर फार्म में छपा होता है। शायद उनका पता नहीं कौन से साल का पुराना....

अध्यक्ष महोदयः श्री नीरज बसोया जी।

....व्यवधान....

अध्यक्ष महोदयः नहीं नहीं.....बैठ जाइये। श्री नीरज बसोया को बोल दिया है।

श्री नीरज बसोयाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ बहुत से लोगों का, जब से आपने ये सिस्टम एडाप्ट किया है कि पोस्ट ऑफिस का बैंक में जायेगा। बहुत से लोगों को 5-5,6-6 साल से पेंशन मिल रही है। लेकिन न तो उनका कोई लिस्ट में नाम आया है, न उनका कोई रिकार्ड जो लिस्ट उनके पास है, उसमें है। लेंकिन वे पहले से पेंशन लेते आ रहे हैं। वे कह देते हैं कि सरोज रावत जी के पास जाओ। हमारे पास लिस्ट में कहीं नहीं आया। मुझे लगता है कि ये प्राब्लम मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को आ रही है। तो मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि इन सब मैटर को देखकर प्लीज जल्दी एक्सपिडाइट करवाया जाये।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है। मंत्री जी।

महिला एवं बाल कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, हमने सभी आदरणीय विधायकों को लिस्ट भी भेजी है कि उनके यहाँ पोस्ट ऑफिस के पेंशनधारी कौन-कौन से हैं। ताकि उनको ये न ढूंढना पड़े कि कौन-कौन से है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ जो भी कठिनाइयाँ है, हम कोशिश कर रहे हैं। एक दिन करना ही था, हमें मालूम था कि इससे मुश्किल होगी। अध्यक्ष महोदय, तकरीबन साढ़े 6 करोड़, आप समझिये कि जो हमें पोस्ट ऑफिस से हम रिकवर कर पाये हैं जिसका कि यहाँ से पैसा जा रहा था और उसके लाभार्थियों का कोई अता पता नहीं मालूम था। ये सिस्टम को स्ट्रीम लाइन करने के लिए बहुत जरुरी था और उसके लिए यही नहीं मालूम कि वहाँ पेंशन जा रही है, कौन ले रहा है, कौन नहीं।

अध्यक्ष महोदयः श्री राम सिंह नेताजी।

श्री राम सिंह नेता जीः अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया का इस बात के लिए धन्यवाद, सरकार का भी धन्यवाद जो डाकखाने से बंद कर बैंको में जो लाये गये हैं, इससे गरीबों को बहुत फायदा मिलेगा। और जो गरीब लोग धक्के खाते थे, उनको पेंशन के लिए बड़ी दिक्कत होती थी। और ये ठीक कहा मंत्री महोदया ने, धिंगान साहब हमारे भाई हैं। और कोई बैंक वाला मना नहीं कर रहा उसके लिए। आप उस पर साइन कर दीजिए। बैंक वाला तुरन्त उस आदमी के खाते को खोल रहा है। तो इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और खास सवाल यह है कि जो सरकार ने काम किया है, वो बढ़िया काम है, मैं उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदयः श्री नरेश गौड़ साहब।

श्री नरेश गौड़: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या ये ठीक नहीं है कि एमएलए जो सरकार का हिस्सा है, वो फार्म को भरता है और रिकमण्ड करता है और जो वहाँ क्लर्क बैठे हैं, वे उसको रिजेक्ट करते है। क्या ये ठीक नहीं है कि एमएलए के द्वारा रिकमण्ड किया गया फार्म आपके दफ्तर में बुजुर्गो को कहा जाता है कि ऑरिजनल पेपर लेकर आइये। 4-4,5-5 हजार बुजुर्ग सुबह 6 बजे 7 से लाइन में लगते हैं।

सौ डेढ़ सौ दो सौ लोगों का नम्बर आता है। एक बजे कहते हैं कि आप कल आइये। आठ-आठ दिन तक बुजुर्ग लाइन में लगते हैं तो क्या यह संभव है कि आपने दफ्तर का कोई कर्मचारी हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार एमएलए के घर जाकर के उन फार्मो को वहाँ देखकर के वहीं पर रिजेक्ट करें या पास करें।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी।

समाज कल्याण मंत्री: अध्यक्ष जी, हम थोड़े से और स्टाफ का इंतजार कर रहे हैं और हमने यह वैसे भी निर्णय किया है और बहुत से एमएलएज को फोन पर बताया भी है कि आप अपना कोई भी जो दिन लगता है और कौन से दिन में आप उपलब्ध हो सकते हैं या उनके प्रतिनिधि तो हम यह काम उनकी विधान सभा असेम्बली में या उनके ऑफिस में भी कर देंगे। साथ ही साथ जो आप कह रहे हैं कि लाइनें लगती हैं तो अब तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए क्योंकि फ्रेश केस हैं उनका 45 दिन में होगा। हम 45 दिन से एक दिन भी ऊपर नहीं रह रहे हैं। सभी एमएलएज को cases for reasons for rejections आये होंगे। हम लोग एक एक केस लिखते हैं कि फलांने के पाँच साल का कोई भी फ्रूफ नहीं है, या उसका मिस मैच कर रहा है आइडेंटी कार्ड में और जो उसके उम्र बताई है, कम्प्यूटर ही रिजेक्ट कर देगा। तो इस तरह के जो केस होते हैं। मैं इन केसों को डील करती

हूँ तो हमारे पास जो फोटोस्टेट कॉपी हैं उसके आधार पर करते हैं। यह जिम्मेदार अधिकारी की ड्यूटी होती है कि ठीक है या नहीं है, अगर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तो ऑडिट में पकड़े जायेंगे। इसलिए इसको ज्यादा सरल करने के लिए हम लोग सभी एमएलएज के पास, जैसे ही हमारे पास ज्यादा स्टाफ होगा हम देख रहे हैं कि उनके कैंप आफिस में ही सिस्टम कर देंगे कि जितने भी नये केस होंगे वो हाथ के हाथ ही हो जाएँ।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है। करण सिंह जी।

श्री कंवर करण सिंहः अध्यक्ष जी, जिन लोगों को पाँच छह महीने तक पेंशन नहीं मिलती, वो बैंक और एमएलए के चक्कर काटते हैं तो कोई ऐसी सुविधा विभाग की और से होनी चाहिए कि लोगों को, एमएलएज को पता चल जाये कि तीन महीने में पेंशन नहीं आ रही है। अभी मेरे क्षेत्र में ऐसा हुआ कि लोग घूमते रहे और पेंशन दो महीने बाद आई। कोई सुविधा लोगों के लिए इनका विभाग करने जा रहा है दूसरा जो फार्म रिजेक्ट होते हैं, मेरे पास उनकी जानकारी नहीं आती, इसकी जानकारी एमएलएज को पता चल जाये, विभाग ने किस आधार पर इसको रिजेक्ट किया है।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

समाज कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष जी, सिर्फ एक केस अंडर प्रोसेस है। ओल्डएज, विडो, हैंडीकैप्ड एंड एफीबीएफ ऑन रिकार्ड।

श्री कंवर करण सिंहः कैंसिल करने की जानकारी एमएलएज को नहीं मिलती और जब पेंशन बैंक में नहीं पहुँचती तो उसकी जानकारी के लिए नोटिस विभाग को लगा देना चाहिए ताकि लोग घूमे न।

समाज कल्याण मंत्री: हम यह जरुर करेंगे। आज सभी एमएलएज ने यह निवेदन किया था और मेरे पास शायद यह पहली रिकवेस्ट आई है और हम सबके पास cases for reasons for rejections देखना है।

अध्यक्ष महोदय: चौहान साहब।

श्री साहब सिंह चौहान: अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना है। हालांकि एमएलएज की शिकायतों को बहुत अच्छी तरह से सुनती हैं। आपने ग प्रश्न के जवाब में कहा है कि 11-12 की जो अंतिम तिहाई को रोक दिया गया है तो क्या यह बैंक के खाते लेट खुलने से कहीं उनकी पेंशन मर तो नहीं जायेगी। दूसरा खाते खुलने में परेशानी आ रही है। जो यह रेजिडेंस का प्रूफ मांगते हैं, राशन कार्ड को रेजिडेंस प्रूफ नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते कि बैंक वाले यह कहते हैं कि इस पर लिखा हुआ है कि ओनली फॉर राशन कार्ड they interpret like that दूसरा यदि वो वोटर आई कार्ड देते हैं तो पेंशन वाले कहते हैं कि this for indentification not for residence वो कहते हैं कि पैन कार्ड लाइये। अब जो विधवा है, बुजुर्ग है उनके पास कहाँ से होगा। फिर कहते हैं कि बिजली का बिल लाइये, वो किराये पर रहता है, कहाँ से लायेगा। ऐसी स्थिति में क्या बैंक महोदया बैंक के हैड ऑफिसों को लिखेंगी, ये कोई आतंवादी नहीं हैं कि कोई बहुत बड़ा घपला करके बैठ जाएँगे। राशन कार्ड को उसका आधार मानेंगे या वोटर आई कार्ड को उनका रेजिडेंस का प्रूफ मानते हुए उनका खाता आसानी से खुल जाए।

समाज कल्याण मंत्री: अध्यक्ष जी, आदरणीय सदस्य चौहान साहब की यह बात को हम जरुर करेंगे। हमारी मुख्य मंत्री जी ने बैंक मैंनेजर्स की मीटिंग ली हैं और कहा है कि आप उनके अकाऊंट खोलने का पैसा नहीं लीजिए। जीरो बैलेंस में खोलिये। सब तरह से हम भी बैंक मैनेजरर्स की मीटिंग्स ले रहे हैं और जो आपने बात ही परंतु अगर एमएलएज

लिख दे तो भी खुल रहे हैं मगर चौहान साहब अगर आपके इलाके में कोई बैंक तंग रहा है तो I will be very happy to deal with and get the necessary orders issued that there should not be any problem. इसको तो मानना ही होगा। यह बिल्कुल सही होगा और उनको मानना चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी इन्होंने केवल एक बात कही है कि ये जो आइडेंटीफिकेशन के लिए चीजे गिनाई हैं, उनको बैंक वाले माने ऐसा पत्र आप लिख सकेंगे क्या?

समाज कल्याण मंत्रीः जी हाँ।

अध्यक्ष महोदयः नसीब सिंह जी।

श्री नसीब सिंहः अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि डाकघर से जो बैंक में करवा रहे हैं उसमें कैंप लगाकर के जो इन्क्वारी करने की बात हो रही है जो फार्म एमएलए भर कर भेजता है उस प्रूफ के साथ अटेस्ट करके, उसको नहीं माना जा रहा है, और कैंप लगा कर के इन्कवारी करने की बात कही जा रही है। क्या जो एमएलए रिकमंड करके भेजता है, बैंक का अकाऊट खोला जाता है, बैंक भी बिना आईडेंटीफिकेशन के कोई अकांऊट नहीं खोला है।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

समाज कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष जी, मुझे नहीं मालूम, हमने तो आंगनवाड़ी की इंक्वायरी का सिस्टम भी खत्म कर दिया। कौन इंक्वायरी कर रहा है, अगर बैंक इंक्वायरी कर रहे हैं तो we will find out.

श्री नसीब सिंहः नहीं, नहीं, ऐसा है मंत्री जी, जो डाकघर से बैंक में शिफ्ट किए जा रहे हैं, उनको हमने इकट्ठा कर लिया 100 फार्म तो वो हम आपके विभाग में जमा

कर रहे हैं और एक आप कह रहे हैं कि नहीं जी आप मत करिये, आप कैम्प लगवाइये तो उसमें ऐसी कौन सी इंक्वायरी हो रही है कैम्प में और जो एमएलए भेज रहे हैं उनमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनको नहीं माना रहा और कैम्प लगाकर जो इकट्ठे किए जा रहे हैं उनको माना जा रहा है।

समाज कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष जी, हमारे हैडक्वाटर्स में डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में भी कोई individual भी जाएगा वो बिल्कुल माना जा रहा है ऐसी कोई इंक्वायरी, नसीब सिंह जी आपके इलाके में अगर कोई हुई है तो आप ज़रुर बताइये, मैं आपका खास केस देख लूंगी।

श्री नसीब सिंहः नहीं, जो हमने भेजे हैं, उनको नहीं माना जा रहा, वो कह रहे हैं कि उनको आना पड़ेगा, जिसकी वो पेंशन है। उस बुजुर्ग को वहाँ ऑफिस में आना पड़ेगा या हम वहाँ जाएँगे।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

141. डॉ.जगदीश मुखीः क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) जनकपुरी विधान सभा क्षेत्र के पौसंगीपुर में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का कार्य कब आबंटित किया गया था तथा वास्तविक रुप से कार्य कब प्रारम्भ किया गया;

(ख) इस कार्य को देरी से प्रारम्भ करने के क्या कारण है तथा इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) उक्त प्लांट लगाने पर कुल कितनी लागत आएगी?

मुख्य मंत्री जी

(क)एवं(ख) जनकपुरी विधान सभा क्षेत्र के पौसंगीपुर गांव में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का कोई कार्य आवंटित नहीं किया गया है। यहाँ 11 एम.जी.डी क्षमता का सीवेज पम्पिंग स्टेशन का कार्य दिनांक 17.02.2012 को आबंटित किया गया था और यह कार्य 17.03.2011 को प्रारम्भ किया गया।

(ग) इस कार्य की कुल लागत 16,10,99,287.00 रुपये है, जिसमें 10 वर्ष का रखरखाव/मरम्मत भी शामिल है।

143. चौ. मतीन अहमदः क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या यह सत्य है कि सीलमपुर विधान सभा क्षेत्र में उर्दू माध्यम के स्कूलों की कमी है; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे कितने नए स्कूलों की आवश्यकता है; और

(ग) यह कमी कब तक पूरी हो जाएगी?

शिक्षा मंत्री जी

(क) जी नहीं। सीलमपुर विधान सभा क्षेत्र में 2 स्कूलों में उर्दू मीडियम की तथा 16 स्कूलों में उर्दू तृतीय भाषा के रुप में पढ़ाए जाने की सुविधा उपलब्ध है।

(ख) उपरोक्त

(ग) उपरोक्त

146. सुरेन्द्र पाल सिंहः क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या यह सत्य है कि सेवाएँ विभाग में चतुर्थ वर्ग श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति दिए जाने हेतु काफी संख्या में पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो यह पद कब से रिक्त पड़े हैं तथा इन पदों को न भरने के क्या कारण है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सेवा विभाग ने इन रिक्त पदों की सूची तैयार की है, यदि हाँ, तो पद अनुसार वरिष्ठता सूची की कट ऑफ डेट सहित पूर्ण विवरण क्या है;

(घ) उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा; और

(ड़) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मुख्य मंत्री जी

(क)व(ख) जी हाँ। अप्रैल, 2009 से ये पद रिक्त पड़े हैं। दास नियमावली, 1967, जोकि समय-समय पर संशोधित हुई है, के अनुसार ग्रेड-IV (दास)के 15 प्रतिशत रिक्त पदों को, उन समूह 'घ' कर्मचारियों से (अब समूह ग के कर्मचारी जिनका ग्रेड पे 1800 रु. है), जोकि मैट्रिक या समकक्ष योग्यता रखते हैं, पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। पदोन्नति कोटा के रिक्त पदों को भरने हेतु इस विभाग के पत्र दिनांक 21.10.2010 के द्वारा योग्य कर्मचारियों जोकि दिसम्बर, 1989 तक नियुक्त हुए हैं, के विश्वसनीयता प्रमाण पत्र, सतर्कता रिपोर्ट, इच्छा/ अनिच्छा को मांगा जा चुका है। इस दौरान, विकास विभाग के 18 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (कार्य प्रभार श्रमिक) ने 01.10.1988 से अपनी वरिष्ठता को नियमित करने के लिए माननीय कैट में OA संख्या 3539/2012 दायर किया। प्रधान शाख (CAT) ने अपने 04.04.2012 के निर्णय में OA को स्वीकार किया और निर्देश दिया कि

प्रतिवादकों को 01.10.1988 से नियंमित किया जाए एवं उसी तिथि से वरिष्ठता भी प्रदान की जाए। उसके बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (अब समूह ग के कर्मचारी जिनका ग्रेड पे 1800रु है) द्वारा माननीय CAT में OA संख्या 3924/2011 व MA संख्या 2896/2011 दायर की गई जिसमें उन्होंने निम्नलिखित याचना की:-

(क) अधिसूचना दिनांक 02.02.2010 (दास (संशोधन) नियमावली, 2009) जिसमें समूह 'ग' के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए शैक्षित योग्यता को मैट्रिक या समकक्ष रखा गया है, को रद्द किया जाए। तथा

(ख) प्रतिवादियों को ये निर्देश दिया जाए कि वे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या AB-14017/32/2009-Estt. (RR) दिनांक 07.10.2009 व आदर्श भर्ती नियमावली, का अनुसरण करें और इनके अनुसार दास नियमावली, 1967 में संशोधन करें। न्यायाधिकरण ने OA संख्या 3924/2011 व MA संख्या 2896/2011 में दिनांक 16.11.2011 को अंतरिम आदेश दिया है कि पदोन्नति, अगर कोई हो, वह इस केस के परिणाम के अनुरुप होगी। (इस संदर्भ में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 07.10.2009 के अनुसार 10 प्रतिशत अवर श्रेणी लिपिक के रिक्त पदों को उन समूह 'ग' के कर्मचारियों जिनका ग्रेड पे 1800 रु. है, जो 12 वीं पास हैं एवं 3 वर्ष की अहर्ता सेवा पूर्ण कर चुके हैं, को विभागीय परीक्षा, तथा 5 प्रतिशत रिक्त पदों को वरिष्ठता व योग्यता के आधार पर पदोन्नति, द्वारा भरा जाएगा)।

(ग) जी हाँ। योग्य समूह 'घ' (अब समूह 'ग' के कर्मचारी जिनका ग्रेड पे 1800 रु.

है) के कर्मचारियों की 31.12.1989 तक की वरिष्ठता सूची/योग्यता सूची तैयार की जा चुकी है। इस सूची के अनुसार, ग्रेड IV (दास)/अवर श्रेणी लिपिक के पदों पर पदोन्नति के लिए योग्य कर्मचारियों (31.12.1989 तक के) की संख्या 298 है।

(घ) सेवाएँ विभाग, दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत योग्य समूह 'घ' कर्मचारियों (अब समूह 'ग') के पूर्ण दस्तावेज, अर्थात विश्वसनीयता प्रमाण पत्र, सतर्कता रिपोर्ट, इच्छा/अनिच्छा पदोन्नति हेतु पुनः मांग रहा है।

(ड़) के अनुसार, प्रश्न नहीं उठता।

148. श्री. नसीब सिंह : क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी किः

(क) सरकार द्वारा कौन-कौन सी पेंशन लोगों को दी जाती है;

(ख) कितने लोगों को विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और विकलांग पेंशन अब तक दी गई,

(ग) विभिन्न पेंशनों के लिए वर्ष 2011-12 के दौरान कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए; और

(घ) इनमें से कितने आवेदन पत्र निरस्त किए गए है तथा उनके क्या कारण रहे?

समाज कल्याण मंत्री जी

(क) सरकार द्वारा निम्न पेंशन लोगों को दी जाती है-

1. वृद्धावस्था पेंशन
2. विकलांग पेंशन
3. विधवा पेंशन

(ख) योजना का नाम लाभार्थी

1. वृद्धावस्था पेंशन 391470
2. विकलांग पेंशन 26622
3. विधवा पेंशन। 89048

(ग)व(घ) विभिन्न पेंशनों के लिए वर्ष 2011-12 के दौरान कुल प्राप्त एवं निरस्त आवेदन पत्रों का ब्यौरा निम्न प्रकार है-

	योजना का नाम	प्राप्त आवेदन	निरस्त आवेदन
1.	वृद्धावस्था पेंशन	73230	11721
2.	विकलांग पेंशन	11295	1205
3.	विधवा पेंशन।	22421	2613

निरस्त किये जाने के कारण-

- पाँच साल का निवास प्रमाण का न होना।
- निर्धारित आयु का पूर्ण न होना।
- अपूर्ण/जाली दस्तावेज एवं दस्तावेजों के साथ छेड-छाड करना इत्यादि।

सूचना एवं प्रचार निदेशालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
ब्लॉक नं. 9. पुराना सचिवालय, दिल्ली, 54

F.No. V.S.Q. No 149/2012/DIP/Estt./1138 दिनांक: 05/6/2012

सेवा में,

उप सचिव प्रश्न (शाखा)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054,

विषय : श्री रविन्द्र नाथ बंसल द्वारा दिनांक 06.06.2012 को पूछे जाने वाले विधानसभा प्रश्न संख्या 149 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र संख्या एफ, 11 (वी-1)/6/2010-11/वि.स.स./प्रश्न संख्या/3852 दिनांक 23.05.2012 के संदर्भ में पूछे गये प्रश्न का उत्तर संलग्न है।

आपका

(महेश चन्द्र मौर्या)
कार्यालय अध्यक्ष/उपनिदेशक

संलग्न:-यथा उपरोक्त।

149. श्री. रविन्द्र नाथ बंसलः क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डो, कार्पोरेशन एवं अंडरटेकिंग में वर्ष 2008 से 01 अप्रैल, 2012 तक विज्ञापनों पर कुल कितना खर्च किया गया, इसका वर्षानुसार विवरण क्या है;

(ख) इन विज्ञापनों में से कुल कितने विज्ञापनों पर मुख्यमंत्री की फोटो दी गईः और

(ग) ऐसे विज्ञापनों पर कुल कितना खर्च आया इसका पूर्ण ब्यौरा क्या है?

मुख्य मंत्री जी

(क),(ख)एवं(ग) सबंन्धित जानकारी एकत्रित की जा रही है।

150. श्री साहब सिंह चौहानः क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या यह सत्य है कि गवर्नमेंट को-एड सीनियर सैकेंडरी स्कूल, एक्स-ब्लॉक, ब्रह्मपुरी जोन-5 उत्तरी-पूर्वी जिला अभी तक एक ही शिफ्ट में चल रहा है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि विभिन्न प्रकार के शिक्षा आयोगों की सिफारिशों के अनुसार सैकेंडरी स्तर पर सह शिक्षा विद्यालय नहीं चलाए जाने चाहिए;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि सरकार के मौखिक आश्वासन के बाद भी संबंधित विद्यालय की दो पालियों में अलग-अलग कन्या व बाल विद्यालय नहीं चलाए जा रहे हैं; और

(घ) कब तक उक्त विद्यालय को कन्या एवं बाल विद्यालय में अलग-अलग पालियों में विभाजित कर दिया जाएगा?

शिक्षा मंत्री जी

(क) जी नहीं, सत्र 2012-13 से यह स्कूल दो शिफ्ट में कर दिया गया है।

(ख) जी नहीं, यह सत्य नहीं है।

(ग) जी नहीं, सत्र 2012-13 से यह स्कूल दो शिफ्ट में दिया गया है।

(घ) जी नहीं, सत्र 2012-13 से यह स्कूल दो शिफ्ट में दिया गया है।

151. श्री सतप्रकाश राणा: क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) श्रम विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक श्रमिक के पास क्या-क्या पात्रता होना अनिवार्य है;

(ख) वर्तमान में दिल्ली में किस-किस स्तर के कुल कितने श्रमिक पंजीकृत हैं, इनमें से बिजवासन विधान सभा क्षेत्र के कुल कितने पंजीकृत श्रमिक हैं;

(ग) श्रम विभाग के पास श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न स्त्रोतों से एकत्रित कुल कितनी धनराशि जमा है; और

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान किस-किस मद में कुल किस-किस मद में कुल कितनी राशि खर्च की गई तथा उससे कुल कितने श्रमिक लाभान्वित हुए?

श्रम मंत्री जी

(क) श्रम विभाग के अंतर्गत दिल्ली भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों को पंजीकरण किया जाता है। पंजीकरण के लिये निम्न लिखित पात्रताएँ अनिवार्य है:-

1. श्रमिक की आयु 18 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (आयु प्रमाण पत्र जो कि ग्राम प्रधान या स्कूल द्वारा जारी किया गया हो यदि ये प्रमाणपत्र नहीं हो तो ऐसी परिस्थितियों में श्रमिक अपना शपथ पत्र दे सकता है)

2. पंजीयन हेतु वर्ष में कम से कम 90 दिन निर्माण क्षेत्र में काम करना अनिवार्य है। इस विषय में नियोक्ता/ निर्माण क्षेत्र सम्बंधित ट्रेड यूनियन कार्य प्रमाण पत्र जारी कर सकते है।

3. आवेदन के साथ पासपोर्ट साईज की दो फोटो तथा 25 रुपये (पंजीयन शुल्क 05 रुपया तथा वार्षिक अंशदान 20 रुपया)।

4. पंजीयन की निरन्तरता हेतु अगले हर वर्ष पर 20 रुपया अंशदान के रुप में लाभर्थियों द्वारा अग्रिम जमा कराया जाना अनिवार्य है। इसके अलावा, श्रम कार्यालय के अंतर्गत दिल्ली श्रम कल्याण बोर्ड का संचालन किया जाता है। इस बोर्ड में, श्रमिकों के पंजीकरण का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) भवन निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में केवल निर्माण संबंधित श्रमिकों का पंजीकरण किया जाता है। 31.03.2012 तक दिल्ली में वर्ष 2004 से कुल 87, 273 निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत किया गया, जिनमें से 64,090 निर्माण श्रमिकों ने अपने पंजीकरण का नवीनीकरण कराया है; दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, जिसमें बिजवासन विधान सभा क्षेत्र भी आता है, में दिनांक 31.03.2012 तक 21,480 निर्माण श्रमिक पंजीकृत है, जिनमें से 12,146 ने अपने पंजीयन का नवीनीकरण कराया है।

(ग) 1. भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियम) अधिनियम, 1996 व भवन तथा अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर

अधिनियम, 1996, अधिनियमों में निर्माण मजदूरों की कार्यदशाओं, उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रावधान किये गये है। वर्ष 2002 में दिल्ली सरकार ने दिल्ली 2002 बनाये जिसके अंतर्गत पंजीकृत निमार्ण श्रमिक 15 लाभकारी व कल्याण कारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उक्त अधिनियम के अंतर्गत कोई भी निर्माण कार्य जिसकी लागत 10 लाख से अधिक है एवं जिस पर गत वर्ष में 10 से अधिक निर्माण कर्मचारी नियुक्त किए गए हों, ऐसे सभी नियोजकों पर उक्त नयम लागू होते हैं, जिसके अंतर्गत उस निर्माण कार्य की लागत का 1 प्रतिशत धनराशि के रुप में भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में जमा किया जाता है। दिनांक 31.03.2012 तक 8,97,99,90,584/- (आठ सौ सत्तानवे करोड निन्यानवे लाख नब्बे हजार पाच सौ चोरासी रुपये) (ब्याज सहित) के रुप में धनराशि एकत्रित की गई है।

2. दिल्ली श्रम कल्याण बोर्ड में नियोक्ता 2 रुपये 25 पैसे छ:माही की दर से व कर्मचारी 75 पैसे छ:माही की दर से योगदान देते हैं, इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को भुगतान ना की गई संचित राशि भी बोर्ड में जमा की जाती है, इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार भी इसी राशि के 50 प्रतिशत की राशि का अनुदान देती है। वर्ष 2011-2012 में बोर्ड में 62,96,585 रुपये की राशि जमा की गई व दिल्ली सरकार द्वारा 32,79,538 अनुदान की राशि जमा की गई।

(घ) 1. वर्ष 2011-12 में भवन एवं अन्य संन्निर्माण बोर्ड द्वारा 4.0 करोड़ रुपये की राशि छात्रवृति के रुप में बाटी गई, जिससे 14,272 पंजीकृत निमार्ण श्रमिकों के बच्चों को लाभ प्राप्त हुआ। यह राशि शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार के माध्यम से बाटी गई।

2. दिनांक 30-4-2012 को श्रम विभाग द्वारा अंतराष्ट्रीय श्रम दिवस की पूर्व संध्या के अवसर पर 15 वरिष्ठ पंजीकृत निर्माण मजदूरों को निशुल्क साईकिले निर्माण बोर्ड द्वारा वितरित की गई। इस पर 41940 रुपये खर्च किये गये, इस संबंध में दिल्ली सरकार द्वारा बोर्ड की योजनाओं में संशोध न किया गया है और प्रस्तावित है कि बोर्ड में पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिकों को निशुल्क साईकिले दी जायेगी।

			लाभार्थियों की संख्या
3.	मृत्यु पर अनुग्रह राशि	1,65,000/-	11
4.	अन्त्येष्टि क्रिया लाभ	2,000/-	02
5.	जागरुकता अभियान के तहत डाक खर्च	61,89/-	2691
6.	जागरुकता अभियान के तहत बोर्ड की लाभकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर खर्च	1,14,88,790/-	-

दिल्ली उच्च न्यायायलय के आदेशानुसार, निर्माण श्रमिकों में जागरुकता लाने के लिये बोर्ड में पंजीकरण करने हेतु व कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार व प्रसार के लिये उपरोक्त 1,15,50,683 रुपये की राशि खर्च की गई।

152. श्री एस.सी.एल.गुप्ताः क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी किः

(क) संगम विहार में जे-ब्लॉक, सर्वोदय विद्यालय में छात्र-छात्राओं तथा शिक्षकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सत्य है कि उक्त सर्वोदय विद्यालय को दोनों पालियों में चलाये जाने का आवेदन शिक्षा विभाग को प्राप्त हुआ है, यदि हाँ, तो कब प्राप्त हुआ;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है, यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या संगम विहार की बढ़ती आबादी की देखते हुए तथा शिक्षा का अधिकार अधि नियम लागू होने के दृष्टिगत इस क्षेत्र में कोई नया माध्यमिक विद्यालय खोलने की योजना है; और

(ड़) यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शिक्षा मंत्री

(क) संगम विहार जे ब्लॉक विद्यालय में छात्र-छात्राओं की संख्या 2012-13 में 1650 है। 30.04.12 को शिक्षकों के स्वीकृत, भरे हुए तथा रिक्त पदों का विवरण निम्नप्रकार है:-

स्वीकृत पद	*भरे हुए पद*	*रिक्त पद*
22	17	05

(ख)व(ग) जी हाँ, उक्त प्रस्ताव उप-शिक्षा निदेशक (दक्षिण) के कार्यालय से माह फरवरी, 2012 में योजना शाखा में प्राप्त हुआ था। माननीय विधायक महोदय की संस्तुति पर सर्वोदय माध्यमिक विद्यालय, जे ब्लाँक संगत विहार में दसवीं कक्षा उच्चीकृत करने के बाद सर्वोदय कन्या विद्यालय (सुबह की पाली) व राजकीय बाल उच्च माध्यमिक विद्यालय (सायं की पाली) जे ब्लॉक में दिनांक 29.05.2012 को कर दिया गया है।

(घ)व(ड़) जी हाँ, एक विद्यालय के निर्माण हेतु जमीन संगम विहार में लोक निर्माण विभाग को सौंप दी गई है।

153. चौ. सुरेन्द्र कुमारः क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगी किः

(क) वर्ष 2009 से लेकर मार्च, 2012 तक प्रथम श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी वर्ग सेवाओं में कितने लोगों को रोजगार दिया गया; और

(ख) किन-किन विभागों में कितने-कितने कर्मचारी एवं अधिकारी नियुक्त किए गए, इसका श्रेणी-अनुसार एवं विभागानुसार विवरण क्या है?

मुख्य मंत्री

(क)व(ख) आवश्यक जानकारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के सभी विभागों से एकत्रित की जा रही है।

154. श्री नरेश गौडः क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या यह सत्य है कि पब्लिक स्कूलों में आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के 25 प्रतिशत बच्चों को दाखिला देना माननीय सप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अनिवार्य है;

(ख) कुल कितने बच्चों को दिल्ली के पब्लिक स्कूलों में ई.डब्ल्यू.एस. के अंतर्गत दाखिला दिया गया;

(ग) दिल्ली के पब्लिक स्कूलों में कुल कितनी सीटे ई.डब्ल्यू.एस के तहत आरक्षित हैं तथा कितने बच्चों को प्रवेश दिया गया; और

(घ) क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन पब्लिक स्कूल कर रहे है, यदि नहीं, तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है?

शिक्षा मंत्री

(क) हाँ, शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत दिल्ली के सभी गैर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में आर्थिका रुप से कमजोर व वंचित वर्ग के 25 प्रतिशत बच्चों को दाखिला देना अनिवार्य है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत अल्पसंख्यक विद्यालयों को इस प्रक्रिया से अलग रखा गया है।

(ख) दिल्ली के पब्लिक स्कूलों में ई.डब्ल्यू.एस. के अंतर्गत दाखिला प्रक्रिया जारी है।

(ग) शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार ने 07.01.2011 को अधिसूचना जारी की * सूची पुस्तकाल में उपलब्ध है। दिनांक 07.01.2011 को अधिसूचना के तहत सभी गैर सहायता मान्यता प्राप्त विद्यालय को आर्थिक रुप से कमजोर व वंचित वर्ग 25 प्रतिशत बच्चों को दाखिला देना अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1072 विद्यालयों में जिनसे अब तक सूचना प्राप्त हुई है कक्षा 1/प्री प्राइमरी/प्री नर्सरी (एंट्री लेवल) में ई.डब्ल्यू.एस. कोटे का विवरण निम्न है:-

	कुल सीटे (लगभग)	*भरी गई सीटे (लगभग)*	*रिक्त सीटें (लगभग)*
प्री नर्सरी	10379	7114	3265
प्री प्राइमरी	2285	1449	836
प्रथम कक्षा	7426	1828	5598

उपरोक्त विवरण अभी अस्थायी है जिसका कारण यह है कि माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 24.05.2012 को याचिका संख्या 8434/2011 में कुछ दिशा निर्देश दिए है जिन पर अभी कार्रवाई चल रही है तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को उपरोक्त वर्गो की सीटों की उपलब्धता के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण के पश्चात् उपरोक्त वर्गो की सीटों की संख्या में बदलाव हो सकता है। अभी ई.डब्ल्यू.एस. कोटे में कक्षा 1/प्री प्राइमरी/प्री नर्सरी (एंट्री लेवल) के लिए वर्ष 2012 में रिक्त स्थानों के दाखिले की प्रक्रिया चल रही है।

(घ) ई.डब्ल्यू.एस. कोटे में कक्षा 1/प्री-प्राइमरी/प्री-नर्सरी (एंट्री लेवल) के लिए वर्ष 2012 में रिक्त स्थानों के दाखिले की प्रक्रिया चल रही है।

155. श्री जय भगवान अग्रवाल: क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिनांक 13.05.2009 को मकान नं. 64 ब्लॉक-डी-11, सेक्टर-7, रोहिणी (बृजवासी मिष्ठान भण्डार) में लगी हुई आग में फंसे लोगों को बचाते समय श्री नरेन्द्र कोशिक, निवासी डी-11/67 सेक्टर-7, रोहिणी ने अपनी जान गंवा दी थी,

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इन्हें मरणोपरान्त वर्ष 2009 के राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया गया था,

(ग) क्या यह भी सत्य है कि श्री नरेन्द्र कोशिक ने अपनी जान पर खेलकर सात लोगों की जान बचाई और खुद शहीद हो गए, यदि हाँ तो इन्हें दिल्ली सरकार द्वारा शहीद घोषित न करने के क्या कारण हैं, और

(घ) शहीद घोषित करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदण्ड तय किए हैं, इसका पूरा विवरण क्या है?

शिक्षा मंत्री

(क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) गृह विभाग, दिल्ली सरकार के पास श्री नरेन्द्र कोशिक को शहीद घोषित करने के लिए कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) शहीद घोषित करने के विषय में गृह विभाग के पास कोई मापदण्ड उपलब्ध नहीं है।

156. श्री मोहन सिंह बिष्ट: क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतगर्त कुल कितनी आँगनवाड़ियों हैं, और कहाँ-कहाँ पर चल रही हैं

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इस क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सी अनाधिकृत कॉलोनियाँ एवं गांव होने के बावजूद आज भी आंगनवाड़ियों का अभाव है, और

(ग) यदि हाँ, तो क्षेत्र की आवश्यकतानुसार नई आँगनवाड़ियाँ कब तक खोल दी जाएँगी? और कहाँ कहाँ पर?

समाज कल्याण मंत्री

(क) करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 201 आँगनवाड़ियाँ चल रही है। रिकार्ड पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) उपरोक्त आँगनवाडी केन्द्र खोलने के पश्चात परियोजना अधिकारियों द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के आधार तथा विभाग द्वारा प्रकाशित की गई सार्वजनिक सूचना के जवाब में प्राप्त आवेदनों के अनुसार लगभग 74 आँगनवाडियाँ खोलने की संभावना है।

(ग) इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा राजीव नगर तथा सोनिया विहार क्षेत्र में आँगनवाडी केन्द्र खोलने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

157. चौ. भरत सिंह: क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि नजफगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सबसे अधिक एस्बेस्टस (सीमेंट की चादर) वाले स्कूल चल रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इन स्कूलों को कब तक पक्का कर दिया जाएगा;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के स्कूलों में साइंस व कॉमर्स विषयों के अध्यापकों की कमी है;

(घ) यदि हाँ, तो इस कमी को कब तक पूरा कर दिया जाएगा; और

(ड़) क्या इस क्षेत्र में कोई बड़ा स्टेडियम बनाने की योजना है, यदि हाँ, तो कब तक?

शिक्षा मंत्री

(क) नजफगढ़ विधान सभा क्षेत्र में केवल 15 विद्यालय है जोकि एस्बेस्टस (सीमेंट की चादर) में चल रहे हैं जिनका ब्योरा निम्न प्रकार से है:-

क्र.सं.	*विद्यालय का नाम*	*विद्यालय की आई डी संख्या*
1.	सर्वोदय विद्यालय, सुरेहरा	1822003
2.	राजकीय सह शिक्षा सर्वोदय विद्यालय, शिकारपुर	1822007
3.	राजकीय बाल सीनियर सैकेंडरी स्कूल, कैर	1822012
4.	राजकीय बाल सीनियर सैकेंडरी स्कूल, ढांसा	1822014
5.	राजकीय बाल सीनियर सैकेंडरी स्कूल, दिचाऊं कलां	1822015
6.	राजकीय सह शिक्षा, सीनियर सैकण्डरी स्कूल, रावता	1822024
7.	राजकीय सह शिक्षा सीनियर सैकण्डरी स्कूल झटीकडा	1822025
8.	राजकीय सह शिक्षा सीनियर सैकण्डरी स्कूल पपरावता	1822027
9.	सर्वोदया कन्या विद्यालय, ढांसा	1822039
10.	सर्वोदया कन्या विद्यालय, कैर	1822040
11.	राजकीय बालिका सीनियर सैकेंडरी स्कूल, उजवा	1822048
12.	राजकीय बालिका सीनियर सैकेंडरी स्कूल, घुम्मनहेडा	1822051
13.	सर्वोदय विद्यालय, जाफरपुर	1822055
14.	राजकीय बाल सीनियर सैकेंडरी स्कूल, खैर	1822064
15.	राजकीय सह-शिक्षा सीनियर सैकेंडरी स्कूल, मित्राऊं	1822178

(ख) प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग को भेजा जा चुका है। पत्र की प्रतिलिपि अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

(ग) साईस एवं कॉमर्स के अध्यापकों की 30-04-12 स्थिति निम्न प्रकार है:-

विषय	*स्वीकृत पद*	*भरे हुए पद*	*रिक्त पद*
साईस	114	111	03
कॉमर्स	20	20	00

(घ) उपरोक्तानुसार।

(ड़) नजफगढ़ विधान सभा क्षेत्र में नजफगढ़ स्टेडियम के नाम से एक स्टेडियम चलाया जा रहा है। वर्तमान में कोई और स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

GOVT. OF N.C.T. OF DELHI
OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR OF EDUCTION
DISTT. SOUTH WEST-B, NAJAFGARH, NEW DELHI

No. DDE/SWB/NO/Pre-Feb/38 Dated: 9-3-2012

To,

The Execucive Engineer
M-142, PWD (GNCTD)
R.R. Lines Ring Road
Dhaula Kuan, New Delhi-10

Sub:. Replacement of Pre-fed

Sir,

I want to drow your kind attention towards the School Building of our District. There are no. of Pre-feb rooms are in out School (list enc. osed), which are unhigienic and not fit for class rooms. So you are kindly requested to replacfe 270 Pre-Fed into Double Story SPS as per list enclosed at earliest.

(JANG BAHADUR SINGH)
Dy. Director of Educatin
Distt. South West-B

उन स्कूलों की सूची जो ऐस्बेस्टॉस (सीमेंट की चादर) में चल रहे है, जिन्हें एसपीएस/नया पक्का भवन में बदला जाना है।

क्रमसं	*स्कूल का नाम आई.डी सहित*	*बिल्डिंग की आई.डी.*	*ऐस्बेस्टॉस+ टीन शैड*
1.	1822003 सर्वोदय विद्यालय, सुरेरा	18221115	13
2.	1822007 रा. सह. शिक्षा सर्वोदय विद्यालय, शिकार पुर	18221623	16
04	1822014 रा.बाल.सी.सै.स्कुल, ढांसा	18221302	04
05	1822015 रा.बाल.सी.सै.स्कुल, दिचाऊंकलां	18221373	31
06.	1822024 रा. सह शिक्षा, सी. सै.स्कूल, रावता	18221657	20
07.	1822025 राजकीय सह शिक्षा सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, झटीकरा	18221470	12
08.	1822027 राजकीय सह शिक्षा सनियर सैकेण्डरी स्कूल, पपरावत	18221325	09
09.	1822039 संर्वोदय कन्या विद्यालय, ढांसा	18221283	25
10.	1822040 सर्वोदय कन्या विद्यालय, खैर	18221063	06
11.	1822048 रा.बाल.सी.सै. स्कुल, उजवा	18221223	12
12.	1822051 राजकीय सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, घुम्मनहेडा	18221435	20
13.	1822051 राजकीय सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, घुम्मनहेडा	18221435	20
14.	1822064 रा.बाल.सी.सै.स्कूल, खैर	18221410	24
15.	1822178 रा. सह. शिक्षा,सी. सै.स्कुल, मित्रॉऊ	1822141	28

158. श्री कुलवंत राणा: क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में आबादी के अनुपात में सरकारी स्कूलों की कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि पिछले पाँच वर्षो में शिक्षा विभाग द्वारा डीडीए से विद्यालय बनाने के लिए रोहिणी सैक्ट-4 विस्तार, 16,17 21, 22, 23, 24 व 25 में भूमि प्राप्त की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो इन स्थानों पर विद्यालय के लिए भवन निर्माण न करने के क्या कारण है, भवन-निर्माण का कार्य कब तक प्रारंभ हो जाएगा;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि भवन निर्माण की स्वीकृति के लिए नक्शे दिल्ली नगर निगम में जमा किए जाते हैं, यदि हाँ, तो इन नक्शों को स्वीकृत करवाने की जवाबदेही किसकी है; और

(ड़) दिल्ली सरकार द्वारा इन विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए किस विभाग को जिम्मेदारी दी गई है?

शिक्षा मंत्री

(क) जी नहीं।

(ख) जी हाँ।

(ग) उपरोक्त स्थानों पर भवन निर्माण न करने का मुख्य कारण दिल्ली नगर निगम द्वारा भवन निर्माण हेतु नक्शों की स्वीकृति में देरी है। दिल्ली नगर निगम द्वारा नक्शे स्वीकृत करने पर निर्माण कार्य शुरु हो सकेगा।

(घ) जी हाँ, नक्शे स्वीकृत कराने की जवाबदेही निर्माण करने वाली संस्था लोक निर्माण विभाग की है।

(ड़) दिल्ली सरकार द्वारा इन विद्यालयों के निर्माण की जिम्मेदारी निम्नलिखित विभाग को दी गई है:-

1. रोहिणी सैक्ट-4 तथा 17 लोक निर्माण विभाग।
2. रोहिणी सैक्ट-16 तथा 24 बाढ़ एवं नियंत्रण विभाग।
3. रोहिणी सैक्ट-21,22,23 तथा 25 का कार्य पहले डी.एस.आई.आई.डी.सी को दिया गया था उसे अब लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

159. श्री श्याम लाल गर्ग: क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) वरिष्ठ नगारिकों को वृद्धावस्था पेंशन के अतिरिक्त कौन-कौन सी सुविधाएँ दी जा रही है और

(ख) वरिष्ठ नागरिकों के लिए वर्ष 2011-12 के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गयी तथा आगामी वर्ष हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया?

समाज कल्याण मंत्री

(क) समाज कल्याण विभाग की सामाजिक सुरक्षा शाखा के द्वारा निम्नलिखित सुविधायें दी जाती रही है।

1. वरिष्ठ नागरिको के लिए आवासीय मनोंरजन केन्द
2. वृद्ध व्यक्तियों के लिए कल्याण कार्यक्रम

    क. वृद्ध आश्रम बिन्दापुर समाज कल्याण विभाग दिल्ली सरकार बिन्दापुर, नई दिल्ली

ख. वृद्धा आश्रम लामपुर;

ग. वरिष्ठ नागरिकों के जीवन तथा सम्पति की सुरक्षा के लिए नौ जिलो में भरण पोषण तथा अपीलीय न्यायाधिकरण कार्यरत है।

(ख) 1. वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवासीय मनोरंजन केन्द्र के वर्ष 2011-12 दौरान खर्च की गई कुल धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है-

योजना का नाम	*वर्ष 2011-12 कुल खर्च की गयी धनराशि*	*उपलब्ध कुल धनराशि आगामी वर्ष 2012-13*
1. वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवासीय मनोरंजन केन्द्र	रु. 46,63,682/-	रु. 2,50,000,00/-
2. वृद्ध व्यक्तियों के लिए कल्याण कार्यक्रम	रु. 20,69,679/-	रु. 35,000,00/-
3. वृद्धावस्था पेंशन योजना में वर्ष 2011-12 दौरान खर्च की गई कमल धनराशि-470 करोड़ तथा आगामी वर्ष 2012.13 हेतु प्रावधान की गई कुल धनराशि-550 करोड़	रु. 470 करोड़	रु. 550 करोड़

163. श्री धर्मदेव सोलंकी: क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) पर्यावरण सुरक्षा हेतु पालम विधान सभा में कितने पेड़ लगे हैं;

(ख) पालम विधानसभा क्षेत्र के अर्न्तगत द्वारका में कितने पार्क है तथा उनमें कितने पेड़ लगे है; और

(ग) किस-किस पार्क में क्या-क्या पर्यावरण संबंधी कार्य हुआ है, उसका विवरण क्या है?

मुख्य मंत्री

(क) पर्यावरण सुरक्षा हेतु पालम विधान सभा में कुल 97630 पेड़ एवं 1700 झाड़ियाँ (shrubs) लगाये गये है।

(ख) पालम विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत द्वारका में 117 पार्क है तथा इनमें 99330 पेड़ एवं झाड़ियाँ लगे है।

(ग) पार्क में किए गए पर्यावरण संबंधी कार्यो का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है;-

1. डी.डी.ए. द्वारा 7 पार्को में 96640 पेड़ लगाएँ गए व उनकी देख-भाल की जा रही है।

2. दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के द्वारा 110 पार्को में से 6 सजावटी (ornamental) एवं 104 सामान्य पार्को में 990 पेड़ एवं 1700 झाड़ियाँ लगा कर उनकी देख-भाल की जा रही है।

3. दिल्ली सोसल डेवलपमेण्ट सोसाईटी, द्वारा सोसल डेवलपमेण्ट सोसाईटी, ए-64, निर्मला हाऊस पॉलम एक्स, सैक्टर-7, द्वारका, के एक पार्क एवं संमति सी.जी. एच.एस., प्लॉट संख्या 19 ए, सैक्ट-6, द्वारका के एक पार्क अर्थात दो पार्को में पेड़-पौधे आर.डब्लू.ए द्वारा लगवाकर देखभाल करवाई जा रही है।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

525. श्री श्रीकृष्ण त्यागी: क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि बुराडी विधान सभा क्षेत्र में 5 स्कूल खोलने प्रस्तावित हैं, उसके लिए अभी तक जमीन आबंटित नहीं की गई,

(ख) यदि हाँ, तो यह जमीन कब तक आबंटित हो जायेगी,

(ग) क्या यह सत्य है कि मुखमेलपुर गाँव के दिल्ली सरकार के स्कूल के भवन की जर्जर हालत है,

(घ) यदि हाँ, तो इस भवन का प्लान तैयार करके कब तक बनाया जायेगा,

(ड़) क्या यह सत्य है कि उक्त क्षेत्र के सर्वोदय विद्यालय में क्षमता से अधिक बच्चे पढ़ते हैं और काफी बच्चे दाखिले से वंचित रह जाते है,

(च) यदि हाँ, तो क्या सरकार जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुए व शिक्षा के अधिकार के तहत वेस्ट कमल विहार, हरित विहार में खाली जमीन को अपने अधीन लेकर सर्वोदय विद्यालय खोलने की योजना बनाएगी यदि हाँ तो कब तक, और

(छ) इस विधान सभा क्षेत्र में 5 स्कूल खोलने प्रस्तावित है लेकिन एक ही स्कूल मुकंदपुर में बनाया गया है, शेष स्कूल कब तक बना दिये जायेंगे?

शिक्षा मंत्री

(क)व(ख) शिक्षा विभाग के उत्तरी जिले में वर्तमान में बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में एक विद्यालय सलेमपुर माजरा में खोलने का प्रस्ताव है, जिसके लिए जमीन शिक्षा विभाग को आबंटित हो चुकी है आबंटित जमीन शिक्षा विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग को दिनांक 07.05.2012 को स्कूल की चार दीवारी बनाने हेतु सुपुर्द कर दी गई है। इस विधानसभा क्षेत्र में घनी आबादी होने के कारण प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित संख्या से अत्याधिक होने के कारण और नये स्कूल खोले जाने की आवश्यकता है, परन्तु वर्तमान में केवल एक उपरोक्त स्कूल बनाने का ही प्रस्ताव है।

(ग)व(घ) जी नहीं, यह विद्यालय एस्बेस्टोस सीट से बनी कक्षाओं में चल रहा है तथा वर्तमान में 26 कमरे हैं। पुनः भवन निर्माण के प्रस्ताव पर विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(ड़) जी हाँ, यह सत्य है कि अति घनी आबादी होने के कारण विद्यालयों में क्षमता से अधिक बच्चे पढ़ते हैं।

(च) जमीन आबंटित होने पर कार्यवाही की जाएगी।

(छ) इस योजना के तहत केवल सलेमपुर में जमीन आबंटित हो गई है, शेष जमीन आबंटित होने पर कार्यवाही की जाएगी।

141. श्री जसवंत सिंह राणाः क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या यह सत्य है कि नरेला विधान सभा क्षेत्र की पुनर्वास कॉलोनी सैक्ट.-27 रोहिणी में 10 वीं कक्षा तक का विद्यालय बनाया जाता है, और

(ख) यदि हाँ, तो इस विद्यालय का निर्माण कब तक करा दिया जाएगा?

शिक्षा मंत्री

(क)व(ख) डी.डी.ए. द्वारा सैक्ट-27, रोहिणी में अभी तक भूमि आबंटित नहीं हुई है। भूमि आबंटित होने के पश्चात् निर्माण संबंधित कार्यवाही हो सकेगी।

530. चौ. मतीन अहमदः क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या यह सत्य है कि सीलमपुर विधान सभा क्षेत्र के स्कूलों में प्रधानाचार्यो और उप-प्रधानाचार्यो के पद रिक्ते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त कितने पद रिक्त हैं, और

(ग) इन पदों को कब तक भर दिया जाएगा?

शिक्षा मंत्री

(क) जी हाँ।

(ख) सूची संलग्न है।

(ग) उपरोक्त पदों को संघ लोक सेवा आयोग व विभागीय समिति के द्वारा भरने की पक्रिया जारी है।

528. चौ. मतीन अहमदः क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में उप-शिक्षा निदेशक और अतिरिक्त शिक्षा निदेशक के कितने-कितने पद रैगूलर बेसिस पर और किने पद सीडीसी (Current Duty Charge) से भरे हुए है व कितने रिक्त है, पूर्ण विवरण दें।

(ख) इन सभी पदों को रैगूलर बेसिस पर भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) कब तक इन पदों को रैगूलर बेसिस पर भर दिया जायेगा?

शिक्षा मंत्री

(क) दिनांक 01.06.2012 को उप-शिक्षा निदेशक के 31 पद स्वीकृत है, जिनमें से 6 सीडीसी पर तथा 16 रेगुलर बेसिस पर भरे हैं। एवं 09 पद रिक्त है। अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (आई.ए.एस./दानिक्स) के दो पद स्वीकृत हैं तथा दोनों पद भरे हैं।

अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (एक्स कैडर) के 06 पद स्वीकृत है जिनमें 05 पद सीडीसी पर भरे हैं तथा एक पद रिक्त है।

(ख) उप-शिक्षा निदेशक के 15 रिक्त पदों में से 13 पद के संदर्भ में कोई भी उम्मीदवार भर्ती नियमों के अनुसार आवश्यक 05 वर्ष की न्यूनतम सेवा योग्यता पूर्ण नहीं करता। 01 पद के संदर्भ में योग्य उम्मीदवार पर विभागीय कार्रवाई लंबित है। अन्य 01 पद के संदर्भ में जोकि उप-शिक्षा निदेशक (PE&NI) का है, की भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग को मसौदा भेजने हेतु कार्यवाही जारी है।

(ख) अतिरिक्त शिक्षा निदेशक के 03 रिक्त पदों को भरने हेतु मसौदा संघ लोक सेवा आयोग को दिनांक 10.10.2011 को भेजा गया था (जिसमें से केवल 02 उम्मीदवार ही भर्ती नियमों के अनुसार आवश्यक योग्यताओं को पूर्ण करते है। उपरोक्त मसौदा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विभाग को कुछ कमियों को पूर्ण करने के लिए वापिस आ गया जोकि दिनांक 19.04.2012 को पुनः संघ लोक सेवा आयोग को वांछित तथ्यों के साथ भेज दिया गया था जिस पर संघ लोक सेवा आयोग ने कुछ तथ्यों पर स्पष्टीकरण हेतु मसौदा विभाग में दिनांक 19.04.2012 को ही वापिस कर दिया। उक्त तथ्यों पर स्पष्टीकरण हेतु कार्यवाही जारी है। अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (खेल) के रिक्त पद के संदर्भ में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती नियम पारित किए गए है उसका हिंदी अनुवाद करने हेतु भाषा विभाग में मसौदा भेजा गया था जोकि हिंदी में अनुवादित होकर कार्यालय में प्राप्त हुआ है। जोकि राजपत्रण (Gazette Notification) हेतु भेज दिया जायेगा। तदोपरांत भर्ती कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (स्कूल) का 01 पद दिनांक 07.10.2011 को सृजित हुआ है। यह पद भर्ती नियमों के अनुसार आवश्यक 05 वर्ष की न्यूनतम सेवा योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण

रिक्त है। अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (वाद) के रिक्त पद को भरने के लिए सेवा विभाग को पत्र लिखा जा चुका है।

(ग) उप-शिक्षा निदेशक के संदर्भ में भर्ती नियमों के अनुसार आवश्यक 05 वर्ष की न्यूनतम सेवा योग्यता की आवश्यकता है जो कि उपलब्ध उम्मीदवारों में कोई पूर्ण नहीं करता। अत: भर्ती नियमों में संशोधन हेतु प्रस्ताव सेवा विभाग दिल्ली सरकार को भेजा गया था जिसमें अनुरोध था कि सेवा योग्यता 05 वर्ष से घटा कर 02 वर्ष कर दिया जाए, परंतु संशोधन प्रस्ताव कार्यालय में सेवा विभाग द्वारा वापस प्राप्त हुआ जिसमें सेवा विभाग ने कहा है कि संबंधित विषय के बारे में गृह मंत्रलय के जरिए भारत सरकार के डी.ओ.पी.टी व वित्त मंत्रालय से राय लें। इस संबंध में मसौदा गृह मंत्रालय भारत सरकार को शीघ्र ही भेज दिया जायेगा।

(घ) अतिरिक्त शिक्षा निदेशक के 03 रिक्त पदों को भरने हेतु आवश्यक कमियों को पूर्ण कर लेने के उपरांत भर दिया जायेगा। कमियों को पूर्ण करने हेतु कार्यवाही जारी है। अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (खेल) के रिक्त पद के संदर्भ में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती नियम पारित किए गए है उसका हिंदी अनुवाद करने हेतु भाषा विभाग में मसौदा भेजा गया था जोकि हिंदी में अनुवादित होकर कार्यालय में प्राप्त हुआ है। जोकि राजपत्रण (Gazette Notification) हेतु भेज दिया जायेगा। तदोपरांत भर्ती कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (स्कूल) का 01 पद दिनांक 07.10.2011 को सृजित हुआ है। यह पद भर्ती नियमों के अनुसार आवश्यक 05 वर्ष की न्यूनतम सेवा योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण रिक्त है। अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (वाद) के रिक्त पद को भरने के लिए सेवा विभाग को पत्र लिखा जा चुका है।

529. चौ. मतीन अहमदः क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या यह सत्य है कि उर्दू टीचरों की भर्ती के लिए दिल्ली राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) के पास भर्ती नियमों की कमी है,

(ख) यदि हाँ, तो उर्दू टीचरों की भर्ती न होने की वजह भर्ती नियम (RR) न होना है, और

(ग) यदि हाँ, तो ये नियम कब तक बन जाएँगे?

शिक्षा मंत्री

(क)(ख)व(ग) जी नहीं, भर्ती नियम है।

530. चौ. मतीन अहमदः क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या यह सत्य है कि सीलमपुर विधान सभा क्षेत्र के स्कूलों में प्रधानाचार्य और उप-प्रधानाचार्यो के पद रिक्ते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त कितने पद रिक्त है, और

(ग) इन पदों को कब तक भर दिया जाएगा?

शिक्षा मंत्री

(क) जी हाँ।

(ख) सूची संलग्न है।

(ग) उपरोक्त पदों को संघ लोक सेवा आयोग व विभागीय समिति के द्वारा भरने की प्रक्रिया जारी है।

SANCTIONED FILLED STATEMENT OF PRINCIPAL IN SEELAMPUR A/C AS ON 30.04.2012

			Principal			*V.Principal*		
S.No	*Schid*	*Schname*	*San*	*Fill*	*Vac*	*Sanc*	*Fill*	*Vac*
1	1105002	Gautam Puri-SBV	1	1	0	2	1	1
2	1105003	Brahmpuri-SBV	1	1	0	2	0	2
3	1105004	New Seelampur, No. 1-SBV	1	1	0	1	1	0
4	1105008	Jafrabad-GBSSS	1	1	0	2	1	1
5	1105009	New Seelampur No-2-GBSSS	1	0	1	1	1	0
6	1105009	Shastri Park-GBSSS	1	1	0	2	1	1
7	1105014	New Seelampur, Marginal Band-GBSS	1	1	0	1	0	1
8	1105015	Welcome Colony-GBSS	1	0	1	1	1	0
9	1105018	Jafrabad, Zeenat Maha (Urdu Medium)-SKV	1	1	0	2	0	2
10	1105020	New Seelampur. No. 1-SKV (C.R.Dass)	1	1	0	2	1	1
11	1105021	Shastri Park-SKV	1	0	1	2	1	1
12	1105023	Gautam Puri-GGSSS	1	0	1	2	1	1
13	1105025	New Seelampur, No.2-GGSSS	1	0	1	1	1	0
14	1105026	Brahampuri-GGSSS	1	0	1	2	1	1
15	1105107	New Usmanpur (Gautam Puri) -GBSS	1	0	1	1	1	0
16	1105108	Welcome Colony-GGSS	1	1	0	1	0	1
17	1105112	Chauhan Bangar, Jafrabad -GGMS	0	0	0	1	1	0
18	1105113	Brahmpuri-GBSSS	1	1	0	1	1	0

			Principal			*V.Principal*		
S.No	*Schid*	*Schname*	*San*	*Fill*	*Vac*	*Sanc*	*Fill*	*Vac*
19	1105115	Chauhan Bangar, Jafrabad-GBMS	0	0	0	1	1	0
20	1105116	Brahmpuri-GGSSS	1	1	0	1	0	1
21	1105117	New Usmanpur (Gautam Puri)-GGSSS	1	0	1	1	1	0
22	1105238	New Seelampur, No.1-GGSS	1	0	1	0	0	0
		Total	**20**	**11**	**9**	**30**	**16**	**14**

531. श्री मालाराम गंगवालः क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या कुछ समय से शिक्षा विभाग ने कॉंट्रैक्ट बेसिस पर अध्यापक नियुक्त किए है;

(ख) क्या सरकार उन अध्यापकों को भी ठेकेदारी पर अवसर देगी, जिन अध्यापकों ने 1998 में कांट्रेक्ट बेसिस पर पढ़ाने का कार्य किया है;

(ग) क्या सरकार एम.सी.डी. की तर्ज पर प्रत्येक शिक्षा-सत्र के भर्ती के समय District में जाने को कहेगी और District उन्हें स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजेगा; और

(घ) विभाग हर वर्ष नये आवेदन करने के लिए कहेगा?

शिक्षा मंत्री

(क) जी हाँ।

(ख) वर्ष 1998 में कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पर नियुक्त अध्यापक यदि भर्ती नियमों के तहत योग्यता और आयु सीमा की शर्तो एवं मापदण्डों को पूरा करते हैं, तो अतिथि अध्यापक के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि ये भर्ती नियमों की शर्तो को पूरा करते हैं, तो सर्व शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत कॉंट्रेक्ट नियुक्ति के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

(ग) अतिथि अध्यापकों की नियुक्तियाँ स्कूलवार की जाती है।

(घ) अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति हर वर्ष की जाती है।

532. श्री माला राम गंगवालः क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में अध्यापकों की नियुक्ति से पहले Entrance Test, CTTE, CBSE द्वारा आयोजित किया जाता है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली के अलावा सभी राज्य अपने-अपने टैस्ट लेते हैं और अपने SC/ST छात्रों को टोटल कट ऑफ में छूट देते हैं;

(ग) दिल्ली सरकार दिल्ली में यह टैस्ट क्यों नहीं Conduct करती है इसे DSSSB के माध्यम से भी कराया जा सकता है;

(घ) दिल्ली के छात्र सैंट्रल में टैस्ट देते है उन्हें छूट का लाभ नहीं दिया जा रहा है (Total of Marks Total of Post); और

(ड.) DSSSB इस सभी पदों की नियुक्तियों में दिल्ली के SC/ST/OBC, विकलांग छात्रों के प्रारंभक परीक्षा स्तर पर ही आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है?

शिक्षा मंत्री

(क) जी हाँ।

(ख) दिल्ली एक संघ शासित क्षेत्र है। दूसरे राज्यों की तरह स्वायत्त नहीं है।

(ग)व(घ) इस संदर्भ में उपराज्यपाल महोदय दिल्ली की अधिसूचना दिनाँक 07.10.2011 की अधिसूचना की प्रतिलिपि पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ड.) भर्ती नियमों व भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशानुसार SC/ST/OBC/विकलांग छात्रों को निर्धारित आरक्षण दिया जा रहा है।

533. श्री सुनील कुमार वैद्यः क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में विद्यालयों की कमी व जमीन उपलब्ध होने पर नये विद्यालयों का निर्माण भी करवाए जाते हैं;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि कुछ महीनें पूर्व तत्कालीन शिक्षा अधिकारी ने क्षेत्रीय विधायक व शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ त्रिलोकपुरी ब्लाक-36 डी.डी.ए. स्टाफ क्लब के पीछे खाली पड़ी जमीन का नये विद्यालय के निर्माण के लिए निरीक्षण कर उसे उपयुक्त पाया था;

(ग) यदि हाँ, तो इस खाली पड़ी जमीन पर नये विद्यालय का निर्माण कब तक शुरु होगा; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा मंत्री जी

(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग)व(घ) डी.डी.ए. से खाली जमीन हस्तानांतरित होने पर विद्यालय का निर्माण किया जायेगा।

534. श्री सुरेन्द्र पाल सिंहः क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के चतुर्थ श्रेणी के योग्य कर्मचारियों को पदोन्नित देकर लैब सहायक बनाने की योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो कब तक तथा वरियता सूची में किस क्रमांक तक के कर्मचारी को पदोन्नत किये जाने की संभावना है, वरियता सूची उपलब्ध कराये;

(ग) वर्तमान में स्कूलों में लैब सहायक के कितने पद रिक्त है तथा इन पदों को भरने हेतु शिक्षा निदेशालय ने अब तक क्या प्रयास किए है;

(घ) कब तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नित देकर लैब सहायक बना दिया जाएगा तथा पदोन्नित की सम्पूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा;

(ड.) सीनियारिटी लिस्ट में किस क्रमांक तक को पदोन्नित दे दी गई है, क्या पदोन्नित देते समय आरक्षण के मानदंड को ध्यान में रखा जाएगा; और

(च) पदोन्नित देने में शिक्षा निदेशालय द्वारा आरक्षण किस आधार पर तथा श्रेणीवार सम्पूर्ण पद का कितना प्रतिशत प्रदान किया जाता है?

शिक्षा मंत्री

(क) जी हाँ।

(ख) इस विभाग द्वारा दिनाँक 21.05.2012 को परिपत्र जारी कर विभिन्न विभागों के योग्य कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा गया है जो कि अभी प्रतीक्षित हैं। सभी विभागों से ब्यौरा प्राप्त होने के पश्चात वरीयता सूची बनाई जाएगी।

(ग) एम.आई.एस. से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनाँक 30.04.2012 को दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय में प्रयोगशाला सहायक के 241 पद रिक्त है। इन पदों को भरने के लिए इस विभाग द्वारा 21.05.2012 को परिपत्र द्वारा विभिन्न विभागों के योग्य कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा गया है।

(घ) विभिन्न विभागों के योग्य कर्मचारियों के ब्यौरे प्रतिक्षित हैं तथा इन कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन तथा आपत्तियों आदि के कारण समय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ड.) पदोन्नति तथा इससे संबंधित सीनियरिटी लिस्ट बनाने का कार्य प्रगति पर हैं जी हाँ, पदोन्नति के समय आरक्षण के मानदंडों को ध्यान में रखा जाता है।

(च) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आरक्षण संबंधी नीति निर्देशों के अनुसार पदोन्नति दी जाती है। वर्तमान में आरक्षण अ.जा. को 15 प्रतिशत, अ.ज.जा. 7.5 प्रतिशत तथा पी.एच. को 3 प्रतिशत (क्षैतिज) के आधार पर दिया जाता है।

535. श्री नसीब सिंहः क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या यह सत्य है कि छठा वेतन आयोग आने के पश्चात दिल्ली सरकार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत् पुराने TGT अध्यापकों के वेतन में काफी असमानता या विसंगतियाँ आई हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि छठा वेतन आयोग लागू होने के पश्चात दिल्ली सरकार के विद्यालयों में वर्ष 1999 से 2005 तक नियुक्त TGT अध्यापकों का वेतन वर्ष 2006 और उसके बाद नियुक्त TGT अध्यापकों से कम है;

(ग) यदि हाँ, तो ऐसी विसंगतियों के क्या कारण है;

(घ) यदि नहीं, तो वर्ष 1999 से वर्तमान (2012) तक नियुक्त सभी TGT अध्यापकों को दिये जा रहे वेतन का पूर्ण विवरण सूची सहित दें; और

(ड.) इन विसंगतियों को कब तक दूर कर दिया जाएगा?

शिक्षा मंत्री

(क)व(ख) जी हाँ, कुछ जिलों ने सूचित किया है कि छठा वेतन आयोग लागू करने के पश्चात् कुछ विसंगतियों/असमानता उनके ध्यान में लाई गई हैं।

(ग) छठे वेतन आयोग के प्रावधानों के कारण।

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(ड.) सभी विसंगतियों को लेखा जाँच के बाद दिल्ली सरकार के वित्त विभाग को भेजा जाएगा।

536. श्री नसीब सिंहः क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र में नए प्रतिभा विकास विद्यालय खोले जाने की योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ पर और कब तक; और

(ग) कब तक इनमें पढ़ाई शुरु कर दी जाएगी?

शिक्षा मंत्री जी

(क)(ख)व(ग) जी नहीं, वर्तमान में विश्वास नगर विधान सभा क्षेत्र में नए प्रतिभा विकास विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

537. श्री साहब सिंह चौहानः क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या सत्य है कि उत्तरी पूर्वी जिला में जोन-4 के अन्तर्गत आरडीजेके सीनियर सेकेण्डरी स्कूल भजनपुरा का भवन न केवल विद्यार्थियों के लिए ही छोटा एवं नाकाफी है;

(ख) क्या यह सत्य है कि उक्त विद्यालय के भवन के निर्माण का कार्य काफी समय से लंबित है जिसके कारण विद्यालय के बच्चों को कहीं और स्थानांतरित करना पड़ रहा है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि पिछले वर्ष डीडीए ने उक्त विद्यालय के बच्चों को अल्पकाल के लिए भजनपुरा थाने के समाने खाली पड़ी चारदीवारी युक्त भूमि पर स्थानांतरित करने की अनुमति शिक्षा विभाग को प्रदान की थी;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि डी.डी.ए द्वारा अनापत्तियाँ मिलने के बाद भी शिक्षा विभाग डीएसआईआईडीसी ने उक्त विद्यालय को वहाँ स्थानांतरित नहीं किया;

(ड.) उक्त विद्यालयों को स्थानांतरिक करने संबंधी क्या प्रगति है तथा कब तक उक्त विद्यालय के विद्यार्थी अपेक्षित स्थान पर स्थानांतरित हो जाएगें;और

(च) कब से उक्त विद्यालय का भवन बनने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा तथा इस पर क्या खर्चा आएगा?

शिक्षा मंत्री

(क) जी हाँ, विद्यार्थियों की संख्या देखते हुए भवन छोटा है।

(ख) जी हाँ, यह सत्य है।

(ग) लिखित में इस तरह की अनुमति अभी भी अपेक्षित है।

(घ) जी नहीं, डी.डी.ए. से अभी तक कोई भी अनापत्ति प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।

(ड़) डी.डी.ए. से भूमि प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे है। भूमि हस्तान्तरित होने के बाद भवन बनने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

(च) जमीन मिलने के पश्चात्

538. श्री साहब सिंह चौहानः क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या यह सत्य है कि कुछ अभिभावकों की परिस्थितियों को दृष्टिगत कर तथा जेनुईन मानते हुए घोंड़ा विधान सभा क्षेत्र के विद्यालय में कुछ बच्चों के सरकारी स्कूल में दाखिलों के लिए संबंधित विद्यालयों के प्रिंसिपल के पास भेजे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो बार-बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों व माननीय शिक्षा मंत्री के ध्यान में लाने के बाद भी प्रिंसिपल इस संबंध में ध्यान नहीं दे रहे हैं;

(ग) सह-शिक्षा राजकीय सीनियर सैकेंडरी विद्यालय एक्स ब्लॉक, ब्रह्मपुरी के अशिष्ट गैर जिम्मेदार व्यवहार अभिभावकों के प्रति दूरभाषः पर शिक्षा विभाग के अधि कारियों को के दाखिले हुए और नहीं संबंधित परेशान अभिभावकों के दाखिले हुए और न ही संबंधित सिंसिपल के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार एवं अशिष्ट व्यवहार के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई; और

(घ) विभिन्न विद्यालयों के उन अपेक्षित दाखिलों को कब तक कर दिया जाएगा?

शिक्षा मंत्री

(क) जी हाँ।

(ख) यह सत्य नहीं है, फिर भी यदि कोई प्रधानाचार्य आदेशों की अवहेलना कर रहा है, तो इसकी यथासंभव जाँच कराई जाएगी।

(ग) इस संबंध में जाँच कराई जाएगी। और शिकायत पाए जाने पर उचित कार्यवाही की जाएगी।

(घ) आवेदन प्राप्ति के पश्चात दाखिलों की शर्तें एवं मापदण्ड पूरे होने के बाद तुरन्त दाखिले की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी।

539. डा. एस.सी.एल. गुप्ता: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि शिक्षा विभाग के पास तुगलकाबाद ऐक्सटेंशन में सेमी पक्का भवनों मे चल रहे सात विद्यालयों के पक्का भवन बनाए जाने का कोई आवेदन प्राप्त हुआ है, और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है। यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शिक्षा मंत्री

(क) जी नहीं, तुलगलकाबाद ऐक्सटेंशन से चल रहे अर्द्ध पक्का भवनों को पक्का भवन में बदलने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपरोक्तानुसार

540. श्री मोहन सिंह बिष्ट: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सोनिया विहार में दिल्ली सरकार के विद्यालयों में बच्चों के बैठने की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि सोनिया विहार क्षेत्र के अंतर्गत बच्चों की संख्या को देखते हुए शिक्षा विभाग के आवेदन पर अन्य नए स्कूल खोलने के लिए जमीन के कई खसरों को चिह्नित किया गया था;

(ग) यदि हाँ, तो जिन खसरों को चिह्नित किया गया था, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के क्या कारण है; और

(घ) चिह्नित इन खसरों को कब तक शिक्षा विभाग को देकर स्कूलों का निर्माण कर दिया जाएगा?

शिक्षा मंत्री

(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) जिन खसरों को अधिग्रहण हेतु चिह्नित किया गया था उनके संदर्भ में राजस्व विभाग उपायुक्त (उत्तर-पूर्व) व प्रधान सचिव (भूमि व भवन विभाग) से निरंतर पत्राचार जारी है।

(घ) भूमि आबंटित के बाद ही स्कूलों का निर्माण कार्य संभव हो सकेगा।

541. श्री कुलवंत राणा: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि रिठाला विधान सभा क्षेत्र के स्कूलों में खेल के मैदानों की स्थिति बहुत दयनीय है;

(ख) यदि हाँ, तो दिल्ली सरकार इनके विकास की क्या योजना बना रही है, पूर्ण विवरण दिया जाए,

(ग) क्या यह भी सत्य है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ दिनांक 13.01.2011 को उनके कक्ष में हुई बैठक में रिठाला विधान सभा क्षेत्र के रोहिणी सैक्टर 5,6

व 16 के स्कूलों में स्वीमिंग पूल बनाने के लिए अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (खेल) को अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था,

(घ) क्या यह भी सत्य है कि इन स्कूलों में स्वीमिंग पूल बनाने के लिए अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (खेल) द्वारा स्कूलों का दौरा भी किया गया था,

(ड.) यदि हाँ, तो क्या इन स्कूलों में स्वीमिंग पूल बनाने का निर्णय ले लिया गया है, और

(च) यदि हाँ, तो इनको बनाने का कार्य कब तक प्रारंभ हो जाएगा, और यदि नहीं तो क्यों नहीं, पूर्ण विवरण दिया जाए?

शिक्षा मंत्री

(क)व(ख) जी नहीं। रिठाला विधान सभा क्षेत्र में राजकीय स्कूलों में खेल सुविधा संबंधित जानकारी पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) जी हाँ।

(घ) जी हाँ।

(ड.)व(च) जी नहीं। स्वीमिंग पूल संबंधित जानकारी पुस्तकालय में उपलब्ध है।

542. डॉ. श्याम लाल गर्ग: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि सरकारी विद्यालय सरस्वती विहार के भवन को खतरनाक घोषित कर दिया गया है व स्कूल को काफी दूर स्थानांतरित कर दिया गया हैं,

(ख) इस स्कूल भवन के पुनर्निर्माण में देरी के क्या-क्या कारण हैं, पूर्ण विवरण दें,

(ग) नए भवन के निर्माण का कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है?

शिक्षा मंत्री जी

(क) सरकारी विद्यालय, सरस्वती विहार के भवन को खतरनाक घोषित किया गया है। यह स्कूल राजकीय सर्वोदय विद्यालय सी-ब्लॉक सरस्वती विहार के नाम से जैडपी-ब्लॉक पीतमपुरा में चल रहा है जोकि सरस्वती विहार से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है।

(ख)व(ग) डीएसआईआईडीसी के द्वारा इस स्कूल में 50 कमरों की अनुमानित लागत रुपये 4,74,54,740/- प्राप्त हुई, जिसे वित्त विभाग, दिल्ली सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा गया। वित्त विभाग से पक्का बिल्डिंग की अनुमानित लागत जोकि 15-20 करोड़ के बीच में आती है, को देखते हुए एस.पी.एस बनाने के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए कहा, वर्तमान में यह भवन निर्माण कार्य डीएसआईआईडीसी से लोक निर्माण विभाग को स्थानातरित कर दिया गया है तथा लोक निर्माण विभाग से अर्द्ध पक्का भवन बनाने हेतु अनुमानित लागत आनी वांछित है। अनुमानित लागत प्राप्त होने पर राशि स्वीकृत कर दी जाएगी।

543. श्री ओ.पी बब्बर: क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या यह सत्य है कि तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र में काफी संख्या में विकास कार्य, जिनके वर्क ऑडर पिछले साल जारी हो चुके थे, इसलिए नहीं हो पा रहे है कि ठेकेदारों द्वारा एक्साईज डयुटी प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए गए हैं चूंकि दिल्ली जल बोर्ड ने वित्त अधिनियम 2010 के अन्तर्गत पाईपों की आपूर्ति में शून्य एक्साईज डयुटी होने के कारण यह प्रमाण-पत्र आवश्य कर दिया है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली में कोई स्थानीय फैब्रिकेटर न होने के कारण ठेकेदारों को उसी जिले के 4-5 वर्क ऑडरों के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है,

ताकि उस शर्त की अनुपालना के लिए फेब्रिकेटर को पाइप के ट्रक लोड़ के लिए कार्य मिल सके; और

(ग) यदि हाँ, तो रख-रखाव के कार्यो के निष्पादन में तेजी लाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मुख्य मंत्री

(क)(ख)एवं(ग) जी नहीं।

544. श्री. श्री किशन त्यागी: क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र में प्रतिदिन कितने एम.जी.डी. पानी की सप्लाई दी जाती है, पानी छोडने का समय क्या है,

(ख) क्या यह सत्य है कि पानी का प्रशर बहुत कम होने के कारण सभी लोगों द्वारा मोटर से पानी खींचने से वह प्रदूषित हो जाता है, यदि हाँ, तो पानी का प्रेशर कब तक बढ़ाया जाएगा,

(ग) बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दिसम्बर 2007 से मार्च 2012 तक कौन-कौन सी कालोनियों/अनाधिकृत कालोनियाँ में पानी की लाईनें डाली गयी हैं; कालोनी वाइज ऐस्टीमेटेड कॉस्ट, एल-1 की टैन्डर कॉस्ट, कार्य की शुरु की तारीख एवं कार्य समाप्ति की तारीख क्या-क्या हैं?

(घ) बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा क्षेत्र में जो पानी दिया जा रहा है वह क्षेत्र की आबादी के हिसाब से बहुत कम है, क्या क्षेत्र की पानी की आवश्यकता को देखते हुए एक और यू.जी.आर. कब तक स्थापित किया जायेगा, और

(ड.) बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र की सभी अनाधिकृत कालोनियों में कब तक पानी की लाईनें डाल दी जायेंगी?

मुख्य मंत्री

(क) बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र में प्रतिदिन 5.5 एम.जी.डी. पानी की आपूर्ति की जाती है तथा इस क्षेत्र में A-5 यू.जी.आर एवं ट्रान्सपोर्ट ऑर्थारिटी यू.जी.आर. से सामान्यत: सुबह 5 बजे से 8.30 बजे तक जलापूर्ति की जाती है।

(ख) जी नहीं, पानी का प्रेशर सामान्य है। उपभोक्ताओं द्वारा व्यक्तिगत बूस्टर चलाने से जल का दबाव दुष्प्रभावित होता है।

(ग) संबंधित सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(घ) इस क्षेत्र में पानी की उपलब्धता व तकनीकी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आबादी की आवश्यकतानुसार उचित निर्णय लिये जाएँगे।

(ड.) बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र की जो कॉलोनियाँ अनिधिकृत कॉलोनियों के विनियम दिनांक 24.03.2008 में वर्णित प्रावधानों को पूरा करती हैं, उनमें अतिरिक्त जल की उपलब्धता होने के उपरान्त लाइनें डाली जा सकती है।

546. श्री वीर सिंह धिंगान: क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार दिल्ली के नागरिकों को पर्याप्त जल आपूर्ति के लिये कोई कदम उठा रही हैं?

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने अभी तक क्या-क्या कदम उठाये है?

(ग) क्या यह भी सत्य है कि सरकार भविष्य में दिल्ली के नागरिकों को पीने के पानी की कमी न हो इसके लिये कोई प्रयास कर रही हैं?

(घ) यदि हाँ, तो सरकार आगामी 10 वर्षो में पीने के पानी की स्थिति को मददे नजर भी कोई कदम उठा रही है?

मुख्य मंत्री

(क) जी हाँ।

(ख) दिल्ली की बढ़ती पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्तमान में निम्नलिखित उपाय किए गए है:-

1. द्वारका (50 मि.गै.दै.), बवाना (20 मि.गै.दै.) तथा ओखला (20 मि.गै.दै.) में तीन नए जलशोधन संयत्रों का निर्माण किया जा रहा है।

2. हैदरपुर, वजीराबाद, भागीरथी तथा चन्द्रावल में 45 मि.गै.दै. क्षमता के चार बेकार पानी के पुनः चक्रण संयंत्रों का निर्माण करना। 37 मि. गै. दै. के तीन पुनः चक्रण संयंत्र चालू हो चुके है तथा चन्द्रवल स्थित चौथे संयंत्र को वर्ष 2012 में चालू कर दिया जाएगा।

3. हरियाणा में मुनक से हैदरपुर तक समानांतर पक्की नहर का निर्माण किया जा रहा है, जिसके पूरा होने पर 80 मि.गै.दै. अतिरिक्त कच्चा पानी उपलब्ध हो जाएगा।

4. दिल्ली की जलवितरण प्रणाली को युक्ति संगत बनाने के लिए टाटा कन्सलटेनसी इंजीनियर्स द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार 53 भूमिगत जलाशयों तथा बूस्टर पम्पिंग स्टेशनों का निर्माण किया जाना है। 34 भूमिगत जलाशयों को चालू किया जा चुका है तथा अन्य का निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

5. सरकार पानी की बचत तथा वर्षा जय संचयन को प्रोत्साहित कर रही है।

(ग) जी हाँ।

(घ) भविष्य में पानी की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार निम्नलिखित कदम उठा रही है;-

1. यमुना नदी के ऊपरी क्षेत्र में रेणुका (275 मि.गै.दै.) किशाउ (372 मि.गै.दै.) लखवर व्यासी (135 मि.गै.दै.) में तीन बांधों का निर्माण प्रस्तावित है। उपरोक्त तीन बांधों में से रेणुका परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए आंरभिक कार्य शुरु हो चुका है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए रु. 212.50 करोड़ का भुगतान कर दिया है। रेणुका बाँध को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया गया है तथा पर्यावरण व बन मंत्रालय से इसके अनुमोदन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तैयार होने में 6-7 साल का समय लग जाएगा।

2. पल्ला क्षेत्र में यमुना नदीं के बाढ़ मैदानों में भूमिगत जल के दोहन के लिए अध्ययन किया जा रहा है।

3. भाखडा ब्यास मैनजमेंट बोर्ड से दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

547. श्री भरत सिंहः क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) नजफगढ़ के अन्तर्गत आने वाली अनाधिकृत कालोनियों में कितनी पानी की पाईप लाईनें बिछा दी गई हैं वे आगे क्या योजना है;

(ख) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के मुताबिक जो कालोनी पास हो जाती है उसमें पानी, बिजली, सड़के व सीवर सभी के लिए सरकार पैसा मुहैया कराती है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या इन कालोनियों में सीवर डालने की भी कोई योजना है; और

(घ) यदि हाँ, तो कब तक?

मुख्य मंत्री

(क) नजफगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 43 अनाधिकृत कालोनियों में पानी की लाईने बिछा दी गई है। बाकी कॉलोनियों में पानी की उपलब्धता के अनुसार पाईप लाईन बिछाने का कार्य किया जाएगा।

(ख) जो कॉलोनियाँ अनाधिकृत कॉलोनियों के विनियम दिनांक 24.03.2008 में वर्णित प्रावधानों को पूरा करती हैं उन्हीं में विकास कार्य कराये जा सकते हैं।

(ग) जी हाँ।

(घ) इन कॉलोनियों में सीवर लाईन डालने की योजना बनाने के लिए जल बोर्ड ने M/s AECOM को Consultant नियुक्त किया है। यह कार्य अगले वर्ष से प्रारम्भ होने का अनुमान है तथा ट्रंक सीवर की उपलब्धता व एस.टी.पी./एस.पी.एस. बनाने के लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर अगले तीन वर्षो में सीवर डालने की अनुमानित योजना है।

548. डा. जगदीश मुखी: क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली जल बोर्ड एंव टाटा के बीच अनुबन्ध के तहत दिल्ली में घरों के वाटर मीटर टाटा के द्वारा बदले जा रहे है;

(ख) उक्त अनुबन्ध की क्या शर्ते है;

(ग) क्या यह सत्य है कि मात्र 800/-रु. की कीमत के मीटर लगाकर टाटा को प्रति मास 100/- रु. किराया वसूलने का अधिकार दिया गया है, और

(घ) यदि हाँ, तो इस अनुचित प्रक्रिया को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

मुख्य मंत्री

(क)एवंम(ख) जी नहीं। घरों के 2.5 लाख वाटर मीटर बदलने के लिए जल बोर्ड द्वारा मैसर्स एल एण्ड टी. को कार्य आदेश दिया गया है, इसमें से लगभग 2.1 लाख वाटर मीटर बदल दिये गये है तथा बाकी का कार्य प्रगति पर हैं। मैसर्स एल. एण्ट टी. को प्रति मीटर 1918 रुपये का भूगतान किया जाएगा, जिसमें मीटर की लागत, लगाने का खर्चा व 5 साल तक रखरखाव करना शामिल है।

(ग)एंव(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

549. डॉ.जगदीश मुखी: क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) जनकपुरी में बन रहे यू.जी.आर का शिलान्यास कब किया था तथा इसका कार्य कब तक पूरा होना था;

(ख) इतने वर्ष के पश्चात भी कार्य पूरा न होने के क्या कारण है और दोषी अधिकारियों विरुद्व क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) इस यू.जी.आर. को किस दिन तक जनता को समर्पित कर दिया जाएगा?

मुख्य मंत्री

(क) जनकपुरी में बन रहे यू.जी.आर. का शिलान्यास 25.11.2007 को किया गया था। इस कार्य को 06.04.2009 तक पूरा होना था।

(ख) जनकपुरी यू.जी.आर. का कार्य लगभग 96 प्रतिशत पूरा हो चुका है, परन्तु पेरिफेरल वाटर लाइन डालने के लिए पहले एम.सी.डी ने सड़क काटने की अनुमति नहीं दी, बाद में वे सड़के पी.डब्लू.डी. के पास स्थांनातरित हो गई। पी.डब्लू.डी को सड़क काटने की अनुमति के लिए 4.74 करोड़ रुपये दिनांक 02.05.2012 को जमा कर दिये गये हैं तथा यह कार्य बरसात के बाद अक्टूबर माह से शुरु कर दिया जायेगा। यह कार्य एक वर्ष में पूरा होगा।

(ग) इस जलाशय को पेरिफेरल वाटर लाइन का कार्य पूरा होने व वितरण प्रणाली से पानी की स्थायी उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त चालू कर दिया जायेगा।

550. श्री साहब सिंह चौहानः क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) दिल्ली में कुल कितना पीने के पानी आपूर्ति किन-किन स्त्रोंतो से उपलब्ध है, उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है

(ख) दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति को पीने के पानी की कितनी आवश्यकता है तथा कितना उपलब्ध कराया जा रहा है;

(ग) दिल्ली की बढ़ती आबादी को दृष्टिगत कर अपेक्षित पानी की उपलब्धता पूर्ण करने के लिए वर्तमान में क्या योजना है तथा आगे किन-किन योजनाओं पर सरकार क्या करेगी तथा उनकी प्रगति क्या है,

(घ) क्या यह सत्य है कि सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट में पानी का शोधन निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहीं किया जा रहा है;

(ड.) क्या यह सत्य है कि उक्त प्लान्ट में जल शोधन कम्पनी बजाय फिटकरी का उपयोग जल शोधन करने के बजाए कुछ प्रतिबन्धित केमिकल्स व चीजों के द्वारा पानी को शोधित किया जा रहा है, इस संबंध में सरकार क्या कार्रवाही कर रही है;

(च) क्या यह भी सत्य है कि सरकार ने जल व जलबोर्ड को निजी हाथों में सौपने के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया है; और

(छ) जल बोर्ड में कौन-कौन से विभाग व निकार्य तथा कार्य कब से निजी हाथों में दिए गए हैं तथा किन एजेन्सियों को किन शर्तो पर दिए गए हैं, उनका विस्तृत ब्यौरा क्या है?

मुख्य मंत्री

(क) दिल्ली में पानी की आपूर्ति के लिए 735 मिलियन गैलन दैनिक (मि.गै.दै.) सतह स्त्रोतों से तथा 100 मि.गै.दै. भूमिगत स्त्रोतों से उपलब्ध होता है।

(ख) दिल्ली में नियोजित तथा अनियोजित क्षेत्र होने के कारण जलापूर्ति का समान वितरण संभव नहीं है। जलापूर्ति की समान वितरण व्यवस्था लागू करने के प्रयास में दिल्ली सरकार ने तकनीकी संभानाओं को देखते हुए विभिन्न कदम उठाए हैं। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर पीने के पानी की आवश्यकता है तथा उतनी ही जलापूर्ति औसतन की जा रही है।

(ग) दिल्ली की बढ़ती पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्तमान में निम्नलिखित लघुकालीन उपाय किए जा रहे है।

1. द्वारका (50 मि.गै.दै.) बवाना (20 मि.गै.दै.) तथा ओखला (20 मि.गै.दै.) में तीन नए जलशोधन संयंत्रों का निमार्ण किया जा रहा है।

2. हैदरपुर, वजीराबाद, भागीरथी तथा चन्द्रावल में 45 मि.गै.दै. क्षमता के चार बेकार पानी के पुन:चक्रण संयंत्रों का निर्माण करना। 37 मि.गै.दै. के तीन पुन: चक्रण संयंत्र चालू हो चुके हैं तथा चन्द्रावल स्थित चौथा संयंत्र वर्ष 2012 में चालू कर दिया जाएगा।

3. हरियाणा में मुनक से हैदरपुर तक समानांतर पक्की नहर का निर्माण किया जा रहा है, जिसके पूरा होने पर 80 मि.गै.दै. अतिरिक्त कच्चा पानी उपलब्ध हो जाएगा।

4. दिल्ली की जलवितरण प्रणाली को युक्ति संगत बनाने के लिए टाटा कन्सलटेन्सी इंजीनियर्स द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार 53 भूमिगत जलाशय तथा बूस्टर पम्पिंग स्टेशनों का निर्माण किया जाना है। 34 भूमिगत जलाशयों को चालू किया जा चुका है व अन्य का निमार्ण कार्य प्रगति पर हैं।

5. सरकार पानी की बचत तथा वर्षा जल संग्रहण को प्रोत्साहित कर रही है। भविष्य में पानी की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित दीर्घकालीन उपाय किए जा रहे है;-

    1. यमुना नदीं के उपरी क्षेत्र में रेणुका (275 मि.गै.दै.) किशाउ (372 मि.गै.दै.) तथा लखवर व्यासी (135 मि.गै.दै.) में तीन बाँधों का निर्माण प्रस्तावित है। उपरोक्त तीन बाँधों में से रेणुका परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए आरंभिक कार्य शुरु हो चुका है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए रु. 212.50 करोड़ का भुगतान कर दिया है। रेणुका बाँध को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया गया है तथा पर्यावरण व वन्य मंत्रालय से अनुमोदन के लिए प्रयास किए जा रहे है। इसके तैयार होने में 6-7 वर्ष का समय लग जाएगा।

    2. पल्ला क्षेत्र में स्थित यमुना बाढ़ मैदानों से भूमिगत जल के दोहन की संभावनाओं के लिए अध्ययन किया जा रहा हैं।

    3. इसके अतिरिक्त भाखडा ब्यास मैनेजमैंट बोर्ड से दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे है।

(घ) जी नहीं, सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंन्ट प्लांट में पानी का शोधन निर्धारित मापदंड (BIs 10500-2003) के अनुसार किया जाता है।

(ड.) जी नहीं। उक्त प्लांट में जल शोधन के लिए सभी केमिकल्स जैसे फिटकरी, पी. ए.सी. ISI मार्क है औ कांर्न्टेक्ट एग्रीमेन्ट के अनुसार प्रयोग में लाये जाते है।

(च) जी नहीं।

(छ) 1. सोनिया विहार जल संयंत्र अक्टूबर 2006 से डिग्रमोंट लिमिटेड के अधीन चलाने व मरम्मत के लिए दस साल तक दिया गया है।

2. इसी प्रकार भागिरथी जल संयंत्र को एल. एन्ड टी. को 22.12.2011 से 12 वर्ष 8 महीने के लिए दोबारा बनाने, चलाने व मरम्मत के लिए दिया गया है।

551 सतप्रकाश राणाः क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) दिल्ली जल बोर्ड को नये टयुबवैल लगाने के लिए डी.सी. रेवेन्यू की अध्यक्षता में बनाई गई समिति से अनुमति लेने की व्यवस्था किस तारीख से लागू की गई है;

(ख) पिछले तीन वर्षो में जिलानुसार कुल कितने टयुबवैल लगाने की स्वीकृति दी गई उसका विवरण क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में नए टयुबवैल लगाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है; यदि हाँ, तो यह आदेश किस आधार पर दिया गया है और यदि नहीं तो इस संबंध में क्या नीति तय की गई है;

(घ) नए टयुबवैलों को लगाने के लिए भी उपरोक्त समिति की स्वीकृति की आवश्यकता है या विभाग स्वयं आवश्यकतानुसार हैंडपम्प लगा सकता है?

मुख्य मंत्री

(क) यह व्यवस्था मार्च, 2009 से लागू है।

(ख) पिछले तीन वर्ष में दिल्ली जल बोर्ड को कुल 125 नये ट्यूबवैल लगाने की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 53 ट्यूबवैल साउथ व 72 ट्यूबवैल साउथ वैस्ट जिले में मंजूरी दी गई।

(ग) जी हाँ। नये ट्यूबवैल लगाने के लिए लगातार गिरता जल स्तर व गुणवत्ता को ध्यान में रखकर अंकुश लगा दिया गया है।

(घ) नये ट्यूबवैल लगाने के लिए सलाहकार समिति की स्वीकृति की आवश्यकता है परन्तु हैंडपम्प लगाने के लिए सलाहाकार समिति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। चूकि जल स्तर काफी नीचे गिर गया है अत: हैडपम्प द्वारा पानी उपलब्ध होना संभव नहीं है।

552. सतप्रकाश राणा: क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) दिल्ली में पानी वितरण आधार क्या है व दिल्ली की कुल कितनी जनसंख्या को दिल्ली जल बोर्ड द्वारा गंगा व यमुना के पानी की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) जल बोर्ड के दक्षिण व पश्चिम दिल्ली के किस-किस इलाके में वहाँ की कितनी आबादी को गंगा व यमुना के पानी की आपूर्ति हो रही है;

(ग) पालम व द्वारका विधान सभा क्षेत्र की कुल जलसंख्या कितनी है और किस-किस इलाके में गंगा व यमूना के पानी की आपूर्ति की जा रही है और अन्य स्थानों पर किस-किस साधन से इन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति की जा रही है; और

(घ) बिजवासन विधान सभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या कितनी है और इस इलाके में किस-किस माध्यम से कुल कितने पानी की आपूर्ति की जा रही है?

मुख्य मंत्री

(क) दिल्ली की जनसंख्या लगभग 180 लाख आंकी गई है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए 6 जल संयंत्रों से पेय जल व भू-जल द्वारा 835 मी.गैलन पानी रोजाना दिया जाता है। दिल्ली के 2 जल संयंत्र सोनिया विहार व भागीरथी गंगाा से कच्चे पानी की सप्लाई लेते है और इससे लगभग 35 प्रतिशत जनसंख्या जिसमें मुख्यत: पूर्वी दिल्ली व दक्षिण दिल्ली के क्षेत्र आते है, को पेय जल सप्लाई किया जाता है। बाकी की 65 प्रतिशत जनसंख्या को वजीराबाद, हैदरपुर, नांगलोई तथा चन्द्रावल जल संयंत्र जो यमुना से कच्चा पानी लेते है, के द्वारा किया जाता है।

(ख) हैदरपुर व नांगलोई जल संयंत्र जो यमुना से कच्चा पानी लेते हैं, से दक्षिण व दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के लगभग सभी क्षेत्रों में जल बोर्ड द्वारा पेय जल की आपूर्ति की जा रही है।

(ग) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पालम विधानसभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या 190826 व द्वारका विधानसभा क्षेत्र की जनसंख्या 176196 है। इस क्षेत्र के सभी भागों में यमुना के पानी की आपूर्ति पाईप लाईनों व टैंकरों द्वारा की जाती हैं। इसके अतिरिक्त ट्यूबवैलो द्वारा भी जल वितरित किया जाता है।

(घ) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिजवासन विधानसभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या 174636 है। इस क्षेत्र में पाईप लाईन द्वारा, टैकरों व टयूबवैल से लगभग 2.1 एम.जी.डी. पानी की आपूर्ति की जाती है।

553. डॉ. एस.सी.एल. गुप्ता : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि संगम विहार विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड का संशोधित स्वच्छ पीने का पानी किसी भी घर में उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि संगम विहार विधान सभा क्षेत्र का मात्र 17 प्रतिशत क्षेत्र ही अधिकृत कालोनी में आता है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि इस क्षेत्र में सरकार द्वारा सोनिया विहार से जल आपूर्ति के लिए पानी की पाइप लाईन डाली जा चुकी है, इसके बावजूद पिछले 5 वर्षो में आपूर्ति शुरु नहीं की गई है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि जी. के.-2, गोविंदपुरी, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया और आस-पास की सभी कॉलोनियों में सोनिया विहार का पानी उपलब्ध है

(ड.) क्या यह भी सत्य कि पिछले कई वर्षो से क्षेत्रीय विधायक द्वारा लगातार दिल्ली जल बोर्ड से पानी की मांग के बावजूद तुगलकाबाद एक्सटेशंन के लिए पानी नहीं दिया गया है, जबकि मालवीय नगर, नेब सराय आदि दूर की कॉलोनियों में पानी की पूर्ति सोनिया विहार से की जा रही है;

(च) क्या यह भी सत्य है कि संगम विहार से इस क्षेत्र में जहाँ पर मात्र 2 एम.जी.डी. पानी की जरुरत है व 1 एम.जी.डी. बोरवेल से पूरा किया जा सकता है, मात्र 1 एम.जी.डी. वाटर सप्लाई नहीं किए जाने के क्या कारण है; और

(छ) इस क्षेत्र में सोनिया विहार ट्रीटमेंट प्लांट से पानी की सप्लाई कब शुरु कर दी जाएगी?

मुख्य मंत्री

(क),(ख)व(ग) संगम विहार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अधिकांश अनाधिकृत कालोनियाँ है। इस क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पीने का पानी टैकरों एवंम टयूबवैलों द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है संगम विहार विधान सभा क्षेत्र का तुगलकाबाद एक्सटेशन ऐरिया दिल्ली जल बोर्ड के कालकाजी जलाशय के कमाण्ड क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र के कालकाजी जलाशय के जल वितरण प्रणाली के अन्तिम छोर में स्थित होने एवम तकनीकी फिजिबिलिटी न होने के करण सोनिया विहार प्लांट के सिस्टम से जलापूर्ति करना अभी संभव नहीं हो पाया है।

(घ) जी हाँ।

(ड़)एवं(च) जी नहीं। तुगलकाबाद एक्सटेशंन के अधिकृत क्षेत्र में दिल्ली बोर्ड की जल वितरण प्रणाली मौजूद है, जिसमें क्षेत्र में स्थित 32 ट्यूबवैली द्वारा पानी सप्लाई किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में जहाँ जल वितरण प्रणाली मौजूद नहीं है वहाँ टैंकरों व हाइड्रेन्टों द्वारा पीने हेतु पानी नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।

(छ) इस क्षेत्र में पानी आपूर्ति करने हेतु दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सलाहकार नियुक्त करने का निर्णय किया गया है, जोकि इस क्षेत्र के लिए सस्टेनेबल जल वितरण प्रणाली की योजना बनाने का कार्य करेगा।

554. श्री मोहन सिंह बिष्ट: क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गुजरने वाली एस्क्रेप ड्रेन से सोनिया विहार ट्रीटमेंट के लिए पानी की लाईन गुजर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि गीतांजली स्कूल के पास में कच्चे पानी के साथ रेत नाले में गिर रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस लाईन को ठीक न कराए जाने का क्या कारण हैं और कब तक इस को ठीक करा दिया जाएगा?

मुख्य मंत्री

(क) जी हाँ।

(ख)व(ग) सोनिया विहार प्लांट के कच्चे पानी की लाईन के रिसाव को यू.पी. जल निगम द्वारा ठीक कर दिया गया है।

555. श्री कुलवन्त राणा: क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि रोहिणी सैक्टर 11,16 व 17 में पानी के बिल जमा करने के लिए कोई बिल कलैक्शन सेंटर नहीं है, यदि हाँ, तो क्या दिल्ली जल बोर्ड द्वारा यहाँ की घनी आबादी को देखते हुए कोई बिल कलैक्शन सेंटर खोलने की कोई योजना बना रहा है,

(ख) यदि हाँ, तो यह कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

(ग) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा अनाधिकृत कालोनियों में सीवर लाईन डालने की योजना बनाई गई है,

(घ) क्या यह भी सत्य है कि इसके लिए रिठाला विधानसभा क्षेत्र की अनाधिकृत कालोनियों का सर्वे हो चुका है, और

(ड़) यदि हाँ, तो इन कालोनियों में सीवर लाईन डालने का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाएगा?

मुख्य मंत्री

(क)एवं(ख) रोहिणी सैक्टर-11, 16 व 17 के निवासी पानी के बिलों का भुगतान दिल्ली सरकार द्वारा चलाये जा रहे जीवन केन्द्रों पर कर सकते है। जल बोर्ड का कलैक्यान सैन्टर-6 में स्थित है। वर्तमान में इन सैक्टरों में कलैक्शन सैन्टर खोलने की कोई योजना नहीं है। परंतु शीघ्र ही उपभोक्ताओं को कम्प्यूटर द्वारा ऑनलाईन भुगतान के अतिरिक्त तीन बैकों द्वारा भुगतान की सुविधा मुहैया कराने की योजना है।

(ग) जी हाँ, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवर रहित क्षेत्र के लिए सीवर मास्टर प्लान 2031 बनाया जा रहा है।

(घ) जी हाँ, रिठाला विधासभा क्षेत्र में सीवर लाईन्स डालने के लिए सर्वे का कार्य अन्तिम चरण में हैं। इसके लिए सलाहकार नियुक्त किया गया हैं।

(ड़) सलाहकार द्वारा सर्वे करने के पश्चात विभिन्न ब्लॉको/ समूहों के लिए स्कीम एवं अनुमान बनाए जाएगें। अनुमानों को सक्षम अधिकारी द्वारा मंजूरी के बाद निविदा प्रक्रिया आरम्भ की जाएंगी एवंम बोर्ड द्वारा कार्य आबंटन के पश्चात इस कार्य के 2013 में शुरु होने की सम्भावना है।

556. श्री धर्मदेव सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) दिल्ली में जिन कॉलोनियों में पानी पीने योग्य साफ पानी नहीं है और टयूवैल का पानी नहीं पहुँच पाता उसके लिए सरकार की क्या योजना है;

(ख) क्या ऐसे गांव व कॉलोनियों में सीवर भी नहीं है परन्तु पानी और सीवर के बिल आ रहे हैं; और

(ग) क्या ऐसी स्थिति में सीवर व पानी के बिल माफ करने की सरकार की कोई योजना है?

मुख्य मंत्री

(क) ऐसे क्षेत्रों में पीने का पानी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा टैंकरों द्वारा नि:शुल्क वितरित किया जाता है। सरकार ऐसें क्षेत्रों को भी योजनाबद्व तरीके से पाईप लाईन द्वारा पेय जल उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है।

(ख) जहाँ सीवर व्यवस्था दिल्ली जल बोर्ड द्वारा उपलब्ध करा दी गई है, वहीं सीवर शुल्क का पानी के बिलों में समावेश किया जाता है।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

557. श्री धर्मदेव सोलंकी: क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या पिछले 14 वर्षों से पालम गांव एवं आसपास की कॉलोनियों में पीने का साफ पानी नहीं है;

(ख) क्या अनेक बार मुख्य मंत्री द्वारा पालम क्षेत्र के लोगों को पानी देने हेतु बार-बार वायदा किया गया है; और

(ग) पालम क्षेत्र में साफ पानी कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा?

मुख्य मंत्री

(क) जी नहीं। पालम गाँव व आस-पास की कालोनियों में, जहाँ पर साफ पानी वितरण के नेटवर्क की व्यवस्था अभी कार्यान्वित नहीं हुई है, उन क्षेत्रों में पीने का स्वच्छ पानी, टैंकरों द्वारा नि:शुल्क दिया जाता है।

(ख)एवं(ग) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए नए 40 एम.जी.डी. क्षमता के द्वारका जल संयंत्र को हरियाणा से अतिरिक्त कच्चे पानी की उपलब्धता के पश्चात संयंत्र चालू होने पर पालम क्षेत्र के निवासियों को पानी देने का वादा किया गया है।

558. श्री धर्मदेव सोलंकी: क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या द्वारका एवं पालम क्षेत्र में नांगलोई जल शोधन संयंत्र के कमांड में आते हैं;

(ख) क्या सैं, 7 में कमांड टैंक नं. 1 पिछले 8 साल से बंद है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि चार वर्ष पूर्व कमांड टैंक में पानी छोड़ कर उद्घाटन किया गया था;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि उसके बाद आज तक वहाँ पानी नहीं आया है; और

(ड़) क्या यह सत्य है कि पूरे क्षेत्र में टयुबवैल का खारा पानी आता है, यदि हाँ तो सरकार पालम कमांड टैंक से पानी कब तक दिलाएगी।

मुख्य मंत्री

(क) जी नहीं। द्वारका एवं पालम क्षेत्र द्वारका जल शोधन संयंत्र के अन्तर्गत आते हैं।

(ख) जी हाँ।

(ग) यह सत्य है कि चार वर्ष पूर्व कमांड टैंक में पानी डालकर टेस्टिंग की गई थी। इसका अभी तक कोई भी उद्घाटन नहीं हुआ है।

(घ) जी हाँ।

(ड़) दिल्ली जल बोर्ड द्वारका में पानी की बल्क सप्लाई देता है। द्वारका में बनाए गए कमान्ड टैंकों को 40 एम.जी.डी. क्षमता वाले निर्माणाधीन जल संयंत्र से पानी आना है इस प्लांट को चालू करने हेतू हरियाणा से मुनक नहर द्वारा अतिरिक्त कच्चे पानी की उपलब्धता के लिए भारत सरकार व दिल्ली सरकार प्रयासरत है।

559. श्री कुलवंत राणा: क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि रोहिणी सै. 15 व 16 से कंझावला रोड़, बुद्ध विहार को जाने वाली सप्लीमेंट्री ड्रेन के दोनों और छायादार वृक्ष लगाने का प्रावधान है,

(ख) यदि हाँ, तो इस पर आज तक वृक्ष क्यों नहीं लगाया गए; और

(ग) क्या भविष्य में यहाँ पर वृक्ष लगाने की कोई योजना है, यदि हाँ, तो कब तक वृक्षा रोपण कर दिया जाएगा?

मुख्य मंत्री

(क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(ग) जी नहीं।

560. श्री सतप्रकाश राणाः क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या विजवासन विधान सभा क्षेत्र की कॉलोनी सं. 341,515,605,321,1140, 1130 व ईएलडी-52 पर विकास कार्य न किए जाने के लिए वन विभाग द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है;

(ख) क्या इन उपरोक्त कॉलोनियों में वन विभाग या रिज की किसी भूमि पर कब्जा किया गया है, यदि हाँ, तो उसका खसरा नं. क्या है;

(ग) क्या गांव महिपालपुर, मसूदपुर व रंगपुरी में डीडीए जो बड़े मॉल्स व वर्तमान में फ्लैटस बनाए गए हैं, वे मार्फोलॉजिकल रिज की श्रेणी में नहीं आते हैं;

(घ) यदि हाँ तो इन मॉल्स व फ्लैट्स के निर्माण की अनुमति किस आधार पर दी गई है यदि नहीं, तो किस आधार पर इन उपरोक्त कॉलोनियों को मार्फोलॉजिकल रिज की श्रेणी में दिखाया गया है और इन कॉलोनियों के विकास कार्य किस आधार पर रोके गए है; और

(ड़) इतनी बड़ी संख्या में मकान बने हुए तो वन विभाग नाली व गली बनाने में आपत्ति क्यों कर रहा है, तथा नाली और गली बनाने का एनओसी देने में क्या आपत्ति है?

मुख्य मंत्री

(क) वन विभाग द्वारा अनाधिकृत कॉलोनी रजिस्ट्रेशन संख्या 341, 515, 605, 321 1140, 1130 व 52 ई. एल. डी. पर विकास कार्य न किये जाने पर आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। वन विभाग द्वारा उक्त कॉलोनियों के नियमितिकरण की प्रकिया में शहरी विकास विभाग को इनका लेंड स्टटेस दिया गया है जो कि मौरफोलोजिकल रिज है।

(ख) उल्लेखित अनाधिकृत कॉलोनियाँ वन विभाग की वन भूमि, आरक्षित रिज वन या नोटिफाईड वन की भूमि पर स्थापित नहीं है।

(ग) उल्लेखित मॉल्स व फ्लैटस के संबन्ध में उत्तर तभी दिया जा सकता है जबकि इसके साथ उनकी स्थिति के बारे में जानकारी, यथा ग्राम, खसरा नम्बर इत्यादि दी गई हो।

(घ) उपरोक्त के अनुसार लागू नहीं।

(ड़) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.05.1996 जो CWP No. 4677/85, M.C. Mehta Vs. Union of India and Ors. के अनुसार *"Ridge is to be maintained in its pristine glory"* अतः रिज भूमि में उपरोक्त आदेश से अलग कार्यो हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा उसके द्वारा गाठित Central Empowered Committee/Ridge Management Board से अनुमति लेना आवश्यक है।

561. श्री कृष्ण त्यागी: क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) दिल्ली सरकार के वन विभाग द्वारा बुराडी विधानसभा क्षेत्र में दिसम्बर 2007 से मार्च 2012 तक कितने वृक्षारोपण किये हैं, और

(ख) यदि किसी अनाधिकृत कालोनी में नागरिक वृक्ष लगाना चाहेंगे तो क्या वन विभाग पेड़ व ट्री गार्ड मुफ्त में उपलब्ध करायेगा?

मुख्य मंत्री

(क) दिल्ली सरकार के वन विभाग द्वारा बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में पश्चिम वन प्रभाग द्वारा बुराड़ी ड्रेन पर वर्ष 2009-10 में 11,990 बोगेन विलिया के पौंधे तथा उत्तर वन प्रभाग द्वारा वर्ष 2007 से 2012 में 1100 पौधे एन. एच.-1 पर लगाए गए हैं।

(ख) वन विभाग दिल्ली सरकार, वृक्षारोपण हेतु दिल्ली के नागरिकों तथा अन्य संस्थाओं को निशुल्क पौधे उपलब्ध कराता है। इस विभाग द्वारा मुफ्त में ट्री गार्ड उपलब्ध कराने की कोई योजना नहीं है।

562. श्री ओ.पी.बब्बर : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या यह सत्य है कि वृक्षों की अत्याधिक मात्रा में कटाई-छटाई के लिए वन विभाग से अनुमति लेनी पडती है;

(ख) क्या यह सत्य है कि इस संबंध में वन विभाग के नियम व शर्ते बहुत जटिल है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि तिलक विधान सभा क्षेत्र के इस तरह के कई मामले अनुमति के लिए वन विभाग के पास लंबित है;

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है, क्योंकि वृक्षों के कारण बिजली आपूर्ति में भी बाधा आ रही है; और

(ड़) क्या यह भी सत्य है कि एमसीडी अस्पताल तिलक नगर के निर्माण कार्य में उस स्थान से वृक्षों की कटाई की अनुमति न मिलने के कारण विलम्ब हो रहा है

मुख्य मंत्री

(क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं, दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 तथा तत्संबंधित नियम 1996 के प्रावधानों के तहत वृक्ष काटने के लिए वन विभाग की अनुमति हेतु आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होता है। हर आवेदन का 60 दिनों के अन्दर निस्तारण किया जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं

(ड़) जी नहीं। तिलक नगर में एम.सी.डी-अस्पताल के लिए काटे जाने वाले वृक्षों का आवेदन एम.सी.डी. द्वारा अप्रूवड बिल्डिंग प्लान नहीं दिए जाने के कारण लम्बित है।

563. श्री ओ. पी. बब्बरः क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या यह सत्य है कि दुकानदारों एवं पटरी वालों को दीवाली के त्यौहार के दौरान पटाखों की बिक्री के लिए अस्थाई लाईसंस प्राप्त करने में अत्यधिक औपचारिकताओं के कारण परेशानी होती है,

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रक्रिया को सरल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और,

(ग) क्या त्यौहार प्रारंभ होने से तीन महीने पहले ही आवेदन नहीं मांगे जा सकते तथा पन्द्रह दिनों के अन्दर दुकानदारों को लाईसेंस देना क्या संभव नहीं है?

मुख्य मंत्री

(क) अस्थायी पटाखों के लाईसेंस दीपावली के अवसर पर संबंधित जिला पुलिस उपायुक्तों द्वारा विस्फोटस अधिनियम 1884 तथा विस्फोटक नियम 2008 के अंतर्गत जारी किए जाते हैं। अस्थायी पटाखों के लाईसेंस के लिये जो आवश्यकताएँ हैं वे उपरोक्त अधिनियम व नियम में बाध्यकारी हैं तथा अन्य अर्हताएँ अग्निशमन विभाग से विचार-विमर्श के बाद निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों का इसमें समावेश है।

(ख) पटाखों के लाईसेंस की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए पिछले दो वर्षो से यह प्रक्रिया मई माह में ही शुरु कर दी जाती है और आवेदन अगस्त माह तक प्राप्त कर लिये जाते हैं ताकि जाँच जल्दी करके, लाईसेंस समय पर जारी किए जा सकें व दुकानदारों को भी पटाखों का आर्डर बुक कराने के लिये पर्याप्त समय मिल सके।

(ग) पिछले वर्ष पटाखों के आवेदन के लिये समाचार पत्रों में विज्ञापन मई माह में ही दे दिये गये थे। आवेदन जमा कराने की तिथि भी 05.08.2011 थी जबकि दीपावली कि तिथि 26.10.2011 थी। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी यह प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25.08.2012 है जबकि दीपावली की तिथि 13.11.2012 है।

564. श्री सतप्रकाश राणाः क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) दिल्ली में वर्तमान में हथियारों में कुल कितने लाईसेंस जारी किए गए हैं, व पिछले एक वर्ष में कुल कितने लोगों को लाईसेंस जारी किए गए,

(ख) वर्तमान में हथियार का लाईसेंस प्राप्त करने के लिए क्या नियम है,

(ग) किस आधार पर विभाग लाईसेंस देने से मना कर सकता है, और,

(घ) क्या यह सत्य है कि स्थानीय पुलिस अधिकारी अपने विवेक पर किसी भी व्यक्ति को लाईसेंस जारी कर सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को लाईसेंस देने से मना कर सकता है?

मुख्य मंत्री

(क) दिनांक 29.05.2012 को दिल्ली में 61889 शस्त्र लाईसेंस धारक है। वर्ष 2011 में इस कार्यालय द्वारा कुल 1129 शस्त्र लाईसेंस जारी किए गए।

(ख) शस्त्र लाईसेंस की आवश्यकता, औचित्य व धमकी आदि को ध्यान में रखते हुए शस्त्र अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारों (वर्तमान में अति. आयुक्त पुलिस/लाईसेसिंग) द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है।

(ग) लाईसेंस आवेदक के शस्त्र अधिनियम 1959 धारा 9 के अंतर्गत अयोग्य होने की स्थिति में अथवा धारा 13 के अन्तर्गत प्रार्थी की आवश्यकता उचित न पाए जाने पर विभाग लाईसेंस देने से मना कर सकता है।

(घ) स्थानीय पुलिस द्वारा केवल आवेदक का रिहायशी पता व चरित्र आदि की जाँच कराई जाती है। इस सन्दर्भ में लाइसेंस देने अथवा न देने सम्बन्धित निर्णय अतिरिक्त आयुक्त, लाईसेंसिंग दिल्ली द्वारा ही किया जाता है।

565. श्री श्यामलाल गर्ग: क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि भारतीय विद्यापीठ के स्टॉफ तथा विद्यार्थियों द्वारा अपने वाहन निकटवर्ती आवासीय कालोनियों में पार्क किए जा रहे हैं,

(ख) क्या इसके कारण स्थानीय लोगों की समस्याओं के संबंध में ट्रैफिक पुलिस को शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और

(ग) अब तक ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है तथा भविष्य में कार्रवाई करने की योजना है?

मुख्य मंत्री

(क) भारतीय विद्यापीठ, पश्चिम विहार का मैनेजमेंट, विद्यार्थियों के वाहनों को विद्यापीठ परिसर में घुसने की अनुमति नहीं देते व आस-पास कोई वैद्य पार्किग स्थान न होने

की वजह से अक्सर विद्यार्थी व स्टाफ निकटवर्ती आवासीय कालोनियों में अपने वाहनों को खड़ा कर देते हैं।

(ख) जी हाँ, इस संबंध में स्थानीय निवासियों की शिकायत यातायात पुलिस को मिली है।

(ग) भारतीय विद्यापीठ के आस-पास अवैध रुप से खड़े वाहनों के खिलाफ दिल्ली पुलिस निरन्तर कार्यवाही करती रहती है। वर्ष 2012 में (1.1.2012 से 29.5.2012 तक) भारतीय विद्यापीठ के आस पास से 279 वाहनों के खिलाफ नो पार्किंग के चालान किए गए व 471 नो पार्किंग नोटिस चिपकाए गए हैं। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक स्टाफ मोटरसाईकल पर इलाके में निरन्तर गश्त करते हैं तथा अवैध रुप से खड़े वाहनों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करते हैं।

566. श्री वीर सिंह धींगानः क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने कानून व्यवस्था की समय पर समीक्षा व कानून व्यवस्था से जुड़े मुददों का जायजा लेकर हाथ के हाथ कुछ समस्याओं के समाधान के लिये थाना स्तर कमेटियों का गठन किया था?

(ख) यदि हाँ, तो क्या ये थाना स्तर कमेटियों ठीक प्रकार से अपना कार्य कर रही हैं,

(ग) क्या यह भी सत्य है कि समस्त पुलिस थानों में समय-समय पर बैंठकों का आयोजन होता है,

(घ) यदि हाँ, तो जिला उत्तरी-पूर्वी के समस्त थानों में थाना लेवल कमेटी की पिछले एक वर्ष में किस-किस थाने में कितनी बैठकों का आयोजन किया गया व इसका विवरण क्या है?

मुख्य मंत्री

(क) जी हाँ, थाना लेवल कमेटी का गठन दिल्ली पुलिस के सभी 161 क्षेत्रीय पुलिस थानों में उप-राज्यपाल दिल्ली के आदेश पर आदेश संख्या एफ. 6/118/08/ एचपी-1/स्था./1891-1902 दिनांक 27.07.2010 के द्वारा हुआ है जिसकी प्रतिलिपि परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(ख)व(ग) जी हाँ, सभी थाना स्तर की कमेटियाँ सुचारु रुप से अपना कार्य कर रही है तथा समय-समय पर समस्त पुलिस थानों में बैठकों का आयोजन किया जाता है।

(घ) उत्तर-पूर्वी जिला के समस्त थानों में वर्ष 2011 व 2012 (दिनांक 15.05.2012 तक) की गई थाना स्तर की बैठकों का विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

No.F.6/118/08/HP-1/Estt./
Government National Capital territory of Delhi
Home Poll:e-1/Establishment Department
5th level, 'C'Wing, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi.

Dated the.....

ORDER

In supersession to all the previous order, the Lt. Governor of Delhi is pleased to i.e.-constitute the Thana Level Committtee in each of the Police Station in Delhi it promote inter-action between the Police and the leaders of public opinion.

1. The committee will have the following members:-

I	Member of legislative Assembly (who represents the major part of police Station area as give inpara 7 below	Chairman
II	Other MLAs	
III.	Member of MCD/NDMC/Cantonment Board. (representing the major territorial jurisdiction of Police Station concerned)	
IV	SDM of the Area.	
V	ACP of the Area.	
VI	Representatives from the following which must include two women members, one journalist. one lawyer and a representative form J.J. Cluster.	

(a) Residents Welfare Association. Including J.J. Cluster

(b) Trade/Industry Association, if any.

(c) Educational institutions.

(d) Women organisation.

(e) Students.

(f) Labour.

VII Station House officer.

2. In the Thana Level Committee the co-opted members representing RWAs, Women etc. intentioned at Serial No.VI above will not be more than 10 and will be co-opted by the SDM of the area inconsultation with the ACP having jurisdiction over the Thana concerned. The list of co-opted. member will be sent by the Convenor to the Home Deptt. for information and record.

3. The Thana Level Committee will advise the SHO in the following areas:

(i) The general crime situation and the ways and means to check crime.

(ii) Nature of public grievances against police.

(iii) Matters affecting communal harmony in the area.

Seema Puri (Sub-Division)

Seema Puri	Sh. Veer Singh Dhingan
Nand Nagari	Sh. Veer Singh Dhingan
Harsh Vihar	Sh. Surendra Kumar

Shahdara (Sub-Division)

Shahdara	Sh. Naresh Gaur
Welcome	Sh. Naresh Gaur
Mansarovar Park	Sh. Vipin Sharma

Khajuri Khas (Sub-Division)

Khajuri Khas	Sh. Mohan Singh Bisht

Karawal Nagar	Sh.Hassan Ahmed
Sonia Vihar	Sh. Mohan Singh Bihst.

Sd/-
(VISHWENDRA)
Deputy Secretary (Home)

No. F.6/118/08/HP-I/Estt./1891 to 1902 Dated the : 27/7/10

Copy to:-

1. Members of Parliament & Members of Legislative Assembly (As per list attached).
2. Secretary to the Legislative Assembly, Old Sectt., Delhi.
3. Secretary Gernal, Lock Sabha.
4. Divisional commissioner, Delhi with the request to inform all the concerned Deputy Commissioner (Revenue).
5. Commissioner of Police with the request toinform al the concerned Deputy Commissioner of Police.
6. Commissioner, MCD withthe request to inform all the Chairman of respective MCD Zonal Committees.
7. Chairman, NDMC.
8. Pr. Secretary to Lt. Governor, Delhi.
9. Pr. Secy. to Chief Minister, Delhi
10. OSD to Chief Secretary, Delhi
11. P.S to Pr. Secy. (Home).
12. P.A. to Jt. Secy. (Home).

Sd/-
(VISHWENDRA)
Deputy Secretary (Home)

अत्तरी-पूर्वी जिला के अन्तर्गत आने वाले थानों में थाना स्तर की हुई बैठकों का वर्षवार ब्यौरा, वर्ष 2011 व 2012 (दिनांक 15.5.12 तक)

क्रम संख्या	*थाने का नाम*	*वर्ष 2011*	*वर्ष 2012*
1.	सीलमपुर	05	02
2.	न्युउस्मान पुर	04	02
3.	जाफाराबाद	05	02
4.	शाहदरा	03	01
5.	मानसरोवर पार्क	04	01
6.	वैलकम	05	01
7.	नन्द नगरी	02	00
8.	सीमा पुरी	03	01
9.	हर्ष विहार	06	01
10.	गुरु तेग बहादुर एंक्लेव	04	01
11.	गोकुल पुरी	04	02
12.	भजनपुरा	04	02
13.	ज्योति नगर	03	00
14.	खजूरी खास	04	00
15.	करावल नगर	02	01
16.	सोनिया विहार	05	00

567. श्री मालाराम गंगवालः क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या यह सत्य है कि रघुवीर नगर में स्थित ख्याला पुलिस स्टेशन काफी तंग जगह पर है,

(ख) क्या ख्याला पुलसि स्टेशन बनाने के लिए दूसरे स्थान पर जगह दे रखी है, और

(ग) यदि हाँ, तो यह थाना कब तक स्थानांतरित कर दिया जाएगा?

मुख्य मंत्री

(क)व(ख) जी हाँ, यह सत्य है कि ख्याला पुलिस स्टेशन तंग जगह पर है तथा यह भी सत्य है कि पुलिस स्टेशन ख्याला के लिए ब्लाक ए व बी नजदीक जे.जे. कालोनी के पास नया थाना बनाने के लिए जमीन दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली पुलिस को पत्रांक सं. 1A/5842/1/2002/JJ/D-58 दिनांक 13.2.02 द्वारा आवंटित की गयी है।

(ग) थाना ख्याला के निर्माण हेतु एक पत्र गृह मंत्रालय, भारत सरकार को दिनांक 2.5.2012 को अनुमोदन हेतु भेजा जा चुका है। इस कार्य का प्रारम्भिक वित्तीय अनुमान 10.93 करोड़ रुपये है तथा गृह मंत्रालय के अनुमोदन के बाद इस थाने की इमारत 12 से 18 महीने के बीच बनकर तैयार होने की सम्भावना है।

568. श्री सुनील कुमार वैद्यः क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या यह सत्य है कि विधायक त्रिलोकपुरी पर जनवरी, 2010 में न्यू अशोक नगर में कातिलाना हमला हुआ था जिसकी प्राथमिकी थाना न्यू अशोक नगर में दर्ज है व दो हमलावर जमानत पर छूट कर जेल से बाहर आ चुके हैं,

(ख) क्या यह भी सत्य है कि विधायक की पत्नी पर भी नवम्बर, 2011 में हमला हुआ था जिसकी प्राथमिकी थाना पांडव नगर में दर्ज है,

(ग) क्या यह भी सत्य है कि विधायक अपनी सुरक्षा के लिए डी.सी.पी. (ईस्ट)व दिल्ली पुलिस आयुक्त व महामहिम उपराज्यपाल से कई बार आवेदन कर चुके हैं,

(घ) क्या यह भी सत्य है कि महामहिम उपराज्यपाल के ओ.एस.डी. दो बार लिखित में विधायक को सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त को लिख चुके हैं, और

(ड़) यदि हाँ, तो विधायक त्रिलोकपुरी को सशस्त्र पुलिस सुरक्षा कब तक प्रदान की जाएगी, यदि नहीं तो क्यों?

मुख्य मंत्री

(क) जी हाँ। इस संबंध में एक एफ.आई.आर. सं. 6/10 दिनांक 5.1.2010 धारा 147,148,149,323,341,506 व 397 भ.द.सं. के तहत थाना न्यू अशोक नगर में त्रिलोकपुरी विधान सभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री सुनील कुमार वैद्य द्वारा दर्ज कराई गई है। इस हमले में पाँच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था जिनको कोर्ट से जमानत मिल गई है।

(ख) ऐसी कोई घटना नवम्बर, 2011 में थाना पांडव नगर में दर्ज नहीं है।

(ग) जी हाँ, यह सत्य है कि माननीय विधायक ने अपनी सुरक्षा के लिये दिल्ली पुलिस विभाग को पत्र लिखे। पत्रों पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(घ) जी हाँ, यह भी सत्य है। माननीय विधायक की सुरक्षा के लिये महामहिम उपराज्यपाल के ओ.एस.डी. के द्वारा दिल्ली पुलिस को लिखे गये पत्रों पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(ड़) दिल्ली में सुरक्षा केवल संवैधानिक अधिकारीगण को उनके पद के आधार पर या जिन व्यक्तियों को वास्तविक खतरा है को गृह मंत्रालय के आदेश पर या कोर्ट के आदेश पर या कुछ चुनिंदा/विशेष मामलों में आयुक्त पुलिस द्वारा दी जाती है, जिन्हें आतंकवादियों या अण्डरवर्ल्ड या खतरनाक अपराधियों से वास्तविक खतरा है। दिल्ली में संसद सदस्यों और दिल्ली विधान सभा के सदस्यों (सिवाय कुछ व्यक्तियों के जिन्हें अधिक खतरा है) को सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है।

परिशिष्ट 'क'

त्रिलोकपुरी विधान सभा के माननीय विधायक श्री सुनील कुमार वैद्य, के द्वारा दिल्ली पुलिस को लिखे गये प्रार्थना पत्रों पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा।

क्र.सं. श्री सुनील कुमार वैद्य, विधायक के पत्र संख्या का ब्यौरा।

1. पत्र संख्या एस.के.वी/एम.एल.ए/टी.पी/ 2010/512 दिनांक 06/01/2010
2. पत्र संख्या एस.के.वी/एम.एल.ए/टी.पी/2010/513 दिनांक 08/01/2010 (सचिव दिल्ली विधान सभा को संबोधित) जो कि उपसचिव (गृह), दिल्ली सरकार से प्राप्त हुआ)
3. पत्र संख्या एस.के.वी/एम.एल.ए./टी.पी/2010/519 दिनांक 13/01/2010 का प्रार्थना पत्र जो कि उपराज्यपाल के विशेष कार्य अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त हुआ है।
4. उपराज्यपाल के कार्यालय पत्र संख्या 47 (9)/आर.एन/2011/969/4497 दिनांक 26/3/12 के द्वारा श्री सुनील कुमार वैद्य का प्रार्थना पत्र दिनांक 13.3.2012 प्राप्त हुआ।

क्र.सं. श्री सुनील कुमार वैद्य, विधायक के प्रार्थना पत्रों पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा।

1. श्री सुनील कुमार वैद्य, विधायक के प्रार्थना पत्र दिनांक 6.1.2010 को पुलिस मुख्यालय को प्राप्त हुआ। यह प्रार्थना पत्र उपायुक्त पुलिस पूर्वी जिला व उपायुक्त पुलिस विशेष प्रकोष्ठ को भेंजा गया था।

2. यह पत्र वरिष्ठ अधिकारीगण के समक्ष प्रस्तुत किया गया और आदेशानुसार उपायुक्त पुलिस विशेष प्रकोष्ठ से रिपोर्ट मंगाने के लिए आदेश दिये गये।

3. क्योंकि उपायुक्त पुलिस विशेष प्रकोष्ठ से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी, इस पत्र के संदर्भ में उपायुक्त पुलिस विशेष प्रकोष्ठ को रिपोर्ट जल्दी भेजने के लिए एक अन्य पत्र लिखा गया इस संबंध में उपायुक्त पुलिस पूर्वी जिला और उपायुक्त पुलिस विशेष प्रकोष्ठ से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें पुलिस उपायुक्त पुलिस पूर्वी जिला ने बतलाया कि इन्हें कोई विशेष खतरा नहीं हैं फिर भी थाना प्रमुख मयूर विहार को इस संबंध में निर्देश दिये गये थे कि बीट स्टाफ को brief करे कि वह माननीय विधायक जी के घर के आस-पास निगरानी रखें। इसी से संबंधित जवाब उपायुक्त पुलिस विशेष प्रकोष्ठ से प्राप्त हुआ कि विधायक को कोई विशेष खतरा नहीं है इसलिये इनको सुरक्षा देने की सिफारिश नहीं की गई थी। इस संबंध में एक विस्तृत जवाब उपराज्यपाल के विशेष कार्य अधिकारी के कार्यालय को दिनांक 22.7.2010 को भेजा गया ।

4. उपायुक्त पुलिस/विशेष प्रकोष्ठ से धमकी का मूल्यांकन (Threat Assessment) मांगा गया है। जिसकी रिपोर्ट उपायुक्त पुलिस विशेष प्रकोष्ठ से अभी प्राप्त नहीं हुई है।

परिशिष्ट 'ख'

महामहिम उपराज्यपाल के ओ.एस.डी. द्वारा लिखित में विधायक को सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त को लिखे गये पत्रों पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा।

क्र.सं.	उपराज्यपाल कार्यालय की पत्र संख्या व श्री सुनील कुमार वैद्य, विधायक के पत्र संख्या का ब्यौरा
1.	पत्र संख्या 47 (9)-आर.एन 10/153/863 दिनांक 18/2/2010 द्वारा श्री सुनील कुमार वैद्य का पत्र संख्या एस.के.वी./एमएलए/टी.पी./2010/519 दिनांक 13/1/2010 प्राप्त हुआ।
2.	पत्र संख्या 47(9) आर.एन./11/969/1419 दिनांक 8/6/11 के द्वारा श्री सुनील कुमार वैद्य की शिकायत न.-21119902778 दिनांक 7/6/11 प्राप्त हुआ।

क्र.सं.	की गई कार्यवाही।
1.	इस पत्र को उपायुक्त पुलिस/विशेष प्रकोष्ठ को उचित कार्यवाही के लिए भेजा गया था जिस पर उपायुक्त पुलिस विशेष प्रकोष्ठ ने अपनी रिर्पाट में कहा कि श्री सुनील कुमार वैद्य को कोई विशिष्ठ धमकी नहीं है और इसकी सुरक्षा नहीं देने के लिए सिफारिश की गई। इस संबंध में विस्तृत जानकारी क्रम संख्या (3) अनुपत्र 'अ' में दी गई है।
2.	इस पत्र को उपायुक्त पुलिस/पूर्वी क्षेत्र संयुक्त आयुक्त पुलिस/नई दिल्ली रेजं को उचित कार्यवाही के लिए भेजा गया और उपायुक्त पुलिस/विशेष प्रकोष्ठ को

धमकी का मूल्यांकन (Threat assessment) हेतू कहा गया था। इस संबंध में एक अंतरिम रिपोर्ट उपराज्यपाल के विशेष कार्य अधिकारी के कार्यालय को दिनांक 22.7.2011 को भेजी गयी थी इस संबंध में उपायुक्त पुलिस/विशेष प्रकोष्ठ से दिनांक 1.8.2011 को एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें यह बताया गया था कि उनकी मूल्यांकन के अनुसार श्री वैद्य को कोई विशेष खतरा नहीं हैं। इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट को उपराज्यपाल के विशेष कार्य अधिकारी दिल्ली को दिनांक 11.08.2011 को भेजी गयी थी। इस संबंध में उपराज्यपाल के विशेष कार्य अधिकारी दिल्ली से दिनांक 6.9.2011 को एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें यह कहा गया था कि मयूर विहार पुलिस विधायक महोदय की मूवमेंट का ध्यान रखें और उचित सुरक्षा प्रदान करें। इस पत्र को उपायुक्त पुलिस पर्वी जिला को उचित कार्यवाही के लिये भेजा गया। इसके जवाब में उपायुक्त पुलिस पूर्वी जिला ने 7.2.2012 के पत्र के द्वारा यह बतलाया कि बीट/पैट्रोलिंग स्टाफ को निर्देश दिये गये है कि वह श्री सुनील कुमार वैद्य व उनके परिवार की शिकायतों से संबंध में उनके संम्पर्क में रहे। यह भी निर्देश दिये गये थे कि एक मोटर साईकिल दिन में तीन बार उनके घर पर दौरा करें।

569. श्री श्याम लाल गर्ग: क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि ज्वालाहेड़ी मार्किट, पश्चिम विहार के निकट रोड़ नं. 30 के दोनों और अवैध रुप से वाहनों की पार्किंग की जा रही है,

(ख) यदि हाँ, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है, और

(ग) संबंधित दोषी अधिकारी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है,

मुख्य मंत्री

(क) ज्वालाहेडी बाजार, पश्चिम विहार एक व्यवसायिक स्थान है जहाँ पर सुबह से शाम तक वाहनों का निरन्तर आना-जाना लगा रहता है। इस मार्किट एरिया से रोड़ नं. 30 पर सड़क के साथ-साथ एक तरफ एमसीडी द्वारा पार्किंग क्षेत्र घोषित है जोंकि ज्वालाहेड़ी मार्किट के लाईट सिग्नल के दोनों तरफ है। इसी प्रकार लाईट सिग्नल से बलबीर सिंह मार्ग पर भी सड़क के एक तरफ पार्किंग एरिया घोषित है। यदि ज्वालाहेड़ी बाजार में आने वाले वाहनों को पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती तो वो सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं। इस तरह के वाहनों के खिलाफ दिल्ली पुलिस निरन्तर कार्यवाही करती रहती है जिसमें मौका पर चालान करना, क्रेन द्वारा गाड़ी उठाना व पार्किंग नोटिस चिपकाना इत्यादि शमिल है।

(ख)व(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

570. श्री सुरेन्द्र पाल सिंहः क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या यह सत्य है कि एक्स-कॉडर अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति विभागाध्यक्ष द्वारा की जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो ग्रेड पे व वेतनमान निर्धारित करने की जिम्मेदारी भी विभागाध्यक्ष की ही होती है; और

(ग) ऐसे कौन-कौन से विभाग है जिनमें एक्स-कॉडर पद के अधिकारी कार्यरत हैं?

मुख्य मंत्री

(क) एक्स-कॉडर अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति सक्षम अधिकारी द्वारा की जाती है।

(ख) जी हाँ।

(ग) शिक्षा निदेशालय, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा, परिवहन, विधि न्याय एवं विधायी मामले, सुचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं सभी अस्पतालों आदि में एक्स-कॉडर पद के अधिकारी नियुक्त होते हैं।

571. श्री सुरेन्द्र पाल सिंहः क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या यह सत्य है कि ग्रेड-1 दास के अधिकारियों के ग्रेड-पे के संबंध में एक कमेटी गठित की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उनके चेयरमैंन व सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि ग्रेड-1 दास के अधिकारियों को कमेटी गठित होने के उपरांत भी सेवा की समय-सीमा पूरी होने पर रुपये 5400/- नहीं दिया जा रहा है, और

(घ) यदि हाँ, तो इसका विवरण क्या हैं?

मुख्य मंत्री

(क)व(ख) जी हाँ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने आदेश संख्या 161 (मिसिल सं. 2/37/2008/S.I/Lit) दिनांक 12.05.2010 द्वारा एक समिति का गठन किया एवं इस समिति का संगठन निम्नलिखित है:-

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	प्रधान सचिव (वित्त)	सदस्य
3.	प्रधान सचिव (सेवाए)	सदस्य
4.	संयुक्त सचिव-I (सेवाए)	सदस्य सचिव

(ग)व(घ) कर्मचारियों के वेतन निर्धारण करने हेतु विभागध्यक्ष सक्षम हैं।

572. श्री ओ.पी.बब्बरः क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या यह सत्य है कि बिल्डिंग की मरम्मत न होने के कारण ट्रेनिंग एवं प्रोडक्शन सेन्टर संतपुरा, अशोक नगर के विद्यार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है,

(ख) क्या उपरोक्त मामला विभाग के पास कार्यवाही के लिए भेजा गया था, और

(ग) क्या यह भी सत्य है कि समाज कल्याण विभाग ने इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, यदि हाँ तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई हैं?

समाज कल्याण मंत्री

(क) जी हाँ। वर्तमान में ट्रेनिंग एवं प्रोडक्शन सेंटर संतपुरा, अशोक नगर में मरम्मत की आवश्यकता है।

(ख) ऑर्गेनाइजर, ट्रेनिंग एवं प्रोडक्शन सेंटर, संतपुरा अशोक नगर ने इस बाबत उप-निर्देशक (पुनर्वास सेवाएँ) को अवगत कराया गया था।

(ग) जी हाँ। उप-निदेशक (पुनर्वास सेवाएँ), समाज कल्याण विभाग द्वारा एक्जीक्यूटी इंजीनियर (पी.डब्ल्यू.डी) को इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतू पत्र व्यवहार किया गया है। एक्जीक्यूटीव इंजीनियर द्वारा कार्य की अनुमानित लागत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

573. श्री कृष्ण त्यागी: क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र संख्या 02 के अंतर्गत किन-किन लोगों को विभिन्न प्रकार की कौन-कौन सी पेंशन मिल रही है,

(ख) विभिन्न प्रकार की पेंशन व सहायता संबंधी क्या-क्या औपचारिकताएँ है,

(ग) क्या यह सत्य है कि पिछले कई महीने से पेंशन नहीं मिल रही है, और

(घ) यदि हाँ, तो कब से पेंशन नहीं मिल रही है और उसके न मिलने के क्या कारण है?

समाज कल्याण मंत्री

(क) बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र संख्या 02 के अंतर्गत लोगों को दी जाने वाली पेंशन का ब्यौरा निम्न प्रकार है-

	योजना का नाम	*लाभार्थी*
1.	वृद्धवस्था पेंशन	
	60 वर्ष से 69	4596
	70 व 70 से अधिक	3502
	कुल लाभार्थी	8099
2.	विकलांग पेंशन	570
3.	विधवा पेंशन	1610

(ख) विभिन्न प्रकार की पेंशन व सहायता संबंधी औपचारिकताएँ निम्न प्रकार है-

(1) वृद्धावस्था पेंशन योजना-समाज कल्याण विभाग वृद्ध व्यक्तियों को 1000/- रुपये (60-69 आयु वर्ग) एवं 1500/-रुपये (70 और उससे अधिक आयु वर्ग) प्रतिमाह की आर्थिक सहायता (पेंशन) प्रदान करता हैं। अनुसमचित जाति/जन जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों को इसके अतिरिक्त रुपये 500/- प्रतिमाह प्रदान किये जायेंगे।

औपचारिकता/पात्रता

- प्रार्थी की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो।
- प्रार्थी को आवेदन करने से पूर्व दिल्ली का कम से कम पाँच वर्ष का निवासी होना आवश्यक है।
- परिवार की वार्षिक आय 60,000/- रु. से अधिक न हो।
- प्रार्थी अन्य किसी संस्था से पेंशन प्राप्त न कर रहा हो।
- प्रार्थना-पत्र के साथ बैंक खाते की प्रतिलिपि, आय एवं आयु प्रमाणित करने हेतु वृद्धावस्था आर्थिक सहायता संषोधित निमायावली, 2009 के अन्तर्गत मान्य कोई एक इस्तावेज संग्लन करना आवश्यक है।
- लाभार्थियों को पेंशन बैंक द्वारा प्रदान की जाती है। लाभार्थी को यह पेंशन राशि भारतीय रिजर्व बैंक के (ECS) माध्यम के द्वारा प्रेषित होती है।

(II) विकलांग पेंशन योजना-यह सहायता 0 से 60 वर्ष के बीच की आयु तक के विकंलाग व्यक्तियों को प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत 1000/- रुपये

प्रतिमाह प्रदान किये जाते हैं, जिसका भुगतान तिमाही आधार पर रिर्जब बैंक के ई.सी.एस. के माध्यम से किया जाता हैं।

औपचारिकता/पात्रता

- प्रार्थी गत पाँच वर्ष से दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- प्रार्थी की विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो।
- परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 75 हजार रुपये से अधिक न हो।
- प्रार्थी अन्य किसी सरकारी/ अर्ध सरकारी व स्थानीय निकाय से किसी प्रकार की पेंशन या अन्य सहायता प्राप्त न कर रहा हो।
- प्रार्थना-पत्र के साथ बैंक खाते की प्रतिलिपि, आय एवं आयु प्रमाणित करने हेतु विषेश जरुरतमद व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता एवं निर्वाह योजना सशोधित निमायावली, 2009 के अन्तर्गत मान्य कोई एक दस्तावेज संग्लन करना आवश्यक है।
- लाभार्थियों को पेंशन बैंक द्वारा प्रदान की जाती है। लाभार्थी को यह पेंशन राशि भारतीय रिजर्व बैंक के (ECS) माध्यम के द्वारा प्रेषित की जाती है।
- यदि मानसिक / मनोरोग विकलांगता है तो राष्ट्रीय न्यास नियमावली के अनुसार विधिक अभिभावक होने का प्रमाण पत्र (केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के मानसिक विकलांगों/मनोरोगियों हेतु)।

(III) **नेशनल फैमिली बेनेफिट स्कीम** :- परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर आश्रितों को 10 हजार रुपये की एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है।

औपचारिकता/पात्रता

- मृतक की आयु 18 से 64 वर्ष।
- वार्षिक आय: 60 हजार रुपये से कम।
- दिल्ली में 5 वर्ष से अधिक का निवासी होना।
- मुखिया के मृत्यु का प्रमाण पत्र।

(iv) **विधवा महिला एवं निराश्रित पेंशन योजना**–इस योजना के अन्तर्गत विधवा महिलाओं एवं निराश्रित महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है। अनुसूचित जाति/जन जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों को इसके अतिरिक्त रुपये 500/- प्रतिमाह प्रदान किये जायेंगे

पात्रता

1. जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र हो।
2. प्रार्थी की वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम हो।
3. प्रार्थना पत्र के साथ राषन कार्ड अथवा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र अथवा आयु निर्धारण के लिए कोई अन्य प्रमाण पत्र संलग्न आवश्यक है।
4. प्रार्थी का बैंक में खाता होना आवश्यक है।
5. लाभार्थियों को पेंशन, भारतीय रिजर्व बैंक के इ.सी.एस. माध्यम से बैंक में प्रेषित की जायेगी।

6. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के उपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रार्थी के द्वारा दिये गये विवरणों की जाँच करायी जाती हैं, व ठीक पाये गये प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(v) विधवा की पुत्रियों के विवाह एवं अनाथ कन्या के विवाह हेतु आर्थिक सहायता-इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह एवं अनाथ कन्या के विवाह हेतु 25,000/- रु. की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति/जन जाति एवं अल्पंसख्यक वर्ग के लाभर्थियों को इसके अतिरिक्त रुपये 5000/- प्रदान किये जायेंगे।

- प्रार्थी की परिवारिक वार्षिक आय 60,000 रुपयें से अधिक न हो,
- प्रार्थी दिल्ली का पाँच वर्ष का निवासी हो,
- यह सहायता दो लड़कियों तक सीमित हैं,
- प्रार्थी के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र,
- प्रार्थी की लड़की की आयु 18 वर्ष से कम न हो।

(ग) जो नहीं। केवल डाक खाने में जाने वाली उन लाभार्थियों की वृद्धावस्था पेंशन, जिन्होंने बैंक खाते नहीं खुलवाये है, अस्थायी रुप से रोकी गयी है। बैक में खाता स्थानान्तरित करने के पश्चात् उनकी पूर्ण बकाया राशि सहित बैंक खातों में प्रेषित कर दी जायेगी।

(घ) उपरोक्त (ग) के अनुसार लागू नहीं होता।

574. श्री मनोज कुमार: क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) समाज कल्याण विभाग द्वारा कौन-कौन योजनाएँ चलाई जा रही हैं, और

(ख) पिछले तीन वर्षो में मुडंका विधानसभा में क्या-क्या योजनाएँ लागू की गई।

समाज कल्याण मंत्री

(क) समाज कल्याण विभाग द्वारा निम्न योजनाएँ चलाई जा रही है-

(1) वृद्धावस्था पेंशन योजना

(2) विंकलांग पेंशन योजना

(3) नेशनल फैमिली बेनफिट स्कीम

(4) निशक्तजनों के पुनवार्स के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

(5) वरिष्ठ नागरिक आवासीय मनोरंजन केन्द्र

(6) वृद्ध व्यक्ति हेतु कल्याण कार्यक्रम

(7) कुष्ठ रोगी पुनर्वास केन्द्र (आरसीएल)

(ख) पिछले तीन वर्षो में मुडंका विधानसभा में निम्न योजनाएँ चलाई जा रही हैं-

1. वृद्धावस्था पेंशन योजना

2. विकलांग पेंशन योजना

3. नेशनल फैमिली बेनेफिट स्कीम।

575. श्री मनोज कुमार: क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या सरकार ने वृद्धावस्था व अन्य पेंशन राशियों में बढ़ोत्तरी की है,

(ख) यदि हाँ, तो समाज कल्याण विभाग द्वारा बढ़ी हुई पेंशन राशि कितनी है,

(ग) क्या सरकार सभी आवेदन कत्ताओं को बढ़ी हुई पेंशन प्रदान करेगी,

(घ) इस समय दिल्ली में कितने पेंशन धारक हैं जिन्हे बढ़ी हुई राशि मिलेगी, और

(ड़) दिल्ली सरकार का इस समय कितनी पेंशन राशि देने का कोटा है, क्या इस राशि को और बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है?

समाज कल्याण मंत्री

(क) जी हाँ।

(ख) वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत केवल 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों की पेंशन राशि माह अक्टूबर 2011 से 1000 रुपयें से बढ़ाकर 1500 रुपये मासिक कर दी गयी है इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/जन जाति/अ.पि. वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जारी मंत्री मंडलीय निर्णय संख्या 1873 दिनांक 03/03/2012 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जन जाति/ अल्पसंख्यक वर्ग के केवल वृद्ध एवं विधवा पेंशनधारियों को अतिरिक्त 500 रुपये प्रतिमाह देने का निर्णय लिया गया है।

(ग) जी नहीं। केवल 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को एवं माह अक्टूबर 2011 से बढ़ी हुई पेंशन राशि दी जा रही है अनुसूचित जाति/जन जाति/ अल्पसंख्यक वर्ग के वृद्ध एवं विधवा पेंशनधारियों हेतु योजना अभी क्रियान्वन की प्रक्रिया में है।

(घ) इस समय दिल्ली में कुल 164161 (70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन) पेंशन धारक है जिन्हें बढ़ी हुई राशि मिल रही हैं। अनुसूचित जाति/जन

जाति/अल्पसंख्यक वर्ग के वृद्ध एवं विधवा पेंशनधारियों के आँकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ड़) वर्तमान में दिल्ली सरकार का कोई पेंशन राशि देने का कोटा निधार्रित नहीं है।

576. श्री वीर सिंह धिंगान: क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि कुष्ठ आश्रम, ताहिरपुर में कुछ कुष्ठ परिवार रहते हैं,

(ख) यदि हाँ, तो कुल कितने कुष्ठ परिवार रहते हैं,

(ग) क्या यह भी सत्य है कि कुष्ठ आश्रम में रहने वाले सभी कुष्ठ पीड़ितों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता (गुजारा भत्ता) दिया जाता है।

(घ) यदि हाँ, तो कुल कितने लोगों को,

(ड़) क्या यह भी सत्य है कि कुछ कुष्ठ पीड़ित लोग आर्थिक सहायता से वंचित हैं,

(च) यदि हाँ, तो इनकी संख्या क्या है व क्या सरकार इनको आर्थिक सहायता दिलाने पर विचार कर रही है, यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो इसका क्या कारण है?

समाज कल्याण मंत्री

(क) जी हाँ।

(ख) 2007 के सर्वेक्षण के अनुसार ऐसे परिवारों की संख्या 1728 है।

(ग)व(घ) दिनांक 31.03.1993 से पहले रह रहे 1125 कुष्ठ पीड़ितों को 1800/- प्रति माह आर्थिक सहायता दी जा रही है।

(ड़)एवं(च) जी हाँ, कट ऑफ डेट को आगे बढ़ाने हेतु समाज कल्याण मंत्री एवं मुख्य सचिव के आदेशानुसार पुनः सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि बजट एसटिमेट का अनुमान लगाया जा सके तथा सहायता से वंचित लोगों को शीघ्र ही लाभान्वित किया जा सके।

577. श्री सुनील कुमार वैद्यः क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या यह सत्य है कि समाज कल्याण विभाग बुजुर्ग एवं विधवा व विकंलाग लोगों को आर्थिक सहायता व मासिक पेंशन देता है;

(ख) उपरोक्त योजनाओं के लिए आवेदन के मापदंड क्या है व ये आर्थिक सहायता व मासिक पेंशन कितनी है व कितने समय में मिलनी शुरु हो जाती है।

(ग) क्या उपरोक्त योजनाओं के लिए आवेदक के घर जाकर जाँच पड़ताल की जाती है, यदि हाँ, तो किन योजनाओं में,

(घ) क्या विभाग की उपरोक्त योजनाओं में राशि बढ़ाने की योजना है यदि हाँ, तो कितनी,

(ड़) विभाग की सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी/ उपलब्ध कराएं और,

(च) त्रिलोक पुरी विधान सभा क्षेत्र में बुजुर्ग, एन.एफ.बी.एस. विकंलाग आदि पेंशन प्राप्त करने वालों की पूरी सूची दें व लंबित व /रद्द मामलों की भी जानकारी दें?

समाज कल्याण मंत्री

(क) जी हाँ।

(ख) पेंशन योजनाओं के मापदंड एवं सहायता राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है।

(I) **वृद्धावस्था पेंशन योजना**-समाज कल्याण विभाग वृद्ध व्यक्तियों को 1000/:रुपयें (60-69 आयु वर्ग) एवं 1500/- रुपये (70 और उससे अधिक आयु वर्ग) प्रतिमाह की आर्थिक सहायता (पेंशन) प्रदान करता हैं। अनुसूचित जाति/जन जाति एवपं अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों को इसके अतिरिक्त रुपये 500/- प्रतिमाह प्रदान किये जायेंगे।

औपचारिकता/पात्रता

- प्रार्थी की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो।
- प्रार्थी को आवेदन करने से पूर्व दिल्ली का कम से कम पाँच वर्ष का निवासी होना आवश्यक है।
- परिवार की वार्षिक आय 60,000/- रु. से अधिक न हो।
- प्रार्थी अन्य किसी संस्था से पेंशन प्राप्त न कर रहा हो।
- प्रार्थना-पत्र के साथ बैंक खाते की प्रतिलिपि, आय एवं आयु प्रमाणित करने हेतु वृद्धावस्था आर्थिक सहायता संशोधित निमायावली, 2009 के अन्तर्गत मान्य कोई एक दस्तावेज संग्लन करना आवश्यक है।
- लाभार्थियों को पेंशन बैंक द्वारा प्रदान की जाती है। लाभार्थी को यह पेंशन राशि भारतीय रिजर्व बैंक के (ECS) माध्यम के द्वारा प्रेषित होती है।

(II) विकलांग पेंशन योजना-यह सहायता 0 से 60 वर्ष के बीच की आयु तक के विकंलाग व्यक्तियों को प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत 1000/- रुपये प्रतिमाह प्रदान किये जाते हैं, जिसका भुगतान तिमाही आधार पर रिर्जब बैंक के ई.सी.एस. के माध्यम से किया जाता हैं।

औपचारिकता/पात्रता

- प्रार्थी गत पाँच वर्ष से दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- प्रार्थी की विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो।
- परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 75 हजार रूपये से अधिक न हो।
- प्रार्थी अन्य किसी सरकारी/ अर्ध सरकारी व स्थानीय निकाय से किसी प्रकार की पेंशन या अन्य सहायता प्राप्त न कर रहा हो।
- प्रार्थना-पत्र के साथ बैंक खाते की प्रतिलिपि, आय एवं आयु प्रमाणित करने हेतु विशेष जरुरतमद व्यक्तियों के लिए बेराजगारी भत्ता एवं निर्वाह योजना संशोधित निमायावली, 2009 के अन्तर्गत मान्य कोई एक दस्तावेज संग्लन करना आवश्यक है।
- लाभार्थियों को पेंशन बैंक द्वारा प्रदान की जाती है। लाभार्थी को यह पेंशन राशि भारतीय रिजर्व बैंक के (ECS) माध्यम के द्वारा प्रेषित की जाती हैं।
- यदि मानसिक/मनोरोग विकलांगता है तो राष्ट्रीय न्यास नियमावली के अनुसार विधिक अभिभावक होने का प्रमाण पत्र (केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के मानसिक विकलांगों/मनोरोगियों हेतु)।

(iii) **विधवा महिला एवं निराश्रित पेंशन योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत विधवा महिलाओं एवं निराश्रित महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है। अनुसूचित जाति/जन जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों को इसके अतिरिक्त रुपये 500/- प्रतिमाह प्रदान किये जायेंगे।

पात्रता

- जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र हो।
- प्रार्थी की वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम हो।
- प्रार्थना पत्र के साथ राषन कार्ड अथवा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र अथवा आयु निर्धारण के लिए कोई अन्य प्रमाण पत्र संलग्न आवश्यक है।
- प्रार्थी का बैंक में खाता होना आवश्यक है।
- लाभार्थियों को पेंशन, भारतीय रिजर्व बैंक के इ.सी.एस. माध्यम से बैंक में प्रेषित की जायेगी।
- प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के उपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रार्थी के द्वारा दिये गये विवरणों की जाँच करायी जाती है व ठीक पाये गये प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् योग्य पाये गये आवेदकों की पेंशन अगले महिने से देय हो जाती है।

(ग) जी नहीं, अधिसूचना संख्या एफ 41(22)/डीएसडब्लू/ एफएएस/स्की सशो/2009-10/2004-14 दिनांक 18-10-11 के अनुसार जाँच की प्रक्रिया को समाप्त किया जा चुका है।

(घ) विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ड़) सभी योजनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है

वृद्धावस्था पेंशन योजना-समाज कल्याण विभाग वृद्ध व्यक्तियों को 1000/- रुपये (60-69 आयु वर्ग) एवं 1500/- रुपये (70 और उससे अधिक आयु वर्ग) प्रतिमाह की आर्थिक सहायता (पेंशन) प्रदान करता है।

विकलांग पेंशन योजना-यह सहायता 0 से 60 वर्ष के बीच की आयु तक के विकंलाग व्यक्तियों को प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत 1000/- रुपये प्रतिमाह प्रदान किये जाते हैं, जिसका भुगतान तिमाही आधार पर रिर्जब बैंक के ई.सी.एस. के माध्यम से किया जाता है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना-इस योजना के अंतर्गत परिवार के मुख्या की मृत्यु पर 10,000/- रु. की एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

वरिष्ठ नागरिक आवासीय मनोरंजन केन्द्र-मनोरंजन केन्द्रों में वृद्धजनों के मनोरंजन के सामान व खेल सामग्री के आलावा स्वास्थ्य कैम्प, पुस्तकालय, योगा, सालाना दो पर्यटन यात्रा हेतु सुविधाएँ भी जाती है। मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना करने का एकमात्र उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उनके खाली समय में तनावमुक्त रहने और समाजिक कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग, वरिष्ठ नागरिक परिषद, रेजिडेंस वेलफेयर एशोसियशन व स्वैच्छिक संस्थाएँ जो केवल वृद्ध-व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, को इन मनोरंजन केन्द्रों को चलाने के लिए अनुदान देता है।

वृद्ध व्यक्ति हेतु कल्याण कार्यक्रम-इसके अन्तर्गत वृद्धजनों हेतु वृद्धाश्रम चलाये जा रहे हैं।

कुष्ठ रोगी पुनर्वास केन्द्र (आरसीएल)-कुष्ठ रोगी पुनर्वास केन्द्र (आरसीएल) के अन्तर्गत उन कुष्ठ पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है

जो दिल्ली में 31/03/1993 को रह रहे थे। उन्हें रुपये 1800/- प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाती है।

नि:शक्तजनों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम-नि:शक्तजनों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत विभाग दिल्ली के विकलांग व्यक्तियों के लिए ''सामान्य विकलांग शिविर'' व ''विशेष विकलांग शिविरों'' का आयोजन करता है, जिनके द्वारा विकलांग व्यक्तियों को विकलांगता पहचान पत्र, एस.डी.एम. के द्वारा प्रमाणित विकलांगता पहचान पत्र तथा विशेष कृत्रिम उपकरण कैम्प दिवस के दिन ही कैम्प स्थल पर वितरित किये जाते हैं।

(च) त्रिलोकपुरी विधान सभा क्षेत्र में बुजुर्ग, एन.एफ.बी.एस. विकंलाग आदि पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थी/लंबित एवं रद्द मामलों का ब्यौरा निम्न प्रकार है-

	कुल लाभार्थी	रद्द	*लंबित*
वृद्धावस्था पेंशन	4230	14	8
विकलांग पेंशन	283	40	0
एन.एफ.बी.एस.	57	38	0

सूची सी.डी. में पुस्तकालय में उपलब्ध है।

578. श्री भरत सिंह: क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) नजफगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पिछले तीन सालों में समाज कल्याण के लिए कितने प्रोजेक्ट लागू किये गये हैं, और कितने प्रोजक्ट लागू किये जाने की योजना है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में कोई वृद्ध आश्रम खोलने की योजना है; और

(ग) यदि हाँ तो कब तक पूरा ब्यौरा दें?

समाज कल्याण मंत्री

(क) नजफगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2009 से वरिष्ठ नागरिकों हेतु दो मनोरंजन केन्द्र हेतु अनुदान राशि प्रदान की जा रही है।

1. सुहाना सवेरा 2/291; फेज-4; कश्मीरी कालोनी; नजफगढ़ दिल्ली-43

2. आयुधाम सोसायटी, गांव-रेवल खानपुर; जाटीकार मार्ग पो.-पन्डावला कालन नजफगढ़ दिल्ली-43. लेकिन वर्ष 2011-12 के निरिक्षण रिपोर्ट के आधार पर द्वितीय किश्त की अनुदान राशि प्रदान नहीं की गयी है।

(ख)व(ग) क्षेत्रीय विधायक के द्वारा नजफगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वृद्धा आश्रम खोलने का प्रस्ताव समाज कल्याण मंत्री की एक मिटिंग में रखा गया था। निर्देशानुसार विभाग के अधिकारियों ने माननीय विधायक के द्वारा बताये गये विभिन्न भुखण्डों का निरिक्षण किया। वृद्धा आश्रम के लिए उपयुक्त भुखण्ड पर निर्णय होने पर, वृद्धा आश्रम खोलने पर विचार किया जायेगा।

579. श्री ओ.पी बब्बर: क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में रहने वाले लाखों विद्यार्थियों को दूसरे राज्यों में दाखिला लेना पड़ता है, क्योंकि उन्हें दिल्ली मे दाखिला नहीं मिल पाता।

(ख) उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा सरकारी तथा गैर-सरकारी स्कूलों की प्रात:कालीन एवं सांयकालीन पाली में पाठयक्रम शुरु करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि दिल्ली के छात्रों को दाखिला मिल सके, और

(ग) क्या इन स्कूलों में कुछ औपचारिकाएँ पूरी करके बी.एड, बी.बी.ए, बी.सी.ए. लॉ एवं बी.जे.एम.सी. इत्यादि पाठयक्रम प्रारंभ किए जा सकते हैं।

समाज कल्याण मंत्री

(क) जी नहीं।

(ख)व(ग) इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली से संबंद्व स्व-पोषित शिक्षण संस्थानों में स्कूलों की सायंकालीन पाली में बी.एड पाठयक्रम शुरु करने के लिए प्रावधान है। बी.एड पाठयक्रम को उन्हीं स्कूल भवनों में चलाने की अनुमति दी जाती है जो कम से कम ढाई एकड़ की जमीन में बनाए गए हो, यह जमीन एम.पी.डी 2021 के अनुसार कनफर्मिंग क्षेत्र में आती हो और उनके पास सांविधिक संस्थाओं से मान्यता/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो।

580. श्री श्यामलाल गर्ग: क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) आगामी एक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कितने कॉलेज खोलने की योजना है,

(ख) प्रत्येक कॉलेज अनुसार इस संबंध में क्या प्रगति हुई है,

(ग) नया कॉलेज खोलने कि लिए किन-किन मापदंडो को पूरा करना पड़ता है, और

(घ) नया कॉलेज खोलने कि लिए सरकार आगामी वर्ष के दौरान कितना बजट उपलब्ध करवाएगी।

समाज कल्याण मंत्री

(क) दिल्ली सरकार द्वारा वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ख)(ग)व(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

581. श्री कृष्ण त्यागी: क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र में भागीदारी द्वारा कितनी अनाधिकृत कालोनियों में साईन बोर्ड लगवाये गये हैं और कितनी कालोनियों में अभी लगाने शेष है,

(ख) इन बोर्डो को लगाने में आर. डब्लयू.ए. की क्या भूमिका है, और

(ग) उक्त कालोनियों में साइन बोर्ड लगवाने के लिये क्या नियम हैं तथा आवेदन करने के कितने समय सीमा के अंदर ये लगा दिये जाते हैं?

मुख्य मंत्री

(क) भागीदारी योजना के अंतर्गत ''मेरी दिल्ली में ही संवारु'' निधि द्वारा बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र में लगाये गये साइन बोर्डो का विवरण संलग्नक 'क' पर है। इसके साथ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कालोनियों में नियमित तौर पर साईन बोर्ड लगवाने का कार्य नगर निगम द्वारा किया जाता है। इसके अलावा भागीदारी से जुड़े नागरिक समूह स्वैच्छिक रूप से अपनी कालोनियों से साईन बोर्ड लगवाने हेतु आवेदन संबंधित एस.डी.एम के कार्यालय में दे सकते हैं। इस कार्य हेतु निधि ''मेरी दिल्ली मैं ही संवारु'' के अंतर्गत निर्गत की जाती है।

(ख)और(ग) भागीदारी से जुड़ी आर.डबल्यू.ए. एवं अन्य नागरिक समूह साईन बोर्ड लगवाने हेतु क्षेत्रीय एस.डी.एम. की अध्यक्षता में बनी कोर कमेटी के पास अपना अनुरोध/आवेदन जमा करवाते हैं। क्षेत्रीय कोर कमेटी उचित प्रस्तावों को अनुमोदन हेतु क्षेत्रीय उपायुक्त (राजस्व) के पास भेजती हैं जो कि उनको स्वीकृति प्रदान करते हैं। उसके बाद यह साधरणतय: उसी वित्तीय वर्ष के अंदर लगा दिये जाते हैं।

संलग्नक-''क''

भागीदारी योजना के अर्न्तगत ''मेरी दिल्ली मैं ही सँवारु'' योजना के बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में लगाए गये साइन बोर्डों का विवरण

वर्ष 2008-09

	कालोनी का नाम	बोर्डों की संख्या
1.	आर डब्ल्यु ए. युवा समिति	55

वर्ष 2010-11

1.	आर डब्ल्यु ए गाँव जगतपुर	28
2.	आर डब्ल्यु ए उपकार कॉलोनी, बुराड़ी	17
3.	कौशिक एन्क्लव, बुराड़ी	84
4.	केसर नगर जन कल्याण समिति, बुराड़ी	92

वर्ष 2011-12

1.	हरित विहार रेजीडेन्टस वेलफेयर एसोसिएशन (रजि.)	37
2.	शास्त्री पार्क वेलफेयर एसोसिएशन	23
3.	नत्थु पुरा विकास समिति (रजि.)	24
4.	सन्त नगर वेलफेयर एसोसिएशन	43
5.	प्रेम नगर रैजिडेनशियल वेलफेयर एसोसिएशन (रजि.)	22
	कुल	**335**

582. कुलवन्त राणाः क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में चल रही रेजिडेण्ट वैलफेयर एसोसिएशन को भागीदारी योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की गई है,

(ख) यदि हाँ तो रिठाला विधान सभा क्षेत्र में ऐसी एसोसिएशनों की कुल संख्या कितनी है, उनका पूरा विवरण, पता तथा दूरभाष संख्या सहित सूची मुहैया करवाई जाए,

(ग) क्या सरकार इनको चलाने में कोई आर्थिक सहायता भी दे रही है, यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

मुख्य मंत्री

(क) जी हाँ, आर. डबल्यू. ए. या नागरिक समूह स्वैच्छिक रुप से भागीदारी में शामिल हो सकते हैं।

(ख) रिठाला विधान सभा क्षेत्र में ऐसी एसोसिएशनों की कुल संख्या 14 हैं, इनकी विवरण सहित सूची सलंग्न है।

(ग) जी नहीं।

(घ)(क) भागीदारी योजना के अंतर्गत आर्थिक मदद ''मेरी दिल्ली मैं ही संवारु'' निधि के अंतर्गत क्षेत्र में विकास कार्यो हेतु दी जाती है न कि संस्था विशेष को चलाने के लिये।

(ख) आर डब्ल्यू ए सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत नागरिकों द्वारा स्वैच्छिक रुप

से गठित संख्या है, इसलिये इनके सुचारु संचालन की जिम्मेदारी इसको गठित करने वाले सदस्यों की है।

583. श्री मनोज कुमार: क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य ही कि वर्ष 2008 से 2011 तक दिल्ली में कुछ उच्च शिक्षण संस्थान बनाए गए है।

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन स्थानों पर उच्च शिक्षा संस्थान बनाए गए है,

(ग) क्या यह भी सत्य है कि उत्तरी दिल्ली में भी उच्च शिक्षा संस्थान बनाए गए है

(घ) यदि हाँ, तो यो संस्थान किन-किन स्थानों पर बनाए गए हैं,

(ड़) क्या यह भी सत्य है कि मुंडका विधान सभा क्षेत्र में उच्च शिक्षण संस्थान की नितांत आवश्यकता है,

(च) यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा मुंडका विधानसभा क्षेत्र में किसी भी स्थान पर उक्त संस्थान बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, और

(छ) यदि हाँ, तो कब तक, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है।

मुख्य मंत्री

(क) जी हाँ।

(ख) 1. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सेक्टर 14, द्वारका, नयी दिल्ली-110075.

2. भारत रत्न डा. बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी सेक्टर 9, द्वारका. नयी दिल्ली-110075.

3. इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी, तीसरी मंजिल, पुस्तकालय भवन, एन.एस.आई.टी. कैम्पस, सेक्टर 3, द्वारका, नयी दिल्ली-110078.

4. दिल्ली टेकनोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, बवाना रोड, शाहाबाद दौलतपुर, दिल्ली,

(ग) जी नहीं।

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(ड़)(च)व(छ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

584. श्री साहिब सिंह चौहानः क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) दिल्ली में विभिन्न प्रकार की शराब की बिक्री के आउटलेट, दुकानें आदि के लिये किस किस श्रेणी के कितने कितने लाइसेन्स किन-2 व्यक्तियों/एजेन्सीज को कब-कब जारी किये गये हैं तथा कब तक के लिये वैद्य है;

(ख) शराब की नीति क्या है तथा शराब के नये लाइसेन्स देने के लिये नीति क्या-क्या औपचारिकताएँ;

(ग) पिछले पाँच वर्षो में 31 मार्च 2012 तक प्रत्येक वर्ष के अनुसार शराब की बिक्री से कितना राजस्व घाटा हुआ है;

(घ) क्या यह सत्य है कि एक ही वर्तमान शराब की दुकान में दूसरे ब्रांड के शराब की बिक्री के लाइसेन्स दिये गये हैं;

(ड़) यदि हाँ, तो क्या यह नीतिगत एवं न्यायसंग हैं और कहाँ-कहाँ दिये गये हैं;

(च) क्या यह सत्य है कि घोंडा विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत एम.बी. रोड़, पुस्ता रोड़ के साथ-साथ बहुत नज़दीक स्कूलों की समीपता की चिन किये बिना कई शराब की दुकाने चल रही हैं;

(छ) उक्त शराब की दुकानों को जनहित में कैसे यहाँ से कहीं और स्थानान्तरित किया जा सकता है, तथा इन्हें हटाया जा सकता है;

(ज) क्या यह सत्य है कि दूसरा पुस्ता उस्मान पुर, चौथा पुस्ता व साढ़े चार पुस्ता गामड़ी व ए ब्लॉक भजन पुरा में वर्तमान में स्थित शराब की दुकानों के कारण आस पास के लोगों की जिन्दगीं नरक बनी हुयी है; और

(झ) क्या यह सत्य है कि उक्त दुकानों के आप-पास गैर कानूनी तरीके से अवैध रुप से शराब की पिलाने की व्यवस्था कर रखी है उसके लिये विभाग नियन्त्रण करने के लिए क्या कार्यवाही करेगी।

मुख्य मंत्री

(क) विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की शराब की बिक्री के आउटलेट दुकाने आदि के लिये एल-7, एल-8, एल-10 और एल-12 लाइसेन्स दिये गये हैं जिनकी सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है। इनका प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जाता है।

(ख) नीति की प्रतिलिपि पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) राजस्व का घाटा नहीं बल्कि बढ़ोतरी हुई है, वर्षवार ब्यौरा सूची पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(घ) जी हाँ।

(ड़) जी हाँ यह दिल्ली आबकारी अधिनियम एवं नियम के तहत दिये जाते हैं जिनकी सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(च) जी नहीं, शराब की दुकानें दिल्ली आबकारी अधिनियम एवं नियम के अनुसार खोली जाती हैं।

(छ) विभाग का अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं हैं।

(ज) ऐसी कोई सूचना विभाग के पास नहीं हैं।

(झ) ऐसी कोई सूचना विभाग के पास नहीं है, किन्तु यदि कोई शिकायत आती है तो विभाग द्वारा विवेचना के पश्चात् उस पर उचित कानूनी कार्यवाही की जाती हैं।

585. श्री मालाराम गंगवाल : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है, कि सरकार ने पोलीथीन बैग पर प्रतिबंध लगा रखा है,

(ख) क्या यह भी सत्य है कि प्रतिबंध के बावजूद पोलीथीन बैग बन रहे हैं और बाजार में प्रयोग किए जा रहे हैं,

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने अब तक कितनी फैक्टरी सील की, कितने चालान किए जिससे इनका प्रयोग बंद हो सके, और

(घ) यदि नहीं, तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कारवाई करेंगी?

मुख्य मंत्री

(क) अधिसूचना संख्या 08(86)/ईए/पर्या/2008/9473 दिनांक 07-01-2009 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निम्नलिखित स्थानों के संबंध में समस्त प्रकार की प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग, बिक्री एवं भंडारण पर प्रतिबंध है;

क. पंचतारा एवं चारतारा होटल

ख. 100 अथवा इससे अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल, जैव चिकित्सा अवशिष्ट (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 1998 के अधीन यथानिर्धारित प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग को छोड़कर।

ग. समस्त रेस्टोरेंट तथा भोजनालय जिसमें 50 से अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता हो।

घ. मदर डेरी की समस्त फल एवं सब्जी दुकानें।

ड़. समस्त शराब की दुकानें।

च. समस्त शॉपिंग मॉल।

छ. मुख्य बाजारों तथा स्थानीय खरीद्दारी केन्द्रों की समस्त दुकानें।

ज. ब्रांडिड दुकानों की समस्त खुदरा एवं थोक दुकानें जो फल एवं सब्जियों सहित विभिन्न उपभोक्ता उत्पाद बेचते हैं।

उपरोक्त स्थानों तथा माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा अनुपालित के अतिरिक्त स्थानों में केवल जैव अवक्रमित प्लास्टिक की थैलियाँ ही प्रयुक्त की जा सकती हैं।

(ख) प्लास्टिक बैग के उत्पादन पर कोई भी रोक प्रतिबंध दिल्ली में लागू नहीं हैं।

(ग)एवं(घ) पोलीथीन बैग बनाने वाली कोई भी औद्योगिक इकाई अधिसूचना संख्या 08(86)/ईए/एया/2008/9473 दिनांक 07-01-2009 के अन्तर्गत बंद नहीं की गई हैं क्योंकि इस हेतु अधिसूचना में कोई प्रावधान नहीं है।

परन्तु अधिसूचना के प्रावधानों के अनुरुप प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल को रोकने हेतु 250 मुकदमें सक्षम न्यायालय के समक्ष दायर किए गए हैं जिस हेतु नमूने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति एवं अन्य विभागों द्वारा लिए गए हैं।

586. श्री सुनील कुमार वैद्य : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या यह सत्य है कि पर्यावरण विभाग, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवन के संरक्षण के लिए कार्य करता है;

(ख) यदि हाँ, तो त्रिलोक पुरी विधान सभा क्षेत्र व वन क्षेत्र कहाँ पर एवं कितना है इसकी जानकारी अधिकारियों के नाम व सम्पर्क सूत्र सहित उपलब्ध करवाएँ;

(ग) मानव जीवन के लिए खतरा होने पर पेड़ को कटवाने या स्थानांतरित करवाने की प्रक्रिया के बारे में बताएँ व संबंधित अधिकारियों की भी जानकारी दें; और

(घ) दिल्ली सरकार द्वारा पार्को में वृक्षारोपण व हरित क्षेत्र संरक्षण कैसे हो सकता है संबंधित विभाग के अधिकारी की सूची सम्पर्क सूत्र के साथ उपलब्ध करवांए?

मुख्य मंत्री

(क) जी हाँ, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवन के संरक्षण के लिए कार्य करता हैं।

(ख) सामान्य हरित क्षेत्र 23 एकड़ भू-भाग में स्थित हिंडन कट क्षेत्र का रखरखाव वन विभाग के अधीन है। क्षेत्र वन अधिकारियों की जानकारी निम्न हैं:-

1. श्री सहदेव सिंह, उप वन राजीक, आनन्द विहार

2. श्री निशीथ सक्सैना, उप वन संरक्षक/वृक्ष अधिकारी, कमला नेहरु रिज, दिल्ली-07.

(ग)एवं(घ) वन विभाग, दिल्ली के उप वन संरक्षक/वृक्ष अधिकारी, दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के तहत् वृक्षों के सरक्षण का कार्य करते हैं एवम् वन क्षेत्रों के संरक्षण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करते हैं।

मानव जीवन के लिए खतरा होने पर पेड़ को काटने या स्थानांतरित करवाने की प्रक्रिया को भू-स्वामी स्वयम कर सकते हैं, परन्तु इसकी सूचना 24 घंटे के अंदर सैंक्शन 8 दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के तहत वृक्ष अधिकारी का आवश्यक दस्तावेजों के साथ देनी अनिवार्य हैं।

वृक्ष अधिकारियों के नाम व सम्पर्क सूत्र निम्नलिखित है:-

1. उप वन संरक्षक/वृक्ष अधिकारी, उत्तरी वन प्रभाग, कमला नेहरु रिज, दिल्ली-07 दूरभाष क्रमांक-23853561

2. उप वन संरक्षक/वृक्ष अधिकारी, पश्चिम वन प्रभाग, मन्दिर मार्ग लेन, नई दिल्ली-01, दूरभाष क्रमांक-23361879

3. उपवन संरक्षण/वृक्ष अधिकारी, दक्षिण वन प्रभाग, तुगलकाबाद, दिल्ली-44, दूरभाष क्रमांक-26044711.

दिल्ली पार्क्स एवं गार्डन्स सोसाईटी (डी.पी.जी.एस.) द्वारा पार्को के रख-रखाव एंव वृक्षारोपण हेतु संबंधित आर.डब्ल्यू.ए. को वित्तीय सहायता दी जाती है।

दिल्ली पार्क्स एवं गार्डन्स सोसाईटी के संपर्क अधिकारी व सम्पर्क सूत्र निम्नलिखित है:-

1. डॉ. एस.डी. सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डी.पी.जी.एस., दूरभाष क्रमांक -011-23392736.
2. श्री राधेश्याम, रेंज ऑफिसर, डी.पी.जी.एस., दूरभाष क्रमांक-011-23392736.

587. श्री मोहन सिंह बिष्ट : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली कॉलोनी अंकुर एन्कलेव, कम विहार, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, पश्चिमी करावल नगर, तकीमपुर, विहारीपुर और दयालपुर में जिन्स रंगाई की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं।

(ख) यदि हाँ तो उक्त विधान सभा के अन्तर्गत आने वाली उपरोक्त कॉलोनियों में तेजाब का पानी नालियों में बहता है; और

(ग) यदि हाँ तो जल प्रदूषण की इस प्रकार की फैक्ट्रियों के खिलाफ विभाग क्या कार्रवाई करने जा रहा हैं तथा कब तक इन फैक्ट्रियों को बन्द कर दिया जाएगा,

मुख्य मंत्री

(क, ख एवं ग) करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली कॉलोनी अंकुर एन्कलेव, कमल विहार, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, पश्चिमी करावल नगर, तकीमपुर, विहारीपुर और दयालपुर में जिन्स रंगाई की चल रही फैक्ट्रियों का कोई सर्वे दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा नहीं कराया गया है।

यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 07.05.2004 के निर्देशानुसार सभी औद्योगिक ईकाईयाँ जो कि दिल्ली मास्टर प्लान का उल्लघंन करते हुए दिल्ली के रिहायशी अनाधिकृत क्षेत्रों में आती हैं उन्हें बंद/स्थानांतरित करना हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर अमल करते हुए दिल्ली के रिहायशी/अनाधिकृत क्षेत्रों में चल रही अवैध ईकाईयों के विरुद्ध दिल्ली नगर निगम व दिल्ली विकास प्राधिकारण अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यवाही करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आवसीय क्षेत्रों में चल रहें कारखाने जो कि दिल्ली मास्टर प्लान के अनुरुप नहीं हैं, उन्हें चलाने की अनुमति नहीं हैं।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति निम्नलिखित श्रेणियों में प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेता हैं जो ईकाईयों रिहायशी/अनाधिकृत क्षेत्रों में आती है:-

1. दिल्ली मास्टर प्लान 2001 के अनुसार रुप में एच श्रेणी ईकाइयाँ
2. एफ-27 श्रेणी की ईकाईयाँ
3. एफ-33 श्रेणी की ईकाईयाँ
4. निषिद्ध/नकारात्मक सूची में दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अनुसार आने वाली ईकाईयाँ

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति विशिष्ट ईकाईयों के खिलाफ कार्यावाही करता है जिनकी शिकायत डी.पी.सी.सी. में प्राप्त होती है। विशिष्ट ईकाईयों के खिलाफ शिकायतों की प्रारम्भिक जाँच के आधार पर ऊपर से कोई भी चार श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाली ईकाईयों के खिलाफ निरीक्षण किया जाता है तथा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ऐसी ईकाईयों को तत्काल बन्द कराने हेतु सम्बन्धित उप-आयुक्त (राजस्व) को भेजता है।

588. श्री मोहन सिंह बिष्ट : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गाँव एवं विस्तार में अनेक जगहों पर प्रदूषण फैलाने वाले फैक्ट्रियाँ चल रही है,

(ख) यदि हाँ तो इसका सर्वे कब-कब किया गया,

(ग) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बन्द कर दिया था,

(घ) यदि हाँ, तो करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गाँव तथा इनके विस्तार में इन फैक्ट्रियों को कब तक बन्द या स्थानांतरित कर दिया जाएगा, और

(ड़) कृपया समय सीमा बताने का कष्ट करें?

मुख्य मंत्री

(क एवं ख) करावाल नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गाँव एवं विस्तार में प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों का कोई सर्वे दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा नहीं कराया गया हैं।

(ग,घ एवं ड़) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 07.05.2004 के निर्देशानुसार सभी औद्योगिक ईकाईयाँ जो कि दिल्ली मास्टर प्लान का उल्लघंन करते हुए दिल्ली के रिहायशी अनाधिकृत क्षेत्रों में आती हैं उन्हें बंद/स्थानांतरित करना हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर अमल करते हुए दिल्ली के रिहायशी/ अनाधिकृत क्षेत्रों में चल रही अवैध ईकाईयों के विरुद्ध दिल्ली नगर निगम व दिल्ली विकास प्राधिकारण अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यवाही करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के

आदेशानुसार आवसीय क्षेत्रों में चल रहें कारखाने जो कि दिल्ली मास्टर प्लान के अनुरुप नहीं हैं, उन्हें चलाने की अनुमति नहीं हैं।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति निम्नलिखित श्रेणियों में प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेता हैं जो ईकाईयों रिहायशी/अनाधिकृत क्षेत्रों में आती है:-

1. दिल्ली मास्टर प्लान 2001 के अनुसार रुप में एच श्रेणी ईकाइयाँ
2. एफ-27 श्रेणी की ईकाईयाँ
3. एफ-33 श्रेणी की ईकाईयाँ
4. निषिद्ध/नकारात्मक सूची में दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अनुसार आने वाली ईकाईयाँ

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति विशिष्ट ईकाईयों के खिलाफ कार्यावाही करता है जिनकी शिकायत डी.पी.सी.सी. में प्राप्त होती है। विशिष्ट ईकाईयों के खिलाफ शिकायतों की प्रारम्भिक जाँच के आधार पर ऊपर से कोई भी चार श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाली ईकाईयों के खिलाफ निरीक्षण किया जाता है तथा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ऐसी ईकाईयों को तत्काल बन्द कराने हेतु सम्बन्धित उप-आयुक्त (राजस्व) को भेजता हैं।

अध्यक्ष महादेय: क्वेश्चन अवर समाप्त।

श्री नसीब सिंह: बुजुर्ग तो नहीं जा पाएगा ना?

समाज कल्याण मंत्री: अध्यक्ष जी, आपके पर्टिक्युलर केस को.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः खत्म हो गया टाइम। देखिये, कार्य की आधिक्य की वजह से हम 280 को आज पढ़ा हुआ माना चाहते थे लेकिन हमारे कुछ साथी नहीं मान रहे हैं। मैं यह आग्रह करना चाहूँगा कि जो-जो भी बोलें वो टेक्स्ट को पढ़ दे जिससे जल्दी से जल्दी खत्म हो जाये और जिनके नाम आए हैं उन सब को समय मिल जाये। अब सबसे पहले श्री रमेश बिधूड़ी जी।

स्वास्थ्य मंत्रीः सर, एक स्टेटमेंट देना था छोटा सा।

मंत्री का वक्तव्य

स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

अध्यक्ष महोदयः डॉ. वालिया जी, कुछ कहना चाहते हैं। एक मिनट, बैठ जाइये।

Minister of Health (Dr. A.K. Walia): Honourable Speaker, Sir, with your in permission, I would like to inform the honourale Members of the House about the provisions of medical facilities being extended to the accredited journalists of the Government of NCT of Delhi by the Government.

The Government of NCT of Delhi has been providing medical facilities to all the accredited journalists of the Government of NCT of Delhi as per the provisions of 'The Delhi Press Reporters Medical Aid Rules, 1995'. Under these rules, the a accredited journalists, their family members and the dependent children are provided health facilities in the hospitals run by Government or MCD of Delhi including the dispensaries run by the Delhi Government and MCD of Delhi and they are entitled to take the treatment

at par with group 'A' Class-1 Gazetted Officers of Delhi Government. The Government has modified the rules vide notfication dated 15.11.2011 for futher benifit to the accredited journalists by extending them medical facilities also to the emergency treatment taken in the recognized empanelled private hospitals of Government of NCT of Delhi.

It is further clarified that the Government of NCT of Delhi has not withdrawn any medical facility which has been extended to the accredited journalists. Rather, this Government has further liberalized scope by giving them the facility of emergent treatment from the recognized/empanelled private hospitals. Thank you, Sir.

अध्यक्ष महोदयः श्री रमेश विधूड़ी जी।

विशेष उल्लेख

श्री सतप्रकाश राणाः अध्यक्ष जी, आज सदन का आखिरी दिन है, पिछले सात दिन से मैं लगातार पानी का मुद्दा उठा रहा हूँ, मेरे क्षेत्र में पानी बहुत बुरी पानी की हालत है .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिये, पहले 280 होने दीजिए। राणा जी, बैठिये।

श्री सतप्रकाश राणाः अध्यक्ष जी, कोई सुनता नहीं है, हमारी मुख्यमंत्री जी सुन नहीं रही है, हमारे क्षेत्र में बहुत बुरी हालत है.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः राणा साहब, बैठिये। प्लीज, प्लीज बैठिये।

श्री सतप्रकाश राणाः अध्यक्ष जी, मैं आज बैठूंगा नहीं, आप जवाब दिलवाइये।

अध्यक्ष महोदयः प्लीज बैठिये। 280 को होने दीजिए.....(व्यवधान)

श्री सतप्रकाश राणाः अध्यक्ष जी, बहुत बुरी हालत है, लोगों ने कपड़े फाड़ लिए हैं, मेरे कार्यालय के ऊपर धरना कर दिया, मेरे कार्यालय में तोड़-फोड़ कर दी, लोग ऑफिस में बैठने नहीं दे रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करुं अध्यक्ष जी.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः तो यहाँ भी वहीं हालत चाहते हैं क्या आप?

(माननीय सदस्य श्री सतप्रकाश राणा वैल में आए)

श्री सतप्रकाश राणाः अध्यक्ष जी, मैं यह नहीं चाहता। लेकिन.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः वैल में क्यों आ गए आप। आप वहाँ जाइये.....(व्यवधान)

श्री सतप्रकाश राणाः अध्यक्ष जी, मैं कहाँ जाऊँ.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अपनी सीट पर जाइये और कहाँ जायेंगे। आप सीट पर जाइये ना।

श्री सतप्रकाश राणाः अध्यक्ष जी, जवाब दिलवाइये.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप सीट पर जाइये। क्या जवाब दिलवाऊँ, अभी तो कोई बात ही नहीं हुई हैं।

श्री सतप्रकाश राणाः अध्यक्ष जी, हम कहाँ जाये.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप बाहर जाना चाहते हैं क्या? वैसे ही चले जाइये, खुद ही चले जाइये।

श्री सतप्रकाश राणाः अध्यक्ष जी, आप कह रहे हैं बाहर चला जाऊँ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः खुद ही चले जाइये ना, वैल में मत आइये आप। उधर जाइये।

श्री धर्मदेव सोलंकीः अध्यक्ष जी, यह सही बात है कि हमारे यहाँ चौदह साल से एक बूंद पानी।

.....अंतरबाधाएँ.....

अध्यक्ष महोदयः राणा जी, पहले 280 होने दीजिए प्लीज। बैठ जाइये, अच्छा रहेगा। मैंने शुरु कर दिया था, आप बीच में खड़े हो गये। आप बैठ जाइये।

श्री सतप्रकाश राणाः अध्यक्ष जी, आप.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप बैठ जाइये।

श्री सतप्रकाश राणाः अध्यक्ष जी, मैं बैठ जाऊँगा, बैठा ही हूँ सात दिन से, बता रहा हूँ मैं आपको.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठिये आप।

श्री सतप्रकाश राणाः अध्यक्ष जी, हम बैठ तो जायेंगे। कहाँ जाये.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठ जाइये।

श्री सतप्रकाश राणाः अध्यक्ष जी, कुछ तो आप समाधान कीजिए, यह समाधान हो सकता है, इससे शायद कुछ हो सकता है.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप बैठ जाइये। मैं उधर भी कहूंगा। आप बैठ जाइये।

अध्यक्ष महोदयः रमेश जी।

श्री शोएब इकबालः अध्यक्ष महोदय.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः शोएब साहब, बैठिये। बीच में नहीं, प्लीज।

श्री शोएब इकबालः अध्यक्ष महोदय, मैंने 280 में दिया हुआ था.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः दिया हुआ था, तो बोल दीजिएगा ना जब नम्बर आएगा आपका।

श्री रमेश बिधूड़ीः आदरणीय अध्यक्ष जी.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आपने दिया नहीं है।

श्री शोएब इकबालः सर, दिया हुआ है।

अध्यक्ष महोदयः दिया हुआ है, इसमें तो नहीं है। बेलेटिंग में आया नहीं है, आप बैठिये देखते हैं टाइम मिला तो आपको बुलवायेंगे। रमेश बिधूड़ी जी।

श्री रमेश बिघूड़ीः थैंक यू अध्यक्ष जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान दिल्ली में पानी की कमी से मच रहे हाहाकार की और दिलाना चाहता हूँ। दिल्ली में रह रहे करीब एक करोड़ 67 लाख की आबादी के लिए सभी स्त्रोतों से 840 एमजीड़ी पानी की आपूर्ति बताई गई हैं और वो प्रोडक्शन दिल्ली में दिखाई गई है। जबकि दिल्ली में अरबन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की गाइडलांईस के अनुसार 150 लीटर पानी एक व्यक्ति को चाहिए यूज करने के लिए। उसके लिए केवल दिल्ली में 480 एमजीडी पानी अगर मिल जाये, तो दिल्ली में पानी का हाहाकार न रहे जबकि प्रोडक्शन 840 दिखाया गया है। अध्यक्ष जी, LD&I डिविजन जो Leakage, Detection and Investigation Agency ने

तीन पत्र होनरेबल चीफ मिनिस्टर और सीईओ को लिखे हैं। उन्होंने कहा है कि हम मौके पर विजिट करके यह चैक करके बता सकते हैं कि दिल्ली के अंदर जो सोनिया विहार का पानी बनता है उसकी प्रोडक्शन 140 एमजीडी की है। जबकि सही मायने में उसकी 140 एमजीडी प्रोडक्शन नहीं हो रही हैं। साउथ दिल्ली की आबादी 27 लाख है, साउथ दिल्ली की 27 लाख की आबादी के लिए 90 एमजीडी पानी चाहिए जबकि वहाँ से सोनिया विहार ट्रीटमेंट प्लांट से साउथ दिल्ली को केवल 60 एमजीडी पानी की आपूर्ति हो रही हैं। सोनिया विहार प्लांट की कैपेसिटी 140 है, उसकी क्षमता के अनुसार वो दिखा रहा है लेकिन सही मायने में प्रोडक्शन हो नहीं रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित है दक्षिणी दिल्ली को जो 90 एमजीडी पानी नहीं मिल रहा है तो वो बताये कि बाकी पानी कहाँ जा रहा है या सरकार जो उसकी उत्पादन क्षमता बता रही है 140 एमजीडी उत्पादन कर रहा हैं, कहीं न कहीं दाल में काला नज़र आता है। उस डेग्रामाउंट कम्पनी के साथ में कहीं मिली-भगत है सरकार की। इसलिए सर, जो तीन बार संयुक्त निरीक्षण के लिए कहा गया कि सरकार, मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ, सर, कि ऐसा निरीक्षण क्यों नहीं कराना चाहती।

अध्यक्ष जी, मालवीय नगर में LD&I डिविजन की रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति 303 लीटर पानी सप्लाई किया जा रहा है। फालतू पानी सप्लाई किया जा रहा हैं, सर, जबकि शहरी विकास मंत्रालय की गाइडलाइन, मैं फिर दोहरा रहा हूँ सर, कि 150 लीटर पानी प्रति व्यक्ति पर्याप्त है। मालवीय नगर की आबादी लगभग सवा दो लाख हैं, सवा दो लाख की आबादी के लिए वहाँ 303 लीटर पानी एक व्यक्ति के लिए जा रहा हैं, बाकी क्षेत्र में यदि वो पानी काटकर या अगर सप्लाई ठीक की जाए, तो बाकी के दो लाख लोगों को उसकी आपूर्ति की प्राप्ति हो सकती है। सर, इसमें कहीं न कहीं सरकार की बदनियति दिखती हैं। 2006 सरकार ने बोरों पर बैन लगा दिया था। सरकार बोरों पर बैन दिखा कर

कि सोनिया विहार का पानी आ रहा हैं कहीं न कहीं गोलमाल करना चाहती है कि हमने बोर बैन कर दिए हैं। सरकार रिबोर कर नहीं रही है और सोनिया विहार पूरा पानी दे नहीं रहा है। इसलिए सर कागज़ों में कहीं न कहीं बोरों को बंद दिखा कर और जनता को प्यासा मरने के लिए छोड़ा जा रहा है। सर, सरकार ने जो सोनिया विहार से पानी, कंपनी के साथ कहीं न कहीं दाल में काला नज़र आता है, इसके लिए आम जनता, सरकार की भ्रष्टाचार के कारण बूंद-बूंद पानी को तरस रही हैं। अध्यक्ष जी, आप स्वयं हस्तक्षेप करें जिससे हो रही पानी की कालाबाजारी को रोका जा सके तथा उक्त भ्रष्टाचार के कारण उस कंपनी के साथ सरकार की साठ-गांठ से दिल्ली की जनता को निजात मिलें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री साहब सिंह चौहान।

श्री साहब सिंह चौहानः अध्यक्ष महोदय, यमुना नदी दिल्ली सरकार की कुनीति, कुशासन और सरकार में भ्रष्टाचार की कहानी को कहता हैं। पहले भी आदरणीय मल्होत्रा जी ने यमुना की स्थिति के बारे में बताया था, कई समाचार-पत्र इस बारे में सीरिज लिख रहे हैं। दैनिक जागरण ने भी कई दिन इस पर अपनी सीरिज चलाई है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सरकार बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यदि सारे खर्च एक तरफ हटा भी दें दो फेज तो पूरी तरह यमूना एक्शन प्लान के पहला जो एक्शन प्लान था जो 2003 में पूरा हुआ उस पर 682 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। दूसरा एक्शन प्लान अध्यक्ष महोदय जो 2011 तक पूरा होना था उस पर 624 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और तीसरा एक्शन प्लान अब 2012 में 3 हजार करोड़ रुपया स्वीकृत हो चुका है। लगता नहीं कि पीछे की दिल्ली सरकार की कारगुजारियों को देख करके कि ये 3 हजार करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी यमुना नदी के रुप में आ सकेगी। अध्यक्ष महोदय, जितनी यमुना नदी की लम्बाई है उसका दो फीसदी दिल्ली में बहता है, 22 किलोमीटर है और इसका जो प्रदूषण है वो 80 प्रतिशत है। यह चिंता का करण है और वर्तमान में प्रदूषण का स्तर अध्यक्ष

महोदय, यमुना में 40 बीओडी है बायो केमीकल आक्सीजन डिमांड है। जब कि पीने के पानी के लिए 2.3 बीओडी चाहिए। सिंचाई के लिए 20 बीओडी चाहिए और नहाने के लिए 12 बीओडी। 40 बीओडी यमुना में अध्यक्ष महोदय, और केवल इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, जो कॉलीफार्म है वो प्रति 100 एमएल में 500 है जो होना चाहिए जबकि वजीराबाद में कॉलीफार्म का स्तर प्रति 100 एमएल में 8506 और ओखला में अध्यक्ष जी, 3,29,312 प्रति 100 पर है और वैज्ञानिकों ने कहना शुरु कर दिया है कि आप कोई भी जलीय जीवों को भोजन के रुप में प्रयोग न कर, यमुना के। केवल इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, यमुना के किनारे रहते जल से सिंचित साग व सब्जियों के प्रयोग पर भी आज मनाही हो गई है कि इनको खायें नहीं, तरह तरह की बीमारी हो सकती है। अध्यक्ष जी, सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में प्रवेश के दौरान में बीओडी की मात्रा 2.5 है और जब ओखला में छोड़ती है तो वो बढ़ करके 21 हो जाती है इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में प्रवेश करने पर डीओबलीन आक्सीजन की मात्रा दस होती है जब कि दिल्ली छोड़ने पर शून्य पर पहुँच जाती है। अध्यक्ष महोदय, आज यह स्थिति यमुना नदी की है और सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है। यहाँ पर बार-बार कहती रही है कि हम London की Thames नदी की तरह बना रहे हैं। जर्मनी के हेम्सबर्ग की एलवे नदी की तरह प्रदूषण मुक्त बनायेंगे। यमुना को हजारों करोड़ खर्च होने के बाद आज यह स्थिति हो रही है। सुप्रीम कोर्ट बार-बार अध्यक्ष महोदय, सरकार को लताड़ लगा रहा है। साढ़े तेरह वर्ष कम नहीं होते। इतने समय में यमुना को एक गंदे नाले में तबदीन कर दिया हैं। अध्यक्ष महोदय, 17 नाले डायरेक्ट इसमें पड़ रहे हैं और 400 लाख लीटर मलयुक्त गंदा पानी घोषित रुप में यमुना में जाता है। सरकार इसकी चिंता करे। जैसे की मल्हौत्रा जी ने अपनी चिंता उस दिन व्यक्त की थी लीडर ऑफ अपोजीशन ने यह कम बात नहीं कि यमुना के जो डिब्बे जाते हैं वो भी उससे प्रभावित होते हैं। यदि दस-बारह बार यमुना से आदमी निकल जाये तो वह अस्वस्थ हो जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार भ्रष्टाचार में तो व्याप्त

है ही, कम से कम यमुना नदी के बारे में सोचे। ऐसा मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन था। थेंक्यू।

अध्यक्ष महोदयः श्री ओ.बी.बबर साहब।

श्री ओ.पी. बब्बरः अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार का ध्यान उन गरीब विधवाओं की और दिलाना चाहता हूँ जो रघुबीर नगर और तिलक विहार में बसे हुए हैं। अध्यक्ष जी, 1984 के कत्लेआम में हजारों सिख शहीद हुए थे। उनकी विधवाओं को तिलक नगर और रघुबीर नगर में फ्लैट आदि अलाट किए गए थे। आज उन फ्लैटों की हालत इतनी जर्जर है कि उन फ्लैटों के फर्श, दीवारें छत्ते और सीढ़ियाँ आदि जगह जगह से टूटी हुई हैं।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन फ्लैटों को जल्दी से जल्दी रिपेयर करवाया जाये। इन लोगों को मालिकाना हक दिया जाये तथा जैसा कि इन लोगों के साथ वायदा किया गया था कि इनको बिजली मुफ्त दी जायेगी। आपसे निवेदन है कि इन विधवाओं के लिए मिनिमम चार्जिज लगा कर बिजली के मीटर लगवाये जायें तथा अब तक के बिजली के बिल माफ किए जायें। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री करण सिंह तंवर जी।

श्री करण सिंह तंवरः माननीय अध्यक्ष जी, कल मैं सदन के अंदर आज मैं वैसे नींद में हूँ लेकिन फिर भी कोशिश करुँगा। अध्यक्ष जी, कल मैंने सदन में कहा था कि कुछ एलीगेंशन लगाये थे सरकार.....व्यवधान।

अध्यक्ष महोदयः तंवर साहब, ऐसा है, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैंने सभी सदस्यों

से यह प्रार्थना की है, मैं आपके खिलाफ बात नहीं कह रहा हूँ। मैंने सबसे यह प्रार्थना की है कि जो text दिया है उसी को पढ़ें।

श्री करण सिंह तंवर: अध्यक्ष महोदय, मैं text ही पढ़ रहा हूँ। अध्यक्ष जी, मुझे जबानी याद है, जो मैंने लिखा है वह मुझे याद है।

अध्यक्ष महोदय: आप बोलिए।

श्री करण सिंह तंवर: अध्यक्ष महोदय, मैंने कल यहाँ मुख्य मंत्री के खिलाफ एलीगेशन लगाये, दिल्ली सरकार के खिलाफ तो उस समय सत्ता दल के लोग उछलने लगे, कूदने लगे और तिलमिलाने लगे।

अध्यक्ष महोदय: आपने यह तो लिख कर नहीं दिया है।

श्री करण सिंह तंवर: अध्यक्ष महोदय, 15 मई के अखबार को, मैं अपनी सरकार के मंत्रियों को और मुख्य मंत्री को दिखाना चाहता हूँ XXXXX

अध्यक्ष महोदय: श्री करण सिंह तंवर जो भी बोल रहे हैं इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

.....अंतरबाधाएँ.....

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री होम मिनिस्टर के पास गई हैं कि उसको सीबीआई की परमीशन मत दीजिए।

अध्यक्ष महोदयः प्रोफेसर साहब, कल यह बात हो गई हैं। आप की बात को मानता हूँ लेकिन इसको बार-बार इस तरह से न करें।

.....अंतरबाधाएँ.....

अध्यक्ष महोदयः तंवर साहब, आप ऐसा क्यों करते हैं।

श्री करण सिंह तंवरः अध्यक्ष महोदय, आपके पास एक ही हथियार है कि मुझे नेम कर दोगे।

अध्यक्ष महोदयः अभी तो मैंने नेम करने के लिए कहा नहीं है। अभी तो नहीं कहा है।

श्री करण सिंह तंवरः XXXXX

अध्यक्ष महोदयः जो तंवर साहब बोल रहे हैं यह कार्यवाही में नहीं आयेगा।

श्री करण सिंह तंवरः XXXXX

श्री साहब सिंह चौहानः अध्यक्ष जी, ये गलत क्या कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः चौहान साहब, गलत यह है कि इन्होंने नियम 280 में लिख कर नहीं दिया है। यदि ये लिख कर देते तो हम पढ़वा देते। जो ये बोल रहे हैं यह तो इसमें हैं ही नहीं।

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष जी रुल यही कहता है कि पहले मैम्बर नोटिस देगा।

(XXX चिंहित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेश पर सदन की कार्यवाही से निकाले गये)

श्री करण सिंह तंवरः अध्यक्ष जी, यह टाइम्स आफ इंडिया का अखबार है .....व्यवधान।

अध्यक्ष महोदयः मार्शल्स अन्दर आ जाएँ और श्री करण सिंह जी को बाहर ले जाएँ।

.....अन्तर्बाधाएँ.....

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री कह दें कि मैंने लैटर नहीं लिखा। ये बताएँ तो सही कि मुख्यमंत्री नहीं गई। Has she gone or not?

अध्यक्ष महोदयः नहीं, नहीं। देखिए, प्रो. साहब.....व्यवधान। मार्शल्स आप इन्हें बाहर ले जाइएँ। करण सिंह जी आप बाहर जाइए।

श्री करण सिंह तंवरः अध्यक्ष जी, आप मुझे नेम क्यों करते हो।

अध्यक्ष महोदयः देखिए, आप 280 नहीं पढ़ रहे आप तो कुछ और कर रहे हैं। मार्शल्स इन्हें ले जाइए।

श्री करण सिंह तंवरः अध्यक्ष जी, ऐसे नहीं होता। यह रोज रोज नेम करना .....व्यवधान.....

अध्यक्ष महोदयः आप रोजाना तमाशा करेंगे तो नेम ही होंगे और क्या। मार्शल्स क्या कर रहे हैं इन्हें ले जाइए।

.....अन्तर्बाधाएँ.....

अध्यक्ष महोदयः चौहान साहब, यह आपका अधिकार नहीं है। आप अपनी सीट पर आइए। मार्शल्स ले जाइए इन्हें क्यों नहीं ले जाते हो। मार्शल क्या कर रहे हैं।

श्री करण सिंह तंवर: अध्यक्ष जी, मैं प्रूव कर दूँगा।

अध्यक्ष महोदय: आप बाद में प्रूव कर दीजिए। मार्शल ले जाइए। मार्शल्स आप लोग किस लिए हैं।.....व्यवधान। मेरी कुर्सी उससे ऊपर है यह आपको पता होना चाहिए।

(मार्शल्स श्री करण सिंह तंवर जी को सदन से बार ले गये)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, आपने मैम्बर को बाहर निकाल दिया। उन्होंने केवल यह बात कही है कि मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा या नहीं लिखा। अखबार में छपा है कि उन्होंने जा करके कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई न करो। इसमें कौन सी बात है .....व्यवधान।

अध्यक्ष महोदय: देखिए, आप सब सुनिए। धिंगान जी बैठिए। चौहान साहब एक मिनट सुनिए।

डॉ. जगदीश मुखी: अध्यक्ष जी, अनकी भाषा अभद्र नहीं थी विषयांतरण हो गया व्यवधान।

अध्यक्ष महोदय: डा. साहब एक मिनट.....व्यवधान।

डॉ. जगदीश मुखी: अध्यक्ष जी, यह आपके अधिकार में है यदि उन्होंने अभद्र व्यवहार किया है तो आप उनको नेम कर दें।....

---अन्तर्बाधाएँ---

अध्यक्ष महोदय: देखिए, राणा साहब एक मिनट, आप बैठिए।

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष जी, बड़े दुख और तकलीफ की बात है विपक्ष के लोग इस बात को appreciate करें कि यह हाउस किसी रुल्स एंड रैगूलेशन में चलेगा और 280 के कुछ नार्मस हैं, मल्होत्रा जी आप तो पार्लियामेंटेरियन हैं 280 के नार्मस हैं कि उसमें पहले नोटिस देना होता हैं और जो लिखा होता है वही पढ़ा जाता हैं।.....

.....अन्तर्बाधाएँ.....

अध्यक्ष महोदयः आप बैठ जाइए।

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष जी, आप अगर रुल्स फॉलो करा रहे हैं तो आप उसे violate कराना चाहते हैं। यह बड़े दुख और तकलीफ की बात है।

.....अन्तर्बाधाएँ.....

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदयः बोलिए। राणा जी आप बैठिए। आप नहीं बैठेंगे। मार्शल्स आए और कुलवंत जी को सदन से बाहर ले जाएँ।

(मार्शल्स श्री कुलवंत राणा जी को सदन से बाहर ले गये)

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष जी, नियम 280 यह कहता है कि जो सदस्य सदन की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहे जो व्यवस्था का प्रशन ना हो और वह सचिव को लिखित रुप में सूचना देंगे और संक्षेप में उस विषय को बताएँगे कि वे सदन में क्या उठाना चाहते हैं और साथ मे कारण भी बताएँगे कि वे उसे क्यों उठाना चाहते हैं। उन्हें ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सम्मति दिए जाने के बाद ही तथा ऐसे समय और तिथि के

लिये दी जायेगी जो अध्यक्ष निश्चित करें। तो अध्यक्ष जी, आपने जो किया है वह रुल्स के हिसाब से किया है।

.....अन्तर्बाधाएँ.....

अध्यक्ष महोदयः चौहान साहब, देखिए, मैंने अलाउ किया, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैंने उन्हें 280 के लिए अलाउ किया है, यह नहीं कि अनाप शनाप कुछ भी कहते रहें। यह बड़े दुख की बात है कि चौहान साहब जैसे, डॉ. मुखी साहब जैसे, मल्होत्रा साहब जैसे learned आदमी भी ऐसे कह रहे हैं। 280 के बारे में मैंने पहले कह दिया कि टैक्स्ट पढ़ना चाहिए। उन्होंने उसकी एक लाइन भी नहीं पढ़ी।

.....अन्तर्बाधाएँ.....

अध्यक्ष महोदयः नहीं, डॉ. साहब ऐसा नहीं है। 280 में तो वही बोलना चाहिए जो किख करके दिया है।

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष जी, नियम 261 में लिखा है कि समाचार पत्र नहीं पढ़ सकते।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष जी, सीबीआई किसी के खिलाफ केस करना चाहती है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सोनिया जी कह रही हैं कि हम किसी को बकसेंगे नहीं, सीबीआई कह रही हैं कि हम केस रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, मुख्य मंत्री कहती हैं कि मत करो और उनके पास जाती हैं.....व्यवधान Can there be something more..... व्यवधान It is something very serious.

.....अन्तर्बाधाएँ.....

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष जी, यह बहुत तकलीफ की बात है कि ये इश्यू को डाइवर्ट कर रहे हैं। बात रुल्स एंड रैगूलेशन की है आप 261 पढ़िए। अध्यक्ष जी ने जो व्यवस्था दी है वह इश्यूज के ऊपर दी हैं।

अध्यक्ष महोदयः ये 261 में लिखा है, सभा में उपस्थिति के समय सदस्यों द्वारा पालनीय नियम।

कोई ऐसी पुस्तक, समाचार पत्र या पत्र नहीं पढ़ेंगे और न उस कार्य के अतिरिक्त ऐसा कोई कार्य करेंगे जिसका सदन की कार्य से संबंध न हो.....

डॉ. जगदीश मुखीः अध्यक्ष महोदय, कोट कर सकते हैं हमेशा। आप देखिये इसमें।

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वे न्यूजपेपर पढ़ रहे थे। कोट नहीं कर रहे थे। पढ़ रहे थे।

डॉ. जगदीश मुखीः .....व्यवधान....I agree with you. किन्तु कोट कर सकते हैं। उन्होंने कोट गया है, गलत नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदयः प्रो. साहब, उन्होंने कोट नहीं किया है, उन्होंने पूरा पढ़ा है। उनको निम 280 के अन्तर्गत पढ़ना चाहिए। प्रो. साहब आप भी मानेंगे इस बात को कि 280 में जो दिया हैं, वहीं पढ़ते तो कोई बुराई नहीं थी।

.....व्यवधान.....

डॉ. जगदीश मुखीः सर मेरा ये कहना है कि मैं आपसे सहमत हूँ। किन्तु सदन की ऐसी ऊँची कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री पर एलीगेशन आ रहा है कि उन्होंने डिफेन्ड किया है। एक ऑफीसर के खिलाफ सीबीआई कार्रवाई करना चाहती है और मुख्यमंत्री को डिफेन्ड करके लैटर लिखे हैं।.....व्यवधान.....

परिवहन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ये ऑफीसर्स को डराना चाहते हैं।

...व्यवधान....

डॉ. जगदीश मुखीः अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार की बात आई है हम एक्सेक्ट करेंगे उसे।

अध्यक्ष महोदयः बैठिए। प्रो. साहब आप भी और...मुकेश जी ठहरिए। प्रो. मुखी साहब, चौहान सहाब और मल्होत्रा साहब, यहाँ तक कि वे लोक सभा की प्रोसीडिंग के बारे में भी जानते हैं। आप किसी के खिलाफ भले ही निन्दा प्रस्ताव लायें।....वो ठीक है। लेकिन 280 में.....आप पढ़ लीजिए।

श्री रमेश बिधूड़ीः अध्यक्ष महोदय, क्या दिल्ली में योग्य अधिकारी नहीं हैं?

श्री साहब सिंह चौहानः अध्यक्ष महोदय, आप पढ़ दीजिए।

अध्यक्ष महोदयः मैं पढ़ दूँ। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित द्वारा दिल्ली के कुछ अधिकारियों के स्थानान्तरण रोकने के संदर्भ में केन्द्रीय गृह मंत्री से मिलने के संदर्भ में दिलाना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री का यह कहना कि उन सब अधिकारियों को हटाने से दिल्ली का विकास रुक जायेगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या दिल्ली में योग्य अधिकारियों की कमी है, जिसके कारण मुख्यमंत्री को सदन चलाने के दौरान सदन को विश्वास में लिए बिना माननीय गृह मंत्री से गुहार लगनी पड़ रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जाँच एजेन्सियों को भी प्रभावित कर रही हैं। जिसके तहत एनडीएमसी..... व्यवधान.....

डॉ.जगदीश मुखीः अध्यक्ष महोदय, यही बोला है उन्होंने बिल्कुल इसी विषय पर बोले हैं।

मंत्री जी आप सुन लीजिए। विषय वहीं का वहीं है जिस पर बोलने की परमिशन दी गयी है।

परिवहन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वे लिखित टैक्स्ट नहीं पढ़ रहे हैं, वे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं।

डॉ. जगदीश मुखीः इसी पर उन्होंने बोला है।

परिवहन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वे लिखित टैक्स्ट नहीं पढ़ रहे हैं, वे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं।

.....व्यवधान....

डॉ. जगदीश मुखीः उन्होंने केवल मात्र उसे एक्स्प्लेन किया है।

परिवहन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वे लिखित टैक्स्ट नहीं पढ़ रहे हैं, वे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं।

डॉ. जगदीश मुखीः उन्होंने कोई गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदयः आखिरी स्टैन्जा, आखिरी वाक्य...वहाँ तक तो आये ही नहीं। वो तो पढ़ा ही नहीं उन्होंने।

परिवहन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वे लिखित टैक्स्ट नहीं पढ़ रहे हैं, वे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः आखिरी दो लाईनें आप छोड़ दें तो जो पहले लिखा है, वह कुछ नहीं पढ़ा है। आप जरा ध्यान से देख लीजिए। आखिरी दो लाइन में है।....नहीं वहाँ तक प्रो. साहब वे गये नहीं। वहाँ तक गये नहीं, उससे पहले ही बहुत कुछ कह गये।

परिवहन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, उन्होंने लिखित टैक्स्ट नहीं पढ़ा है, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया पढा हैं।

डॉ. जगदीश मुखीः अध्यक्ष महोदय, वे कोट कर सकते हैं। उन्होंने कोट किया है और कोट करना हमेशा एलाउड है।

.....व्यवधान.....

डॉ. जगदीश मुखीः आपको जानकारी होनी चाहिए कोट करना हमेशा एलाउड है।

.....व्यवधान.....

अध्यक्ष महोदयः अब 280 में डॉ. हर्षवर्द्धन जी।

.....व्यवधान.....

अध्यक्ष महोदयः गर्ग साहब बैठिए। बैठिए बैठिए। डॉ. हर्षवर्द्धन जी।

डॉ. हर्षवर्द्धनः अध्यक्ष महोदय, ये भी अत्यंत गंभीर मसला है जनता के हित में।

.....व्यवधान.....

अध्यक्ष महोदयः प्रो. साहब उन्होंने बहुत कुछ कहा है। आप मन से मान नहीं रहे हैं, सुना आपने भीं है। क्या-क्या कहा है उन्होंने। इस तरह की आपत्तिजनक भाषा मैंने किसी और सदस्य से नहीं सुनी है अब तक। ढाई तीन वर्ष में एक बार भी नहीं सुनी है जितनी आज वे कह गये हैं।

.....व्यवधान.....

अध्यक्ष महोदयः डॉ. हर्षवर्द्धन जी। गर्ग साहब आप बैठिए। आप बैठ जाइये बात खत्म हो जायेगी अपने आप। आज बैठिए। मैंने उनका एलाउ किया है आपको नहीं। डॉ. हर्षवर्द्धन जी।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री यहीं हैं। उन्होंने पत्र लिखा है या नहीं लिखा है, ये तो पूछ लीजिए। जो बात उन्होंने कही कि हाँ होम मिनिस्टर को पत्र लिखा है। सीबीआई की इन्क्वारी नहीं करनी चाहिए, सीबीआई को परमिशन मत दो, ये कहा है। कहा है कि नहीं कहा है? ये जाकर मिली हैं या नहीं मिली है, इतनी बात पूछ रहे हैं। कहलवा दीजिए कि मैंने नहीं कहा। मामला खत्म हो जाये।

अध्यक्ष महोदयः किससे मिली या नहीं मिली?

प्रो.विजय कुमार मल्होत्राः उनके खिलाफ सीबीआई कार्रवाई न की जाये। परमिशन मत दीजिए। ये कहा है। सीबीआई की परमिशन मत दीजिए। सीबीआई को प्रोसिक्यूट करने ...ये कहा है कि नहीं कहा है बताइये। लैटर लिखा है कि नहीं लिखा है ये बता दें।

अध्यक्ष महोदयः बोलिये डॉ. साहब। गर्ग साहब बार-बार कहना पड़ रहा है, बैठ जाइये। आप बैठ जाइये प्लीज।

डॉ. हर्षवर्द्धनः अध्यक्ष महोदय, मैं इससे पहले कि यह पढ़ूं एक लाइन में निवेदन करना चाहता था कि जनता के हित में यह अत्यंत संवेदनशील और बहुत ही गंभीर विषय है और इसमें आपका जनता के हित में प्रोटेक्शन भी चाहता हूँ आप सरकार को कोई बड़ी सीरियस डायरेक्शन दें क्योंकि पिछले वर्ष जो सरकार का इस विषय पर जो व्यवहार रहा है, वह बिल्कुल जनता के हितों की अनदेखी वाला रहा है। और इसलिए मैं चाहता हूँ सर आपका थोड़ा सा पर्सनल इसके ऊपर ध्यान चाहता हूँ और जो कुछ भी मैं इसमे बता रहा

हूँ उसके लिए मेरे पास पर्याप्त डाक्यूमैन्ट हैं जो मैंने आरटीआई के माध्यम से प्राप्त किए हैं, उसके आधार पर मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दिल्ली की मुख्यमंत्री का ध्यान डीईआरसी की कार्यप्रणाली की और आकर्षित करना चाहता हूँ। डीईआरसी को बिजली की दरें तये करने के लिए संविधान के अंतर्गत चार साल का समय मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन 2007-2011 तय किया गया था। उसके उपरांत 2012-2015 के लिए उसे विस्तारित किया गया। तदुपरांत 2012-2015 के लिए डीईआरसी ने नियमों में 2 दिसम्बर 2012 को संशोधन कर दिया और 19 जनवरी 2012 को गजट नोटिफिकेशन भी कर दिया। डीईआरसी के सदस्यों एवं अध्यक्ष में मत भिन्नता होने के कारण नियमों एवं शर्तो का खुला उल्लंघन किया गया। जिन नियमों को आधार बनाकर बिजली की तरें तय की गयी, बढ़ायी गयी, उन नियमों को विधान सभा के आगामी सत्र में सदन पटल पर रखना होता है। ये संवैधानिक आवश्यकता है इलैक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की और उसे विधान सभा द्वारा पास किया जाता है।

उन नियमों को विधान सभा के आगामी सत्र में सदन पटल पर रखना होता है, यह संवैधानिक रिकवायमेंट है जो इलेक्ट्रीसिटी एक्ट 2003 की और उसे विधान सभा द्वारा पास किया जाता है परंतु संशोधित नियमों को विधान सभा में पास किये बगैर उसे लागू किया गया। जबकि इस दौरान दो बार विधान सभा का सत्र भी बूलाया गया था। अत: डीईआरसी द्वारा बिजली की दरों में जो 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है वह पूरी तरह से असंवैध ानिक है अत: डीईआरसी के अध्यक्ष व इनके सदस्यों की कार्यप्रणाली की जाँच किसी उच्चस्तरीय स्वतंत्र जाँच एजेंसी से करवाई जाये और बिजली की दरों में बढोतरी करने से बिजली वितरण कंपनियों को जे मुनाफा हुआ है वह बिजली उपभोक्ताओं को वापिस दिलाया जाये। ये जो आब्जरवेशन है, जो स्वयं सरकार के डाक्यूमेंटस से प्राप्त हुई है, इसके बारे में तो मैं कुछ पैराग्राम पढ़कर आपने सामने रखना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदयः यह किस बारे में डाक्टर साहब।

डॉ. हर्षवर्धनः अध्यक्ष जी, डीईआरसी के बारे में। मुख्यमंत्री जी के बारे में तो हमने कहा है कि सरकार के इस बारे में निर्णय जो पिछले साल लिया है जनता के हित में नहीं लिया और जनता के हितों को पूरी तरह से अनदेखी की गयी, इसलिए मैं यह रख रहा हूँ। इसमें जो कुछ रैलीवेंट पाइंट हैं, वो मैं पढ़कर के सुनाना चाहता हूँ DERC never made the draft of the amendment. After illegally finalizing the amendments, DERC did not place the amendments before the Legislative Assembly of Delhi for 30 days immediately once it was made according to the provisions of law. No legal or administrative procedure had been followed while the DERC tariff regulations were amended and, therefore, the amendments were as if it was not made and no effect could, hence, without amendment of the regulations in a manner known to law be drawn. DERC has neither the authority nor the jurisdiction to erase the statutory rule and notification even though it tis the rule making authority and the authority who had fixed the tariff and issued statutory notification. Such an action of DERC is impermissible in law and it is against all canons of legal principles. So long as the tariff regulations remain in force, DERC has neither the authority nor the jurisdiction to deviate from the binding tariff regulation and without altering or amending or replacing according to the manner and procedure of the law. The law said that for amendment, the draft tariff order was to be published which was not done. सर इसमें काफी डिटेल में चीजें दी गयी हैं। हमारा यह कहना है कि पहले डीईआरसी ने जो यह कहा कि आप टैरिफ को कम कर दीजिए, सरकार ने जानबूझकर के

उसको इम्पलीमेंट नहीं किया और सरकार ने रुल का एक हवाला देकर के उस आर्डर को एक कैबिनेट डिसीजन लेकर जनता के हितों की अनदेखी करके उसको इम्पलीमेंट नहीं होने दिया। बाद में जब चैयरमेन चेंज करने के बाद 22 परसेंट का टैरिफ इन्क्रीज किया है वो हर तरीके से गैर कानूनी है उसके लिए जो भी उनको अमेंडमेंटस उन्होंने किए, जो चार साल के लिए बनाते हैं, वो सारे के सारे असेम्बली में आने चाहिए थे। वो नहीं आया। 22 परसेंट का टैरिफ लागू कर दिया गया। जो कि पूरी तरह से इल्लीगल है। और इसके बीच में सरकार ने जो पिछले साल एक्शन किया था उसके बारे में हाईकोर्ट ने भी अपनी बीच में रुलिंग दी है और सरकार के एक्शन को उन्होंने कंडेम भी किया और कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है जो सरकार ने टैरिफ कम करने के जो डीईआरसी के पहले वाले रिकमंडेशन को लागू नहीं किया था। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूँ कि आप सरकार को निर्देश दें कि डीईआरसी को जो सारे मसले पर ओवर ऑल कंडक्ट रहा है, मुझे पता है कि सरकार के बारे में आप उनको शायद आर्डर नहीं दे पाएंगे। डीईआरसी के सदस्यों के बारे में एक तो इनके कंडक्ट के बारे में चैयरमैंन और इन्होंने जो जनता के हितों की अनुदेखी की है इसके बारे में इन्क्वारी होनी चाहिए कि सेंटरल एजेंसी से इन्वेटिगेशन हो।

अध्यक्ष महोदयः डॉ. साहब इसकी एक कॉपी मुझे दे सकेंगे।

डॉ. हर्षवर्धनः जी सर। पूरी कॉपी दूँगा। यह टेबल कर देते हैं।

अध्यक्ष महोदयः विजय कुमार मल्होत्रा जी।

प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्व की बात सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस समय कॉलेजा में दाखिले हो रहे हैं। अब तक लगभग सवा लाख के करीब फार्म जा चुके हैं। लोगों ने एप्लाई कर

दिया। दिल्ली में इस साल कुल मिलाकर के 195,101 लड़के पास हुए और दिल्ली के बाहर के लड़के भी दाखिला लेने के लिए आ रहे हैं। दस परसेंट भी दिल्ली के बच्चों को दाखिला नहीं मिलेगा ऐसी स्थिति है। पिछली बार 90 परसेंट, 95 परसेंट, 99 परसेंट इतने नम्बर लेने वाले बच्चों को अपने सब्जेक्ट में भी दाखिला नहीं मिला। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बहुत ही प्रख्यात यूनिवर्सिटी है, हर लडका उसमें दाखिला चाहता है। परंतु दिल्ली सरकार ने साढे 13 साल में एक कालेज दिल्ली विक्ष्वविद्यालय से संबंधित नहीं खोला है जिसके कारण यह हालात पैदा हो गये। आप जानते हैं, सारे अखबारों में छपा था लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए दस-दस लाख, 5-5 लाख रुपया देकर के फर्जीवाड़े के दस्तखत करके जिनको पकडा गया, दाखिला चाहते हैं। लाखों की तादाद में इसमें से दिल्ली से बाहर जाने के लिए मजबूर हैं। यह कह देना कि हमने अंबेडकर यूनिवर्सिटी खोली है, वो कोई एफीलिएटिड नहीं है। कुल मिलाकर के 28 या 61 कालेज है जो 54 हजार सीटें हैं। 61 में सें 28 दिल्ली सरकार के हैं। पहले जब मैं मुख्य कार्यकारी पार्षद था तो मैंने दो साल में 16 कालेज खोल दिये। और उस समय यह भी डिक्लेयर किया था कि 60 परसेंट से ऊपर वाले हर बच्चे को मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, बी कॉम सबके अंदर दाखिला मिलेगा। हर पास होने वाले बच्चे को दाखिला मिलेगा। साढ़े 13 साल में एक कालेज नहीं खोला। अगर आप एक कॉलेज नहीं खोलेंगे तो आबादी कितनी बढ़ गयी है, लड़के यहाँ पर इस समय जाकर के फार्म ब्लैक में खरीद दे रहे हैं, दस परसेंट को दाखिला मिला बाकी किसी को नहीं मिला इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यह कोई नाक कासवाल नहीं है, आपने एक अंबेडकर यूनिवर्सिटी खोल दी, एक वूमैंन यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, एक इंजीनिरिंग कालेज था उसकी भी यूनिवर्सिटी बना दी। और सारे इंजीनिरिंग कालेज के प्रिंसीपल से लेकर के प्रोफेसर से लेकर के लड़कों तक ने कहा कि हम दिल्ली सरकार की बजाय दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहना चाहते हैं। हर लड़का डीयू में दाखिला चाहता है। बाहर वोले भी दिल्ली वाले भी। परंतु उसके लिए एक भी कालेज नहीं खेला। आपके

पास 28 कालेज हैं, उसमें 16 को 95 परसेंट ग्रांट मिलती है जो मेरे समय में खुली थी उसके बाद 12 कालेज और खुले जो 100 प्रतिशत हैं परंतु इवनिंग कालेज को तो यूजीसी 100 परसेंट ग्रांट देती है। आप अपने इन कालेजों में जिनके पास जगह है और लवली जी यहाँ पर है, इनके पास बहुत से स्कूल हैं, इनमें इवनिंग शिफ्ट खोल सकते हैं। दिल्ली के लड़कों को दिल्ली में दाखिला मिल सकता है। परंतु अगर आप कालेज ही कोई न खोले, कोई सिंगापुर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई सारे हिंदुस्तान में जा जाकर के दाखिला ले रहे हैं। आपने 13 साल में डीयू से संबंधित कालेज क्यों नहीं खोले। जो एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, इन्द्राप्रस्थ वो तो ठीक हैं, हमारे समय में बन गयी थी.....अंतरबाधा।

डॉ. जगदीश मुखी: अध्यक्ष जी, इनको एबीसी नहीं पता हमने खोल हैं..... अंतरबाधा। प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा: वहाँ पर अंबेडकर युनिवर्सिटी जिसका नाम ले रहे हैं, वो केवल खोली है। परंतु मैं आपसे से कहना चाहता हूँ कि यह प्रैस्टीज का मामला नहीं है.... अंतरबाधा।

अध्यक्ष महोदय: देखिये बीच में मत बोलिये। मल्होत्रा जी।

प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा: 20 लाख, 10 लाख, 15 देकर के लोग जाली मार्कशिट बना कर के क्यों दाखिला लेना चाहते हैं और आप कालेज क्यों नहीं खोलते। एक कालेज साढ़े 13 साल में नहीं खुला। हमने दो साल में 28 कालेज खोल, पहले 16 खोले फिर 12 खोले। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ It is a stunning shame लाखों बच्चे धूप में घूम रहे हैं, तीन सौ रुपये में फार्म खरीद रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंधित एक भी कालेज नहीं खोलना बहुत ही निहायत नैगलीजेंस और शर्म की बात है। आज भी उसके लिए किया जा सकता है कि आप कालेज खोलें। इवनिंग शिफ्ट खोल दें या जो सुबह के कालेज हैं,

उसमें नये कोर्स दाखिल कर दें। 28 जो अपने कालेज हैं उनका नंबर भी बढ़ाया जाये और कालेजों में भी ज्यादा दाखिला दिया जाये।

अध्यक्ष महोदयः श्री एस.पी. रातावाल।

श्री एस.पी.रातावालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से.....अंतरबाधा।

अध्यक्ष महोदयः एक मिनट रातावाल जी। सदन की नेता कुछ कहना चाहती हैं।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, चूंकि इतने सीनियर लीडर श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी ने ऐसी बात कही है, उठकर उसका स्पष्टीकरण कर दूँ। मल्होत्रा जी आप शायद एक बात नहीं जानते हैं कि डीयू में हमारे 28 कालेज एफीलिएटिड जरुर हैं उसके बाद उन्होंने कैप कर दिया कि हम और कालेज नहीं रखेंगे there was a cap. That is why you also.....please, we heve listened to you. That is why, you also started Indraprastha University..... अंतरबाधा। आप सुन तो लीजिए। आपने जब खोले थे, तब कैप नहीं था.....अंतरबाधा।

डॉ. जगदीश मुखीः एफिलिएटिड सात कालेज खोले हैं, मैं नाम दे देता हूँ..... अंतरबाधा।

अध्यक्ष महोदयः प्रोफसर साहब वो यही कह रही हैं कि you also started Indraprastha University. I.P. University..... अंतरबाधा।

मुख्य मंत्रीः सुनते तो आप हैं नहीं। सुनते तो आप हैं नहीं, आपको सिर्फ अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है, सुन लीजिएगा ना, मैं क्या कह रही हूँ। There is a cap on that, Sir और इन्होंने भी उस वक्त जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, उसको आगे हमने बढ़ाया

है, यह सत्य है, लेकिन seeing कि डिमांड दिल्ली में बहुत ज़्यादा है इसलिए अम्बेडकर यूनिवर्सिटी खोली गई, IIT खोला गया, नेशनल लॉ कॉलेज खोला गया और सर, इसके अलावा जो अब लेटेस्ट करा है University of Engineering for Girls. Now, these are things we have done.

डॉ जगदीश मुखी: उसका नाम था Swarn Jayanti College of Engineering for Women पहला कॉलेज खोला था आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर, उसका नाम बदल कर यूनिवर्सिटी कंवर्ट कर रहे हैं। अदरवाइज वो इंस्टीट्यूशन हमने ही खोला था। आईपी यूनिवर्सिटी की तरह affiliated खोला था। नई चीज़ क्या हो गई, उस यूनिवर्सिटी के साथ कोई affiliation नहीं होगा कोई भी, वही का वही इंस्टीट्यूशन रहेगा जी।

.....अंतरबाधा.....

मुख्यमंत्री: Sir, I am sorry to say हमने जो कहा है, वो सत्य कहा है, आप चिढ़ क्यों जाते हैं। हम अपको क्रेडिट दे रहे हैं जहाँ देना है। लेकिन अब आप रोज़ अखबार उठाकर कुछ न कुछ बात कह देते हैं और हम जब कुछ कहते हैं तो आप टोकते हैं। Haven't you got the, we are, after all, sitting in a democratic set-up. अब हर्षवर्द्धन जी ने कहा, पता नहीं क्या कहा या क्या नहीं कहा लेकिन किसी ने टोका तो नहीं। तो आप सुन लीजिएगा, आपकी बात हमने सुनी है, आप हमारी सुन लीजिएगा let everybody decide what is the truth. I am giving you the credit for having opened Indraprastha University but we are also saying that we have opened so many universities just because दिल्ली यूनिवर्सिटी ने cap कर दिया कि आप 28 से ज़्यादा नहीं खोल सकते हैं तब हमने ये यूनिवर्सिटीज करी और Law University, इंटरनेशनल लॉ यूनिवार्सिटी और अगर जो महिलाओं की एक

कोई करी, जो असलियत है उसको कबूल कर लेंगे तो कोई उसमें हर्ज नहीं हो जाएगा, आप छोटे नहीं हो जायेंगे।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ अगर यह तैयार हो कॉलेज खोलने के लिए हम वाइस चांसलर से बात करें, किसी से भी बात करें, आप प्राइम मिनिस्टर के पास जा सकती है they are prepared for it. आप कॉलेज खोलने, कहिये हम खोलेंगे कॉलेज। हम इसकी परमिशन लाकर के देते हैं कॉलेज खोलने के लिए, आप कहिये तो सही हम खोलने के लिए तैयार है। अगर यूनिवर्सिटी ने cap लगाया है, यूनिवर्सिटी इन लाखों बच्चों का क्या करे, कहाँ जायेंगे वो लाखों बच्चे। आप यहाँ पर तैयारी करिये, हम आपको परमिशन लाकर के देते हैं।

अध्यक्ष महोदय: प्रो. साहब, वो मना नहीं कर रही हैं। आपने यूनिवर्सिटी खोली, स्वर्ण जयंती खोला उदारता के साथ उन्होंने स्वीकार किया। अब भी यदि आप सहयोग करना चाहें, सहयोग कीजिए वो मानेंगी उस बात को। ऐसा नहीं है कि वो न मानें।

डॉ. जगदीश मुखी: वो डिक्लेयर करे आज यहाँ पर कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से affiliated कॉलेज खोलना चाहते हैं, हम cap खत्म कराकर आपको परमिशन लाकर देते हैं। हम लाकर देते हैं जी। पहले भी हम लाये थे, आज तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोली, हम लाकर देंगे जी। पहले भी हमने ही यूनिवर्सिटी खोली थी, अदरवाइज वो नहीं खुल सकती थी।

.....अंतरबाधाएँ.....

श्री नसीब सिंह: अध्यक्ष जी, आईपी के बाद में आईपी यूनिवर्सिटी में 100 से ज़्यादा कॉलेज खोले गए।

.....अंतरबाधाएँ.....

डॉ. जगदीश मुखी : जानकारी नहीं है, self-funded colleges होते हैं, प्राइवेट कॉलेज होते हैं, आपने क्या खोले हैं वो।

.....अंतरबाधाएँ.....

अध्यक्ष महोदयः रातावाल साहब, आप खड़े होंगे तो वो बैठ जायेंगे।

श्री एस.पी. रातावालः अध्यक्ष जी, मैं तो बहुत शांतिप्रिय आदमी हूँ अध्यक्ष जी, मैं तो शोर-शराबे से वैसे ही बहुत दूर रहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी,

.....अंतरबाधाएँ.....

अध्यक्ष महोदयः बोलने दीजिए। नसीब जी, बैठिये। रातावाल साहब।

श्री एस.पी. रातावालः आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली शहरी विकास बोर्ड की मरननीय अध्यक्षा और मुख्यमंत्री विराजमान हैं मैं जनसमस्याओं का विषय उठा रहा हूँ। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से दिल्ली की मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिल्ली शहरी आवास बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे शोचालय की सुविधा प्रदान करने के लिए किए जा रहे भ्रष्टाचार की और आकर्षित करना चाहता हूँ, जबकि मैं उस बोर्ड का सदस्य भी हूँ। मेरी जानकारी में यह लाया गया है कि दिल्ली शहरी आवास बोर्ड जब किसी के अनुरोध पर चल जन सुविधा कॉम्प्लेक्स प्रदान करता है तो वह निवेदक से जे.सी.सी. लाने और ले जाने का खर्च एवं प्रतिदिन के हिसाब से किराया मांगता है, परन्तु कई स्थानों पर वह निःशुल्क भी प्रदान कर रहा है। इस तरह से लोग दुविधा में फंसे हैं कि जे.सी.सी. किस आधार पर प्रदान किया जाता है। उसके प्रदान किये जाने का आधार क्या है? अध्यक्ष जी, मैं आपने माध्यम से

माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करुँगा कि वह सदन को बतायें कि जे.सी.सी. नि:शुल्क प्रदान किया जाता है या सशुल्क एवं दोनों के आधार पर किया जाता है, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से, बैठी हैं बताएंगी थोड़ा सा तो विस्तार हो जाएगा, पब्लिक को परेशानी नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय: बैठिये। बैठिये। श्री मोहन सिंह बिष्ट।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और शहरी विकास मंत्री जी का ध्यान अनअथोराइज कालोनीज की ओर दिलाना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2007-08 के अंतर्गत अनधिकृत कालोनियों के दिशा-निर्देश देकर के 1639 कालोनियों के नक्शे जमा कराये गये थे। अध्यक्ष जी, यही नहीं, 1239 कालोनियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए गए थे। कुछ आरडब्ल्यूए द्वारा डबल-डबल नक्शा जमा करने के बाद उन कालोनियों की संख्या लगभग 261 थी। पिछले दिनों के अंदर दिल्ली की सरकार और दिल्ली के शहरी विकास मंत्री जी द्वारा 1018 कालोनियों में काम करने के निर्देश की सूची सम्मिलित की गयी। अध्यक्ष महोदय, बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि शहरी विकास विभाग द्वारा अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों के साथ एक और बड़ा धोखा किया गया। जो काम करने वाली एजेंसी थी उस एजेंसी में 733 की लिस्ट दे दी और 285 की लिस्ट को काम करने से रोक दिया गया। उनमें आज दिन तक विकास कार्य नहीं हो रहे। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, जो मल्टीपल आरडब्ल्यूए थे, जो डबल-डबल आरडब्ल्यूए थे, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आपस में उन आरडब्ल्यूएज को बुलाकर के उसमें जो डबल नक्शे जमा किए थे और वो डबल नक्शे, एक-एक नक्शे वापिस ले लिए गए। अध्यक्ष महोदय, उसके ऑर्डर हो गए, ऑर्डर की कॉपी भी अध्यक्ष जी मेरे पास है और उस ऑर्डर की कॉपी के बावजूद क्योंकि शहरी विकास मंत्री बदल गए पता नहीं आपस में क्या ऐसी खुंदस थी, उस काम पर फिर

रोक लगा दिया गया, काम नहीं हुए। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले हाउस के अंदर भी यही बात की। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, सर, मैं बिल्कुल जो लिखकर दिया है, वही पढ़ रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदयः बिष्ट साहब, वो दोनों तो आपसे में एक दूसरे को देखकर हँस रहे हैं।

श्री मोहन सिंह बिष्टः सर, अन्दर से दोनों अलग-अलग है। यह नकली चेहरा है, असली चेहरा तो कुछ ओर है। वालिया जी, पीछे से चक्कू भी चल रहा है। यह ध्यान रखना। गले लगा लो, मिल लो, मुझे बड़ी खुशी होगी लेकिन ईमानदारी से और यह ईमानदारी दिल्ली के लोगों के साथ हो। अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छी बात है और गले मिलना भी चाहिए क्योंकि एक ही दल के लोग हैं मिलना चाहिए। लेकिन दिल्ली के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, दिल्ली के लोगों को न्याय मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः बिष्ट जी, आप बैठिए। आपने पूरा पढ़ दिया है।

श्री मोहन सिंह बिष्टः अध्यक्ष जी, दो-तीन लाइनें पढ़ कर समाप्त कर हा हूँ। अध्यक्ष जी, मेरा आदरणीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है क्योंकि 733 और 285 अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो 1018 कालोनियाँ बनती हैं। एक इनके साथ मल्टीप्लाई जो आरडब्लयूए हैं उनमें भी तुरंत 285 और 261 में तुरंत काम करने के निर्देश दिये जायें जिससे दिल्ली के अंदर विकास कार्य शुरु किए जाये। आपने बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री देवेन्द्र यादव। एक मिनट रुकिये, मंत्री जी बोलना चाहते हैं।

स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि जो मल्टीपल आरडब्ल्यू हैं 102 आरडब्ल्यूए को बुलाया गया था और उसका फैसला कर दिया गया है परन्तु उसके

साथ-साथ हमें कुछ एनओसीज लेने होते हैं फोरेस्ट डिपार्टमेंट से एएसआई से, एमसीडी से और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। उनके लिए हमने उनको नक्शे दे दिये हैं और इसी हफ्ते में हमारा प्रयास है कि वो 102 को हम लोग परमीशन दे देंगे।

अध्यक्ष महोदयः श्री देवेन्द्र यादव जी।

श्री देवेन्द्र यादवः अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। जो मैं समझता हूँ कि हजारों, लाखों शिक्षित युवा साथी हैं, उनकी समस्याओं की और आपका और आदरणीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूँगा जिसकी वजह से न सिर्फ बेरोजगारी को बढ़ावा मिल रहा है बल्कि सरकार की योजनाओं को लागू करने में भी दिक्कत आ रही है। अध्यक्ष जी, जैसा कि सब को मालूम है कि 1996 में ग्रुप बी एवं ग्रुप सी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए डीएसएसबी का गठन किया गया था। लेकिन अध्यक्ष जी, डीएसएसबी की कार्यप्रणाली की वजह से आज बहुत सारे विभागों में बहुत सी रिक्तियाँ काफी समय से खाली पड़ी हैं। जिस कारण सरकार का कार्य प्रभावित हो रहा है और न सिर्फ सरकार का कार्य प्रभावित हो रहा है अध्यक्ष जी, इन रिक्तियों के कारण ही हर वर्ष विभिन्न विभागों में हमें कंट्रेक्ट पर कर्मचारियों को नियुक्त करना पड़ता है। चाहे स्कूलों में हजारों अध्यापक, हम हर वर्ष स्कूलों में कंट्रेक्ट पर लेते हैं। अध्यक्ष जी, कंट्रेक्ट पर ले तो लिये जाते हैं लेकिन उनसे वांछित परिणाम की अपेक्षित नहीं कर सकते। इसी प्रकार चाहे स्वास्थ्य सेवायें हों, कल्याण की सेवायें हों, अभियांत्रित विभाग में भी भारी कमी के कारण सरकार का कार्य प्रभावित हो रहा है। अध्यक्ष जी, एक तरफ तो लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार की कार्यप्रणाली के कारण बेरोजगार युवक परेशान हैं। अध्यक्ष जी, और यही नहीं विभिन्न परिक्षाएँ स्थगित होने के कारण हमारे यहाँ बहुत से युवा साथी इसी दौरान ओवर ऐज भी हो जाते हैं। जिसकी वजह से उनका जो भविष्य है वह अंधकार में हो जाता है। अध्यक्ष

जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि वे डीएसएसबी की कार्यप्रणाली की समीक्षा करें तथा जो लाखों युवा दिल्ली सरकार की तरफ आशापूर्वक निगाह से देख रहे हैं, उनको रोजगार दे कर उनके भविष्य को संवारने का कार्य करें। अध्यक्ष जी, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः शोएब साहब, टी ब्रेक का समय हो गया है। आपने काफी लम्बा लिख कर दिया है, मेहरबानी करके दो मिनट में पढ़ दीजिए। आप बोल दीजिए।

श्री शोएब इकबालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री का ध्यान एक बहुत ही संवेदनशील मसले की और दिलाना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली मेट्रो सुभाष पार्क, जामा मस्जिद के पास मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए खुदायी का काम कर रही है। इसी जगह पर एतिहासिक अकबराबादी मस्जिद स्थित थी। इस मस्जिद को शाहजहाँ बादशाह ने 1650 ईसवीं में अपनी बेगम एजाजुन्निसां उर्फ अकबराबादी बेगम के नाम से बनवाया था जिसको वर्ष 1857 में अंग्रेजों ने यह बहाना करते हुए शहीद कर दिया था कि इस मस्जिद के अंदर स्वतंत्रता सैनानियों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध मुहिम चलायी जा रही थी। बाद में 20वीं सदी के शुरु में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इस मस्जिद के आस पास चारों तरफ झाड़ियाँ लगवा दी थी जिसके बाद उस जगह पर 1947 से पहले तक यहाँ अक्सर लोग नमाज अदा करते थे।

सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि जिस समय जामा मस्जिद री-डवलपमेंट प्लान बनाया जा रहा था तब भी मैंने यह बात उठायी थी कि अकबराबादी मस्जिद की बुनियाद और अवशेषों को जो कि सुभाष पार्क में दबे पड़े हैं, उनको एएसआई की निगरानी में खुदायी करवा कर उनको सुरक्षित रखा जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में यह कहा था कि जामा मस्जिद के री-डवरपमकेंट प्लान में क्षेत्र की वही शानों शौकत बरकरार रखी जाए जो मध्यकालीन में थी। दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन ने भी अपने पत्र

दिनांक 17 सितम्बर एंव 28 सितम्बर 2007 में स्पष्ट रुप से कहा है कि उस जगह पर अकबराबादी मस्जिद के अवशेष मौजूद हैं। जिनको एएसआई की मदद से सुरक्षित रखा जाए। टाईम्स ऑफ इंडिया न्यूज पेपर दिनांक 25.5.2011 में छपी खबर के अनुसार भी सुभाष पार्क, जामा मस्जिद में अकबराबादी मस्जिद के मौजूद होने और उसे एएसआई द्वारा सुरक्षित रखने के बारे में बताया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि अभी सुभाष पार्क में मेट्रो की खुदायी के दौरान एतिहासिक अकबराबादी मस्जिद के अवशेष और उस मस्जिद की बुनियाद मिली है। मुस्लिम समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मेरा आपसे यह अनुरोध है कि अकबराबादी मस्जिद को वहीं पर एएसआई और अन्य विभागों की मदद से सुरक्षित रखा जाए और मस्जिद को दोबारा से बनाया जाए।

अतः आपसे यह विनम्र निवेदन है कि यह मेट्रा स्टेशन सुभाष पार्क के बजाए सामने स्थिति नगर निगम के निर्माण विभाग के स्टोर के पास, महावीर वाटिका के पास बनाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेट्रो वाले काम कर रहे हैं और इस वक्त सब कुछ मिल चुका है, बढ़ा संवेदनशील और बड़ा अहम मसला है। मैं मुख्य मंत्री साहिबा से चाहूँगा कि इस बारे में कोई वक्तव्य दें। जामा मस्जिद का मामला है। आप पुरानी और एतिहासिक चीजों में बहुत रुचि रखी हैं। मैं अर्बन आर्ट कमीशन का लैटर टेबल कर रहा हूँ और डीयूएसी का नक्शा, मैं सब कुछ यहाँ पर टेबल कर रहा हूँ।

अध्ययक्ष महोदयः आप चीफ मिनिस्टर साहिबा को ये पेपर दे दीजिएगा।

श्री शोएब इकबालः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री साहिबा इस पर कुछ वक्तव्य दे दें, बुला लें, जो भी है, इसमें मीटिंग रखने का, क्योंकि, बहुत ही संवेदनशील मामला है।

अध्यक्ष महोदयः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शोएब साहब, ये पेपर दे दीजिएगा।

श्री शोएब इकबालः अध्यक्ष जी, यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। इस बारे में मुख्य मंत्री साहिबा कुछ बता दें।

अध्यक्ष महोदयः शोएब साहब, नियम 280 के अंतर्गत डा. एससीएल गुप्ता जी, चौ. सुरेन्द्र कुमार, डा. बिजेन्द्र सिंह जी, नरेश गौड़ जी बोलना चाहते थे। लेकिन समय अभाव से मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ। अब 20 मिनट के लिए सदन चायकाल के लिए स्थगित किया जाता है।

(सदन की कार्यवाही चायकाल के लिए 20 मिनट के लिए स्थगित की गई)

सदन पुनः 4.30 बजे अपराह्न समवेत हुआ।
अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शास्त्री) पीठासीन हुए।

विधेयकों पर विचार एवं पारित करना

अध्यक्ष महोदयः अब श्रीमती शीला दीक्षित, मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव करेंगी कि दिनांक 4 जून, 2012 को सदन में पुरःस्थापित दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक (विधेयक संख्या 10) पर विचार किया जाये।

मुख्यमंत्रीः Sir, I beg your leave for consideration and passing of Bill called "The Delhi Value Added Tax (Amendment) Bill, 2012 (Bill No.10 of 2012) introduced on 4th June, 2012 be taken into consideration and also be passed.

अध्यक्ष महोदयः यह प्रस्तान सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें
जो इसके पक्षर में हैं वे ना कहें
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।

अब मुख्यमंत्री बिल के सम्बन्ध में संक्षिप्त वक्तव्य देंगी।

मुख्यमंत्रीः Sir, this Bill intends to amend "The Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 03 of 2005). The salient features of the Bill are to cut

revenue losses on account of exemption of levy of VAT on increased price of diesel in June, 2011 an amendment of Section 2 is proposed. To provide for reduction of tax credit in case of inter-state sales against 'C' forms, amendment of Section 9 is proposed and amendment in Section 10 is a related amendment. To do away with the provision for filing of objection to revised return for reducing the tak due, amendment of Section 2(8) is proposed. To provide for online filing of the return by the contractees, amendment of Section 36(a) is proposed. To streamline the process of refund, amendment of Section 38 is proposed. To delink the provision under Section 49 of the DVAT Act, 2004 from the Income Tax Act, 1961, amendment of this Section is proposed. To bring uniformity in the system of issuance of invoices by the dealers and to provide for automatic allotment of numerical series for invoices by the Department, amendment of Section 50 is proposed. To provide for the new designation of Special Commissioner in the Department, amendment of Section 66 is proposed. To provide for calling of information in electronic form and for enhancement of the fine amount, amendment of Section 70 is proposed. To increase the efficiency of the Appellate tribunal by providing for constitution of benches for speedy disposal of appeals, amendment of Section 73 is proposed. To increase the company secretaries in the list of professions for appearance before any authority in proceedings, amendment of Section 82 is proposed. To provide for minor corrections of the sections dealing with penalty provisions, amendment of Section 86 proposed. Sir, I beg that the Bill be passed.

अध्यक्ष महोदयः अब विधेयक पर खण्डवार विचार होगा। प्रश्न है कि खण्ड़ 2 से खण्ड़ 14 तक विधेयक का अंग बनें-

जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें
जो इसके पक्ष में हैं वे ना कहें
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

खण्ड़ 2 से खण्ड़ 14 तक विधेयक के अंग बन गये।

अब प्रश्न है कि खण्ड़ 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक का अंग बने।

जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें
जो इसके पक्ष में हैं वे ना कहें
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

खण्ड़ 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक का अंग बन गये।

अब मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव करेंगी कि 'दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर संशोधन विधेयक 2012 (विधेयक संख्या 10) को पारित किया जाये।

मुख्यमंत्रीः Sir, I beg that this Bill may be passed.

अध्यक्ष महोदयः यह प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें
जो इसके पक्ष में हैं वे ना कहें
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

अब श्रीमती शीला दीक्षित जी, मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगी कि दिनांक 5 जून, 2012 को सदन में पुर:स्थापित 'दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर तीसरा संशोधन विधेयक 2012 (विधेयक संख्या 11) पर विचार किया जाये।

मुख्यमंत्री: Sir, I beg that "The Delhi Value Added Tax (3rd Amendment) Bill, 2012 (Bill No.11 of 2012) introduced on 5th June, 2012 be taken into consideration and that it may also be passed.

अध्यक्ष महोदय: यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।

अब मुख्यमंत्री बिल के संबंध में सक्षिप्त वक्तव्य देंगी।

मुख्यमंत्री: Sir, the Bill proposes amendment of Section 2 of 'The Delhi Value Added Tax Act, 2004' and it is proposed to give some relief to the general public from the high increase in the price of petrol by way of exemption of levy of VAT on the increased price of petrol which has been effected from 3rd June, 2012. The Bill seeks to achieve the aforesaid objective and, Sir, an annual loss to the tune of rupees hundred and forty crore is probably estimated on account of this Bill. Thank you, Sir.

अध्यक्ष महोदयः अब विधेयक पर खण्डवार विचार होगा।

प्रश्न है कि खण्ड़-2 जिसमें से धारा 2 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

खण्ड़-2 जिसमें धारा-2 का संशोधन है विधेयक के अंग बन गया।

अब प्रश्न है कि खण्ड़-1 प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक का अंग बनें।

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

खण्ड़-1 प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक का अंग बन गये।

अब मुख्यमुत्री प्रस्ताव करेंगी कि दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर तीसरा संशोधन विधेयक, 2012 विधेयक संख्या 11 को पारित किया जाये।

(4:45 बजे श्री सतप्रकाश राणा सदन के वेल में आये।)

मुख्यमंत्रीः Sir, I beg that this Bill may kindly be passed.

अध्यक्ष महोदयः यह प्रस्ताव सदन के समाने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि पानी के कारण हा-हाकार मचा हुआ है। सभी लोग परेशान हैं। मुख्यमंत्री जी एक बैठक बुला लें। सारे एमएलएज को बुला लें, अफसरों को बुला लें और पानी के कारण जो कठिनाई पैदा हो रही है सारी दिल्ली में उसके बारे में एक बार विचार कर लें नहीं तो मेम्बर्स की हालत बहुत खराब है। इसके लिए तो आप कह सकते हैं कि मुंख्यमंत्री एक बैठक.....सारे एमएलएज और ऑफीसर्स को बुलाकर इसका कोई न कोई हल निकाल लें।

विधेयक पर विचार एवं परित करना।

अध्यक्ष महोदयः देखिये, आपने मुख्यमंत्री जी को कहा है, मैं भी आपके साथ अपने को मिलाते हुए उनसे प्रार्थना करुँगा कि वे जलबोर्ड के अधिकारियों को बूला लें जिसमें आप भी आ जायें, वे भी हों और इस पर गंभीरता से चर्चा हो जाये। अब श्रीमती शीला दीक्षित मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगी कि दिनाँक 5 जून, 2012 को सदन में पुनःस्थापित दिल्ली विलासिता संशोधन विधेयक 2012 का विधेयक संख्या 12 पर विचार किया जाये।

Chief Minister: Sir, with you permission, I beg to move that 'Delhi Tax on Luxuries (Amendment) Bill, 2012 (Bill No. 12 of 2012) introduced on 5th June, 2012 be taken into consideration and also beg to move that the Bill be passed.

अध्यक्ष महोदयः यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष महोदय, अभी हमें इसका विरोध करना है। हमें बोलना है। We want to speak on that.

अध्यक्ष महोदयः बोलना चाहते हैं, बोलिये।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष महोदय,

.....व्यवधान.....

अध्यक्ष महोदयः एक मिनट सुनिये जरा। प्रो. साहब बैठिए। चौहान साहब बैठिए। देखिये। सुन तो लीजिए। देखिये प्रस्ताव आया है। इस पर चर्चा तब होगी जब मुख्यमंत्री जी बिल के संबंध में सक्षिप्त वक्तव्य देंगी। उसके बाद चर्चा होगी तब आप बोल सकते हैं।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

प्रस्ताव पास हुआ।

अब मुख्यमंत्री जी बिल के संबंध में संक्षिप्त वक्तव्य देंगी।

मुख्यमंत्रीः Sir, this current Bill includes imposing Luxury Tax on items of luxuries like Banquet Halls, Gymnasiums, Health Clubs and Spas. Besides increasing the scop of existing category of Luxury Tax on Hotels by reducing thethreshold limit from one thousand to seven hundred and fifty. The tax rate proposed for Banquet Halls. Gymnasiums, Health Clubs, Spas and Hotels having tariff from rupess seven hundred and fifty to rupees one thousand. The Bill is primarily aimed to ensure rationalization of tax administration to broadbasing to additional revenue generation for infrastructure and social sectors, creation of a very viable date base of taxpayers. While framing this Bill, the Government has taken care that the small traders and entrepreneurs are not put to inconvenience by way of prescribing a threshold limit. The Luxury Tax revenue generation is approximately estimated to bring in rupees ten crores in the initial phase. Thank you, Sir.

अध्यक्ष महोदयः मल्होत्रा जी।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष महोदय, शायद दुनिया में पहला ऐसा शहर है, जिसमें मुख्यमंत्री ने लग्जरी की डेफिनेशन बदली। लग्जरी कही जाती है। है कोई दुनिया में जगह जो कहे कि जिम्नेजियम में जाना लग्जरी है। कोई दुनिया में जगह है जहाँ कहें कि बैंक्वेट हॉल में जाना लग्जरी है। एय्याशी के नाम पर लग्जरी का मतलब कोई एय्याशी की, कोई शराब की बात करें कोई 7 स्टार, 5 स्टोर होटल की बात करें परन्तु यहाँ दिल्ली के अंदर जिमनेजियम में गरीब आदमी भी अपने बच्चों को जिम्नेजियम भेजना चाहता है, इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा जिम्नेजियम खोले जायें। ज्यादा से ज्यादा जिम होने चाहिए। वहाँ बच्चों को जाना चाहिए। टी.वी पर शराब के जो जगह जगह माल्स पर शराब खोल रखी है। वहाँ जाने की बजाय जिम में जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि वह लग्जरी हो गयी। लग्जरी की डेफिनेशन बदल रहे हैं और क्या कह रहे हैं Banquet Halls which includes chairs, table, linen, utensils, vessels, shamiana, tent, pavilion. सड़क पर शादी पहले होती थी, सड़क पर शादियाँ बंद हो गयी। शामियाने लग नहीं सकते। चार मंजिले मकान बन गये। पार्कों में शादी सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर रखी है। वहाँ पर कहा कि दस दिन से ज्यादा नहीं होगी। फार्म हाउसेज में कोई जा नहीं सकता। 5 स्टॉर होटल में कोई जा नहीं सकता। बैंक्वेट हाल बचे हुए हैं। वो पहले ही आपको वेट दे रहे हैं। वेट दिया जा रहा है, वैट के अलावा सर्विस टैक्स दिया जा रहा है। अब उन पर लग्जरी टैक्स लगा दो। तो क्या गरीब आदमी कहीं शादी नहीं करेगा? ये अमीर आदमियों की बात है? ये एय्याशी की बात है? ये लग्जरी है वहाँ पर शादी करना? यहाँ पर कहाँ शादी करे कोई भी आदमी? कोई मिडिल क्लास का भी आदमी, उसके लिए सिवाय बैंक्वेट हाल के कोई जगह नहीं है। अब बैंक्वेट हाल के लिए कह रहे हैं कि उस पर लग्जरी टैक्स भी लगा दिया जाये। आपने आमदनी कितनी बताई? 10 करोड़.10 करोड़

की आमदनी के लिए सारे जिम्नेजियम दिल्ली के सारे बैंक्वेट हॉल, सार स्पॉ, जिनमें पैडीक्योर होता हो। उन सब के ऊपर टैक्स लगाकर के उनको इन्सपेक्टसरों के चक्कर में डालना इससे ज्यादा क्या बात हो सकती है? इसको आप देंखें यहाँ पर जो उनको कन्वर्जन चार्ज भी देना पड़ता है। आप शराब पर टैक्स लगाएँ और शराब पर टैक्स लगाने पर कई हजार करोड़ रुपये की इन्कम हो जाती है। परंतु उन पर भी नहीं टैक्स लगना, दस करोड़ के लिए दिल्ली के सारे जैमनेजियम, सब पर टैक्स लगा दो। ताकि जो गरीब आदमी का बच्चा, मीडिल क्लास का बच्चा, जैमनेजियम में जाता है उसके ऊपर भी टैक्स लगा, बैंक्वेट हॉल पर भी टैक्स लगा, स्पा पर भी लगा दो और उसके अलावा ये सभी चीजें इसके अंदर कही गयी हैं। हम इसका जोरदार विरोध करते हैं। यह एंटी पीपल एक्ट है और इसको लाना ही एक दिवालिएपन का प्रतिक है यह कहना कि जैंमनेजियम जो है ये लक्जरी है, बैक्वेट हॉल जो है वो एक लक्जरी है वहाँ पर शामियाना लगता है, तम्बू लगता है, कुर्सी मेज रखे जाते हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि मुख्य मंत्री इसको विद्रड्रा कर ले तो ज्यादा अच्छा है। पहले भी इन्होंने सीएन जी पर वैट लगा दिया था ओर उसके बाद विद्रड्रा करना पड़ा। वो तो एक बहुत बड़ी रकम थी, यहाँ तो दस करोड़ की बात कर रहे हैं। दस करोड़ के लिए ऐसा एंटी पीपल है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसको वापिस ले लिया जाये यही आपसे कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदयः प्रोफेसर जगदीश मुखी।

डॉ. जगदीश मुखीः अध्यक्ष महोदय, हर राज्य सरकार कोशिश करती है कि जनता के हितार्थ अधिक से अधिक आय पैदा करे और जरुरत पर खर्च करे। मुझे लगता है कि इसीलिए यह एक्सरसाइज की गयी। हर एक सरकार करती है। हम भी यही सोचते थे जब सरकार में थे। हमारे समाने यह समस्या आई थी। हमारी सरकार के समय लॉटरी से बहुत बड़ी इन्कम होती थी। किंतु यह एक सामाजिक अभिशाप और सामाजिक बुराई थी। बहुत

औरते अपने बच्चें को सीने से लगाकर के आत्मदाह कर रही थीं, हमने वो सारा रैवेन्यू त्याग दिया। आल्टरनेटिव के रुप में हमने लक्जरी टैक्स ढूंढा। जो होटल में एक रात का दस रुपये दे सकता है वो दिल्ली सरकार को एक हजार रुपया दे सकता है। दस परसेंट टैक्स देकर के। उसे लक्जरी टैक्स कहते हैं। श्रीमान मल्होत्रा जी ने ठीक कहा। मैं हैरान हूँ कि लक्जरी की परिभाषा क्या की है। अध्यक्ष जी, आप हैरान होंगे कि लक्जरी means use of goods. I fall to understand. कौन से अधिकारियों ने ऐसा लिख कर के दिया। Luxury means use of goods. Luxury means services. Luxury means properties. Luxury means आगे उदाहरण दिया है for example, space provided in banquet hall which includes chairs, which includes tables, linen, utensils, vessels, shamiana इसका इस्तेमाल करना luxury है, इसको पढ कर के हंसी आती है। यानि कि Luxury Tax जिस aim से लगाया गया था सरकार का purpose serve हुआ। बहुत बड़ी इन्कम आपको आती है। आज तीसरे नंबर का सबसे बड़ा रैवेन्यू है वहाँ से। आज आप दस करोड़ इक्ट्ठे करने के लिए इंस्पेक्टर राज शुरु करेंगे। हर एक से कह रहे हैं। वहाँ जाकर के परेशानी खड़ी करेंगे। केवल मात्र दस करोड़ के लिए। यह बात गले नहीं उतरती है। यह जो कहा गया है बैंक्वेट हॉल के अंदर लक्जरी टैक्स लगाया जाये। श्रीमान मल्होत्रा जी ने ठीक कहा है आज सबसे चीपेस्ट शादी करना आम आदमी के लिए बात कर रहा हूँ मैं, आम आदमी नहीं गरीब आदमी। उनके लिए एक ही विकल्प बचा है, डेढ दो सौ लोगों की पार्टी करनी है। घर के पास बैंक्वेट हॉल है, हर गली, कूचे के अंदर शादी कर लेते हैं, बडे ही सस्ते में हो जाता है। पार्क बुक होते नहीं है, यदि बुक होते हैं, 40 हजार उसकी बुकिंग के लिए लग जाते हैं, डीडीए के पास, उनके पास केवल यही एक विकल्प बचा है आप उसके समाप्त करना चाहते हैं.....अंतरबाधा।

डॉ. जगदीश मुखी: नहीं-नहीं एमसीडी के नहीं, मैं कह रहा हूँ। अध्यक्ष जी, ये बिना

बात के पॉलिटिक्स कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ओदश हैं, पार्क चाहे डीडीए के हों या एमसीडी के हों आप किसी भी पार्क में महीने में दस दिन से ज्यादा बुकिंग नहीं कर सकते और उसमें भी हैवी चार्जेज हैं, जबरदस्त डाल के .....अंतरबाधा।

डॉ. जगदीश मुखी: अध्यक्ष जी, हम बिल की बात कर रहे हैं, यह एमसीडी की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि बैंक्वेट हॉल में मैरिज करना आम आदमी के लिए शादी करना चीपेस्ट है इसलिए इसको लक्जरी मान कर के लक्जरी टैक्स लगाना इससे गलत बात और कोई नहीं हो सकती। ठीक कहा गया है, जिमनाजियमस, हैल्थ सेंटर, हमें इनको इन्सेंटिव देने चाहिए। नौजवानों को विद्यार्थीयों को सरकार की तरफ से देने चाहिए कि आप हैल्थ बनाओ, आपकी हैल्थ बनेगी, दिल्ली की हैल्थ बनेगी, देश की हैल्थ बनेगी। आज हम को इन्सेटिव देने की बजाय, कहते हैं कि ये लक्जरी है, आप एक्सरसाइज करने क्यों जा रहे हो। एक्सरसाइज करने क्यों जा रहे हो, यह लक्जरी है, उस पर टैक्स लगाया जा रहा है। यह कौन सी लक्जरी की परिभाषा है, इसी तरह से यह जो टैरिफ लगाने की बात की है, मैं जानना चाहता हूँ 750 रुपये से लेकर के एक हजार रुपये में किराये का कमरा कितने लोग रहते हैं, कौन लोग रहते हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति जो दिल्ली में आयेगा उसके कमरा एक दिन के लिए किराये पर लेना है तो 750 रुपये से कम कोई कमरा किराए पर नहीं मिलता है और आप उसको लक्जरी कह रहे हैं। लक्जरी तो वो होगी जब होटल के अंदर जाकर के रुकेंगे जो एक साधारण काम के लिए एक रात के लिए जो होटल में रुकेगा। आप कहते हैं कि 750 रुपये देकर के रहने वाला लक्जरी है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो कहाँ रहेंगे जो लोग एक दिन के लिए आते हैं, बिजनेस के लिए आते हैं, एक्जाम के लिए आते हैं। 750 रुपये में कोई कमरा मिल सकता है क्या? आप उस पर टैक्स लगा रहे हैं। होटल के एक्ट को अमेंड करने के बजाय, नया टैक्स लगा देते हैं। आप हैरान होंगे कि इनको ये सारे अमेंडमेंटस लाने पड़े, क्यों लाने पड़े। आप उस

पर टैक्स लगा रहे हैं जी। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं जो बात कहना चाहूँगा वो यह कि होटल की जो कहते हैं कई बार एक्ट को एमेंड करने की बजाय नया टैक्स लगा देते जी। अध्यक्ष महोदय, आप हैरान होंगे, इतने सारे एमेंडमेंट्स लाने पड़े इनको, क्यों लाने पड़े हैं क्योंकि जो पहला एक्ट है वो basically actual luxuries पर है आज इन्होंने उस परिभाषा में word 'Hotel' has been changed क्योंकि होटल पर लग्जरी टैक्स था word 'Hotel' के लिए एमेंडमेंट किया गया है होटल की जगह वर्ड क्या लिखा है Establishment' यानी आपने करना ही है, नया टैक्स लगाइये, ढूंढने अच्छा साधन, मैं मना नहीं करता हूँ आपको। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से अगल वर्ड है 'Hotelier'. 'Hotelier' की जगह शब्द इस्तेमाल किया है 'Proprieter'. 'Proprieter' शब्द इस्तेमाल किया है क्योंकि यदि आपने वास्तव में आज साधारण व्यक्ति पर टैक्स लगाना था कोई नाम और दे देते, अक्ल की बात कर लेते उसमें। नाम और दे देते, नया बिल ले आते। कहते हैं नकल में भी अक्ल की ज़रुरत होती है, आप उसी एक्ट को एमेंडमेंट किए जा रहे हैं, होटल की जगह आपने कर दिया 'Establishment'. What does it mean, I fail to understand. हँसने की बात नहीं है मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पिछली बार एक एमेंडमेंट लाया था जी, जब यह यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बिल लाये थे, लॉ यूनिवार्सिटी मैंने कहा था यह बिल गलत है, मैं यह एमेंडमेंट लाया हूँ जी। कहते हैं नहीं जी, उसमें prestige issue बना लिया था। बाद में यह सेंट्रल गवर्नमेंट में भेजा, उन्होंने रिजेक्ट करके भेज दिया, जो मैंने एमेंडमेंट लाया था, रिजेक्ट किया था, उसको as it is इनको एमेंडमेंट लाना पड़ा। मैं निवेदन कर रहा हूँ मुख्यमंत्री जी से, यह जल्दीबाजी में लाया गया एक बिल है और गरीब व्यक्ति के ऊपर कुठाराधात है। यह लग्जरी टैक्स नहीं है और 10 करोड़ रुपये के लिए केवल मात्र आप इंस्पेक्टरी-राज दिल्ली की जनता पर थोपने जा रही है इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि यदि आप इसे विदड्रा नहीं करती है, तो इसे consideration के लिए एक सलेक्ट

कमेटीक पास भेज दे तो आपके मैम्बर्स की क्या ओपिनियन है यह पता लग जाएगा। उसके बाद आप दो महीने बाद डिसाइड कर लीजिए। Heaven is not going to fall. इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ इस जल्दबाजी में जो डेफिनिशन आपने सारी चेंज की है all are going to the challenged in the Court of Law, I tell you all. इस जल्दबाजी के अंदर मेरा निवेदन है बिल को पास न किया जाये, इसे सलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाये ओपिनियन, आपके मैम्बर्स ज़्यादा वहीं पर होंगे, आप ही के मैम्बर होंगे, ओपिनियन आपके पास आ जायेगी, दो महीने बाद इसे आप फिर से reconsider कर लीजिए। यह मेरी आपसे प्रार्थना है, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः देखिये, प्रो. मल्होत्रा और प्रो. मुखी ने मुद्दे की बाते कह दी हैं, जो-जो इस पर कहीं जा सकती थीं इसलिए ज़्यादा लोग न बोले तो अच्छा है। लेकिन हाथ बहुतों ने.....(व्यवधान)

श्री साहब सिंह चौहानः अध्यक्ष जी, एक कानून बनना है और असेम्बली का मूलभूत उद्देश्य कानून बनाना है आप यह कैसे कह सकते हैं....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिये। चौहान साहब, आप बैठिये। पहले सुनिये।

श्री साहब सिंह चौहानः अध्यक्ष जी, असेम्बली का तो मूल उद्देश्य कानून बनाना है, इस पर भी चर्चा न हो.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः चौहान साहब आप बैठिये।

श्री साहब सिंह चौहानः और सरकार जल्दबाजी में ले आए, इस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए, जल्दबाजी में नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जल्दबाजी में, क्या करण है कि जल्दबाजी में लाया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि चर्चा तो हो गई.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिये। चौहान साहब, आप बैठिये। आपने सुना ही नहीं कुछ, वैसे ही लग गये बोलने। आप बैठ जाइये। पहले सुनिये, मैं जो कह रहा हूँ, वो सुनिये। आप बीच में ही कूद पड़ते हैं।

श्री साहब सिंह चौहानः सर, मैं अपनी बात रख रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदयः नहीं गलत बात है यह। देखिये, डॉ. साहब, एक मिनट, मैं वो ही कहने जा रहा हूँ दो मिनट से ज़्यादा कोई न बोले, बोलने वाले कई हैं और इसके बाद भी बहुत अधिक काम बचा हुआ है जिसको हमें आज पूरा करना है इसलिए दो मिनट से ज़्यादा कोई न बोले। इसलिए मैंने कहा है कि दोनों ने मुख्य बातें तो कह ही दी हैं। सुभाष सचदेवा जी।

श्री सुभाष सचदेवाः अध्यक्ष जी, आपने चर्चा शुरु करा दी, यह अच्छा है लेकिन सत्ता पक्ष तो चर्चा से पहले ही कह रहा है कि बिल पास हो गया, बिल पास हो गया। इनको क्या जल्दी है, मेरे को समझ में नहीं आया, शायद रुल्स एंड रेग्युलेशन आज ये पढ़ कर नहीं आये वरना किताब बड़ी फटाफट खोल कर दिखाते हैं ये। अध्यक्ष जी, यह बिल जो आया है, विजय जी और मुखी जी ने अपनी बात बिल्कुल कह दी है। अभी कुछ मित्रों ने एकदम कुछ काम न हो तो दिल्ली नगर निगम का यह सवाल खड़ा कर देते हैं। दिल्ली नगर निगम के पार्क की बुकिंग का रेट है 5 हज़ार, डीडीए की रेट है 32 हज़ार और मेरे भाई राजकुमार चौहान जी जो स्लम बोर्ड के मालिक है, अब वालिया जी हो गये हैं इनकी जगह की बुकिंग का रेट है पौने दो लाख रुपया ओर पौने दो लाख की बुकिंग कराने के बाद वो टैंट वाला कितने पैसे लेता है इसका अंदाज़ा लगा लो और तीन सौ, चार सौ, पाँच सौ आदमियों की बुकिंग, तीन-चार लाख में तो शादी हो जाती है अध्यक्ष जी, लग्जरी स्लम बोर्ड की हो रही है या लग्जरी Banquet Hall की हो रही है यह इनको फैक्ट्स पता नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है।

श्री सुभाष सचदेवाः अध्यक्ष जी, चौहान साहब ने इतनी कोशिश की अफसरों को समझाने के लिए की यह पौन दो लाख रेट क्यों रख रहे हो। लेकिन इनकी भी अफसरों ने नहीं मानी, मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि कुछ लॉबी ऐसी है, शीला जी से कुछ न कुछ ऐसा करवा देती है हर दूसरे दिन कि पब्लिक में हल्ला मच जाता है। वैट अभी कम किया, तो अभी यह टैक्स कर दिया जी। मेरे को तो यह लगता है कि शीला जी को फंसा रहे हैं इनके अफसर।

अध्यक्ष महोदयः बैठिये। बैठिये। डॉ. हर्षवर्द्धन जी।

श्री सुभाष सचदेवाः अध्यक्ष जी, यह बिल वापिस लिया जाये और यही दिल्ली की जनता के हित में है।

अध्यक्ष महोदयः सचदेवा जी, बैठिये। डॉ. हर्षवर्द्धन जी।

डॉ. हर्षवर्द्धनः सर, वैसे तो जैसा आपने कहा कि प्रो. मल्होत्रा ने और प्रो. मुखी ने हमारी जो बात इस बिल के संदर्भ में जो भावना है बड़े स्पष्ट रुप में रखी है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध यह करना चाहता हूँ कि इसको prestige issue न बनाये। अब मुझे बड़ा आश्चर्य हैं कि कोई बिल आता है तो ज़रुर वो कैबिनेट में आया होगा और हेल्थ मिनिस्टर की प्रेजेंस में आया होगा मैं कुछ जो अभी आज की तारीख में लेटेस्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है दुनिया के बारे में कि दुनिया के अंदर 45 परसेंट जो disease burden है वो केवल physical inactivity के कारण हो रहा है और आज से दस साल पहले World Health Day पर जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सारी दुनिया के लोगों को प्रेरित करने के लिए World Health Day पर Theme दिया था अपना कि

'Let's Walk for Health, Let's Exercise for Health'. 65 परसेंट हमारे समाज में नौजवान हैं और 90 परसेंट जो बीमारियाँ है डॉ. वालिया इस चीज़ को appreciate कर सकते हैं वो केवल prevention से और positive health attitude के development से उनका prevention हो सकता है, उनसे हम बच सकते हैं। 10 परसेंट बीमारियाँ केवल ऐसी हैं जिनको आप अस्पताल में ले जाकर और डॉक्टरों की मदद से ठीक कर सकते हैं। ऐसे में Gyms के ऊपर जो कि मैं समझता हूँ उल्टा इसको तो विदड्रा करके और कोई ऐसी स्कीम आप लेकर आये कि जीम्स को और इस तरीके की जो activities है, play centres है या कोई बड़े-बड़े प्लेग्राउंड्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए सरकार को जैसा उसको compensate करना है 10 करोड़ रुपया आपको चाहिए। आप तम्बाकू के ऊपर टैक्स लगा दीजिए। अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने, कर्नाटक की सरकार ने, बिहार की सरकार ने, आपकी केरल की सरकार ने उन्होंने तम्बाकू के उत्पाद उन पर टोटल उनका प्रोडक्शन तक बैन कर दिया in the larger interest of health उनको कितना उसके कारण घाटा हुआ होगा we can appreciate that. तो मैं इसका जो health aspect है वो बहुत ही जिसे कहते हैं कि स्ट्रांग भी है और इसमें यह बिल जो है हेल्थ की दृष्टि से यह anti-people भी है और anti-health भी है। तो इसमें मुख्यमंत्री जी से विनम्र हमारा निवेदन है कि इसको कोई राजनीति का हमारा, हम इसलिए विरोध नहीं कर रहे कि यह आपकी सरकार लेकर आई है। यह वास्तव में आपको आज नहीं तो कल जो है पास कर भी लेंगे अपनी मैजोरिटी के कारण तो सड़कों के ऊपर इसका जब नौजवान विरोध करेंगे, आपको इसको विदड्रा करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है, श्याम लाल गर्ग जी।

श्री श्याम लाल गर्गः अध्यक्ष जी, जब यह बिल हाउस में रखा गया तो कुछ लोगों में मैंने चर्चा की और उसमे हमारी जो मित्र मंडली है, केवल बीजेपी नहीं, कांग्रेस के मित्र

भी उसमें है जिसमें बैठकर मैं चर्चा करता हूँ। आप यकीन करिये, इस बिल को देखकर एक आदमी ने भी यह नहीं कहा कि इस बिल को लाने में good sense prevail की गई है। सब ने यह कहा कि इसमें बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दिया गया और वो इसलिए अध्यक्ष जी कि आज जैसा डॉ. हर्षवर्द्धन ने कहा अभी कि दिल्ली में यह ठीक है कि रोड़, ड्रेन की लोगों को ज़रुरत है लेकिन इनसे ज़्यादा priority अगर सब एमएलएज अपने इलाके में देखते होंगे तो वो आज पार्क बन गए हैं और पार्क के साथ जीम भी उतनी priority बन गई है। मैं अपनी विधान सभा में लोगों की भारी डिमांड को देखते हुए 5 जगह पर जिम बनवा रहा हूँ। कहीं डीडीए से कहीं एमसीडी से कहीं एमएलए फण्ड से। वो इसलिए बनवा रहा हूँ कि लोगों को आज यह समझ में आ रही है कि हमें अगर अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो डाक्टर हर्षवर्धन ने जो बात कही है, मै उसको दोहराना नहीं चाहता पर अपने को पूरी तरह से उसके साथ जोड़ना चाहता हूँ। आज सुबह 6.30 बजे मुझे पश्चिम विहार में दिव्य योग वालों ने बुलाया। अध्यक्ष महोदय, मैं वहाँ गया। वहाँ जो योगाचार्य थे, उन्होंने दस बारह आदमी खड़े किये। एक दिल्ली युनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी हाईली एज्यूकेटिड और बहुत ही elte class के लोग उसमें थे। उसने खुद कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं चल फिर नहीं सकती थी। मेरे पति मुझे गाड़ी में बैठा करके यहाँ लाते थे और 6 महीने के अंदर मेरे लिये क्लाश में खड़े हो कर और बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत होती थी लेकिन इस योगा और एक्सरसाईज की वजह से आज मैं पूरी तरह से अपनी क्लाश अटैंड करती हूँ। गाड़ी घर पर छोड़ कर पैदल यहाँ पर आती हूँ और पुरी तरह से भाग लेती हूँ। यह एक विष्य है जिसको समझने की जरुरत है और इसके लिए जिन एक सबसे आसान उपलब्ध और नौजवानों के लिए, अच्छा, यह केवल दिल्ली की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पूरी दुनिया में कहीं चले जाओं, सब लोग नौजवानों की एक्टीविटी के लिए प्रोत्साहन करते हैं। सरकार की तरफ से प्रोत्साहन होना चाहिए। यहाँ प्रोत्साहन तो बहुत दूर की बात है, उनको demoralize किया जा रहा है उनको लग्जरी आइटम बताई जा

रही है। वहाँ क्या luxury है, वहाँ क्या विलासिता है। थोड़ा सा विलासिता के बारे में समझा दें और यह आज की जरुरत है कि सरकार यह प्रस्ताव लाती कि हम हर विधान सभा में कम से कम तीन-तीन जिम सरकारी खर्चे से चलायेंगे। सब को इस बात की खुशी होती, हर्ष होता।

अध्यक्ष महोदयः गर्ग साहब, आपकी बात हो गई, आप बैठिए।

श्री श्यामलाल गर्गः अध्यक्ष जी, समाप्त कर रहा हूँ अध्यक्ष जी, जो बात विजय कुमार मल्होत्रा जी ने और जगदीश मुखी जी ने कहीं है, अब आप मुझे बैठायेंगे, मैं उस पर भी बोलना चाह रहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस प्रकार से टैक्स लगायेंगे लोगों को लगता है कि सरकार की हालत यह हो गई, कल को ये मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में जायेंगे तो उस पर भी टैक्स लगाने की सोचेंगे। यह तो जजिया टैक्स लगाने जैसी मानसिकता सरकार की हो गई है। इस मानसिकता को इनको खुद ही रोकना चाहिए नहीं तो जनता, खास तौर पर नौजवान सड़कों पर आ कर इस मानसिकता को कुचल देंगे, इसको चलने नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इसमें कोई सेलेक्ट कमेटी की जरुरत नहीं, इस बिल को वापिस लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिए। श्री साहब सिंह चौहान जी, आप बोलिए।

श्री साहब सिंह चौहानः I am sorry, आप यह कहना चाह रहे थे कि थोड़ा-थोड़ा बोलें, आपके मन को दु:ख पहुँचा है, I am sorry for that. अध्यक्ष जी, लगजरी का भार्गवा की जो डिक्शनरी है उसमें अर्थ बड़ा साफ है विलासिता और इस विलासिता पर टैक्स आज बैंकट हॉल एक necessary need हो गई है, आवश्यक, आवश्कता है। यहाँ बरसात के मौसम में जहाँ मास्टर प्लान जहाँ इतना लागू है सर, बहुत strictly Master Plan लागू होने के बाद सड़कों पर अलाऊ नहीं ट्रेफिक पुलिस

अलाऊ नहीं करती कोई function करने के लिए, लोकल पुलिस अलाऊ नहीं करती और क्षेत्र के लोग भी नहीं चाहते कि वहाँ सड़कों पर रखे और ट्रेफिक वगैरह में कोई प्रोबलम आये। सर, पार्क में भी 10 परसैंट लेकिन ornamental park में तो बिल्कुल अलाऊ नहीं है यदि ornamental category का पार्क है declared है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेशं है कोई function हो नहीं सकता। अध्यक्ष जी, छोटे-छोटे functions नामकरण है, दशोटन है यहाँ तक कि रश्म क्रिया, मरने के बाद क्रिया तक के कार्यक्रम छोटे-छोटे रश्म का कार्यक्रम बैंकट हाल में होता है क्या यह लगजरी है। क्या यह लगजरी कहा जायेगा अगर मरने के बाद कोई रस्म क्रिया की जाती है और बरसात आ जाये, थोड़े से पैसे में गलियों में पहले तो रहेगी नहीं वो भीआपके कमर्शियल रोड पर होंगे। MLU पर भी अलाऊड नहीं है। आपके बहुत सारे सील कर दिये गये हैं मास्टर प्लान के अंदर। लेकिन tax के लिए केवल टैक्स लगाया और जैसा कि बजट में कहा नो लोन बजट। सरकार को लोन लेने में शर्म नहीं है। बहुत सारी सरकारें आ रही हैं, ग्रांट मांग रही हैं, लोन भी मांग रही हैं। केन्द्र से आप भी मांगिये लेकिन केवल यह कहना कि नो लोन हमारा बजट है इसलिए पता नहीं हम क्या-क्या कर रहे हैं। सीएनजी पर जैसे लगा दिया था, अब पीछे वापिस करना पड़ा, प्रदूषण के साथ जब 12 रुपये किलो थी और प्रदूषण के लिए आज बिजनेश का मुद्दे बन गया। सीएनजी को भी आपने व्यवसाय बना लिया। हर बैकट हाल को व्यवसाय का वो बना रहे हैं। ऐसे छोटे-छोटे गरीब लोग, झुग्गी झोपड़ी वाले लोग मध्यम वर्ग के लोग, बड़े लोगों ने कहाँ जाना है, फाईव स्टार में Mall premises में वहाँ बहुत बड़े-बड़े बने हैं। Five Star Hotels जा करके Farm Houses में कर रहे हैं। बड़े रईस लोग तो वहाँ करेंगे इन छोटे-छोटे बैंकट हाल में 200-250 गज के, इनको विलासिता की संज्ञा देना, Gym आज boost कर रहे हैं। आज health consciousness इतनी बढ़ती जा रही है कि कहीं न कहीं जा करके अपने शरीर को व्यायाम करने के लिए उस जिम को भी विलासिता की यहा कहाँ की परिभाषा दी है। कौन से डिपार्टमेंट ने कैसे यह

दे दी। इसलिए यह पूरी तरह से anti-people है। मैं भारतीय जनता विधायक दल की और से जैसा हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा इसे जल्दबाजी में कोई कानून बनता है जल्दबाजी में नहीं लाया जाना चाहिए। वैसे भी 7 दिन पहले देना चाहिए आपके रुल के मुताबिक इसको पूरी तरह से स्टडी किया जाये। नहीं हो तो इसको जैसा मुखी जी ने कहा सेलेक्ट कमेटी को दे दें। हम इसका विपक्ष की तरफ से पुरजोर विरोध करते हैं। इसको जल्दबाजी में नहीं लाया जाना चाहिए और न ही पास किया जाना चाहिए। धन्यवाद, सर।

अध्यक्ष महोदयः श्री लवली जी।

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष जी, हमारे बहुत सारे माननीय विपक्ष के सदस्यों ने अपनी अपनी चिंता व्यक्त की है इस लगजरी बिल पर और लगजरी की डेफीनेशन पर विशेषकरके हमारे नेता विपक्ष ने भी और जगदीश मुखी जी ने भी और बाकी सदस्यों ने भी। अध्यक्ष जी, मुझे इनकी बात सुन का बहुत अचंभा हो रहा है। अचम्भा का कारण यह है कि हमारे मानीय सदस्य इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि इन बैंकट हॉल के ऊपर जो टैक्स लगाने की बात हो रही है। वो बैंकेट हाल के टर्न ओवर देखकर टैक्स लगाने की बात हो रही है। यह गरीब आदमी के बैंकट हाल की बात नहीं हो रही यह उन बैंकट हाल की बात हो रही है जहाँ पर जिस तरीके की जो है मैं समझता हूँ कि एक ऐसा कानून लाने की भी जरुरत है जहाँ हम restrict करें क्योंकि आज गरीब आदमी के लिए शादी करना मुश्किल हो गया है क्योंकि गरीब आदमी जिस तरीके का कम्पीटीशन हो गया है कि लोग अपनी हैशियत से ज्यादा खर्च करते हैं। बैंकट हाल जिस तरीके से हावी हो रहे हैं, बजाय उसके डिस्कशन करने के अगर आज इन बैंकट हॉल पर लग रहा है जिन फाईव स्टर होटल की आप बात कर रहे हो वो भी जिस जगह पर शादी करते हैं, उसको बैंकट हॉल ही कहते हैं। वो उस फाईव स्टार का बैंकट हॉल होता है। यह टैक्स उन पर लगेगा। यह टैक्स उन पर लगेगा जो 5 से 15 लाख रुपया एक दिन की बुकिंग का लेते हैं। ये कोई एमसीडी के

कम्पुनिटी हॉल, डीडीए के कम्युनिटी हाल या गरीब आदमी का कम्युनिटी हाल जिसकी टर्न ओवर मल्होत्रा जी 5 लाख से कम है उस पर टैक्स नहीं लगेंगा। आप बिल पढ़िये। पांच लाख से ऊपर जिसकी टर्न ओवर है उसके ऊपर टैक्स लगेगा और....व्यवधान

डॉ. जगदीश मुखी: अध्यक्ष जी, मंत्री जी सदन को गुमराह न करें। एक भी बैंकट हॉल ऐसा नहीं है जिसकी टर्न ओवर 5 लाख से ऊपर न हो।

अध्यक्ष महोदय: प्रोफसर साहब, आप इस पर न बोलिए। लवली जी, आप बोलिए।

शिक्षा मंत्री: अध्यक्ष जी, जिनकी टर्न ओवर 5 लाख से ऊपर है उसको आप गरीब कहते हैं। अध्यक्ष जी, मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है, माननीय नेता विपक्ष कहते हैं कि उन Spa पर टैक्स लग रहा है जहाँ पर Pedicure होता है। Pedicure कोई गरीब आदमी कराने जायेगा। जो आदमी अपना पैर खुद साफ नहीं कर सकता। उसके ऊपर टैक्स क्यों न लगे। अब Pedicure तो कोई बड़ा आदमी करवाने जायेगा। और आप जिन जिम की बात कर रह हैं ये Spa और जिम की बात कर रहे हैं मैं भी ऐसी विधान सभा का प्रतिनिधित्व करता हूँ और ऐसी लोग सभा के अंदर रहता हूँ जहाँ पर गरीब आदमियों की संख्या मल्होत्रा जी, साउथ दिल्ली से ज्यादा ही होगी। अध्यक्ष जी, मुझे तो नहीं लगता कि कोई गरीब आदमी सपा लेने गया हो। आपको याद पड़ता हो तो बताइयेगा।

दूसरा अध्यक्ष जी, 750 रु. रोज का यह काई छोटा अमाउंट नहीं है, गरीब आदमी आएगा किसी गैस्ट हाउस में रुकेगा तो गैस्ट हाउस का किराया कितना होता है 200 रु. या 300 रु. और बहुत ज्यादा गरीब है तो धर्मशाला में रुक जाएगा। 750 रु. राजोना का कमरे किराया दे रहा है दिल्ली में आकार रहने के लिए उसको आप गरीब मान सकते हो कम से कम मैं तो नहीं सकता। आप किसको बचाना चाहते हैं मुझे मालूम है कि बैक्वंट

हाल वाले बड़े प्रभावशाली लोग हैं उनका बहुत असर है। पर इतना प्रभाव इन पर पड़ेगा अध्यक्ष जी, यह मेरे लिए अचम्भा है इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी। यह देखकर आज मुझे अचम्भा हो रहा है। मेरा कहना है कि इस सदन में हम आम लोगों की आवाज उठाने आए हैं गरीब लोगों की आवाज उठाने आए है। बिधूड़ी जी आप तो गरीब लोगों के नुमाइन्दे हो, तुगलाबाद में अनाथराइज कालोनी के लोग रहते हैं। आप इनके चक्कर में मत आओं, आपने हमेशा गरीब आदमियों की बात की है तो इसलिए आप इस बिल के चक्कर में मत पड़ो। अध्यक्ष जी, मेरा यह अनुरोध है कि यह बिल केवल उन लोगों पर टैक्स लगाएगा जो अमीर लोग हैं। गरीब आदमी तो सुबह पार्क में सैर करने जाता है, आजकल एक कल्चर हो गया कि फाइवस्टार के अन्दर जिम का मैम्बर बनना। मैं जानता हूँ कि फाइवस्टार में बहुत सारे जिम ऐसे हैं जहाँ पर यह एक्सरसाइज से ज्यादा सोशल स्टेटस का सिम्बल हो गया है कि वह उस जिम में मैम्बर बने। डेढ़-दो लाख रु. उस जिम की मैम्बरशिप है। जो लोग दो लाख रु. खर्च करके जिम के अन्दर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो क्या अपनी हैल्थ के लिए जा रहे हैं। डा. साहब आप डाक्टर हैं आप हमारे बहुत सम्मानित साथी भी हैं मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आप मुझे मेडिकली बताइए कि ट्रेडमिल के ऊपर एक्सरसाइज करना ज्यादा बैटर है या गार्डन में एक्सरसाइज करना ज्यादा बैटर है? आप हैल्थ की बात कर रहे है तो इसलिए यह बहुत चिंता और दुख का विषय है कि हम लोग इस सदन में गरीब और आम लोगों की आवाज उठाने आए हैं, लेकिन उन गरीब और आम लोगों की आवाज में हम कुछ केन्द्रित लोगों को मुझे मालूम है उनका बहुत असर है उनकी भावनाओं को रखने के लिए सदन में नहीं आए। मैं समझता हूँ कि इस बिल से आम और गरीब आदमी को कोई नुकसान नहीं होने वाला और हम मुख्यमंत्री जी को बुधाई देना चाहते हैं कि वे गरीब लोगों को राहत दे रही हैं सीएनजी से टैक्स उन्होंने घटाया, टैंक्सटाइल इण्डस्ट्री को उन्होंने बचाया टैक्स वापस लेकर। सरकार ने पेट्रोल पर रियायत दी। दो लाख परिवारों को 600 रु. महंगाई भत्ता देने की उन्होंने बात की। तो निश्चित रुप से सरकार को कहीं टैक्स चाहिए

मैं समझता हूँ कि यह एक अच्छा कदम है और हम सबको इस बिल को स्पोट करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः श्री शोएब इकबाल। शोएब जी आप कृपया संक्षिप्त में बोलिए।

श्री शोएब इकबालः अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं जो हमारे साथियों ने अभी बोला, लग्जरी के नाम पर सरकार जो टैक्स वसूल कर रही है मात्र 10 करोड़ रु. के करीब होगा। उसमें ऐशो इशरत के लिए जो लोग जाते हैं उनके लिए आप 20-30 जितना भी आप कर दें कोई कम नहीं। जो फाइवस्टार होटल में और वैंक्वट में जाते हैं अगरचे 300 लोग जाते हैं तो आप समझ लीजिए उनका कितना बैठता है। लाखों रु. बैठ जाता है दुगुना तिगुना फायदा उठाते हैं। सरकार के पास रेवेन्यु भी आना चाहिए इसमें कोई बुराई की बात नहीं। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने लोगों की सेहत के लिए बहुत कुछ किया, सीएनजी लगवाई, दिल्ली को हरा भरा किया, यह हकीकत है। आपको यह भी क्रेडिट जाता है कि आपने दिल्ली के अन्दर मेट्रो चालू कराई। दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त किया। परन्तु जो जिम के ऊपर, भाई लवली जी कह रहे थे कि वह पैदल वाक करने जा सकता है, जहाँ पर स्लम बस्तियाँ है जहाँ बुरी हालत है वहाँ लोग नहीं जाते। आप जो पार्को की बात कर रहे है वे या आपकी गलती से या इनकी गलती से पार्क नहीं हैं, ग्राउंड नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, टूटी फूटी है क्या आप उन पर लोगों के पैर तुड़वाओगे।....इसमें हंसने की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, गलती दोनों तरफ से होती है लेकिन आज जिम के लिए इन्सान 50 रु. से 150 रु तक में मैम्बरशिप ले लेता है। अब उसके ऊपर अगरचे आप यह लगा देंगे तो यह मुनासिब नहीं और मुख्यमंत्री जी बड़ी हैं आज यह मैसेज जाएगा कि इन्होंने जिम को मुक्त कर दिया है जिम्नेजियम को मुक्त कर दिया है और दिल्ली के लोगों के लिए मजीद इन्होंने जिम खुलवाने का काम कर दिया है और उसके अन्दर दिल्ली सरकार यह काम

करने जा रही है तो उसके एक बड़ा मैसेज जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैंने अभी कहा कि आपने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त किया, आपने दिल्ली ग्रीन कराई देखने को मिला, दिल्ली को खूबसूरज बनाया, लेकिन यह भी, अच्छे अच्छे आप ट्रैक बनवा दीजिए। अब मैं समझता हूँ कि दिल्ली कारपोरेशन के तीन हिस्से हुए हैं अभी चर्चा होगी। अगरचे आपने पार्को में ट्रेक बनवा दिए तो आपका बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। अध्यक्ष जी, जो टैन्ट की और कम्यनिटी हाल की बात है मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली के अन्दर एमसीडी के जो कम्युनिटी हाल है जो मैंने देखे हैं जहाँ मैंने प्रोग्राम किए हैं एक एक दिन के तीन तीन लाख रु. ले रहे हैं। इन्होंने जहाँ बनाए है अच्छे बनाए है खूबसूरत बनाए हैं लेकिन वहाँ तीन तीन लाख रु. देने पड़ते हैं। ऐसी सूरत के अन्दर जहाँ आपका ज्यादा लगता है वहाँ तो आप कीजिए, लेकिन जो गली मोहल्ले में छोटे छोटे लोगों ने हाल बना रखे हैं वहाँ इंस्पैक्टर वगैरहा जो आएंगे वे कहेंगे कि यह बैंक्वट हाल है, परन्तु मैं समझता हूँ कि उनके अन्दर नहीं लगना चाहिए। मुख्यमंत्री जी बड़े होने का सबूत देते हुए इस पर थोड़ा विचार करेंगी और मैं समझता हूँ कि इन्हें मुक्त करेंगी तो दिल्ली में एक बड़ा मैसेज जाएगा, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद शोएब जी। श्री मुकेश शर्मा जी।

अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर, जिस बिल पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे विपक्ष के सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है, वह तस्वीर जिस ढंग से पेश की गई है, जैसे पूरे तरीके से दिल्ली के गरीबों पर बहुत बड़ा हमला सरकार ने कर दिया हो। अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर, जिस बिल पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे कुछ सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है, वह तस्वीर इस ढंग से पेश की गयी है अध्यक्ष महोदय, जैसे पूरे तरीके से दिल्ली के गरीबों पर बहुत बड़ा हमला सरकार ने कर दिया हो ओर लग्जरी क्योंकि शब्द बहुत बड़ा है विलासिता तो लिहाजा लग्जरी की डेफिनेशन माननीय वित्त मंत्री जी जो हमारे पूर्व वित्त

मंत्री हैं, लग्जरी की डेफिनेशन सुना रहे थे। ये लग्जरी टैक्स की शुरुआत भी आपके समय पर हुई थी। अध्यक्ष महोदय, लग्जरी टैक्स या जो लग्जरी टैक्स अमेन्डमैन्ट बिल आया है, इस बिल में स्पा की बात की गयी है और जैसा लवली जी ने कहा और खासकर मल्होत्रा जी ने स्पेसिफिक कहा पेडीक्योर, अध्यक्ष महोदय, मैं लवली जी से चार कदम आगे जा रहा हूँ। जब इस शहर में कोई व्यक्ति जिसके बाल सफेद हो जायें और वह हफ्ते में एक दिन अपने बाल काले करवाने के लिए किसी सैलून पर जाकर फाइव स्टार में एक हजार रु. देता हो तो क्या उसको गरीब माना जा सकता है? ये डेफिनेशन तो तय होनी चाहिए, माफ करना। और जिसके बाल सफेद हो गये हैं, उसको काले करने की जरुरत क्या है? और अगर जरुरत है तो लग्जरी नहीं है तो क्या है? वह लग्जरी नहीं है तो क्या है, यह मैं जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ

.....व्यवधान.....

श्री मुकेश शर्मा.....मुद्दा है, मुद्दा है। क्या बात करते हैं आप?

.....व्यवधान.....

अध्यक्ष महोदयः सचदेवा जी, बैठ जाइये। रातावाल साहब।

.....व्यवधान.....

अध्यक्ष महोदयः रातावाल साहब हो गया बैठ जाइये। सचदेवा जी बैठ जाइये। प्लीज बैठ जाइये।

.....व्यवधान.....

अध्यक्ष महोदयः शोएब साहब,

श्री मुकेश शर्माः अध्यक्ष महोदय, अच्छे भले काले बालों को लाल रंग का करवाने के लिए कोई 2000 रु. कोई खर्च करता है तो यह लग्जरी नहीं है तो क्या है? जो चीज नेचर ने दी है।

.....व्यवधान.....

श्री मुकेश शर्माः मैं बैक्वेट पर भी आ रहा हूँ, आप बैठिए।

.....व्यवधान.....

श्री मुकेश शर्माः अध्यक्ष महोदय, ये कोई बात हो रही है?

.....व्यवधान.....

अध्यक्ष महोदयः आपने तो कटवा ही दिये हैं, लाल रंगने की जरुरत ही नहीं है। बैठ जाइये। बैठिए बैठिए.....सचदेवा जी, बैठिए।

.....व्यवधान.....

श्री मुकेश शर्माः अगर तुम बाल कटवाकर गंजे हो जाओ हाईलाइट होने के लिए, हम मुद्दे की बात भी न कहें? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिन चीजों को लग्जरी के दायरे में लाया गया है, उसकी तस्वीर इस ढंग से पेश की गयी है कि दिल्ली के गरीब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस पैडीक्योर की बात की गयी है, मैं फिर दोबारा दोहराना चाहता हूँ। अगर मुझे अपनी कुहनी का मैल उतारने के लिए 2000 रु. खर्च करके किसी दुकान पर, मुझे मैल उतरवाने की आदत है 2000

रु. खर्च करके और मैं अपने हाथ से कर नहीं सकता। यहाँ एक मैल खोर आता था जिसको हमारे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले बनाते थे। जिससे पैर साफ होते थे। यदि नहीं, मैं प्रैक्टिल बात कह रहा हूँ। अगर अध्यक्ष महोदय, अपनी कुहनी का मैल छुड़वाने के लिए कोई दो हजार रु. देकर आता है तो क्या वह लग्जरी में आयेगी कि नहीं आयेगी, यह मुझे जानने का अधिकार है और अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ....आने दो न स्पा पर आ रहा हूँ मैं।

.....व्यवधान.....

श्री मुकेश शर्मा: मैं बैंक्वेट पर भी आ रहा हूँ दो मिनट बैठिए। और किसको कौन बुलवा रहा है उसका नाम भी बता रहा हूँ अभी। शान्ति रखिए। मुझे भी टेलीफोन आये थे सवेरे। अध्यक्ष महोदय, किसको कौन बुलवा रहा है, उसका नाम भी बता रहा हूँ अभी। मेरे पास टेलीफोन पर कॉल पड़ी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिसका नाम स्पा है, हिल्टन होटल जनकपुरी में है। मल्होत्रा जी मुझे बोलने दीजिए न। स्पा तो उसमें भी है। स्पा हम तो जाते ही नहीं। हमें तो ये बीमारी ही नहीं पता सपा सपा क्या होता है। जो जाता होगा, उनको पता होगा। हम तो सीधे सादे आदमी हैं माई डियर। अध्यक्ष महोदय, जिस जिम और हेल्थ क्लब की बात की गयी हैं, मैं मुखी जी को खास तौर पर कहना चाहूँगा, जनक पुरी में वे मेरे भी मित्र हैं और मुखी जी के मतदाता। एक गोल्ड जिम खुला है लवली जी। उस जिम अंदर हाई फीस के बावजूद वहाँ वेटिंग है, वहाँ मेम्बरशिप नहीं मिल रही है, माफ करना। गोल्ड जिम के अंदर। मैं स्पेसिफिक जिम का नाम ले रहा हूँ। मेरे दोस्त हैं बिट्टू सरदार जी और इनके पक्के सपोर्टर हैं गोल्ड जिम वाले। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए बात कहना चाहता हूँ मैं जिम का नाम ले रहा हूँ। उस जिम में जितनी फीस उसकी है। उस फीस को देने के बाद भी आज वहाँ पर वेटिंग है, लोग हमसे फोन करवाने आते हैं कि पैसे थोड़े ज्यादा ले ले लेकिन यहाँ पर हमारा एडमिशन

करा दो। पता नहीं, कोई इन्टरनैशनल जिम है वो। गोल्ड जिम। अध्यक्ष महोदय, क्या उस जिम में जाने वाला बच्चा, वह गरीब है?

.....व्यवधान.....

श्री मुकेश शर्माः अध्यक्ष महोदय, देखिये हमने कभी डिस्टर्ब नहीं किया। मल्होत्रा जी कल लॉ एवड ऑर्डर पर बोले, बिल्कुल चुप रहा। जब ये बोले मैं चुप रहा। अध्यक्ष महोदय, डॉ. हर्षवर्द्धन साहब को डब्ल्युएचओ से पोलियो पर इनाम भी मिला हुआ है, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं ये। हाँ, पोलियों ड्रॉप के मामले में। अध्यक्ष महोदय, डॉ. हर्षवर्द्धन जब हेल्थ की बात कर रहे थे, अध्यक्ष महोदय, एक बात और समझनी होगी। जिस जिम में एअरकण्डीशनर चलता हो, फुल्ली एअर कण्डीशनर जिम। हमें एक बात आज तक समझ नहीं आई कि फुल्ली एअरकण्डीशनर जिम के अंदर स्वास्थ्य कैसे ठीक होता है, यह डॉ. हर्षवर्द्धन जी इसकी डेफिनेशन डिफाइन कर दें कि वह कैसे ठीक हो सकता है। यह कोई डॉक्टर कर सकता है, मैं तो नहीं कर सकता कम से कम। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जिन जिम्स पर ये लगाया गया है, उस जिम में कोई गरीब या छोटा आदमी उस जिम में जाने की हैसियत रखता ही नहीं है। जिन बैंक्वेट हाल्स की बात हो रही है और इसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, होटल वाली बात.....

अध्यक्ष महोदयः मुकेश जी थोड़ा जल्दी खत्म कीजिए।

श्री मुकेश शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं खत्म कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, होटल वाली जो बात कहीं है, साढ़े सात सौ रु. अध्यक्ष महोदय, माफ करना ठीक कहा, लवली जी ने साढ़े सात सौ रुपये का कमरा अध्यक्ष महोदय, जो ले रहा है, माफ करना, वह गरीब तो की हैसियत में नहीं हैं, साढ़े सात सौ रु. का कमरा लेना। और मल्होत्रा साहब, माफ करना, मैं ये रिकॉर्ड पर बोल रहा हूँ। आप की माध्य प्रदेश की सरकार है, जिसका बड़ा गुनगान

करते हैं आप/आपकी मध्यप्रदेश की सरकार स्पा पर 10 प्रतिशत टैक्स वसूल कर रही है आज के दिन भी। आप की गवर्नमैन्ट बीजेपी की। और आपकी कर्नाटक की सरकार जिम पर वसूल कर रही है बीस प्रतिशत। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी सरकारों का हाल तो दखो आप जाकर। आप हमारी बात.....

अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए यह बात कह रहा हूँ आपकी पार्टी की जहाँ सरकारें चल रही हैं, वहाँ इन सब चीजों पर पहले से टैक्स हैं, पहले उनको चिट्ठी लिखो। उनसे विदड्रा कराओ, फिर हमसे आप बात करना। और मुख्यमंत्री जी नहीं...एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। जो 600 रु. गरीब लोगों को देने का फैसला हुआ है राशन पर, वह पैसा कहाँ से आयेगा? उसी गरीब को हमने दिया है। आप वेट वेट चिल्लाते थे, हमने विदड्रा किया वेट। वो कहाँ से पैसा आयेगा? दिल्ली की डेवलपमैन्ट कहाँ से होगी? इससे अध्यक्ष महोदय, इस लग्जरी टैक्स के दायरे में अभी.....व्यवधान.....

श्री मुकेश शर्माः अध्यक्ष महोदय, जो लोग...जो लोग एक बार बाल काले करने के दो तीन हजार रु. देते हैं, टैक्स के दायरे में उनको भी लाया जाये। ये मेरी रिकमण्डेशन है, धन्यवाद।

.....व्यवधान.....

अध्यक्ष महोदयः सचदेवा जी बैठिए। अब अंतिम वक्ता हैं रमेश बिधूड़ी जी। दो मिनट मे अपनी बात खत्म करें।

श्री रमेश विधूड़ीः अध्यक्ष महोदय, अभी ऑनरेबल मिनिस्टर लवली जी बोल रहे थे और मुकेश जी भी बोल रहे थे। सर बात जिम पर टैक्स लगाने की नहीं है। उसको सर इनको डिफाइन करना पड़ेगा। इनके पास बहुत माल है कॉमनवेल्थ गेम्स का। इनके पास और रिसोर्स के बड़े माल हैं इनके पास। सर, मैं ऑनरेबल मंत्री जी को बताना चाहता हूँ

कि अगर दिल्ली शहर के अंदर, ये कर्नाटक से कम्पेयर कर रहे हैं दिल्ली को। ये मध्य प्रदेश से कम्पेयर कर रहे हैं दिल्ली को। वहाँ गाँव में देहात है, वहाँ टोटल देहात है। वहाँ कोई जिम-विम में नहीं जाता, केवल शहर में, शहरों में कस्बों में कोई जिम विम बनते हैं सर? सर दिल्ली के अंदर कोई जगह नहीं है। अगर किसी ने बच्चे की सगाई करनी है, शादी करनपी है, चार दिन के लिए रिश्तेदार बुलाने हैं, ये बता देंगे दरियागंज में कमरा कितने का मिलता है, दो सौ रु. का कमरा नहीं मिलता। ये बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने माल कमा रखा है सर। चार बार सरकार में बैठे हैं। इसलिए इनको पता ही नहीं है, कमरा आज तक कितने का मिलता है। इसलिए सर, साढ़े सात सौ रु. में अगर रुम लेना हो, किसी गेस्ट हाउस में, और सर साढ़े सात सौ रु. में कोई परमानेन्ट रिहायशी नहीं रह रहा है वहाँ। सर अगर किसी ने घर में शदी करनी है, उसके रिश्तेदार आने है....रातावाल जी सुनिये न। अगर किसी ने घर में सगाई करनी है, उसके रिश्तेदार आने हैं, आज घर में 25 गज जमीन है, सौ गज जमीन है, 50 गज जमीन है दिल्ली में सब लोगों के पास। इसीलिए उन रिश्तेदारों को ठहराने के लिए चार दिन के लिए लोग अगर रख ले और जहाँ तक सर बैंक्वेट हाल की बात कहीं है, आनरेबल मंत्री जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। उन्होंने बात कही है कि 5 लाख रु. टर्नओवर की हम बात कर रहे है। सर अगर एक बैंक्वेट हॉल में जो दो सौ, ढाई सौ या तीन सौ गज में बना हुआ है, अगर वह मिनिमम एक शादी के तीस हजार भी लेता है, 40 हजार भी लेता है और वह अगर 60 शादी भी साल में करता है उसकी टर्न ओवर भी 12x6=72 यह सात लाख रु. पड़ जाती है। सर कोई अगर 200 गज में भी शादी कर रहा है। उसकी भी टर्न ओवर 5 लाख से ऊपर कूद गयी। अगर ये टर्न ओवर की बात करते हैं, मैं सहमत हूँ। तो उस बैंक्वेट हाल की टर्न ओवर करनी चाहिए इन्हें 30 लाख 40 लाख। तब तो हम मानें कि हाँ बड़े लोग बाहर शादी करते हैं। लेकिन जो गरीब लोग शादी करते हैं, 200 गज या 300 गज के अंदर वे बैंक्वेट हाल की कैटेगरी में नहीं आते हैं सर। इसी प्रकार से में जिम को डिफाइन करता हूँ, मुकेश जी भाग गये, अच्छा बैठे हैं? सर जो

जिम की बात है, आज 100, 150, गज 200 गज में सर मैं मानता हूँ ये पश्चिमी कल्चर लाना चाहते होंगे। इटली लोगों को ले जाना चाहते होंगे। सर इटली की सभ्यता लाते होंगे कि लोग क्लबों में न जाकर पब में जायें। शराब पिऐं। सर बच्चे को अगर अच्छे संस्कार नये संस्कार डालने हैं तो माँ बाप सोचते हैं कि क्लब में जाकर हेल्थ क्लब में जाकर सेहत बनाये। इसलिए सर आपने दो मिनट का मुझे टाइम दिया है। आप थोड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, मुकेश मेरे से सीनियर हैं, 10 मिनट का टाइम दे दिया।

लेकिन मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा से अनुरोध करुँगा कि वे गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए इन दोनों चीजो में से इसकी या तो टर्न ओवर बढ़ाए वरना सर, इन्सपेक्टर राज होगा, एक इन्सपेक्टर जायेगा 200 गज के बैंक्वेट हॉल में और वहाँ से 1000-500 रुपये एंठ लाएगा, सरकार को रेवेन्यू नहीं मिलेगा, इसलिए सरकार को करप्शन से बचाने के लिए इसमें अमेंडमेंट किया जाना चाहिए। आपने बोलने का समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः अब माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगी।

मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष जी, मैंने सबकी बातों को सुना है, सबसे पहले तो मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहूँगी जो गलतफहमी फैलाई जा रही है। हमने बजट में जब सीएनजी और टैक्सटाईल को विदड्रा किया या रोलबैक किया, जो यह शब्द प्रयोग किया जा रहा है। that was done much before the budget was passed not after when the budget was passed. So, there is a technical difference बहुत टैक्नोलिज की बात हो रही है please remember, the budget was passed with CNG no being taxed and textiles not being taxed तो यह बात ध्यान में रखे तो I am saying this primarily to put it on record. दूसरा सर, जो जिम लक्सरीज का

टैक्स किया जा रहा है, सबसे पहले तो मैं यह कहने जा रही की मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कनार्टक, महाराष्ट्र सब राज्यों में दस और पन्द्रह परसेंट के बीच ये टैक्स किये जा रहे हैं। चाहे वो जिम हो, स्पा हो, बैक्वेट हॉल हो, हैल्थ क्लब हो, होटल्स रुम हो..... अंतरबाधा।

प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्राः Not the luxury tax. Whatever the words may be, this is what is being charged over there. We have done it primarily so that we can collect some funds from those who can afford to pay to the Government. So that we can distribute it amongst those who need help from the Government. हमने जो कार्यक्रम किया, उसमें किसी गरीब के वंचित किया हो, ऐसा नहीं है, गरीब के लिए इस पैसे को इकट्ठा करके कर सकें, इसलिए ऐसा किया है, दूसरा डीडीए के, एमसीडी के, और एनडीएमसी के जो बारातघर हैं, या जो कम्यूनिटी सेंटर हैं, उन पर यह टैक्स लागू नहीं हो, जो गरीब है वो बडे बैंक्वेट हॉल में नहीं जाता। जो अफोर्ड कर सकता है वो जाते हैं so, you must और जो हमारा इरादा कि हम टैक्स तीन परसेंट करेंगे तो कोई अगर 100 रुपये जिम में खर्च कर सकता है, वो 103 भी कर सकता है। मैं कहना चाहती हूँ, यही असलीयत है। अगर वो दो सौ रुपये जिम का देता है तो 206 भी दे सकता है। माता पिता उस बच्चे को दे सकते हैं। इतनी बड़ी आप बात कर रहे हो कि यह कर दिया, वो कर दिया, एक्सरसाइज नहीं हो सकती है हम सब कर रहे हैं, जैसकि मुकेश शर्मा जी ने लवली जी ने कहा यह सब हम लोग कर रहे हैं। पैडिक्योर करने जाना, हामरे यहाँ तो कोई जानता भी नहीं है That is a fact. So, now, you must say that we are taking it from the pockets of those who can afford it to give it to the pockets of those who need your

help, who need the Government support to be able to live तो यह बातें करना और इस तरह से कोई तुक नहीं था, इसलिए मैं यही निवेदन करुंगी कि इस बिल को पास कर दिया और हम अगस्त या सितम्बर में जब अपने मानसून सेशन के लिए मिलेंगे, उस समय हम देख लेंगे कि यदि कोई चीज ज्यादा हो रही हैं, किसी को तकलीफ हो रही है, जैसा कि इस सरकार ने हमेशा किया है, संवेदनाशीलता दिखाई है, जब जब हमें महसूस हुआ है कि कोई काम हमारा ठीक नहीं हुआ है, हमने कोई ज्यादती कर दी है। कमी छोड़ दी है उसको हमने पूरा करने की कोशिश की है। जब मानसून सेशन आएगा तब इसको देख लेंगे। We can always review it but as it is today, it is not going to harm any common person or any poor man. कॉमनर कभी नही करेगा, गरीब आदमी की तो बहुत ही दूर की बात है। कोई गरीब आदमी किसी स्पा और पार्लर में नहीं जाता है। इन शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।

अध्यक्ष महोदयः अब विधेयक पर खंडवार विचार होगा, प्रश्न है कि खंड 2 से 6 तक विधेयक के अंग बने,

जो इसके पक्ष में हाँ, कहें,
जो इसके विरोध में न, कहे
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,
प्रस्ताव पासा हुआ।

खंड 2 से खंड 6 तक विधेयक के अंग गये। अब प्रश्न है कि खंड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बने,

जो इसके पक्ष में हाँ, कहें,
जो इसके विरोध में न, कहे

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ।

.....अंतरबाधा।.....

प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, हम इसके विरोध में सदन से वाकआऊट करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: अब मुख्य मंत्री जी प्रस्ताव करेंगी कि दिल्ली विलासिता कर संशोधन विधेयक, 2012 का विधेयक संख्या 12 को पारित किया जाये।

मुख्य मंत्री: Sir, I beg to request th House to kindly pass this Bill.

अध्यक्ष महोदय: यह प्रस्ताव में सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हाँ, कहें,

जो इसके विरोध में न, कहे

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ।

सदन पटल पर प्रस्तुत पत्र

विधेयक पारित हुआ। अब श्रीमती शीला दीक्षित जी, मुख्य मंत्री, निम्नलिखित दस्तावेजो की प्रति सदन पटल पर रखेंगी।

Chief Minister: Sir, with your permission, I beg to lay the copy of the following:

(i) Appropriation Accounts for the year 2010-11

(ii) Finance Accounts for they year 2010-11

(iii) Report of the Comptroller & Auditor General of India for the year ended 31st March, 2011.

अल्पकालिक चर्चा

अध्यक्ष महोदयः अब अल्पकालिक चर्चा प्रारंभ होगी, इसको इनीशेएट करेंगे श्री मुकेश शर्मा, श्री नसीब सिंह, चौ. मतीन अहमद। यह दिल्ली नगर निगम को तीन भागों में विभाजित किया जाना जनता के हित में है ताकि जनसुविधाओं पर ध्यान दिया जाये लेकिन राजनीति के कारण वह फिजूलखर्ची न करने पर चर्चा शुरु करेंगे मुकेश शर्मा।

श्री शोएब इकबालः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी को मैंने एक पत्र दिया था हाऊस में बात उठाई थी, मुख्यमंत्री उस बात का जवाब दे रही थीं, तो आपके एडजर्न कर दिया। बड़ा ही अहम मसला है, जो 280 में मैंने उठाया था। तो मुख्य मंत्री इसका जवाब दे रही थीं।

अध्यक्ष महोदयः इस समय नहीं। वो आप जब बात करेंगे, तो बतला देंगी।

श्री शोएब इकबालः अध्यक्ष जी, यह बड़ा ही अहम मसला है, कुछ तो बता दो।

अध्यक्ष महोदयः शोएब जी, आपकी बात को सदा माना जाता है। लेकिन असमय कहीं हुई बात का फायदा नहीं होता हैं, अब चर्चा होने दीजिए, आपने दे दिया है, वो समय पर कर लेंगी।

श्री मुकेश शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, अच्छा होता कि हमारे विपक्ष के साथ भी यहाँ पर होते लेकिन मुझे बहुत कष्ट है कि जबरदस्ती रुची दिखा कर रुलिंग दिलवाई और उसको कैरी फारवर्ड करवाया। दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों पर अभी इसके बाद बहस होनी है चूंकि इनका दल अनधिकृत कालोनियों के खिलाफ है, और वो चर्चा नहीं चाहते हैं, इस पर। जिनको यह मालूम है कि इनकी क्या हालत है, इसलिए जानबूझ कर वाकआऊट करने का एक तरीका निकाला है। अध्यक्ष जी, एमसीडी को तीन भागों में विभाजित करने का दिल्ली ने दिल्ली की सरकार ने इसलिए किया ताकि दिल्ली के लोगों को घर के नजदीक और जितना नजदीक हो सके अपने रोजमर्रा के काम निपटाने के लिए दूर न जाना पडे और इसके अतिरिक्त स्थानीय निकास को और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए उसको सशक्त और मजबूत बनाने के लिए यह विभाजन किया। इसके लिए मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ साथ ही इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि केंद्र में महिला आरक्षण विधेयक हमारे विपक्ष के साथियों की वजह से आज महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश नहीं हो पा रहा है लेकिन दिल्ली भारत का पहला राज्य बन गया है जहाँ देश के सबसे बड़े स्थानीय निकास एमसीडी में 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देकर के दिल्ली की सरकार ने और कांग्रेस पार्टी और मुख्य जी ने महिलाओं के प्रति अपनी प्रतिवद्धता को न केवल प्रदर्शित किया है बल्कि मुख्य मंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी को महिला आरक्षण के मामले में आरक्षण देकर के साफ किया है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली नगर निगम जो लीडर इस समय काम कर रहा है, वो नेतृत्व पिछली

बार भी था। एमसीडी की एक विडंबना है, जो एक बार नगर निगम में पांच साल पाषर्द रह जाये, यह अपने उस अनुभव को भूल नहीं पाता। कुछ इसलिए नहीं भूल पाते कि एक समय था जब दिल्ली नगर निगम इलेक्टिड आदमी के लिए एक काम सीखने की संस्था थी, जब एमसीडी में चुने हुए आदमी के लिए राजनीति की शुरुआत की नर्सरी क्लॉस थी उसमें बच्चा पढ़ता है सीखता है। और नगर निगम में रोज़मर्रा के काम निपटाने का तरीका लोग सिखते थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, माफ करेंगे मुझे आप आज दिल्ली नगर निगम वो इंस्टीट्युश्न नहीं रह गया है, आज दिल्ली नगर निगम के अंदर पाँच-पाँच, चार-चार, तीन-तीन करोड़ रुपये खर्च करके जो लोग नगर निगम में चुनकर जा रहे हैं वो सबसे पहले ट्रेनिंग इस बात की लेते हैं कि कहाँ से कितना पैसा हम ऐंठ सकते हैं, किस इंजीनियर से कितना पैसा ले सकते हैं, कौन सा तरीका निकाला जा सकता है और अध्यक्ष जी वहाँ से करप्शन की शुरुआत होती है। दिल्ली नगर निगम अध्यक्ष जी, एक समय में वो स्थानिय निकाय था जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में एशियाड दिल्ली में करवाया। वो नगर निगम आज समाप्त हो गया है, उस नगर निगम की अब शक्ल ही बदल चुकी है, अध्यक्ष जी, आज जिस तरीके से कहा जाता है कि अदालत में घुस जाओं, जितने रुपये आपकी जेब में होंगे वो वहाँ से वापसी नहीं आ सकते, कुछ न कुछ रिश्तेदारों से मंगाने पड़ेंगे काम करवाने के लिए। आज एक छोटे से छोटे काम भी दिल्ली नगर निगम में अध्यक्ष जी बगैर रिश्वत के नहीं होता। इसलिए इसको विभाजित करना पड़ा और अध्यक्ष महोदय जो में कह रहा था कि जो एक बार रह जाता है इनके बीजेपी के दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं सौभाग्य से, दुर्भाग्य से वो भी नगर निगम से निकले हैं, उनको नगर निगम की वो जो हड्डी लगी हुई है, वो हड्डी रात को चूसते रहते हैं, सपने में वो, वो हड्डी उनसे छोड़ी नहीं जा रही, न निगली जा रही है। किसी नेशनल पार्टी का स्टेट प्रेजीडेंट बनने के बाद उसको राज्य के अधिकार की बात करनी चाहिए लेकिन उनकी सोच आज भी नगर निगम

से बाहर नहीं निकलती। क्योंकि जिस दिन उनकी सोच नगर निगम से बाहर निगल गई उस दिन नगर निगम में जो अवैध रुप से रोज़ पैसा इकट्ठा होता है उसका जो हिस्सा है वो आना बंद हो जाएगा। अध्यक्ष जी, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज जिसको हड्डी लग गई वो उस हड्डी से बाहर नहीं जाना चाहता। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली नगर निगम, मैं आपके माध्यम से बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ दिल्ली नगर निगम अध्यक्ष जी, दुनिया का देश का नहीं, दुनिया का सबसे भ्रष्टतम स्थानीय निकाय है। इससे करप्ट कोई Civic Body नहीं है अध्यक्ष जी, पूरी दुनिया में।

अध्यक्ष महोदय.....(व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी: अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। कोरम पूरा नहीं है और हाउस चल रहा है। लवली जी बड़ी बात कर रहे हैं संविधान की, बुक्स की, किताब की। सर, कोरम पूरा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: आप तो वाक-आउट कर गये, इसलिए आपका प्वाइंट ऑफ ऑर्डर बनेगा ही नहीं।

श्री रमेश बिधूड़ी: सर, मैं तो वॉक-आउट करके नहीं गया।

अध्यक्ष महोदय: आप वाक-आउट कर गये थे।

श्री रमेश बिधूड़ी: सर, मैंने एमसीडी पर नाम दे रखा है।

अध्यक्ष महोदय: आपकी पूरी पार्टी बाहर जा चुकी है।

श्री रमेश बिधूड़ी: सर, वाक-आउट कर गये थे, आपने बाहर नहीं किया था, हम आ सकते हैं लेकिन सर, कोरम पूरा नहीं है और आप हाउस चला रहे हैं।

श्री मुकेश शर्मा: अब आप वाक-आउट कर जाओ। अब आप बाहर जाओ। हो गया पूरा। जाओ फिर दोबारा आ जाना। क्या अध्यक्ष जी, डेमोक्रेसी का मजाक हो रहा है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि दिल्ली नगर निगम को गठन होने के बाद पिछले डेढ़-दो महीने के अंदर कोई भी एक ऐसा निर्णय एमसीडी ने नहीं किया, जो दिल्ली के हित में हो। कोई भी एक नीतिगत फैसला नहीं हुआ, सिवाय आरोप-प्रत्यारोप लगाने के, कोई एक पॉलिसी दिल्ली के लोगों के लिए इन्होंने नहीं बनाई, अध्यक्ष महोदय, मामला यहाँ तक नहीं है, आज नगर निगम में जो स्थिति है, तीनों निगमों की बात कर रहा हूँ क्योंकि तीनों निगम पहले एक ही थे अध्यक्ष जी, आज नगर निगम में जो इंजीनियर कार्यरत हैं उनमें अध्यक्ष जी, 70 परसेंट इंजीनियर्स या तो चार्जशीटेड हैं या कोर्ट में मुकदमें चल रहे हैं या red-handed पकड़े गये जमानत पर है और अध्यक्ष महोदय, कोई-कोई बिरला रविदास जैसे बचे हुए हैं अध्यक्ष जी, बुरी हालत है आज कारपोरेशन की, हाउस में नाम लेना नहीं चाहिए, मैं इसलिए आपको यह बात कहना चाहता हूँ कि आज नगर निगम के अंदर और मैं दो-तीन एग्जाम्पल दूंगा अभी, अध्यक्ष महोदय, विजिलेंस इंक्वायरी पेंडिंग है, पश्चिमी दिल्ली में जिसको आज साउथ दिल्ली कारपोरेशन कहा जाता है, मुझे नहीं पता कमिश्नर वहाँ कौन है, आजकल.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुकेश जी, थोड़ा सा जल्दी खत्म करियेगा।

श्री मुकेश शर्मा: सर, पाँच मिनट में।

अध्यक्ष महोदय: दो अल्पकालिक चर्चाएँ हैं।

श्री मुकेश शर्मा: सर, पाँच मिनट में कर रहा हूँ जी। अध्यक्ष महोदय, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक जूनियर इंजीनियर है मि. अजय चौधरी साहब मैं नाम ले रहा हूँ अध्यक्ष

जी, इनको पश्चिमी दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर तत्कालीन कोई श्रीकृष्ण कुमार जी, क्या थे मुझे नहीं पता उन्होंने सस्पेंड किया करप्शन के चार्ज में। सस्पेंड हो गये वो, सस्पेंड होने के बाद अध्यक्ष जी, उनके खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी शुरु हो गई है। सेम डिप्टी कमिश्नर ने जिसने सस्पेंड किया था, अभी इंक्वायरी चल रही है, उसकी कोई फाइंडिंग नहीं आई, उसको re-instate कर दिया और re-instate ही नहीं किया अध्यक्ष जी, वार्ड 127-128 में वो जे.ई. सस्पेंड हुआ re-instate करके उसी वार्ड में लगा दिया। अध्यक्ष महोदय, यह एग्जाम्पल है मैं नाम दे रहा हूँ। आज भी इंक्वायरी पेंडिंग है। अध्यक्ष जी, दूसरा नाम वी.के. सिंह सेम केस, वार्ड 121-122, अगला नाम सर, धारा सिंह मीणा, सेम केस, पश्चिम दिल्ली, वार्ड 101-102 क्या हो रहा है साहब। अध्यक्ष जी, यह डिप्टी कमिश्नर ने re-instate नहीं किए जो इंजीनियर्स की गर्दन दबाकर इनसे करप्शन करवाकर जो रात को सामान इकट्ठा कर रह हैं लोग इनसे खुले रुप से पैसा मांगा जा रहा है, उन बीजेपी के बड़े-बड़े नेताओं ने जो राजनीतिक आंका है नगर निगम में, यह अपराध वो लोग करवाते हैं। यह जानने का अधिकार है इस हाउस को अध्यक्ष जी, कहते हैं नगर निगम हमारी jurisdiction नहीं है, कौन सा ऐसा कानून है दुनिया में, 15 दिन पहले, 10 दिन पहले जिस इंजीनियर को आपने करप्शन में सस्पैंड किया हो, 10 दिन में वो honest गया। इंक्वायरी हुई नहीं, कोई फाइंडिंग नहीं आई, जहाँ से सरस्पेंड किया वही re-instate करके लगा दिया आपने, कौन सा प्रेशर काम कर रहा है। अध्यक्ष जी, अगला सुनिये, मैं यहाँ रिकार्ड पर यह भी बोल रहा हूँ दादागिरी की इंतेहा है एमसीडी में, अध्यक्ष जी, कैट सरकारी अधिकारियों के लिए कैट का आदेश जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है, कैट ने निर्णय दिया इंजीनियर्स की प्रमोशन के मामले में इन्होंने कैट के निर्णय को मानने से इंकार कर दिया। होनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट उस पर फैसला दे रही है, यह उसको मानने से इंकार कर रहे हैं इंजीनियर्स के मामले में। अध्यक्ष जी, बीजेपी के लोग नहीं है इसलिए मैं नाम तो नहीं लूंगा, क्योंकि कहेंगे साहब चूंकि वो नहीं है इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के रिश्तेदार जो वर्तमान में साउथ दिल्ली कमिश्नर के सेक्रेट्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से वो ऑफिसर्स प्रतिनियुक्ति पर लाया गया दिल्ली में और Director (Personnel) लगाकर लोगों की गर्दन नापने का काम उस आदमी से बीजेपी के नेता करवा रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली में कोई अफसर नहीं है, यूपी गवर्नमेंट से लाया जा रहा है आदमीं। क्या हालत है अध्यक्ष जी, मेरे पास नोटिंग की फोटोस्टेट है, एक आईएएस ऑफिसर लिख रहा है गलत हो रहा है, नो ठीक हो रहा है। मेयर लिख रही है नो ठीक हो रहा है। चेयरमैन स्टेंडिंग कमेटी कह रहा है No bypass. अध्यक्ष जी, कोई शासन चल रहा है। अध्यक्ष जी, यह म्यूनिसिपिल कारपोरेशन का एक्ट, ठीक है पार्लियामेंट एक्ट है, मैं अगली बार सेशन में एक्ट पर एमेंडमेंट ही लेकर आ रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय, उस एक्ट का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। मैं यह भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली नगर निगम आज अध्यक्ष जी 254 करोड़ रुपये मेरा और आपका, एमएमए फंड एमसीडी के पास बकाया पड़ा हुआ है। ब्याज मिलाकर अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ 250, 254 ऐसा कुछ है। 254 करोड़ रुपया हमारा रुपया हमारा बकाया है, हम मुख्यमंत्री जी को आग्रह कर रहे थे एमएलए फंड बढ़ाओं, इस नगर निगम के निकम्मेपन और भ्रष्टाचार के कारण आज हमारा एमएलए फंड की राशि इसलिए मुख्यमंत्री जी ने नहीं बढ़ाई कि इस बात का कौन जवाब देगा 254 करोड़ रुपया अभी यूज ही नहीं कर पाई एमसीडी। अध्यक्ष जी, कहाँ से, किसलिए, कारण क्या है, मैं कारण बताता हूँ।

अध्यक्ष जी, आज 25 लाख रुपये की पावर एस्टीमेट की सिर्फ कमिश्नर एमसीडी को है। कोई इनकी स्टेंडिंग कमेटी कोई इनका हाऊस 25 लाख से ऊपर पावर देने के लिए तैयार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, किसी एक्ट में नहीं लिखा हुआ कि स्टेंडिंग कमेटी पावर देगी। आज हमारे दिल्ली सरकार के एचओडी को 5 करोड़ रुपये की पावर है। इनकी

फाईल वर्क्स कमेटी में जायेगी, अगर सड़क की है तो। किसी हॉस्पीटल की या डिस्पेंसरी की है तो हेल्थ कमेटी में जायेगी। जिस कमेटी में जायेगी उसके चेयरमैन को लिफाफा साथ में चाहिए। यह चैनल यहाँ पर बना हुआ है। अध्यक्ष जी, इस कमेटी के चैनल को खत्म करना होगा। किसी एक्ट में नहीं लिखा हुआ कि कमिश्नर को 2 करोड़ रुपये की फाईल नहीं जायेगी या 3 करोड़ की नहीं जायेगी या 25 लाख की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, जर्ब्दस्ती एक्ट का वायलेशन हो रहा है जिसकी वजह से आज मशीनरी काम नहीं कर पा रही। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर एमएलए फण्ड खर्च नहीं कर सकते तो हमारा पैसा वापिस कर दें। हमें कोई एतराज नहीं है और मैं तो ऑनरेबल यूडी मिनिस्टर को कहूँगा, मुख्य मंत्री जी, आजकी मिनिस्टर साहब बड़ी दरियादिली नगर निगम, गुरु जी, आप इन पर दरियादिली मत करो। अब इन पर रहम खाना छोड़ दो। इनसे पैसा वापिस लो और दूसरी एजेंसी को दो। जैसे आपने इनसे 60 फुट की सड़कें ले लीं। गरीब लॉबी है तो हम क्या करें। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से इसलिए कह रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदयः मुकेश जी, समाप्त कीजिए।

श्री मुकेश शर्माः अध्यक्ष जी, समाप्त कर रहा हूँ। अध्यक्ष जी, 222 बारात घर एमसीडी के पास हैं जो ए,बी,सी,डी और ई केटेगरी के हैं। इन बारातघर बनाने पर जो पैसा खर्च हुआ है वो दिल्ली सरकार के प्लान हेड का पैसा है। आज दादागिरी हो रही है। अध्यक्ष जी, निगम पार्षदों ने चाबी जेब में रखी हुई है। टेंट वाले से महीना तय है कि इस टेंट वाले का टेंट लगेगा तो किसी की बेटी की शादी बुक होगी नहीं तो शादी बुक नहीं होगी। दूसरी तरफ कहते हैं साहब, ऑन लाईन बुकिंग हो रही है। अध्यक्ष जी, ऑन लाईन बुकिंग हो रही है तो निगम पार्षद का एनओसी कहाँ से आ गया। कौन से एमसीडी के

डीएमसी एक्ट में लिखा हुआ है कि निगम पार्षद का एनओसी चाहिए। मुख्य जी, आपके सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जो पेंशन का फार्म छपवा रखा है उसमें लिखा हुआ है सांसद/विधायक/राजपत्रित अधिकारी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। उस पेंशन के फार्म में कोई हमारी proprietorship नहीं है। उस पर कोई मैम्बर पार्लियामेंट भी कर सकता है उस पर कोई अफसर भी कर सकता है। अध्यक्ष जी, आज proprietorship बनी हुई है। आज 200 बैकटहालों की बोली लगाई जा रही है। और उनकी मर्जी से चाहे जिसको एनओसी दें, एनओसी देने के पैसे सरेआम लिये जा रहे हैं। फिर ऑन लाईन बुकिंग किस बात की है। अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली सरकार से प्रार्थना करुंगा कि तुरन्त प्रभाव से इन 200 बैंकटहालों को आप टेक-ओवर करिये। हमारे पैसों से बने हुए हैं, आपको टेक ओवर करने चाहियें। क्यों टेक ओवर नहीं करेंगे हम और यह एनओसी की कंडीशन माननीय मुख्य मंत्री जी, किसी डीएमसी एक्ट में नहीं है और मेरी जानकारी के मुताबिक कमिश्नर, एमसीडी के भी कोई एडमीनिस्ट्रेटिव आर्डर नहीं हैं। खाली स्टेंडिंग कमेटी में एक रेज्यूलेशन पास हुआ और उसके बाद डायरेक्टर, कम्यूयनिटी सर्विसिज को बुलाया और दो लाईन का फार्मल आर्डर निकलवा दिया गया कि इसमें एनओसी जरुरी। अध्यक्ष जी, इसके अलावा मैं आपको कहना चाहता हूँ और अगर ऐसा नहीं है तो पिछले 5 साल में जो बुकिंग हुई। अगर आप उसकी जाँच आप उसकी जाँच एंटीक्रप्शन डिपार्टमेंट से करवायेंगे तो ब्राह्मण जो पत्रा निकालते हैं, रमाकांत जी, हर साल में शादियों की डेट तय है। शादियों की डेट जिन दिनों में तय है आप इस केस को एंटीक्रप्शन डिपार्टमैंट को भेजिये। जिन डेटों में शादियाँ तय हैं, उन डेट के अंदर जिस घर में शादी नहीं है, उसके नाम से बकायदा पहले से पार्क बुक है। मुख्य मंत्री जी, मैंने स्वयं अपनी बेटी की शादी में देखा। विकास पुरी सी ब्लाक के श्री एसपी शर्मा जी के नाम पार्क बुक था। एसपी शर्मा जी हमारे रिश्तेदार हैं। मैंने कहा कि उनके घर में कोई शादी नहीं है। मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा कि यह पार्क आपके

नाम बुक है। कहने लगे कि कपूर टेंट वाला आया था, मेरे से फोटो स्टेट ले गया और उसने बुक करवा लिया। अध्यक्ष जी, मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। अध्यक्ष जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सीबीआई को इंकवायरी के लिए भेजिये। आपको पता लगेगा कि जिनके यहाँ शादी नहीं थी उनके नाम से बैंकट हाल और पार्क बुक हैं। आज मुख्य मंत्री जी, पार्क के लिए क्या हो रहा है। अभी बैंकट हाल पर लगजरी टैक्स की बात कर रहे थे। आप किसी कॉमन मेन को शादी के लिए पार्क नहीं मिलता। जिस स्लम डिपार्टमेंट की सुभाष सचदेवा जी उठ कर चले गये, मैं अभी इसकी परत खोलता कि जिस 101 लाख slum की बात कर रहे हैं माई डीयर, वो जमीन विशाल सिनेमा के पीछे है। टैंट वालों से सेटिंग किसकी है, पता करो और मैं गलत कह रहा हूँ अध्यक्ष जी, विशाल सिनेमा के पीछे केवल दिल्ली के तीन टैंट वालों के टैंट लगते हैं चोथे आदमी का वहाँ टैंट नहीं लगता। बहुत बड़ा बड़ा एडवांस बुकिंग स्केंडल है। अध्यक्ष जी, इसलिए मैं आपको यह कहना चाहता हूँ लगजरी कौन कर रहा है टाईम बताएगा। अध्यक्ष जी, आप पार्को की बुकिंग में ऑन लाईन किस बात की। अध्यक्ष जी, मैं मुख्य मंत्री जी से कहूँगा कि या तो एनओसी की कंडीशन को समाप्त करो, दिल्ली सरकार को बकायदा यह अधिकार है क्योंकि यह एक्ट का वायलेशन नहीं है। हम एक्ट के अंदर चल रहे हैं। अध्यक्ष जी, पार्क के अंदर या तो एनओसी खत्म हो वरना जैसे पेंशन के फार्म में कर रखा है कौंसलर/एमपी/एमएलए और राजपत्रित अधि कारी मैं तो कहता हूँ फर्स्ट क्लास अफसर को भी राईट होना चाहिए कि वो रिकमंड कर सके। क्यों नहीं कर सकता, जब पेंशन में कर सकता है तो।

आपको इस एनओसी की कंडीशन पर इलेक्टिड लोगों को लगाना चाहिए। और वन क्लास अफसर को भी अधिकार देना चाहिए जैसे आपने पेंशन में दे रखा है। वो उसका एनओसी दे सकें।

अध्यक्ष महोदयः मुकेश जी, इतना लम्बा बोलेंगे तो हमे रात को 9 बजे तक बैठना पड़ेगा।

श्री मुकेश शर्माः अध्यक्ष महोदय, एक बात कह करके अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। अध्यक्ष जी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो एमसीडी आज भी land owning agency नहीं है। उदाहरणतया विकासपुरी, वसंत कुंज एमसीडी टेक को मेन्टेनेंस के लिए टेक ओवर हुआ है। एमसीडी उसकी जमीन की मालिक नहीं है। एमसीडी खाली मेन्टेनेंस एजेंसी है। जब एमसीडी उस जमीन की मालिक नहीं है तो उस के पैसे कैसे चार्ज कर रही है। आप रिकार्ड पर पता करवा लें। आज भी डीडीए इसकी ऑनर है। अध्यक्ष महोदय, मैं लास्ट में एक सिविक सैंटर के बारे में कह रहा हूँ। एक बड़ा अच्छा भवन बना। हमारी जब नगर निगम में हुकूमत थी उस वक्त मंजूर हुआ, उसका काम शुरु हुआ। अध्यक्ष जी, आज जब तीन एमसीडी हो गई हैं, मेरा यह प्रस्ताव है, वो कहते हैं कि तुम लोन क्यों दे रहे हो, बेल आउट दो। अध्यक्ष जी, किसी बेल आउट लोन की जरुरत नहीं है। पूरे सिविक सैंटर में एक भी कारपोरेशन नहीं चलनी चाहिए। सारे सिविक सैंटर को आप किराये पर दीजिएं। जितना किराया उससे आयेगा, उस किराये से तीनों एमसीडी बिना किसी लोन से चलेंगी, आपको किसी पैसे की जरुरत नहीं पड़ेगी और दिल्ली की डेवलपमेंट होगी। आधा हिस्सा इन्होंने इनकमटैक्स को 1800 करोड़ रुपये इन्होंने ले लिये हैं और कहा जा रहा है कि दक्षिणी दिल्ली भी जायेगी फलानी दिल्ली भी जायेगी। दिल्ली, दिल्ली है अध्यक्ष जी, सिविक सैंटर पूरी एमसीडी को प्रोपर्टी है। सिविक सैंटर को किराये पर दे कर उसके मंथली किराये से एमसीडी अपने खर्चे मीट क्यों नहीं करती। मुख्यमंत्री जी, आपने ईस्ट दिल्ली में जो हमारा उद्योग सदन था, दे दिया। नार्थ दिल्ली में पता नहीं शायद दिया है या नहीं दिया। नार्थ और साऊथ चल रहा है। दे दीजिए, हमारे पास काफी बिल्डिंगें पड़ी हैं। टाउन हाल इनका हैं वहाँ ये चलायें। नहीं तो हमारे पास एक-एक एकड़ में बारात घर बहुत पड़े हुए

हैं, उसमें और बिल्डिंग बना लें। इनको कौन मना कर रहा है। अध्यक्ष जी, एमसीडी ही तो चलानी है। अध्यक्ष जी, माफ करना, इस सदन में मेरा प्रस्ताव है और मुझे आशा है कि आप इस पर ध्यान देंगी। मैं अंत में इन्हीं शब्दों के साथ, अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं फिर तीन बातें दोबारा दोहरा रहा हूँ, 222 बैंकट हालों को तुरन्त प्रभाव से वापिस लिया जाये, पार्कों में इनके एनओसी को तुरन्त प्रभाव से बंद किया जाये और जो पिछले पाँच सालो में टैंट माफियाओं से मिल कर बुकिंग की हैं, पैसा कमाया है, भ्रष्टाचार किया है, उसकी एंटीक्रप्शन डिपार्टमेंट से, सीबीआई जिससे आप चाहें जाँच करा लें। उसकी जाँच जिस दिन आप भेज दोगे, अगले दिन एनओसी खत्म हो जायेगा। जैसे हारुन साहब को एक किस्सा भिजवाया था, उस पर एफआईआर हो गयी है। अब सब सरन्डर करते घूम रहे हैं। अध्यक्ष जी, एक एफआईआर करा दो, स्कैंडल बंद हो जायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री नसीब सिंह।

श्री नसीब सिंहः अध्यक्ष जी, आज आपने दिल्ली नगर निगम को तीन भागों में विभाजित करने जनता के हित के लिए फैसला दिल्ली की मुख्य मंत्री ने लिया। दिल्ली को 100 वर्ष होने जा रहे हैं और इन 100 वर्षो में दिल्ली में बहुत बड़े-बड़े बदलाव आये। अध्यक्ष जी, जहाँ 100 वर्षो में दिल्ली ने अपनी करवटें बदली हैं, मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि दिल्ली के लोग आज इन सौ वर्षो में इस बात को जरुर याद रखेंगे कि दिल्ली में जो नगर निगम का बंटवारा कर आपने दिल्ली की जनता को जो एक नया स्वरुप एमसीडी को दिया है, उसके लिए हमेशा याद करते रहेंगे।

अध्यक्ष जी, उसमें एक बहुत बड़ी बात उन्होंने शामिल की जो हामरी कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी हमेशा इस बात को कहती रहती थीं कि महिलाओं को स्थानीय

निकायों में 50 परसेंट रिजर्वेशन मिले, वह भी उन्होंने पूरा किया, मैं समझता हूँ कि वे बधाई की पात्र हैं। जहाँ एक तरफ दिल्ली में दिल्ली सरकार प्रदेश के नाम पर सरकार चलाती रही है उसी तरह से उसके पैरेलल एमसीडी भी एक अलग तरह की सरकार चलाती रही है और अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर, फण्डों का दुरुपयोग कर दिल्ली को अस्त व्यस्त करती रही। अध्यक्ष जी, आज जितना भी हैड में पैसा मिलता था 4-5 दिल्ली के वे नेता जो सदन में अपने आपको कहीं कहीं पाते थे, चाहे गांवों के लिए एमसीडी को दिल्ली सरकार दिल्ली के अर्बन विलेजिज के लिए पैसा देती थी। वे दो तीन लीडर चाहे वह सदन का नेता हो, चेयरमैंन स्टैंडिंग कमेटी, मेयर ये 5-6 नेता ही उस फण्ड को अपने अपने क्षेत्रों में बिना किसी की इजाजत के लगाते रहते थे। यह आपकी नालिज में जरुर रहा होगा। अध्यक्ष जी, हर साल वालिया जी, पहले यूडी मिनिस्टर थे और वे मोनिटरिंग करते थे 80 करोड़ रु. नालों की सफाई के लिए दिया जाता था। आर आर कट का पैसा जहाँ करोड़ों रु. दिल्ली जल बोर्ड, बीएसईएस और रिलायंस जैसा दिल्ली में एक बहुत बड़ा कारपोरेट कम्पनी ने दिल्ली में डगिंग करके जो पैसा एमसीडी को दिया उसका बेजा इस्तेमाल हुआ। अध्यक्ष जी, आज भी पूर्वी दिल्ली की सड़के खासकर मैं अपने क्षेत्र की बात करुं तो आर आर कट का पैसा जो आईजीएल ने वहाँ पाइप लाइन डालने के लिए दिया था आज तीन साल हो गये हैं उस पैसे का कोई पता नहीं है। ये उस आर आर कट के पैसे को जनरल फण्ड में डाल देते हैं और उस जनरल फण्ड से उन 5-7 नेताओं को ओबलाइज किया जाता है। मेयर अपने अपने क्षेत्रों में ओबलाइज करता है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस विषय में वालिया जी से और मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इस पर ध्यान देने की जरुरत है। जो जिस हैड का पैसा लिया जा रहा है वह उस हैड में खर्च नहीं हो रहा है। अध्यक्ष जी, आज एक बहुत बड़ी समस्या अभी भी चल रही है जो पुराने सिस्टम से चली आ रही थी, दिल्ली में अर्बन विलेज भी है, दिल्ली में ऐसी जगह भी थी जहाँ लोग दूध के लिए जानवर रख लेते थे। मैं समझता हूँ हाई कोर्ट ने आर्डर किए, हम मानते हैं कि

उसको हटाया जाना चाहिए, लेकिन अध्यक्ष जी, किसी के यहाँ गाय भैसा पकड़ी जाती है तो उसे नीलाम कर दिया जाता है यह नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष जी, वे किसान अपनी रोजी-रोटी के लिए 50-60 हजार की भैस या अपने बच्चों के लिए खरीद कर लाते हैं, क्योंकि डा.साहब अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह का सैथेटिक दूध किस तरह का यूरिया मिला हुआ दूध आज लोगों को मिल रहा है, आज अगर किसी ने अपने घर में भैंस रख भी ली है तो यह नीलाम करने का जुल्म नहीं होना चाहिए। अंग्रेजों के समय में भी ऐसा जुल्म नहीं हुआ। अध्यक्ष जी, जिस किसी की भी गाय भैंस पकड़ी जाती है वो नीलाम की जाती है। नीलाम करने के लिए भी दिल्ली का आदमी नहीं होना चाहिए दिल्ली से बाहर का आदमी ही नीलाम कर सकता है, उसकी नीलामी छुड़ा सकता है। डा. साहब इसे तो बदलने की जरुरत है। पहली बार 5000 रु. जुर्माना करो एफिडेविट लो उस भैंस को बाहर निकालने के लिए उस पर मुकदमा किया जाना चाहिए।

(श्रीमति बरखा सिंह जी पीठासीन हुई)

श्री नसीब सिंहः श्रीमती बरखा शुक्ला सिंह जी हमारी अध्यक्षा आज पीठासीन हुई है, मैं उनको बधाई देता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मैं इस मामले में यह जरुर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से डेरी वालों को निकालने की बात की जा रही थी, घोगा में डेरी का कोई डवलपमेंट नहीं हुआ है, एमसीडी ने भी कुछ नहीं किया और उसमें घपला निकला है। घपला भी ऐसा निकला है कि जो वहाँ पर फार्म भरे गये उसमें थर्ड फ्लोर का एड्रेस दे दिया जहाँ भैंस नही रखी जा सकती। थर्ड फ्लोर पर भैंस रखी जा रही है। इस तरह के घपले भी हो रहे हैं। जिस तरह से आपने घड़ौली डेरी फार्म उस समय बनवाया था डा. साहब उन डेरी फार्मो की चैकिंग कराई जाए कि वहाँ हो क्या रहा है, वहाँ भैंस नहीं रखी जा रहीं, वहाँ गोदाम बन गये हैं। आप नई डेरी बना रहे

हैं जैसे घोगा में, लेकिन जहाँ पर डेरी अलाट हुई थी उन डेरियों में दूसरी तरह की एक्टीविटी हो रही हैं। ये अनाथराइज चीजे यदि होती रहेंगी तो आम आदमी इनमें पिसता रहेगा। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जरुर कहना चाहता हूँ कि अच्छी व्यवस्था शुरु हुई है, अच्छे आफिसर लगाए गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग यूपी से ऐसे आफिसरों को डेपूटेशन पर ला रहे हैं जिनका रिकार्ड ठीक नहीं है। मंत्री जी इस बात पर ध्यान देने की जरुरत है। हमारी दिल्ली सरकार के दानिक्स आफिसर हैं यूपी से लाने की जरुरत क्या है यूपी की इमेज क्या है। आज इतने घोटाले और घपलेबाज वहाँ उनके बारे में बताया जाता है और वहाँ से अपनी खाल बचाने के लिए दिल्ली में आकर यहाँ एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर या और दूसरे विभागों में चुपचाप आकर बैठ गये हैं, अध्यक्ष जी, इनकी भी खबर ली जानी चाहिए। यह भी एक बड़ी जरुरत का मामला बनता जा रहा है। मैं तो अध्यक्ष जी आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ एमसीडी के स्कूलों की जो हालत है वह बहुत अच्छी नहीं है। अगर हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों का रजल्ट आज 87-88 परसेंट पहुँच गया है अगर वह 12-13 परसेंट कम है तो हमे जो वह स्टफ मिलता है जो हमें नगर निगम से बच्चा मिलता है हायर सैकण्डरी स्कूल में उसकी वजह से कम है, नहीं दिल्ली सरकार के स्कूलों के रजल्ट 100 परसेंट होते। मैं तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह नयी व्यवस्था क्यों जब हम सर्वोदय स्कूल चला सकते हैं बच्चों को पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा तक अपने सर्वोदय स्कूलों में पढ़ा सकते हैं तो फिर ये नगर निगम को एक बोझ के रुप में क्यों दिया जाये। इनको भी ले लिया जाना चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं यह भी चेताना चाहता हूँ, मैं ये सारी चीजें इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि हमने जो यह नगर निगम का बंटवारा किया है अब ये बातें सामने आ रही हैं कि एमसीडी में हो क्या रहा हैं? एमसीडी में यह हो रहा है कि मेरे क्षेत्र में जो नगर निगम के 4 निगम पार्षाद थे भाजपा के, उन्होंने अपने क्षेत्र से बाहर के लोगों की पेंशन बनवाई हुई है। इतने सारे चैक, क्योंकि मेरे वहाँ तीन काउंसलर जीते हैं, उन चैकों को कोई लेने नहीं

आ रहा है जब से वहाँ नये काउंसलर बने हैं। मुख्यमंत्री जी हमें ऐसा लगता है कि वे चैक फर्जी हैं। एक काउंसलर 650 लोगों को पेंशन दिलवा सकता है, तो छः साढ़े छः लाख रु. हर महीने में, अगर वह 250-300 लोगों को सही दे रहा है तो आधे से ज्यादा लोगों का फर्जीवाड़ा भी हो रहा है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इसे खत्म क्यों न किया जाये। इन्हें मर्ज क्यों नहीं किया जाता, इन्हे डबल डबल क्यों किया जा रहा है। दिल्ली सरकार जो बैंकों में डायरेक्ट देती है, वे चैक आज रखे हुए हैं हमारे काउंसलर्स के पास उसकी इंक्वायरी की जाये कि यह हो क्या रहा था। ढ़ाई-ढ़ाई तीन-तीन लाख रु. के हर महीने के चैक किस खाते में जा रहे थे, इसका भी पता लगाया जाना बहुत जरुरी हो गया है। अध्यक्ष जी, जिस तरह से पार्कों की हालत है, अभी मुकेश जी भी बता रहे थे; मुझे बताने की जरुरत नहीं हैं, उसमें मैं हाउस टैक्स की भी बात करना चाहता हूँ 65 परसेंट हाउस टैक्स दिल्ली में कलैक्शन नहीं किया जा रहा। इसकी जिम्मेदारी किन लोगों की है, टैक्स कलैक्शन के लिए ड्यूटी नहीं लगाई जा रही, बिल्डिंग डिपार्टमैंट के लिए ड्यूटी लगाई जा रही है। मेरे क्षेत्र में दो जूनियर इंजीनियर और एसिस्टेंट इंजीनियर सीबीआई ने पैसे लेते हुए पकड़े हैं अभी पिछले दिनों तीन महीने के अन्दर अन्दर। एक जूनियर इंजीनियर जिसका नाम राकेश कुमार है और वह प्रीत विहार में लगा हुआ है उसकी कम्पलेंट होने के बाद भी वह 6 मंजिला बिल्डिंगे बनवा रहा है और जब कोई कम्पलेंट होती है तो वह कहता है कि एमएलए कम्पलेंट कर रहा है एमएलए तंग कर रहा है उसके पास जाओ। अध्यक्ष जी, आज तक उस जूनियर इंजीनियर को हटाया नहीं गया है और तो और तीन महीने में एक रोटेशन बना लिया था। इन लोगों ने अपनी कमाई करने का कि एक जूनियर इंजीनियर जो तीन महीने में बिल्डिंग बनवा कर चला जाएगा उसके बाद उसकी जिम्मेवारी खत्म और दूसरा जूनियर इंजीनियर आएगा वह देखेगा और तीन महीने में दूसरी बिल्डिंग बनेगी उनका माल वह इकट्ठा करेगा। डा. सहब कितना बड़ा घपला है एमसीडी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट में हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा घपला है जो एमसीडी के बिल्डिंग डिपार्टमैन्ट में हो रहा है कि मुझे लगता है कि अगर बिल्डिंग डिपार्टमैन्ट का दो नम्बर का पैसा इकट्ठा हो जाये तो सारा का सारा एमसीडी का खर्चा चलाया जा सकता है, उनकी तनख्वाह दी जा सकती है। और तो और और आपने देखा होगा कि 12 पार्षद किस तरह से बिल्डिंग डिपार्टमैन्ट के मामले में पैसे लेते-देते दिखाई दिये। ये किसी से छिपा नहीं है। मैं जरुर अध्यक्ष महोदय, इस मामले में बहुत सी चीजों को, जैसे सफाई के मामले में भी अभी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, ढाई तीन हजार लोगों को फर्जीवाड़े में पकड़ा गया। जिसमें ये दिखाया गया कि ये लोग काम ही नहीं करते, ये लोग नगर निगम में हैं ही नहीं और इनकी तनख्वाहें दी जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, आज तीन जगह में बंटने के बाद आज कमिश्नर को पूरी दिल्ली में देखने की जरुरत नहीं पड़ती। आज पूर्वी दिल्ली का कमिश्नर, जहाँ मैं 13 साल में कमिश्नर को टाउन हाल से कभी राउण्ड पर नहीं लकर आ सका, आज मेरे एरिया में जाने के बाद जब ईस्ट दिल्ली, पूर्वी दिल्ली अलग बन गयी। तीन बार इस डेढ महीने में मेरे क्षेत्र में राउण्ड किया है कमिश्नर ने। और ये डायरेक्शन दी है, जो पार्को की हालत बुरी हो रखी थी। जब हमने वो दिखाये तो उनको तीन दिन में ऐसी सफाई कर दी उनकी, कि मैं समझता हूँ कि बहुत सारा सुधार इस बाइफरकेशन के बाद इस बंटवारे बाद बहुत वाजिब होने लगा है। डॉ. साहब बहुत मामला मुकेश जी ने भी आपके सामने उन बारात घरों का कहा। लेकिन मैं खास तौर से पूर्वी दिल्ली के बारे में बात करना चाहूँगा। क्योंकि पूर्वी दिल्ली में जितने भी बारात घर अगर एमसीडी ने बनाकर दिये हैं तो वह आपकी जानकारी में है कि शुरु में 1998 से लेकर बहुत दिनों तक आप ट्रांस यमुना बोर्ड के चेयरमैन रहे और आपने उन बारात घरों को बनवाने के लिए ट्रांस यमुना बोर्ड से पैसा दिलवाया और आज उनकी बुकिंग का फैसला नगर निगम का काउन्सलर करता है। उसका

अगर उदघाटन हो तो हमारी मुख्यमंत्री जी एक बारात घर का उद्घाटन करने जाने वाली थी, तो काउन्सलर ने टाइम देने से मना कर दिया कि मेरे बगैर ये उद्घाटन नहीं होगा। ये हालात नगर निगम में पैदा हो गये कि पैसा ट्रांस यमुना बोर्ड दे और वह काउन्सलर यह हाउस में पास कर दे कि बगैर काउन्सलर की इजाजत के कोई उदघाटन नहीं होगा। इस तरह की ये गन्दी राजनीति के खिलवाड़ करते रहे हैं। हेल्थ विभाग में जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं डॉ. साहब। हेल्थ विभाग भी आप ले लो। ये डिस्पेन्सरियाँ और ये हॉस्पिटलस की जो हालत है, जो वहाँ दवाइयों में चोर बाजारी हो रही है, वो आप नहीं समझ सकेंगे। क्योंकि आप नजदीक से देखेंगे जाकर के तो पता लगेगा आपको कि वहाँ कितना बड़ा घपला हो रहा है। वहाँ डॉक्टर लगाने में घपला हो रहा है। कांट्रेक्ट पर लोग लगाये जाते हैं। उनमें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग और नेतागण जिस तरह से वहाँ अपने हालात मचाये हुए हैं।

कहते हुए भी शर्म आती है। डेंगू फैलता है। अध्यक्ष महोदय, डेंगू फेलता है, मलेरिया की जो दवाइयाँ छिड़की जाती है। वह पूरी नहीं आती कहीं भी। अध्यक्ष महोदय, अभी बारिश आने वाली है और इन बरसातों में डेंगू से जितनी मौंते होती हैं, ये नगर निगम की जिम्मेदारी से होती हैं। डॉ. साहब अगर जिस समय बारिश हो और उसके तुरन्त बाद वहाँ पर दवाइयों का छिड़काव कर दें। तो मुझ लगता है कि डेंगू नहीं फैल पायेगा। आज एनीजीओं ने जितने भी भारतीय जनता पाटी के जितने भी उन लोगों के एनजीओं थे, उन्होंने मिडडे मील के बंटवारे के नाम पर एमसीडी के स्कूलों में धंधा खोला हुआ है, इसकी इन्क्वारी भी होनी जरुरी है डॉ. साहब जिस तरह से इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के निमग पार्षद हों, उनके रिश्तेदार हों, इन लोगों ने एक धंधा बनाया हुआ है। और किसी के हाथ में वो नहीं है। इतने सारे नगर निगम के स्कूल हैं, मिड-डे मील की स्कीम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और रिश्तेदारों के हिस्से में आ रखी है। इसके अलावा और

कोई वहाँ घुस भी नहीं सकता है। इसका भी बहुत बड़ा मामला है। अध्यक्ष महोदय, उसी तरह से लाइसेंसिंग का मामला है। उसी तरह से मैं कहता हूँ कि रोड मेन्टेनेन्स का बहुत बड़ा घपला चल रहा है, डॉ. साहब कि रोड मेन्टेनेन्स के लिए डेढ सौ कट्टे मिलते हैं। डेढ सौ बोरी सीमेन्ट मिलता है एक वार्ड के लिए और वो जिस तरह ये उसका इस्तेमाल करते हैं, हमें नहीं समझ आता है। आज इसे देखने की जरुरत है। स्ट्रीट लाइट जो आप दिखवाते थे। हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री ने आदेश दिए थे कि दिल्ली का हर विधायक अपने क्षेत्र की स्ट्रीट लाइटों को देखकर बात करेगा और उसकी रिपोर्ट देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नगर निगम के काउन्सलर्स की रिपोर्ट देने की बात कह कर क्योंकि उसका पैसा वे देंगे, उनकी मिली भगत से अब एक और नया चलन शुरु कर दिया है। जिसके बारे में ज्यादा कुछ कहने की मुझे ज्यादा जरुरत नहीं है। मैं ये जरुर कहूँगा कि बहुत सारी चीजें अभी होनी बाकी हैं। मुख्यमंत्री भी उस चीज को ठीक से मॉनिटरिंग कर रही हैं। अच्छे ऑफीसर्स लगाये हैं। मैं समझता हूँ कि तीनों के तीनों कमिश्नर जो लगाये हैं, वे बहुत अच्छे हैं और वे अच्छे से चला रहे हैं, खास तौर से अपने पूर्वी दिल्ली की बात करेंगे कि वे हर हफ्ते में तीन/4 राउण्ड ले रहे हैं। उन्हें पता लग रहा है। पहले कोई राउण्ड ही नहीं लेता था। काउन्सलर या डिपुटी लीडर, लीडर और स्टैण्डिंग कमेटी चेयरमैन ये अपने ही क्षेत्रों में घुमाते रहते थे कमिश्नर साहब को। उन्हें और कहीं निकलने ही नहीं दिया जाता था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जरुर कहना चाहूँगा कि मेरे यहाँ आईपी एक्सटेंशन एक ग्रुप हाउसिंग थी, है। उसमें तकरीबन डेढ़ सौ सवा सौ ग्रुप हाउसिंग हैं। उसमें मुख्यमंत्री जी ने डस्टबिन रखवाये थे। 5 साल का किसी ठेकेदार का उसमें कांट्रेक्ट था। वो खत्म होने के बाद वे डस्टबिन भी उठ गये। आज तक दुबारा डस्टबिन लगाने की बात हुई। हमने पैसे देने की बात की कि वह डस्टबिन हम अपने पैसे से लगवा देते हैं, आप शुरु करवाइये। नहीं, इन्होंने एक नई परम्परा शुरु कर दी की कोई प्राइवेट एजेन्सी को टैम्पो लगाने का मामला दे दिया। और उस टैम्पो वाले का भी बहुत बड़ा झमेला है। उस टैम्पो वाले की भी

आपको डॉ. साहब आपको इन्क्वारी करवानी पड़ेगी। आधे लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। कमीशन जा रहा है, उस टैम्पो लगाने में, सारे प्राइवेट टैम्पो लगे हुए हैं उसमें और उसमें भी बहुत बड़ी लम्बी कहानी का मामला चल रही है।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से मुकेश जी कह रहे थे कि कमिश्नर को पॉवर मिलनी चाहिए। 5 लाख 25 लाख से ऊपर के सारे केस जो भी हैं, आज इतनी महंगाई की बात करते हैं, आज 25 लाख रु. में कोई बहुत लम्बी चौड़ी सड़क बनने के लिए तैयार नहीं होती है। कमिश्नर की पॉवर बढ़ाई जानी चाहिए। इस पर डॉ. साहब जरुर मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करुँगा कि इस पर ध्यान देने की जरुरत है। और जिस तरह से ये अपने उस की बात कर रहे थे, यहाँ इस बात का भी अन्दाजा नहीं है अभी कि किस तरह से इलैक्ट्रिक डिपार्टमैन्ट के 4-5 इंजीनियर्स अभी भी जेल में हैं और किस तरह से इन्होंने उस पर काम किया है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए कुछ इंजीनियर्स को बहाल करने के, उन्हे ड्यूटी देने के। इन्होंने उन्हें ड्यूटी नहीं दी। जैसे मुकेश जी भी कह रहे थे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जिसे अभी सुधारने की जरुरत है। लेकिन कुल मिलाकर मैं आज इतना जरुर कहना चाहूँगा कि दिल्ली की जनता को और खास तौर से पूर्वी दिल्ली को इस नगर निगम के बंटवारे को जो फायदा हुआ है, मैं समझता हूँ कि इससे एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा बदलाव आयेगा और जो मॉनिटरिंग, जिस तरह से एनडीएमसी एक छोटा सा एरिया उसकी मॉनिटरिंग ठीक से होती है, उसी तरह से नगर निगम की मॉनिटरिंग ठीक से होगी। और जो ऑफीसर्स लगाये जा रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री जी से और डॉ. वालिया जी से ये जरुर कहूँगा कि समय समय पर मीटिंग लेकर अगर इन चीजों को सुधार लिया गया तो पूर्वी दिल्ली के लोग, पूरी इस बात के लिए जरुर शाबाशी देंगे और जिस दिन इतना बड़ा फैसला लिया गया इस बंटवारे का उसके लिए मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री जय किशन।

कंवर करण सिंहः अध्यक्ष महोदया एक बहुत बड़ा इश्यू है जो मैंने पिछली बार भी उठाया था नसीब सिंह जी ने और मैंने। जो आर आर कट के पैसे कॉर्पोरेशन में जमा होते हैं। जो जल जल बोर्ड काम करता है उसके बदले में। 6 करोड़ से ऊपर मेरे एरिया के पैसे जमा हैं और यूज नहीं होते हैं। मेरा आपके माध्यम से वालिया जी से कहना है कि कोई ऐसा रास्ता निकालें कि वह पैसा वापस जल बोर्ड को मिल जाये जिससे हम काम कर लें। मेरे ही नहीं सभी 70 के 70 विधायकों का वहाँ पैसा 100 करोड़ से ऊपर वहाँ यूज नहीं हो रहा है। हुआ होगा तो कहीं मिस-यूज हुआ होगा। उस विषय पर वालिया जी, बहुत जरुरी है आपको कोई न कोई फैसला करना। क्योंकि जब आर आर कट के काम नहीं होते हैं, तो हमें अपने एमएलए हेड से काम करवाने पड़ते हैं। औरे वह पैसा ऐसे ही पड़ा है। तो उसमें जरुर आप ध्यान दें, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री जय किशन।

श्री जय किशनः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया, कई सदस्यों ने दिल्ली नगर निगम पर भारत सरकार की चेयर पर्सन सोनिया गांधी और दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारी शीला दीक्षित जी का बधाई मैं भी अपनी तरफ से देता हूँ। एक बहुत सराहनीय कार्य सोनिया गांधी और शीला दीक्षित ने किया है। दिल्ली नगर निगम को तीन हिस्सों में बांटकर वे बधाई की बात्र हैं। क्योंकि कहावल है कि जिनकी रुट पर बसें ज्यादा होगी, उतना ही लोगों को सहूलियते मिलेगी। ज्यादा सहूलियत के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री और सोनिया गांधी ने यह कार्य किया है। इसके साथ-साथ जो महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण की बात मुकेश भाई ने भी कही, नसीब जी ने भी कहीं। इससे मैसेज तो गया है। सरकार की वफादारी में और कांग्रेस के लिए, लेकिन अध्यक्ष जी, एक और नई बात महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण

देने से दिल्ली के अंदर, प्रदेश के अंदर जो दहेज प्रथा और जो बेटियों को सताया जाया करता और उनको शोषण के लिए मजबूर किया जाता। अध्यक्ष जी, उससे कमी आयेगी। महिलाओं में उत्साह बढ़ा है। महिलाओं में जागृति आई है। यह भी एक सराहनीय कार्य किया है। अध्यक्ष जी, शिक्षा पर हमारे मुकेश जी ने अभी जिक्र किया। लेकिन इसमें मैं भी आधा मिनट बोलना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, कॉर्पोरेशन का, दिल्ली नगर निगम के स्कूलों का स्तर इतना गिरा हुआ है कि वहाँ पर पढ़ाई के लिए बच्चों के पास टीचर्स की कमी तो है ही, वहाँ पर पानी नहीं है। शौचालय नहीं है। टॉट पट्टी नहीं है। वहाँ पर बैन्च नहीं है। अध्यक्ष जी, यहाँ तक कि इन बच्चों को खाने के लिए जो पौष्टिक आहार, खाना दिया जाता है। उसमें कीड़े होते हैं। इसमें बड़ा भारी भ्रष्टाचार है। हमारे दूसरे साथी ने भी कहा कि इन स्कूलों को मेरे ख्याल से दिल्ली सरकार में मर्ज कर लिया जाए तो जनता में एक अच्छा मैसेज जायेगा। अध्यक्ष जी, पार्कों की बात भी, दोनों साथियों ने कही। लेकिन मैं पार्कों में एक नई बात resettlement colonies के लिए बतलाना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, जे.जे. कॉलोनियों में, मैं मंत्री जी को और मैं मुख्यमंत्री जी से यह बताया चाहता हूँ कि दिल्ली में हजारों पार्क ऐसे हैं जो इतने बुरे तरीके से सड़ रहे हैं। Resettlement colonies में पार्कों की कोई देखरेख नहीं है। सैकड़ों, हजारों पार्क के अंदर गोबर, कीचड़ पड़ा हुआ है। वहाँ पर गन्द पड़ा हुआ है। अध्यक्ष जी, हार्टीकल्चर के कर्मचारी, अधिकारी हाथ नहीं लगाते। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि हार्टीकल्चर के वर्क्स डिपार्टमेंट के और अन्य डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं, वो 30-30 साल से एक ही जगह पर बैठे हैं। किसी को 25-25 साल से हिलाया नहीं गया। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे इंजीनियर्स और junior engineer 15-15 साल से, दस दस साल से हमारी एसेम्बलियों में जमकर बैठे हैं और पूरे तरीके से वर्क्स डिपार्टमेंट हो या COC हो, चाहे हैल्थ हो या पार्किंग हो, वो पूरे तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार की लूट मचा रखी है। इस पर तुरन्त कार्रवाई हो। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सामुदायिक भवन में अभी सभी

साथियों ने एक बात कहीं, लेकिन मैं एक नई यह बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी उद्घाटन होता है तो किसी भी एम.एल.ए को इन उद्घाटनों में आमंत्रित नहीं किया जाता। अध्यक्ष जी, दिल्ली नगर निगम के अधिकारी यह कह देते हैं कि निगम पार्षद की मर्जी से इसकी आपनिंग होगी और इसका उदघाटन होगा। इस पर तुरन्त रोक लगाई जाए। अध्यक्ष महोदय, जो लाइटिंग सिस्टम, जो बिजली दरों में कार्पोरेशन ने लगाई है। सरकारी बजट से अरबों रुपए का घोटाला इन लाइटों में दिल्ली नगर निगम ने किया है। वहाँ पर नकली लाइटें लगाई हैं। जो दो महीने में लगने के बाद आज के दिन जो रोड पर लगाई हों, चाहे पार्को में लगाई हों, वो सारी बन्द पड़ी हैं। अध्यक्ष जी, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं पेंशन सिस्टम में और जो पैसा दिल्ली नगर निगम को दिया गया है। सफाई की और नालों की जो बुरी हालत है। अध्यक्ष महोदय मेरा छोटा सा दिल्ली सरकार की तरफ से सीनियर सैकण्डरी स्कूल चलता है। वहाँ पर जान बूझकर वहाँ के पार्षद के दबाव में मेरे स्कूल के रोड के आसपास पूरे गन्दों के ढेर पड़े हैं। कोई भी अधिकारी बिल्कुल सूनने के लिए तैयार नहीं है। वे यह कहते हैं कि हमें नाला साफ करने के लिए कोई आदेश नहीं हैं। थोड़ी सी देर में जरा सी बारिश होती है। अध्यक्ष जी, वहाँ पर गन्द बच जाता है। इसको भी रोका जाए। मैं आपसे पेंशन सिस्टम में जो अभी जिक्र किया है। अध्यक्ष महोदय, दूसरे वार्ड के लोगों की निगम पार्षद पेंशन बाँधते हैं और उसमें कई कई सौ लोगों की पेंशन खा जाते हैं। मैं बस एक बात और कहकर के अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। अध्यक्ष जी, licensing department की चालान काटने के नाम पर लूट खसूट करके कई-कई हजार रुपए के चालान गरीबों के काटे जाते हैं। रेहड़ी वाले, मिठाई की दुकान वाले, जनरल स्टोर वाले उनसे मंथली माँगी जाती है। वे मंथली नहीं देते हैं तो उनके दस दस, 6-6 हजार रुपए के चालान एक महीने में तीन तीन काटे जाते हैं और मजिस्ट्रेट की आड़ में वहाँ पर उगाही होती है। जो निगम पार्षद की जेब में जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो कॉर्पोरेशन की विजिलेंस है, उसको बन्द किया जाए और

दिल्ली सरकार की जो विजिलेंस है वो दिल्ली नगर निगम में काम करे। अध्यक्ष जी, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे यहाँ पर भी नए कॉर्पोरेशन के कमिश्नर आये हैं। हम ने उनके पहले भी सराहनीय कार्य को देखा है और उनको और पॉवर दी जायें। मैं यह कहना चाहता हूँ। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री कँवर करण सिंहः अध्यक्ष जी, क्योंकि कॉर्पोरेशन के दोनों मैटर हैं और वॉलिया जी ने रिप्लाई करना है तो मेरी सदन की भावना को देखते हुए यह रिक्वैस्ट है कि प्रहलाद सिंह साहनी के बाद वालिया जी दोनों का रिप्लाई कर दें तो बैटर रहेगा।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है। श्री प्रहलाद सिंह साहनी।

श्री प्रहलाद सिंह साहनीः अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली के अंदर बरसाती नालों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। दिल्ली के अंदर दो तरह के बरसाती नाले हैं। एक बार में जो सड़कों पर बारिश आती है जो तीन तीन फुट के, चार चार फुट के छोटे नाले हैं। अभी इन्होंने बड़ी रोड्स बनाई हैं, उसके साथ में बनाए हुए हैं। उन नालों की पोजीशन यह है कि इनका कोई स्टाफ उनको साफ करने के लिए नहीं है। वो इतनी बुरी तरह से जाम रहते हैं। बड़े नालों की सफाई नहीं की जाती। उनकी सफाई नाम पर जब बारिश का सीजन शुरु होता है तो उससे पहले ये उसके एस्टीमेट्स बना लेते हैं। जब जोर से बारिश आती है, वो छोटे नाले अपने आप खुल जाते हैं। उसमें ये भ्रष्टाचारी लोग, वो कॉर्पोरेशन के कर्मचारी उनकी मिली-भगत से लाखों रुपया, करोड़ों रुपया इन नालों को साफ करने के नाम पर लिया जाता है। आज भी अगर दिल्ली के अंदर देखें जितने बड़े नाले हैं, वो तमाम कोई दस फुट का नाला है, कोई 12 फुट का नाला है, उसके अंदर दो फुट जगह खाली होगी। उसमें बाकायदा कचरा भरा हुआ है। आने वाले दिनों के अंदर बारिश का सीजन होगा, वो सड़कों पर पानी चलेगा और वो बुरी तरह से भरे हुए हैं। अब भी इन्होंने

मेरा ख्याल है कि या तो वे उसके एस्टीमेट्स बनायेंगे या उनकी सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए की सप्लाई ली जाती है। मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूँ कि जितने भी नाले हैं। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर दो Super Cycle इन्होंने उन नालों को साफ करने के लिए रखे हुए हैं। खास करके मैं पुरानी दिल्ली की बात करता हूँ। पुरानी दिल्ली के अंदर जो V.I.P. Roads हैं, वो उनके नाले भी साफ नहीं कर पाते। जहाँ बारिश का सीजन होता है। आज तक कभी राजपुर रोड़ पर, Court Road पर कोर्ट रोयल पर एल.जी. हाऊस के पास कभी पानी भरा हुआ नहीं रहता था। जब से ये कॉर्पोरेशन ने ये नाले साफ करने बन्द कर दिए हैं और उन्होंने बिल बनाने शुरु कर दिए हैं। सड़कों के ऊपर तीन तीन फुट, दो दो फुट पानी रहता है। आने वाले दिनों में मुझे नजर आता है कि सड़के के ऊपर पैदल चलने वालों के लिए Delhi Municipal Corporation ने ये नाले साफ नहीं किए तो दिल्ली के अंदर लोगों को बोट्स लेकर चलना पड़ेगा। इस तरह की भावना आने वाली है। जब तक ये नाले प्रॉपर साफ नहीं किए जायेंगे। दूसरी तरफ इन्होंने छोटे नालों में एक चीज और शुरु कर दी है। यहाँ भी छोटे नाले हैं। वहाँ पर सफाई नहीं करते। उनका मिलान सीवर के अंदर कर दिया है ताकि बदनामी दिल्ली जल बोर्ड की हो और जल बोर्ड की लाइनें बन्द हों ताकि वो नाला साफ न हो। सफाई कर्मचारी जो भी उनके पास रखे हुए हैं वो सिर्फ हाजरी के नाम पर रखे हुए हैं। कोई भी सफाई कर्मचारी नाला साफ करने के लिए नहीं आता। जितने भी नाले हैं। वो आज भी देखे जायें वो प्राय: बन्द मिलते हैं और जितने भी झाड़ू लगाने वाले सफाई कर्मचारी हैं। उन नालों के अंदर वो मिट्टी इकट्ठी कर देते हैं। वो नाले बन्द रहते हैं। मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि आने वाले दिनों के अंदर इस करप्शन को रोका जाए और जितने भी नाले हैं। उनको साफ कराया जाए ताकि आने वाली जो बारिश का सीजन है, मानसून सीजन है। उसके अंदर यह पानी न भरे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। कृपया मंत्री महोदय ध्यान रखें।

अध्यक्ष महोदयः श्री जसवन्त सिंह नहीं हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, हमारे कई साथियों ने, अपने मुकेश शर्मा जी ने, भाई नसीब सिंह ने, जय किशन जी ने, साहनी साहब ने जो कहा है, यह बात सही है।

सभापति महोदयः (श्रीमती बरखा सिंह पीठासीन): अब मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदया, जैसे मेरे बहुत से साथियों ने, भाई नसीब सिंह जी, श्री मुकेश शर्मा जी, जय किशन जी, साहनी साहब ने अपनी बातें रखी। यह बात सही है कि दिल्ली में एमसीडी का ट्राइफरकेशन किया गया है। उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि दिल्ली में जो 1483 स्केयर मीटर एरिया है, उसको एक ही कमीशनर और मेयर देखता था। उनके लिए यह पासिबल नहीं हो पाता था कि वो पूरी दिल्ली को कवर कर पाएं और हमारी मुख्य मंत्री जी ने यह बड़ा अच्छा फैसला किया कि एमसीडी को तीन हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। आज दिल्ली तीन कमीशनर और तीन मेयर हैं और तीन ही स्टेडिंग कमेटी के चैयरमेन हैं। आज यह नजर आता है कि वे इलाकों के रांऊड ले रहे हैं और जिसके कारण सुधार नजर आ रहा है। यह बात सही है कि एमसीडी पिछले कई सालों में फैलियर रहा है। चाहे किसी भी सफाई की बात की जाये। हमारे बहुत से साथियों ने कमेटी हॉल की बात कीं। मैं एक नोटिफिकशन एमसीडी का जो आफिस आर्डर इश्यू किया हुआ है, ये कहते हैं कि additional requirement for booking of community halls. As per Corporation Resolution No. 200 dated 10.7.2006, the following additional information is to be provided by the applicants for booking of community halls. (1) Recommendation of area Councilor (2) In the case of booking of community hall for marriage, name of bride and groom. ये जो है कि वो डायरेक्टर सीएसडी ने इश्यू की हुई है

और इसी के हिसाब से कारपोरेशन के सदस्य के लिखे बिना कोई कम्यूनिटी हॉल बुक नहीं हो रहा है और हम लोग ट्रांस यमुना बोर्ड के अंदर हमने कम से कम 40 के करीब कम्यूनिटी हॉल के लिए जगह दिलाई। उनको कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा दिया, आज चिट्ठी भेजते हैं तो उनके डिप्टी डायरेक्टर और डिप्टी कमीशनर जो हैं कि पहले जाकर के कारपोरेशन के सदस्य से लिखवा कर के लाएँ तो यह बहुत एम्बैरसिंग पोजिशन एमएलए के लिए हो जाती है कि उसके द्वारा बनवाए गये कम्यूनिटी हॉल को नहीं दिया जाता है तो हमने भी यह फैसला किया है कि एक लिस्ट बनाए कौन-कौन से कम्यूनिटी हॉल हैं जिनको दिल्ली सरकार ने फाइनेंस किया है जिस तरीके से हमने यह सड़के ली है उसी तरह से यदि यह लोग सही रास्ते पर नहीं आते हैं तो इन कम्यूनिटी हॉलों को भी दिल्ली अरबन शैल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के अंडर किया जाये जिससे कि यह दिक्कत न हो। after all जो भी एमएलए चुनकर के आता है उसको चार वार्ड देखने होते हैं, लोगों की बहुत उम्मीदें से होती हैं और इन छोटी छोटी चीजों के लिए भी उसकी बात को नहीं सुना जाता। तो बहुत ही दु:ख महसूस होता है। दिल्ली के अंदर कोई ऐसा साल नहीं है, जिस साल सड़कों पर पानी न भरता हो। सारी सड़कें बरसात में जलमग्न हो जाती हैं और इस बार जो ट्राइफरकेशन किया है मैं यह उम्मीद करता हूँ कि कमीशनर और मेयर इस बात का ख्याल रखेंगे, नालों की साफ सफाई हो जाये जिससे कि यह दिक्कत न हो। अनधिकृत कालोनियों की जो दिक्कत है, जो अनधिकृत कंस्ट्रक्शन की बात की जाये, नसीब सिंह जी ने अभी कहा। मैं कहता हूँ कि इनके पास से अगर बिल्डिंग एक्टीविटी ले ली जाये तो पूरा कारपोरेशन ठीक हो जाये और इसके लिए हमें पूरी स्ट्रैटजी देखनी पड़ेगी। वैसे एज पर द रुल एंड रेग्यूलेशन यह एमसीडी के परव्यू में आता है। परंतु जब एमसीडी उसको देख ही नहीं पा रही है और चारों और अनआथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रही है दिल्ली जोन-4 में आता है, कोई नक्शा पास नहीं कराता। मैं भी जो कि एमसीडी डायरेक्टर हैं उनसे यह अनुरोध करुँगा कि हमारे जो कमीशनर वहाँ पर पोस्ट हुए हैं, इस बात को देखें कि आज इस बात

पर क्या एक्शन लिया जा रहा है। अगर जो कोई एक्शन नहीं होना है और हमें ट्राइफरकेशन के बाद एम्प्रूवमेंट लानी है। आज पूरी दिल्ली हमारी तरफ देख रही है कि दिल्ली की सरकार ने जी यह फैसला किया है उससे कितना फायदा होता है हम चाहेंगे कि जो हमने विभाजन किया है उससे फायदा हो, इम्पलीमेंट हो और इससे सबको मिल कर के इम्पलीमेंट करना है। भाई नसीब सिंह जी ने आर.आर. कट की बात कही हैं, और भाई करण सिंह जी ने भी यह बात कहीं है। जैसे ही हम लोग फ्री हो जाएँगे हम एमसीडी के स्टाफ के साथ बात करेंगे। हर एक एरिया में आर-आर कट का पैसा है उसके लिए पूरी डिटेल लेंगे और उसको पूरा खर्च भी कराएंगे जिससे कि उसका सही इस्तेमाल हो सकें। पेंशन के लिए जैसे कि आपने बताया, यह बात सही है पिछली बार हमने डायरेक्शन इश्यू की थी कि जो भी पेंशन पे हो, वो बाई चैक पे हो नहीं तो एक समय था कि बाई कैश ही पेमैंट हो रही है। अब भी इसके अंदर जो पेंशन पे की जा रही है, उसके अंदर सुधार लाने की जरुरत है.....अंतरबाधा।

श्री साहब सिंह चौहानः अध्यक्ष जी, डाकखाने में कोई भी जाकर के पैसे निकाल सकता है.....अंतरबाधा।

श्री रमेश बिधूडीः अध्यक्ष जी, वहाँ तो कोई भी जाकर के पैसे निकाल सकता है;. .....अंतरबाधा।

स्वास्थ्य मंत्रीः जैसे हमारे यहाँ पर सिस्टम है कि बैंक के अंदर सीधे पेंशन जाती है और वहीं सीधे वहाँ फॉलो होना चाहिए.....अंतरबाधा।

श्री नसीब सिंहः मंत्री जी यह दिल्ली सरकार के काम है, उनको करने चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्री : अच्छा आपने हाऊस टैक्स की बात की जो क्लैक्शन है, वो मात्र नौ

लाख मकानों से हाऊस टैक्स की क्लैक्शन होती है। मैं यह समझता हूँ कि अब तीनों कारपोरेशन को आपस में कम्पीट भी करना है कि कौन सी अच्छा काम कर रही है, कौन सी ज्यादा सफाई रख रही है, कौन सा एरिया है जहाँ पर बारिश में पानी इकट्ठा नहीं होता या मलबा रिमूव्ल हो रहा है, सड़के अच्छी हैं। यह सब जो हैं, कारपोरेशन के बन जाने के बाद हो जाना चाहिये। हैल्थ विभाग की आपने बात कही है और डेंगू और मलेरिया की मैं यह उम्मीद करता हूँ कि यह सभी इस बार अंडर कंट्रोल रहेंगे, यह भी मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार भी पूरा प्रयास करेंगी कि जो भी सहायता एमसीडी को चाहिए कि जो कुछ भी करने की जरुरत है जैसे नार्थ कारपोरेशन, साउथ कारपोरेशन, ईस्ट कारपोरेशन, ईस्ट कारपोरेशन की तो अपनी अलग बिल्डिंग हो गयी है परंतु नार्थ और साऊथ एक ही जगह से चल रहे हैं इनको भी सैगरीगेट किया जाये इसके लिए भी जो लैंड इक्वायर करने की जरुरत पड़ेगी उसमें हमारी सरकार मदद करेगी।

श्री नसीब सिंहः मंत्री जी, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि ईस्ट दिल्ली को, जो इंडस्ट्रीयल डिपार्टमेंट का ऑफिस है, उसके लिए आप अलग से लैंड दिलवाइये वहाँ सीबीडी ग्राउंड में दो एकड़ जमीन मिले, नया हाऊस बने ईस्ट दिल्ली का यह नहीं कि उसी में चले।

स्वास्थ्य मंत्रीः अच्छा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हाऊस टू हाऊस कलेक्शन ऑफ गारबेज की बात एमसीडी ने की थी, कई साल पहले और शुरु भी हुआ, मैं भी कई एरियाज में गया कि कैसे हो रही है परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि यह घीरे-घीरे खत्म होता जा रहा है अगर हाऊस टू हाऊ कलेक्शन करेंगे तो हर साल जो हमें नालों की सफाई करनी पड़ती है वो नहीं करनी पडेगी और अपने स्टाफ को भी यह कहेंगे कि घरों का कूडा नालों में न डालें। तो इस तरह से एक सिस्टम लाने की जरुरत है, एमसीडी के अंदर। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रुल्स बनाए गये थे कि जो भी म्यूनिसिपल

टॉयलेट जनरेट होता हैं, उसे प्रोपर्ली ट्रीट करना है, उसको डम्प करना है। वो रुल्स अभी तक इम्पलीमेंट नहीं हुए। मेरे ख्याल से उसको सात साल हो गये हैं, 2005 के अंदर भारत सरकार ने म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रुल्स बनाये थे। आज सूरत जैसी सिटी के अंदर प्रोपर्लीम्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है परंतु दिल्ली में हम नहीं कर पाये। इन सभी फैलियरर्स को देखते हुए, आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने यह फैसला किया था कि ट्राइफरकेशन ऑफ एमसीडी किया जाये जिससे कि दिल्ली के अंदर सुधार हो। अब आपने जो साहनी साहब ने जो नालों की बात कही है उसके बारे में कहना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर चार फीट से गहरे नालें 1560 हैं और चार फीट से कम गहराई वाले 2745 हैं। इसमें 499 अभी पीडब्ल्यूडी ने टेकअप कर लिये हैं और 863 किलोमीटर का एरिया भी ली है। तो आज इस बात की जरुरत भी है कि जहाँ कारपोरेशन अपने नाले साफ करे वहाँ हम भी अपने नाले साफ करें। इस बात का ध्यान रखने की जरुरत है। और मैं आपसे यह कहूँगा कि 2009-10 के अंदर 40 करोड़ रुपये नालों की सफाई के लिए खर्च हुए थे, 2010-11 में 43 करोड़, 2011-12 में 44 करोड़ और एमसीडी का यह कहना है कि वो अपने बेलदारों से नाले साफ करवाते हैं और जो उनका रेग्यूलर सैनिटर स्टाफ है, जो चार फीट से कम गहराई के नाले हैं, उनको साफ करते हैं।

हम लोग भी इस बात पर नज़र रखेंगे और यह एन्श्योर करेंगे कि नालों की सफाई ठीक टाइम पर हो, परंतु हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं मेरा उनसे भी अनुरोध होगा कि इस बार एक ही इंडेक्स है कि दिल्ली के अंदर सड़कों पर पानी नहीं इकट्ठा होना चाहिए, वो ही एक इंडेक्स हमें बता देगा कि नाले साफ हुए हैं या नहीं हुए हैं।

श्री प्रहलाद सिंह साहनी: दिल्ली के अंदर पूरी म्यूनिसिपिल कारपोरेश के अंदर दो सुपर सकर है तीन आपकी कारपोरेशन्स हैं, कारपोरेशन को यह हिदायत दें कि कम से कम 4-5 सुपर सकर जब तक और नहीं खरीदेंगे, नाले कभी साफ नहीं हो सकते।

स्वास्थ्य मंत्री: आपने ठीक बात कही है, तो साथियों trifurcation हमारी सरकार ने फैसला किया, हमारी पूरी कोशिश होगी कि trifurcation के बाद दिल्ली के अंदर इम्प्रूवमेंट हो और जो रोज़मर्रा की प्रोब्लम है, चाहे डेंगू, मलेरिया या water collection या proper management of the garbage इन सब को जो है properly look after कर सकें और एक ट्रांसपेरेंसी आए हरेक काम के अंदर, मैं यह उम्मीद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जो आपने विचार रखें, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

सभापति महोदया: जैसा कि आप सब को ज्ञात है आज अनधिकृत कालोनियों पर भी एक अल्पकालिक चर्चा रखी गई थी, चूंकि चर्चा करने वाले तीनों सदस्य इस समय सदन में नहीं हैं, इसलिए इस बार चर्चा समय पर नहीं होगी।

श्री कंवर करण सिंह: अध्यक्ष जी, यह आठवां मौका है, तीन साल के अंदर बीजेपी वाले चर्चा लगाते हैं और चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। मैं रिकार्ड पर लाने के लिए यह बात कह रहा हूँ, इस तीन साल के अंदर आठवां मौका है जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है तो कहते हैं कि सब्जेक्ट लगाओं, जनहित के जो हमारे विषय हैं वो नहीं लगने देंगे, अपने लगवाते हैं और फिर चर्चा में भाग लेते। कल बहुत हल्ला मचाया था कि अनअथोराइज पर चर्चा होनी चाहिए। अध्यक्ष जी ने आज चर्चा लिस्ट की, उनके लिए रखा, रुल में अमेंडमेंट किया कि दूसरे दिन की चर्चा आती नहीं है, उसके बाद उन्होंने भाग नहीं लिया और वो चले गये। मैं इस बात की निंदा करता हूँ।

सभापति महोदया: इससे पहले कि मैं सदन को अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित करुँ स्वस्थ संसदीय परम्पराओं का निर्वाह करते हुए सदन की नेता एवं मुख्यमंत्री, श्रीमती शीला दीक्षित जी, नेता प्रतिपक्ष प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा तथा पक्ष-विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। इसके अलावा विधान सभा सचिव तथा

सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव व उनके समस्त अधिकरियों, दिल्ली पुलिस, खुफिया एजेंसियों, सी.आर.पी.एफ. बटालियन-55 तथा लोक निर्माण विभाग के सिविल इलेक्ट्रिकल व होर्टिकल्चर डिविजन, अग्निशमन विभाग आदि द्वारा किये गये सराहनीय कार्य के लिए भी उनका धन्यवाद करती हूँ।

मैं खास तौर से इलेक्ट्रिकल डिविजन की सराहना करना चाहूँगी कि जून के महीने में तापमान 46 डिग्री के आस-पास पहूँचने के बावजूद सत्र के दौरान उन्होंने दिन-रात मेहनत कर विधान सभा की कार्यवाही चलाने में निरंतर अबाधित बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की।

विधान सभा की कार्यवाही को मीडिया व समाचार-पत्रों के माध्यम से जन-जन तक पहूँचाने में अहम भूमिका निभाने वाले सभी पत्रकार साथियों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ।

अब सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की जाती है।

राष्ट्र गान - जन-गण-मन

(सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की गई)

विषय सूची

सत्र-10 बुधवार, 06 जून, 2012/ज्येष्ठ 16, 1934 (शक) अंक-80

क्र.सं.	*विषय*	*पृष्ठ संख्या*
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1
2.	तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (प्र.सं. 142, 144, 145 और 147)	3
3.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्र.सं. 141, 142, 146 से 148 से 160)	45
4.	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्रश्न सं. 525 से 588)	70
5.	स्वास्थ्य मंत्री द्वारा वक्तव्य (विधायकों को चिकित्सा सुविधाएं देने हेतु)	163
6.	विशेष उल्लेख (नियम 280)	164
7.	विधेयकों पर विचार एवं पारित करना	198
	1. दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक सं. 10)	
	2. दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक सं. 11)	
	3. दिल्ली विलासिता कर (संशोधन) विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक सं. 12)	
8.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	233
9.	अल्पकालिक चर्चा	233
	1. दिल्ली नगर निगम को तीन भागों में विभाजित किया जाना जनता के हित में है ताकि जनसुविधाओं पर ध्यान दिया जाये तथा राजनीतिकरण व फिजूनखर्ची न करने पर अल्पकालिक चर्चा	
	2. दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत आने वाले बरसाती नालों की सफाई के मामलों में भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा।	

खण्ड-10 सत्र-10 / अंक-80 बुधवार 06 जून, 2012 / ज्येष्ठ 16, 1934 (शक)

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्यमेव जयते

चतुर्थ विधान सभा
दसवाँ सत्र

अधिकृत विवरण
(खण्ड-10 में अंक-73 से 80 तक सम्मिलित है)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

Editorial Board

पी.एन. मिश्रा

सचिव

P.N. MISHRA

Secretary

लाल मणी

उप-सचिव (सम्पादन)

LAL MANI

Deputy Secretary (Editing)